लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)



(खण्ड 24 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

52 (6)
21.9.82

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 6, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982/7 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या	83, 85 से 87, 90, 92, और 94	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		23—230
*तारांकित प्रश्न संख्या	84, 88, 89, 91, 93 और 95 से 102	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या	924 से 1007, 1009 से 1113, और 1115 से 1153	33—230
सभा पटल पर रखे गये पत्र		230—232
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		232—249

हैदराबाद स्थित टकसाल बन्द होने और कलकत्ता स्थित टकसाल तथा नासिक, देवास और होशगाबाद स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसों में उत्पादन में कमी होने का समाचार

श्री बी० डी० सिंह	232
श्री जनार्दन पुजारी	233
श्री प्रणव मुखर्जी	237
श्रीमती प्रमिला दंडवते	138
श्री रामस्वरूप राम	141
श्री एम०एम० लारेंस	0४त
श्री कृष्ण कुमार गोयल	245

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	250--256
(एक) आधुनिक इलेक्ट्रानिक केन्द्रों के निर्माण के लिए इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री पालघाट का विस्तार	
श्री वी० एस० विजय राघवन	250
(दो) घरेलू नौकरों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता	
श्री० कमलनाथ	250
(तीन) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम को अल्मोनियम कारखाना लगाने के लिए शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री बाबूसाहिब परुलेकर	251
(चार) 19 जनवरी 1982 को बिहार बन्द के अवसर पर पटना में एक संसद सदस्य के साथ असामाजिक तत्वों की कथित ज्यादतियां और पुलिस का दुर्व्यवहार	
श्री रामावतार शास्त्री	252
(पांच) उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री टी० एस० नेगी	253
(छः) उड़ीसा सरकार को क्षयरोग के उन्मूलन के लिए सहायता देने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जैना	254
(सात) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफीम उत्पादकों को सहायता दिये जाने की मांग।	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	255
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	256—271
श्री पी० नामग्याल	257
श्रीमती गीता मुखर्जी	262
श्री राजेश पाइलट	267
श्री सुरेन्द्र सिंह	270
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंतीसवां प्रतिवेदन	271

विषय	पृष्ठ
निर्माण कर्मकारों के कल्याण के बारे में संकल्प वापिस लिया गया	**272--305**
श्री एम० एम० लारेंस	272
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	277
श्री हरिकेश बहादुर	279
श्री जेवियर अराकल	282
डा० बी० कुलनदईवेलु	283
श्री हरीश रावत	286
श्री रामावतार शास्त्री	287
श्री मूलचंद डागा	290
श्री गिरधारी लाल व्यास	295
श्री भागवत झा आजाद	300
आयात नीति के पुनरीक्षण के बारे में संकल्प	**305—307**
श्री एम० रामन्ना राय	305

लोक सभा

शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982/-7 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व साथी डा० महादेव प्रसाद के दुखद निधन की सूचना देनी है । वे 1962-70 के दौरान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज चुनाव क्षेत्र से तृतीय और चतुर्थ लोक सभा के सदस्य थे ।

वह एक शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने गाँधीवादी विचारधारा के अनुसार समाज सेवा की तथा भारत सेवक समाज शिविर आयोजित किये ।

वह बहुत से शैक्षिण संगठनों से सम्बन्धित थे जिनमें बनारस हिन्दू विश्विविद्यालय कोर्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड तथा जिला किसान संघ, अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग महासंघ तथा गाँधी शताब्दी महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की मानवीय सुविधाओं तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी उप-समितियां सम्मिलित हैं ।

वह 7 जनवरी, 1982 को 58 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गये ।

हम इस मित्र के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं और मेरा विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को शोक-सन्देश भेजने में यह सम्पूर्ण सभा मेरे साथ है ।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण के लिये मौन खड़े हुए)

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण के लिये मौन खड़े हुए)

प्रो० मधु दण्डवते : यह परिपाटी रही है कि जब भी सभा में कोई निधन सम्बन्धी उल्लेख किया जाये तब प्रधान मन्त्री हमेशा सभा में उपस्थित होना चाहिये ।

श्री नारायण चौबे : वह एक विशेष प्रधान मंत्री है जो परिपाटियों का पालन नहीं करतीं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि-निर्यात बढ़ाने के लिये नई कार्य कार्यनीति

†83. श्री †वीरभद्र सिंह :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-निर्यात बढ़ाने के लिये एक नई कार्यनीति तैयार की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) तथा (ख) कृषि गत वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने की सम्भवना को पूरा करने तथा छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्थायी कृषि निर्यात नीति तैयार करने की आवश्यकता है । वाणिज्य मन्त्रालय ऐसी एक नीति तैयार करने का कार्य कर रहा है ।

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, कृषि एक बड़ा सम्भाव्यता वाला क्षेत्र है जिसका केवल निर्यात से होने वाली आय बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी पूर्ण रुप से उपयोग किया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई दीर्घकालीन अनुमान लगाया है कि कितने-कितने कृषि उत्पाद निर्यात के लिए उपलब्ध रहेंगे और क्या द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बातचीत करके विशेष रुप कुछ देशों द्वारा अपनायी गयी संरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए तथा उसके अधिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने दूसरे सम्बन्धित मंत्रालय के साथ सलाह करके इस बात के बावजूद कि हमारी अपनी आवश्यकताएं कितनी है, कृषि उत्पादनों का कुछ भाग निर्यात के लिए निर्धारित करने हेतु कोई योजना बनायी है ताकि विदेशों में हमारे कृषि उत्पादों की मण्डियां बने तथा बनाये रखी जा सकें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि कृषि के साथ एक विकासशील उद्योग की तरह कवर किया जाना चाहिए । कृषि हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है । हम कृषि उत्पादों का निर्यात के लिए उत्पादन करने की योजना बनाना तथा उत्पादन करना चाहते हैं हम केवल फालतू कृषि उत्पादों का ही निर्यात करके सन्तुष्ट नहीं होना चाहते । परन्तु यह निर्णय करने का प्रश्न कि कितना निर्यात किया जा सकता है कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादन प्रकृति की कृपा पर निर्भर करता है परन्तु सौभाग्य वंश हम उससे कहीं अधिक उत्पादन कर रहे हैं जितने की हमारे देश के लिए आवश्यकता है हम यह निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कम से कम कितना निर्यात कर सकते हैं और यह निर्णय कृषि मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय तथा योजना आयोग के साथ सलाह करके लिया जायेगा हम यह कर रहे हैं । तथा यह निश्चय करने के पश्चात ही कि हम नियमित रुप से लगातार तथा

बिना किसी रुकावट के अन्य देशों को कितना निर्यात कर सकते हैं हम कृषि उत्पादों के लिए विदेशों में अपनी मण्डिया स्थापित करने में सफल होंगे। हम विदेशों में बाजारों की छानबीन कर रहे हैं जहां पर हम अपने कृषि उत्पादनों का निर्यात कर सकें हम उनकी आवश्यकताओं का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फालतू उत्पादन का निर्यात करके उनके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं ताकि किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकें।

श्री वीर भद्र सिंह : कृषि के अतिरिक्त, भारत के पास समुद्री उत्पादों के निर्यात की भी बहुत अधिक सम्भावनायें हैं। इस क्षेत्र में अब तक हमारा निर्यात बहुत कम रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने समुद्री उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अतिरिक्त शीत भंडार क्षमता, पैकिंग तथा परिवहन आदि की आवश्यक आधार भूत सुविधायें प्रदान करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं तथा आगे क्या कदम उठान पर विचार किया जा रहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। हमारे पास एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक जीव समूह उपलब्ध है। उस जीव समूह से हम कुछ मछलिया तथा कुछ ऐसी दूसरी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जिनका मनुष्यों द्वारा उपभोग किया जा सकता है। हम आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य उद्योग की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस क्षमता के बढ़ाने पर हम समुद्र से लायी गयी सामग्री को भंडार गृह में रखने की सुविधा तथा उसको विदेशों में भेजने के लिए सुविधा भी देना चाहेंगे। हम यह कह रहे हैं परन्तु यह एक ऐसी बात है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की तथा बहुत अधिक जांच पड़ताल करने की तथा बहुत धन व्यय करने की तथा वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम यह सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा हम भविष्य में भी यह सब करते रहेंगे।

श्री राजेश पाइलट : माननीय मन्त्री ने मांसाहार वाली वस्तुओं के सम्बन्ध सगत सूचना दी है अब मैं उनका ध्यान फल आदि वस्तुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो शाकाहारी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री को यह जानकारी होगी कि मध्य-पूर्वी देशों तथा यूरोपीय देशों में विशेष रुप से साम्यवादी देशों में ताजे तथा टीन बन्द फलों की बहुत अधिक मांग है। यदि हां तो व्यापार की वृद्धि करने के लिए सरकार क्या-क्या प्रोत्साहन तथा सुविधायें देने की योजना बना रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : पहले माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के पदार्थों के बारे में तथा मैंने उसी के अनुरुप उत्तर दिया। अब मैं शाकहारी वाले उत्पादों से सम्बन्धित प्रश्न पर दोबारा पुनः आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि विदेशों में फलों तथा सब्जियों तथा फलों व अन्य ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां

पर उनकी आवश्यकता है। हम इन उत्पादों का निर्यात करने में मदद कर रहे हैं हमने तद्-उद्देश्यीय सुविधाओं की भी स्थापना की है उनको शीत गृह सुविधायें तथा कुछ मामलों में वित्तीय सहायता भी दी गयी है। बड़े पैमाने पर संसाधक संयन्त्रों की स्थापना भी शुरू होने वाली है। कुछ स्थानों पर हम ऐसे संयन्त्रों की स्थापना कर चुके है तथा राज्य सरकारों ने भी कुछ स्थापित किये हैं। हम फलों तथा दूसरी चीजों का निर्यात करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधायें दे रही है, यदि हां तो कौन-कौन सी वस्तुओं के मामले में तथा क्या क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वाणिज्य मन्त्रालय कृषि उत्पादों के निर्यात को भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है। कृषकों को प्रदान की गयी सुविधाओं में से एक तो बाजार की तलाश है, तद्उद्देश्यीय सुविधाओं में यह देखना भी सम्मिलित किया है कि इन वस्तुओं के निर्यात के रास्ते में कोई बाधा न आये। ये सब प्रोत्साहन देने वाले कार्य हैं। प्रोत्साहनकारी कार्य वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा शुरू किये गये हैं। कुछ मामलों मे कुछ सहायता भी दी जाती है।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, सरकार खाद्यान्नो के निर्यात को कैसे उचित ठहराती है। जबकि हमने पिछले वर्ष खाद्यान्नों का आयात किया है। विशेष रुप से गेहूं का जिसका अमेरिका से लगभग 10 लाख 70 हजार टन का आयात किया गया ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय हमारी नीति अन्धाधुन्ध निर्यात या आयात करने की नहीं है। हमारी नीति अपने देश की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में रखने तथा फिर कमी वाले वर्षों के लिए सुरक्षित भंडार रखने की है। और यदि कुछ उससे अधिक हमारे देश में उपलब्ध है तब हम उसका निर्यात करते हैं। इससे उन लोगों को सहायता मिलती है जो उसे चाहते हैं। इससे हममें विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिलेगी। पिछले वर्ष हालांकि हमने गेहूं का आयात किया, फिर भी इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी हमारे पास फालतू चावल थे। एक समय था। अब इस वर्ष चीनी अधिक है। एक समय था जब हमें चीनी का आयात करना पड़ता था, लेकिन इस समय हमारे पास फालतू चीनी है जिसका आयात किया जा सकता है। यदि हमारे पास हमारी वास्तविक मांग से अधिक कृषि उत्पाद है, तो इसका निर्यात करना भी हमारे लिए लाभकारी है। अब हमारी नीति जिस वस्तु की यहां आवश्यकता है उसका निर्यात न करने की है। परन्तु हमारी नीति उन वस्तुओं का निर्यात करने की है जो हमारे देश की आवश्यकताओं तथा मुसीबत के समय के लिए रख लेने के बाद भी फालतू है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं—खाद्यान्न के अतिरिक्त, हमें सब्जियों तथा फलों पर भी ध्यान देना चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में है और हम उन्हें उगा सकते हैं। उसमें हमारे निर्यात में भी विभिन्नता आएगी। परन्तु उसकी योजना आपको पहले से ही बनानी पड़ेगी। यह दस वर्ष की या कुछ ऐसी परियोजना होनी चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपके सुझाव को हम स्वीकार करते हैं और हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एल० भाटिया तथा सज्जन कुमार उपस्थित नही हैं ।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, हम पहले से ही सूचना दे चुके हैं कि प्रश्न संख्या 85 तथा 100 एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा एक साथ लिए जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है । महोदय, इसको जाने मत दीजिए । महोदय, आपको दो प्रश्न मिलाकर लेने की शक्तियां प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मुझे सदस्यों की सहमति लेनी होती है ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण

*85 **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा हाल के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण की कितनी किश्तें ली गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित कोष प्रबंध के अन्तर्गत भारत ने दो खरीदारी की हैं । ब्यौरे इस प्रकार हैं :

निकासी की तारीख	राशि
30.11.1981	एस. डी. आर. 30 करोड़
15.1.1982	एस. डी. आर. 30 करोड़

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित कोष प्रबन्ध का सम्बन्ध है, ऋण तीन वर्ष की अवधि में दिया जायेगा । प्रथम वर्ष में इसकी दो किश्तें दी जायेंगी—एक 15 जनवरी तक और दूसरी 25 जनवरी तक। दूसरे और तीसरे वर्ष में भी यह किश्तों में ही मिलेगा । जो कुछ वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की पूर्व ज्ञात शर्तों को देखते हुए, जिनका कई लोगों ने बार-बार उल्लेख किया है तथा हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अमरीकी निदेशक श्री रिचर्ड एर्ब जैसे व्यक्ति ने अमरीकी कांग्रेसीय समिति को अपने सम्बोधन में बताया है और सम्बद्ध उप-समिति के डेमोक्रेटिक चेयरमैन श्री स्टीफन नैल ने भी बताया है, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि उप-समिति भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति तथा भुगतान सन्तुलन के साथ-साथ भविष्य में ऋण की शर्तों के अधीन भारत को धन देने की अमरीका की नीति का बहुत निकट से निगरानी करना चाहती है, इन सब बातों को देखते हुए क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक दल ने 13 जनवरी और 27 जनवरी 1982 के बीच

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित कोष सुविधा के बारे में भारत ने जो समझौता किया है उसकी समीक्षा करने के लिए भारत का दौरा किया था। और एक औपचारिक भेंट के नाम पर-जैसा कि वित्त-मन्त्री महोदय इसे कहना पसन्द करेंगे—यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दल वित्त मन्त्री महोदय से मिला था और अधिकतर ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दल में बजट प्रारूप पर बातचीत की गई थी, और (ख) क्या यह सच नहीं है की वित्त मन्त्री महोदय निजी क्षेत्र, एकाधिकार प्राप्त घरानों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में विद्यमान विनियमों और पाबन्दियों में ढील देने के लिए सहमत हो गए थे ? वह आयातों को उदार बनाने, सरकारी आर्थिक सहायता का देना बन्द करने या कम करने तथा हमारे आर्थिक जीवन की कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने, और जैसा कि कल हमको पता चल जायेगा—प्रत्यक्ष करों के वर्तमान ढ़ांचे को हल्का करने के लिए वह सहमत हो गये थे।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं तो केवल यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इतनी सारी पूर्वधारणाएं बनाने के बजाय कल तक प्रतीक्षा कर लें। जहां तक उनके प्रश्न के प्रथम भाग का संबन्ध है, यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दल के नेता ने शिष्टाचार वश मुझसे भेंट की थी। जैसा कि मैं पहले के प्रश्नों के उत्तर में कह चुका हूं—मेरे विचार से दूसरे सदन में—किसी भी बाहर के व्यक्ति से बजट प्रस्तावों पर बातचीत करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य किसी दल की तो बात ही क्या है।

जहां तक शर्तों और अन्य बातों का सम्बन्ध है इस पर बहुत विस्तार से बहस और विचार-विमर्श किया जा चुका है और इसका उल्लेख करके मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को केवल एक बात बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की समीक्षा करना तो एक आम बात है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे दो प्रकार की समीक्षाएं की जा रही हैं। एक अनुच्छेद 4 के अनुसार है, जो कि 1978 में ही तब की गई थी जब हम सत्ता में नहीं थे और वह विस्तारित सुविधानों से सम्बद्ध थी। वह मुद्दा हमें ध्यान में रखना होगा। यदि मैं प्रो० रूपचन्द पाल को 10 रुपये उधार दूं तो निश्चय ही मैं यह पता लगाना चाहूंगा ···

अध्यक्ष महोदय : आप इतने कृपण क्यों बनते है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, तो ठीक है भारत के वित्त मन्त्री 10 रुपये के बजाय ऋण की राशि बढ़ाकर 100 रुपये कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहूंगा कि आया प्रो० पाल 100 रुपये वापिस देने की स्थिति में है या नहीं।

प्रो० रूपचन्द पाल : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है क्या ब्राजील जैसे और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने वाले देशों में ऊंची कीमतों और व्यापक भारी आर्थिक संकट को देखकर भारत सरकार हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये ऋण समझौते को समाप्त करने पर विचार कर रही हैं ? क्या सरकार इसके लिए सहमत है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री महोदय ने यह बात कई बार स्पष्ट कर दी थी, अर्थात ऐसी कोई भी स्थिति हम स्वीकार नहीं करेंगे जो संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होगी चाहे ऋण मिले या न मिले। परन्तु जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है वैसी स्थिति नहीं है। अतः इस प्रकार के प्रश्न पर टिप्पणी करना बहुत ही काल्पनिक बात होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बजट की पूर्व सन्ध्या पर वित्त मन्त्री महोदय को परेशानी में नहीं डालना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े ही विचारशील है।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, वह भी तो मन्त्री रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम जिसको भुला चुके हैं, आप उस भूतकाल की याद हमें क्यों दिलाना चाहते हैं ?

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों आदि का सम्बन्ध है चूंकि यह अर्थात विदेशी व्यापार और भुगतान सन्तुलन स्थिति, उनकी चिन्ता से बहुत दूर की बात है परन्तु इसका मौद्रिक वित्तीय और विकासात्मक कार्यकलापों से सम्बद्ध लगभग सभी प्रशासनिक मुद्दों से सम्बन्ध है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि 15 1.1982 को 30 करोड़ रुपये के एस० डी० आर० ऋण की दूसरी किश्त देने से पूर्व क्या उनेक समीक्षा दल ने आपसे इस मामले पर विचार-विमर्श किया था और क्या उन्होंने किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सुझाव दिया था जिससे कि आप 30 करोड़ के एस० डी० आर० ऋण की दूसरी किश्त प्राप्त करने में सफल हो सकें। इस संबंध में वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उपबन्धों के उपबन्ध 2 (क) की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें यह कहा गया है कि 30 जून 1982 तक विस्तारित प्रबन्धों के अधीन एस० डी० आर० ऋण के 90 करोड़ से अधिक की खरीददारी कोष की सहमति के बिना नहीं की जायेगी बशर्ते कि 15 जनवरी, 1982 तक खरीददारी 30 करोड़ के एस० डी० आर० ऋण से अधिक की नहीं की जाती है यहां मुझे केवल एक स्पष्टीकरण चाहिये। जब वह इस 30 करोड़ की बात करते हैं तो क्या यह 30 करोड़ आरम्भ से ही लिया गया था अथवा यह वह अतिरिक्त 30 करोड़ है जो कि आप दूसरी किस्त के रूप में ले चुके हैं ? मैं ये दो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक द्वितीय स्पष्ट्रीकरण की बात है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि किस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है। जून, 1982 तक हम 90 करोड़ अमरीकी डालर के एस० डी० आर० ऋण के बराबर खरीददारी करने के हकदार हैं। उममें से 30 करोड़ वह था जो कि आपने 15 जनवरी तक बताया है। अतः नवम्बर में हमने 30 करोड़ डालर लिए थे। 15 जनवरी तक हमने 30 करोड़ लिए और जून, 1982 तक के 60 करोड़ हम ले चुके हैं। हम इसके अतिरिक्त और 30 करोड़ ले सकते हैं। वह भी उस 90 करोड़ में से ही होगा जो कि हम जून, 1982 तक खरीद सकते हैं। जून, 1983 तक

हम 180 करोड़ प्राप्त करने के अधिकार हैं। जिसका अर्थ हुआ कि 90 जमा 180 अर्थात 270 करोड़ और शेष बाकी कार्यक्रम के लिए होगा। जहाँ तक शर्तों का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, हम जिन नीतियों का पालन कर रहे हैं उनका हम उल्लेख कर चुके हैं और जिन नीतियों को संसद की स्वीकृति होती है वे ही हमें स्वीकार्य हैं। अब जब कि समीक्षा की जायेगी तो स्वाभाविक है कि उन नीतियों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि स्वीकृत नीतियां है और जो उन्हें कुछ क्षेत्रों में प्रेषित कर दी गई हैं, उनके बारे में, केवल यह देखने के लिए कि सूचना उपलब्ध है या नहीं और क्या उन लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है वे कुछ वास्तविक सूचना चाहेंगे इसमें कुछ भी असामान्य और असाधारण नहीं है। जैसा कि किसी सुझाव के बारे में संकेत किया गया है वे कोई सुझाव दे सकते हैं। कोई भी किसी को किसी प्रकार का सुझाव देने से नहीं रोक सकता है। जब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं तो वे मुझे सभी प्रकार के सुझाव देते हैं। इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ कतई नहीं है कि मुझे हरेक सुझाव पर ध्यान देना चाहिये और उसे कार्य रूप देना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये जो कि बड़ा ही संगत है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह नहीं था कि क्या उन्होंने चर्चा की थी या सुझाव दिए थे, परन्तु मैंने यह पूछा था कि क्या उन्होंने दूसरी किस्त के भुगतान के लिए पूर्व-शर्तों का सुझाव दिया था और क्या सुझावों के रूप में उन शर्तों को मान लिया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : अभी तक तो ऐसा कोई सुझाव आया नहीं है। जो कुछ हम उनसे कह चुके हैं, हम उसी के अनुसार चल रहे है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं केवल जानकारी लेने के लिए ही पूछ रहा हूं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। विस्तारित आर्थिक सुविधा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहले से ही शर्तें दी हुई हैं। उन शर्तों को स्वीकार किए बिना कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विस्तारित आर्थिक सुविधा के अधीन उधार नहीं ले सकता है। आप संसद में कह चुके हैं कि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। परन्तु स्वयं दिल्ली में हुई विकासशील देशों की बैठक में प्रधान मन्त्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आरोप लगाया था कि उन्हें सामान्य नहीं आधार भूत ढ़ाचे में परिवर्तन चाहिये और जब अस्थायी असन्तुलन के बारे में ब्रेटन वूड सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि वे उधार देंगे, परन्तु यह विस्तारित अर्थ व्यवस्था सुविधा कुछ आधार भूत ढ़ांचे में परिवर्तन की माँग करती है और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह बात जोर देकर कही थी कि इन संस्थाओं के माध्यम से वे सरकार की आर्थिक और अन्य नीतियों पर नियन्त्रण करने का प्रयास कर रहे है यदि ऐसी बात है तो फिर कौन सी बात गलत है— जो कुछ आप संसद में कह रहे हैं कि कोई शर्त नहीं है या वे शर्तें जो संसद ने स्वीकार की है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि संसद पहले ही उन शर्तों की स्वीकृति दे चुकी है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लगाता है या यदि ऐसी बात नहीं है तो या तो आप संसद को गुमराह कर रहे हैं अथवा प्रधान मन्त्री महोदय ने विकसित देशों के सम्मेलन को गुमराह किया था इसमें कौन सी बात सही है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मेरे माननीय मित्र और सहकर्मी ने सारी बात में भ्रान्ति पैदा कर दी है प्रधान मन्त्री महोदय ने विकासशील देशों की बैठक में जो बात कही थी वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई गई कोई विशिष्ट विस्तारित कोष सुविधा की ही बात नहीं है। जब आधार भूत ढ़ाचे में परिवर्तन की बात कही तो उन्होंने विकशित देशों के औद्योगीकृत देशों के रवैये का ही उल्लेख किया था और इसमें कई बातें आ जाती हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते काफी समय से विकसित देश इस बात पर बल दे रहे हैं कि विकसित देशों से आने वाले जी० एन० पी० कोष का एक प्रतिशत विकासशील देशों के विकास सहायतार्थ दिया जाना चाहिये और अभी तक हम 7 प्रतिशत तक भी नहीं प्राप्त नहीं कर सके हैं और जब हम 7 प्रतिशत तथा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गये तो बहुत से विकसित देशों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है और इसका विस्तारित कोष सुविधा के सीमित कार्यान्वयन से कोई लेना-देना नहीं है अतः इन दो बातों को उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार साहा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक प्रश्न और, यह महत्वपूर्ण है। तो वित्त मन्त्री महोदय क्या आप यह विश्वास करना चाहते हैं कि ये सभी शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने समाप्त कर दी है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ! नहीं। श्री अजीत कुमार साहा जी।

एक माननीय सदस्य : वह दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार साहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब अध्यापक रहे हैं, अतः वह सोचते हैं कि अपनी बात जारी रख सकते हैं।

गणतंत्र दिवस परेड के लिये झांकियों के चयन के मार्गदर्शी सिद्धान्त

*86. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस परेड के लिये 'झांकियों' के चयन के लिये इससे संबंधित समिति द्वारा किन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है ;

(ख) यदि कोई सिद्धान्त नहीं है तो समिति इसके लिये किस प्रकार झांकियों का चयन करती है ;

(ग) क्या समिति इस अवसर के लिये जो भी उपयुक्त व उचित समझती है उसका चयन कर सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये किन बातों का ध्यान रखा जाता है तथा उसका ब्यौरा क्या है ।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) सरकार ने गणतन्त्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाने वाले झांकी का चयन करने के लिए कला, वास्तुकला, सांस्कृति और डिजाइन के क्षेत्र में विशेष और ख्याति प्राप्त कलाकारों की एक समिति का गठन किया है । इस तरह की समिति गठित करने की प्रथा 1953 से चली आ रही है । समिति द्वारा अपनाये जाने वाले सिद्धान्त मोटे तौर पर इस प्रकार हैं—

1. झांकी का विषय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ।
2. झांकी हर प्रकार से राजनीति-मुक्त होनी चाहिए ।
3. डिजाइन सरल होना चाहिए और आसानी से समझ में आना चाहिए उसमें अनावश्यक विवरण नहीं होने चाहिए ।
4. झांकी में लिखी हुई बातें और चित्र आदि तर से कम से रखे जाने चाहिये और अक्षर मोटे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि दूर से देखने पर समझ में आ सकें ।
5. डिजाइन रंगबिरंगा और लुभावता होना चाहिए ।
6. उसमें गति ध्वनी और सजीवता होनी चाहिए ।
7. प्रत्येक झांकी में कुछ व्यक्ति कार्य करते हुए दिखाए जाने चाहिए लेकिन उनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अधिक कलाकार होने से झांकी देखने का आकर्षण घट जाता है ।
8. डिजाइन इस प्रकार बनाया जाए कि उसे ट्रैक्टर पर रखा जा सके ।

झांकी के लिए प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर इन सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जाता है और प्रत्येक झांकी की तुलनात्मक विशेषता का मूल्यांकन करने के बाद उसका अन्तिमरूप से चयन किया जाता है ।

श्री अजित कुमार साहा : मन्त्री महोदय ने सिद्धान्तों का उल्लेख किया है । पहला सिद्धान्त यह है कि झांकी का विषय धर्म-निरपेक्ष होना चाहिए । दूसरा सिद्धान्त यह है कि वह किसी भी तरह की राजनीति मुक्त होनी चाहिए । ये सभी बातें कही गयी हैं । यह दुःख की बात है कि गणतन्त्र दिवस पर पश्चिम बंगाल द्वारा भेजी गई झांकी अस्वीकृत कर दी गई ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है।

श्री अजित कुमार साहा : आपने सिद्धान्त बताए हैं। मैं "बिजनेस स्टैण्डर्ड" से उद्धृत कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण है, अथवा क्या झांकी महत्वपूर्ण थी ?

श्री अजित कुमार साहा : 29.1.82 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में कहा गया है :

"जब सदस्यों से सम्पर्क स्थापित किया गया तो अधिकांश सदस्यों ने यह बताने से मना कर दिया कि झांकी को किस आधार पर अस्वीकृत किया गया। उनमें से एक ने बताया कि समिति में हमारे पास कोई मार्ग दर्शन सिद्धान्त नहीं हैं तथा हमसे कारण बताने की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

यह कहा गया है और आपने सिद्धान्त बताये हैं। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई झांकी राष्ट्रीय एकता पर थी यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एकता को झांकी में, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई थी, प्रदर्शित करना अनुमेय नहीं है, और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं। तथा इसे किस आधार पर अस्वीकृत किया गया ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे खेद है, लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वास्तव में 60 सुझाव प्राप्त हुए थे जिनमें से समिति को 14 को चुनना था। एक घंटे पचास मिनट की परेड में इन झांकियों के लिए केवल 14 मिनट निर्धारित हैं। तथा हमें केवल 14 झांकियां चुननी होती हैं। न केवल पश्चिम बंगाल की झांकी अपितु अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश की झांकियां भी स्वीकृत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल द्वारा भेजी गई झांकी का विषय राष्ट्रीय सद्भाव था। जो समिति इस मामले की जांच करती है उसमें वास्तुकार, विशेषज्ञ, संस्कृति से सुपरिचित व्यक्ति इत्यादि हैं। उन्होंने इसे देखा तथा कहा कि यह उचित स्तर की नहीं है। जब पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को इसके अस्वीकृत किए जाने का पता चला तो उन्होंने प्रधान मन्त्री को लिखा की उनकी झांकी अस्वीकृत किया जाना गलत था। समिति को पुनः इसकी जांच करने को कहा गया तथा पुनर्विक्षण के बाद भी समिति ने उसे उचित स्तर का न पाकर अस्वीकार कर दिया।

श्री अजित कुमार साहा : झांकी के अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण थे ? पश्चिम बंगाल के नर्तक दल को भी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग क्यों नहीं लेने दिया गया ? क्या राज्य सरकार ने उन्हें परेड में भाग लेने से मना किया था ? क्या उनकी प्रार्थना अस्वीकृत की गई थी ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, इस वर्ष नर्तक दल को भी मना कर दिया गया। परन्तु इसका कोई अर्थ नहीं है। पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल नर्तक दल को भाग लेने दिया गया था। इस वर्ष 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से केवल 14 चुनने थे। स्वाभावतः उनमें से कुछ अस्वीकृत होने थे। जिस समिति ने इस पर विचार किया उसने इसे श्रेष्ठ नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री राम विलास पासवान ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देखने में विश्वासनीय है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा जायेगा, उसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा । श्री राम विलास पासवान ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

*87. **श्री †राम विलास पासवान** :

श्री के० कुन्हम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : जी, नहीं । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 16 में यह सिफारिश की थी कि यदि कीमत स्तर 12 महीने के औसत 272 अंकों (1960=100) को पार कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ते की योजना को और आगे बढ़ाया जाए या वेतनमानों में ही संशोधन कर दिया जाए । कीमत स्तर उक्त सीमा से ऊपर पहुंचने पर सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार स्वीकार्य होगा । इस प्रकार मासिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों की वृद्धि होने पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त की मंजूरी दी जाती है । महंगाई भत्ते की पिछली किश्त 1-6-1981 से स्वीकृत की गई है जबकि 12 महीने का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 408 अंकों पर पहुंच गया था । 1-8-1981, 1-10-1981, 1-11-1981 और

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

1-1-1982 से महंगाई भत्ते की 4 और किश्तें विचार किये जाने योग्य हो गई हैं। महंगाई भत्ते की इन किश्तों की अदायगी विचाराधीन है। 1-8-1981, 1-10-1981 और 1-11-1981 से महंगाई भत्ते की जो किश्तें विचार किये जाने योग्य हुई हैं उनकी बकाया राशि की अदायगी की पद्धति के बारे में कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ कुछ बातचीत हुई है। इस संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसका उत्तर लोक सभा में 19-2-1982 को दिया गया था।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि :

> "आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 16 में यह सिफारिश की थी कि यदि कीमत स्तर 12 महीने के औसत 272 अंकों (1960=100) को पास कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई, भत्ते की योजना को और आगे बढ़ाया जाए या वेतनमानों में ही संशोधन कर दिया जाए।"

मैं पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि पे कमीशन ने जो कहा था उसके मुताबिक दिसम्बर, 1981 तक 272 प्वाएंट से कितना प्वाएंट क्रास कर गया है ?

दूसरे, जैसा कि अभी हाल में इस सदन में चार इन्स्टालमेंट्स के बारे में चर्चा हुई थी, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे चार इन्स्टालमेंट्स केश में दी जाएंगी, उन्हें इम्पाऊण्ड नहीं किया जाएगा ?

तीसरे जो इन्डेक्स हाई होता जा रहा है, क्या उस के अनुपात में डी० ए० को पे में मर्ज करते जाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित जो तथ्य थे वे विस्तार से पत्रक में दिये गये हैं जिसको कि सभा पटल रखा गया है।

माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन अपने कर्मचारियों का और उनकी कठिनाइयों का बराबर ध्यान रखती रही है, और रखती रहेगी। उनके सम्बन्ध में उचित मर्यादा के अन्दर जो निर्णय लिये जा सकते थे वे लिये गये हैं। उसी संदर्भ में अभी तक कर्मचारियों को डी० ए० की 26 इन्स्टालमेंट्स दी जा चुकी हैं जब से कि पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। इन इन्स्टालमेंट्स की राशि करीब-करीब 1 हजार 5 सौ करोड़ रुपये हैं। इन डी० ए० इन्स्टालमेंट्स के बारे में सदन में काफी चर्चा इसी सत्र में हो चुकी है।

जहां तक थर्ड पे कमीशन ने जो फार्मुला बताया था, उसका सवाल है, उस फार्मुले को पिछली गवर्नमेंट ने भी रिव्यू किया था और यह निश्चय लिया था कि जो 8 प्वाएंट वाला फार्मुला

है उसको जारी रखा जाए। उस फार्मुले को बराबर माना जा रहा है और, जब भी उसके अनुसार डी० ए० ड्यु होता है उसके बारे में समय पर निर्णय लिया जाता है और उसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : हमने सीधा सा सवाल पूछा था कि जो थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट आयी थी जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि जब 272 प्वाएंट क्रास कर जाएगा तब इसको रिवाइज किया जाएगा, तो उस से अब तक कितने प्वाएंट क्रास कर गया है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि आप इंपाउंड करने जा रहे हैं या कैश में देने जा रहे हैं ? और डी० ए० एक्चुअल पे में मर्ज करेंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अभी इस प्रश्न पर चर्चा हो रही है। जो इंस्टालमेंट्स ड्यू हो गई हैं उनको दिया जाए या डिपाजिट किया जाए, इस बात पर चर्चा हो रही है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ज्यादातर कर्मचारी इस हक में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय होने के बाद ही सदन में इस बात को रखा जा सकता है। (व्यवधान)

जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता सभा के समक्ष कुछ नहीं लाया जा सकता। चर्चा चल रही है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने प्रश्न किया है कि जैसा कि आपने जवाब में कहा है कि थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब 272 प्वाइंट क्रास कर जाएगा तो रिवाइज होगा, तो मेरा प्रश्न यह था कि अभी कितना है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : 272 के आगे की पोजीशन जब शासन के सामने आई तो··· (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अभी कितना है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : 440 है।

सरकार उन किश्तों पर विचार कर रही है जो कि देय हो गई हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : किसी ने यह नहीं कहा यह किश्ते देय नहीं हैं। एक पहले के तहत के उत्तर में बताया जा चुका है कि किश्ते देय हो गई हैं और बातचीत की जा रही हैं। पहले ही मैं इस सभा में बता चुका हूं कि बातचीत अभी अनिर्णीत है अतः मेरे लिए यह बताना अभी संभव नहीं है कि कब तक किश्ते दी जायेंगी तथा उनका रूप क्या होगा ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी की गलत-बयानी हो गई है। उन्होंने कहा है कि थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट को हम मान रहे हैं और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 272 प्वाइंट क्रास होगा तो अगला पे-कमीशन बैठेगा, जिसको मानने के लिए ये तैयार नहीं

हैं। अभी इन्होंने बताया कि 400 को भी क्रास कर गया है 440 हो गया है, जस्ट डबल हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह बताइए कि आपने स्पष्ट का अस्पष्ट करवाया है या अस्पष्ट का स्पष्ट करवाया है ?

श्री रामविलास पासवान : दूसरा मेरा प्रश्न वेतनमान की असमानता का है। इस देश में सबसे ज्यादा डिगनिटी आफ लेबर का मामला आता है। मैं रिवाइज करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि डिगनिटी आफ लेबर का मामला है। जो सबसे नीचा और ज्यादा काम करता है उसको सबसे कम वेतन मिलता है और जो सबसे कम काम करता है उसको सबसे अधिक वेतन मिलता है। इसी प्रकार सबसे पहले लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, इसके बाद ब्रेन-ड्रेन का नंबर आता है, सबसे बाद में लोग सेंट्रल-गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में आना चाहते हैं। यह सब वेतन की असमानता की वजह से है। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप सदन को आश्वासन देंगे कि आप ऐसी कोई पालिसी बनाने को तैयार हैं, जिसमें डिगनिटी आफ लेबर और वेतन की असमानता कम हो सके ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य के इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि थर्ड पे कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि 272 के ऊपर सूचकांक जाने के बाद नया पे कमीशन बैठाया जाय। इस प्रकार की कोई सिफारिश थर्ड पे कमीशन ने नहीं की है।

श्री सुनील मैत्रा : रिव्यू आफ पे स्केल्स है।

श्री रामविलास पासवान : यह सरकार का जवाब है :

आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 18 में सिफारिश की थी कि यदि मूल्य स्तर 272 के औसत सूचकांक से बढ़ता है तो सरकार को स्थिति का पुनर्वीक्षण करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिये कि क्या महंगाई भत्ते की योजना को और आगे के लिए बढ़ाया जाये अथवा स्वयं वेतनमानों का ही सुधार कर दिया जाये।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इसके विपरीत वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय 60 के पैरा 19 में कहा था :

> "केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों एवं सेवा की शर्तों का वेतन आयोग की सिफारिशों पर समय समय पर संशोधन करने की प्रणाली अधिक संतोषजनक नहीं है।"

यह वेतन आयोग की रिपोर्ट में हैं। उन्होंने कभी यह सिफारिश नहीं की कि 272 अंक के बाद एक और वेतन आयोग नियुक्त हो।

श्री रामविलास पासवान : श्रम की प्रतिष्ठा की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने जो सजेश्चन दिया है उसके बारे में बता दीजिए ।

श्री रामविलास पासवान : मैंने प्रश्न किया है कि जो वेतन की असमानता है और डिग्निटी आफ लेबर है उसके बारे में आप कुछ सोच रहें हैं ? जो खराब काम करे उसको सब से कम वेतन आप क्यों नहीं देते ? आप मेहतर की तनख्वाह 1,000 रु० कर दीजिए आप देखिये और लोग भी इस काम के लिये तैयार हो जायेंगे । लेकिन अभी उल्टा होता है जो कुछ काम नहीं करता उसको ज्यादा तनख्वाह देते हैं और जो मेहनत करके ज्यादा काम करता है उसको कम तनख्वाह मिलती हैं । इस असमानता को आप खत्म करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रम की गरिमा एवं राष्ट्रीय मंजूरी ढांचे जैसा मामलों पर माननीय सदस्य की अपनी राय हो सकती है और वह सुझाव भी दे सकते है । परन्तु प्रश्न काल में नीति संबन्धी घोषणाएं करने के लिए नहीं है ।

श्री के० कुन्हम्बु : वेतन आयोग ने सुझाव दिया है कि जीवन निर्वाह सूचकांक की 12 महीने की औसत 272 से अधिक हो जाये तब वेतनमानों को संशोधित किया जाना चाहिए । बेशक उक्त सूचकांक उससे बहुत अधिक बढ़ चुका है, परन्तु सरकार ने वेतनमानों के संशोधन का कोई निर्णय लिया है । क्या सरकार अब ऐसा करेगी ? दूसरे क्या सरकार महंगाई भत्ते की चार किस्तें, जोकि देय हो गई है, तुरन्त देगी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी यह नहीं कह रहा कि वे देय नहीं हुई । वास्तव में मैंने बताया है कि 1.1.1982 तक चार किस्तें देय हो गई हैं तथा हम इस पर विचार कर रहे हैं । इसमें दो बातें हैं । एक बात तो सूचकांक 272 से अधिक होने की है यदि सूचकांक में 12 महीने की औसत में आठ की वृद्धि होती है तो एक किश्त देय हो जाती है । इस सिफारिश के स्वीकार किये जाने के बाद कर्मचारियों को बहुत सी किस्तें दी जा चुकी हैं । दूसरा प्रश्न यह हैं कि क्या वेतन आयोग नियुक्त किया जाये अथवा नहीं । इसका उत्तर है नहीं, कोई वेतन आयोग नियुक्त नहीं होगा । जहां तक महंगाई भत्ते की देय किश्तों के भुगतान का प्रश्न है, मैं पहले ही बता चुका हू कि हम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं तथा बातचीत समाप्त होने पर हमारे लिए निर्णय लेना संभव होगा ।

श्री नारायण चौबे : मन्त्री महोदय ने बताया है कि वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया जायेगा । परन्तु तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के बारे में सरकार का क्या रवैया है ? दूसरे···

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न ।

श्री नारायण चौबे : संयुक्त सलाहकार तन्त्र के साथ बातचीत के दौरान···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय केवल प्रथम मांग का उत्तर दे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि संयुक्त सलाहकार तन्त्र भी वेतन आयोग की नियुक्ति के पक्ष में नहीं है वे सरकार के साथ द्वि-पक्षीय बातचीत चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पहले राज्य सरकारों के कर्मचारी मांग करते थे कि हमारी तनख्वाहें केन्द्रीय सरकार के बराबर करो, अब कई राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन-मान भारत सरकार के कर्मचारियों से अधिक हो गये हैं, जैसा कि बिहार···

अध्यक्ष महोदय : कोई खेत मजदूरों की बात नहीं कर सकते यहां ?

श्री रामावतार शास्त्री : अब असमानता दूसरे तरीके से हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों में कोई असमानता न रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कोई कमेटी बैठाकर इस पूरी बात पर विचार करना चाहते हैं या नहीं ? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर इसका औचित्य क्या होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह माननीय सदस्य की राय हो सकती है कि इसमें कोई हानि नहीं है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है और मैं एक काल-पनिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : स्टेट गवर्नमेंट ने कई जगह बढ़ा दिया है।

श्री आर० एस० स्पैरो : संगठित श्रमिकों के सूत्र के अनुसार, क्या मन्त्री महोदय ग्रामीण श्रमिकों के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे, जो कि दबाव डालने वाले उपाय नहीं बरतते।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान् मुझे भय है कि मैं सरकार के रवैये के बारे में नहीं बता सकता। मैं सभा को सरकार के निर्णय की जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं।

जेवियर अराकल : जी हां, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस सम्बन्ध में यह पूछता रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है। हम असंगठित क्षेत्र के एक वर्ग के लिये जो लड़ाई लड़ रहे है उसके पीछे एक भावना है और मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्णय क्या हैं। कृपया इसके बारे में सदन को बतायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी।

श्री जेवियर अराकल : मैं इस प्रश्न के बारे में काफी चिंतित हूं। वह उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं । मुझे यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दुर्भाग्यवश हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे है जिसमें जो लोग सौदाबाजी करने की अधिक शक्ति रखते है और जो यह कह सकते हैं कि वे काम को ठप्प कर देंगे, उनको ही अधिक मिला है । लेकिन इसके साथ ही इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम उनकी कोई चिंता ही नहीं करते है जिनके पास सौदाबाजी करने की शक्ति नहीं है । छठी पंच-वर्षीय योजना के सम्पूर्ण प्रस्ताव विशेषकर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर पुनः जोर दिया गया है, उसका तात्पर्य यह कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये जिसमें असंगठित वर्गों के लोगों को उनके उन आय के साधनों से वंचित न किया जाय जिन्हें पाने का उनका अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : लोकतन्त्र का तात्पर्य हैं बहुमत, जनता का बहुमत । आपको उनकी देखभाल करनी चाहिये । आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं ।

श्री रामगोपाल तिवारी : ज्वायन्ट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठकें कब-कब हुई और क्या उनके होने में बहुत देरी नहीं हुई जिससे द्विपक्षीय वार्ता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाईज और सरकार के बीच होनी चाहिये वह नहीं हो पाई और असंतोष बढ़ता जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 88 लिया जायेगा श्री कृष्णा प्रताप सिंह अनुपस्थित, प्रश्न संख्या 89 श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी। वह भी अनुपस्थित है इसके बाद प्रश्न संख्या 90 प्रो॰ अजीत कुमार मेहता ।

भारत द्वारा अन्य देशों को दी गई सहायता

*90. **प्रो अजित कुमार मेहता** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर भारत पर ऋण के आंकड़े निरन्तर बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर भारत द्वारा अन्य देशों को दी जा रही सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा पिछले तीन वर्षों में अन्य देशों को (नाम सहित) कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) भारत द्वारा अन्य देशों को ऋण दिए जाने के परिणामस्वरूप भारत के विकास कार्यक्रमों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यद्यपि देश की बढ़ी हुई विकास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही के वर्षों में भारत द्वारा लिए जाने वाले उधार में बराबर वृद्धि हुई है तथापि भारत द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता में जो कि भारत द्वारा

विदेशों से लिए जाने वाले उधारों का एक मामूली सा अंश है, हाल ही में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यद्यपि यह सच है कि इस सहायता से हमें कुछ त्याग करना पड़ता है किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह सहायता मित्र देशों को दी जाती है जिनमें से कुछ हमारे नजदीक के पड़ोसी देश हैं। जिस हद तक यह सहायता उन देशों को इस लिए दी जाती हैं कि वे भारत से सामग्री तथा सेवाएं प्राप्त कर सकें, उसी सीमा तक इससे हमारे निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। भारत मित्र देशों को मुख्य रूप से उनके द्वारा भारत से सामान तथा सेवाओं की प्राप्ति में सहायता करने की दृष्टि से उधार दे रहा है।

विवरण

भारत द्वारा अन्य देशों को दी गई सहायता (राजकोषीय वर्ष)

देश/कार्यक्रम (करोड़ रुपए)

	1978-79			1979-80			1980-81		
	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़
1. अफगानिस्तान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बगंला देश	—	—	—	29.3	0.1	29.4	—	0.2	0.2
3. भूटान	7.2	36.2	43.4	5.2	29.7	34.9	6.8	31.1	7.39
4 मारिशस	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. नेपाल	—	9.4	9.4	—	14.1	14.1	—	14.2	14.2
6. श्री लंका	4.8	—	4.8	10.0	—	10.0	10.0	—	10.0
7. तंजानिया	2.0	—	2.0	0.4	—	0.4	—	—	—
8. वियतनाम	41.2	—	41.2	—	—	—	13.5	—	13.5
9. जाम्बिया	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—
10. आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता		3.0	3.0	—	4.0	4.0	—	0.5	0.5
जोड़:	55.2	48.6	103.8	54.9	47.9	102.8	30.3	46.0	76.3

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर यही बात कहूंगा, जो मैंने दो तीस दिन पहले कही थी कि सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। मैंने इस प्रश्न को पार्ट (सी) में पूछा है :

> "भारत द्वारा अन्य देशों को ऋण दिये जाने के फलस्वरूप भारत के विकास कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ा ?

इसका जवाब तो कुछ आया नहीं। क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि भाग (ग) का उत्तर दिया जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप इस पर जोर न दें। इसमें अधिक सार नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है "इट आलसो प्रोमोट्स आवर एक्सपोर्टस" मैं जानता हूं कि इसके कारण किन-किन वस्तुओं के निर्यात में और कितने मूल्य के निर्यात में वृद्धि होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्या एक बड़ी संख्या में वस्तुओं को बताना संभव है ? मैं कुछ मुख्य-मुख्य वस्तुओं को बता रहा हूं। ये हैं, इंजीनियरी पूंजीगत वस्तुओं और सेवलें, परामर्शदात्री तथा तकनीकी जानकारी। इनको मैंने बता दिया है। लेकिन मेरे लिये यह संभव नहीं कि सारी वस्तुओं के नाम बताऊं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अभी अभी दिल्ली के दक्षिण-दक्षिण संवाद हुआ है। मंत्री महोदय ने सूची दी है, उसमें पांच ऐसे देश हैं जो उस संवाद से निमंत्रित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संवाद के फलस्वरूप हमारे इस सहयोग में कोई वृद्धि होने की सम्भावना है, खासकर कपड़ा इलैट्रानिक सीमेंट, रसायन और इस्पात के सम्बन्ध में है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जहां तक प्रति व्यक्ति आम अथवा प्रति व्यक्ति खपत का सम्बन्ध है भारत एक विकासशील देश है और गरीब देश है। लेकिन विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने हमेशा रचनात्मक और अग्रणीय भूमिका निभाई है। मैं इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से सम्बन्धित चर्चा पर मैं भाग लेते समय मेरे माननीय पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा की गई विशेषरूप से एक टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगा उन्होंने विकसित देशों से कहा "आप हम विकासशील देशों को सहायता दे रहे हैं। वह आपके निर्यातों को बढ़ावा देने की आड़ में है। लेकिन हम भी अन्य विकासशील देशों को सहायता दे रहे हैं। हम केवल अपनी प्रोद्योगिकी का हस्तांतरण ही नहीं कर रहे हैं वरन् प्रोद्योगिकों को उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाने तथा इसे फिर से डिजाइन करने में भी उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उस संदर्भ में विकासशील देशों के बीच घनिष्ट सहयोग, जिसे आप तकनीकी अर्थ

में दक्षिण-दक्षिण सहयोग कर सकते हैं, निःसंदेह सहायक होगा और इससे विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

फ्रांस द्वारा मिराज लड़ाकू विमानों की सप्लाई

*92. श्री रेशमा मोतीरामे भोये :

श्री जी० †नरसिम्हा रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के लिये मिराज लड़ाकू विमानों की सप्लाई हेतु फ्रांस सरकार के - के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन पर कितनी वित्तीय लागत आयेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) मिराज-2000 विमान की बिक्री और सप्लाई के बारे में फ्रांस की कम्पनी के साथ अभी बातचीत चल रही है। उनके साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि क्या करार करने के लिये पहला कदम पहले ही उठाया गया है। जिसके अन्तर्गत वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल दिलबाग सिंह के निवास पर फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी जीन मार्टी तथा भारतीय रक्षा सचिव श्री पी० के० कौल के बीच 23 जनवरी, 1982 को समझौते सम्बन्धी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : सम्बन्धित सरकारों अथवा पक्षों के बीच आपसी समझौता सम्बन्धी ज्ञापन तथा करार में अन्तर होता है। इसमें केवल ऐसे सभी क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है जिनमें हम एक दूसरे से सहायता लेना चाहते हैं हमने उनका ब्यौरा दिया है और आगे की बातचीत के लिये इस पर हस्ताक्षर किये गये।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं हां अथवा नहीं में उत्तर चाहता हूं और यह पूछ रहा हूं कि समझौते सम्बन्धी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मिराज समझौते को विफल बनाने के लिये सोवियत सरकार द्वारा दबाव डालने का कोई प्रयास किया जा रहा है तथा भारत को मिग 27 देने की पेशकश की है जिसकी क्षमता की भी कोई जानकारी नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन मिराज 2000 पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले एफ-16 के बराबर है ?

श्री आर० वेंकटरामन : पहली जो बात कही गई है कि किसी देश द्वारा इस समझौते को विफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, गलत है जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, इनमें से प्रत्येक वायुयान की अपनी विशेष खूबियां है और हमारा यह मूल्यांकन यह है कि मिराज-2000 में लड़के की कुछ बहुत ही आकर्षक खूबियां हैं।

भूतपूर्व शासकों पर प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि

*94. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दशाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व शासकों की तरफ जिन्हें पहले 'प्रिवीपर्स' मिल रहा था दिनांक 1 जनवरी 1982 को आयकर, धन कर, उपहारकर, और सम्पदा शुल्क की कितनी-कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) किस-किस तारीख से ये राशियां बकाया हैं तथा प्रत्येक भूतपूर्व शासक पर कितनी-कितनी राशियां बकाया है; और

(ग) इसकी वसूली के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) प्रश्न में मांगी गई सूचना सभी भूतपूर्व शासकों के बारे में, जो प्रिवी-पर्स प्राप्त कर रहे थे, उपलब्ध नहीं है। इन भूतपूर्व नरेशों के मामले में जो वर्ष 1971 में 1 लाख रु० या उससे अधिक का प्रिवी-पर्स प्राप्त कर रहे थे और जिनकी तरफ प्रत्येक कर के अन्तर्गत 10 लाख रु० से अधिक की मांग बकाया थी, बकाया कर सम्बन्धी सूचना तिमाही रूप में एकत्र की जाती है। फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 सितम्बर, 1981 को ऐसी कुल बकाया का कर-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

कर का स्वरूप	भूतपूर्व शासकों की संख्या, जिन की और कर बकाया है।	बकाया कर	मांगा गया कर जो प्रवर्तनीय नहीं है	20-9-1981 को बकाया पड़ी कर की सकल मांग
1	2	3	4	5
आयकर	7	82.33	250.67	333.00
धनकर	16	914.64	998.92	1913.56
दानकर	3	179.95	30.97	210.92
सम्पदा शुल्क	5	140.69	36.12	176.81

(ख) और (ग) : आयकर, धनकर, दानकर और सम्पदा शुल्क की मांगों के बारे में कर-

निर्धारिती-वार सूचना विवरण क, ख, ग और घ में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या, एल० टी० 3418/82]

डा० कृपासिन्धु भोई : सभी भूतपूर्व शासकों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई है तथापि उत्तर के लिये पर्याप्त समय दिया गया था। दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि काफी लम्बे अर्से से 26 करोड़ रु० से अधिक की धनराशि बकाया है, जिसका विवरण दिया गया है। और अभी तक विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं। बकाया राशियों को बहुत ही कम समय में वसूल करने के लिये सरकार क्या ठोस उपाय करने जा रही है, जिससे राजकोस में वृद्धि हो।

श्री सवाई सिह सिसोदिया : ऐसे भूतपूर्व शासकों के सम्बन्ध में जो 1971 में 1 लाख अथवा उससे अधिक का 'प्रिवीपर्स' ले रहे थे तथा जिन पर कर की 10 लाख रु० से अधिक की राशि बकाया थी, जानकारी दी गई है तथा इसको सभा पटल पर रख दिया गया है। बकाया राशियों को वसूल करने के लिये जहां तक प्रक्रिया अथवा योजना का सम्बन्ध है आयकर तथा अन्य करों के अनुसार इसकी एक निश्चित योजना तथा धाराये हैं जिनके तहत अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं और कार्यवाही की जा रही है।

जब वे लोग अपील करते हैं तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं तभी सामान्यत: बकाया धनराशियों का प्रश्न उठता है। अत: इस कारण इतनी भारी धनराशि बकाया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"फ्रेंश पाक बिड टू वाई एन. प्लांट" शीर्षक समाचार

*84. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री सज्जन कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1982 के चन्डीगढ़ से प्रकाशित होने वाले "सन्डे ट्रिब्यून" मे 'फ्रेंस पाक विड टू वाई एन. प्लान्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का विश्वास है कि जिन परिस्थितियों के कारण फ्रांस द्वारा पाकिस्तान के साथ करार समाप्त हुआ था, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार इससे संबंधित गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।

नेशनल केडेट कोर केडेटों के लिए धन

*88 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'नो फन्ड्स टू फीड एन. सी. सी. केडट्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नेशनल केडेट कोर की गतिविधियों का जारी रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट जब वार्षिक प्रशिक्षण कैम्पों में भाग लेने हैं तो उनके भोजन पर आने वाले खर्च को केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारें बराबर बराबर बांट लेती हैं । नवम्बर 1981 में महाराष्ट्र में 18 कैम्पों का आयोजन था लेकिन भोजन भत्ते की कमी के कारण उन्हें स्थगित कर देना पड़ा था । राज्य सरकारों की सहमति पर कैडटों के भोजन भत्ते को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4,40 रुपए से बढ़ाकर 7/- रुपए प्रति दिन करने के आदेश बाद में जारी कर दिए गए थे और अब स्थगित किए गए सभी कैम्पों का आयोजन कर लिया गया है ।

ग्रहणियों द्वारा बचत

*89. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी गृहिणियों के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन दिया गया है जो अपनी पति की जानकारी के बिना बचत करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो गृहणियों एवं कामकाजी पत्नियों की औसत गुप्त बचत क्या है ; और

(ग) क्या गृहणियों, नौकरी करने वाली पत्नियों, कामकाजी पत्नियों, नौकरी न करने वाली पत्नियों तथा अंशकालीन नौकरी करने वाली पत्नियों द्वारा की जाने वाली बचतों को जमा करने के लिये बैंकों ने कोई योजना तैयार की है अथवा करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप.मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) हालांकि, गृहिणियों की बचतों को संग्रहीत करने के लिए बैंकों द्वारा, कोई विशेष जमा योजनाएं तो तैयार नहीं की गई हैं पर गृहिणियां चाहे वे नौकरी करती हो अथवा नहीं, मौजुदा योजनाओं अर्थात् बचत खातों, आवर्ती जमा खातों, पुर्ननिवेश खातों, नकद प्रमाणपत्रों आदि का लाभ उठाती हैं ।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण जमा राशियों का अनुपात

*91. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह राज्य में ऋण जमा राशियों की अनुपात में वृद्धि के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशियों में वृद्धि करे ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में ऋण जमा राशियों का अनुपात बहुत कम है और यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में इसका इस सम्बन्ध में क्या स्थान है ; और

(ग) और अधिक ऋण दिये जाने तथा राज्य में बैंकों की और शाखायें खोलने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) से (ग) मालूम हुआ है कि 29 जनवरी, 1982 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में गुजरात के वित्त मन्त्री ने बैंकों से अनुरोध किया था कि वे राज्य में ऋण जमा अनुपात के स्तर तक पहुंच सके। अग्रिमों में बढ़ोतरी करें ताकि यह राष्ट्रीय अनुपात के स्तर तक पहुंच सके।

दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में अनुसूचित वाणिज्जिक बैंकों का ऋण: जमा अनुपात (स्वीकृतियों के अनुसार) 58.1 प्रतिशत था जबकि समूची बैंकिंग प्रणाली के लिए वह अनुपात औसतन 66.9 प्रतिशत था। ऋण: जमा अनुपात के अनुसार गुजरात का स्थान भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 13 वां है। यह मानना होगा कि यह अनुपात राज्य में वितरित कुल ऋण के निर्देशकों में से केवल एक निर्देश है।

बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सहकारी ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतर सहायता नहीं दी जाती, अपेक्षाकृत ऋण का अधिक आवंटन करके ऋण प्रदान करने की गति लगातार बढ़ा रहे है। सभी सामुदायिक विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार करने, राज्य पदाधिकारियों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए अर्थक्षम योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा हाथ बटाने से भी गुजरात में ऋण प्रदान करने की गति तीव्र होने की संभावना है। यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने भी कई निगम जैसे जनजाति विकास निगम, अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम ग्रामीण विकास निगम और इस प्रकार के अन्य निगम स्थापित किए हैं। इन निगमों द्वारा अर्थ-क्षम योजनाएं तैयार किए जाने और उन्हें कार्यान्वित किए जाने से भी गुजरात राज्य में ऋण प्रदान करने की रफ्तार तेज हो सकती हैं। गुजरात में शाखा-जाल का विस्तार करने की दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है । सितम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों की 2372 शाखाएं थीं जिसके अनुसार व्याप्ति औसतन 14,000 लोगों के लिए एक शाखा बैठती है जबकि राष्ट्रीय औसत 19,000 लोगों के लिए खाखा हैं। गुजरात में

ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी 1692 शाखाओं के आधार पर व्याप्ति का अनुपात 16,000 लोगों के लिए एक शाखा का है जो कि 22,000 लोगों के लिए एक शाखा के राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। सितम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास 115 लाइसेंस/प्राधिकार पत्र थे। वर्ष 1982-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, कम बैंक वाले क्षेत्रों के अन्दर ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान करना चाहता है ताकि 17,000 लोगों (1981 की जनगणना के अनुसार) के लिए एक शाखा के हिसाब से जनसंख्या व्याप्ति का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार को लिखा गया है।

चीन के साथ व्यापार और संयुक्त उद्यम

*93 **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के प्रतिनिधि मण्डल ने 1981 के दौरान भारत की यात्रा की थी और भारत में विदेशी पूंजी-निवेश के लिये उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भारतीय उद्यमियों के साथ विचार विमर्श किया था ; और

(ख) क्या व्यापार आरम्भ करने और संयुक्त उद्यमी सम्बन्धी प्रस्ताव करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : व्यापार अथवा निवेश के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन के किसी भी शिष्ट मण्डल ने भारत का दौरा नहीं किया। किन्तु चीन की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के तीन अधिकारियों के एक दल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुराष्ट्रीय निगम केन्द्र के तत्वाधान में अध्ययन संबन्धी दौरा जरूर किया था। इस दल ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा विवादों को निपटाने से सम्बन्ध रखने वाली नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कानूनी व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों को समझाने के लिए 17 दिसम्बर, 1981 से 27 दिसम्बर, 1981 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

"हाट एयर आन टूरिज्म" शीर्षक से सम्पादकीय

*95. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "हाट एयर आन टूरिज्म" शीर्षक से सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 1980 में 8 लाख पर्यटकों की तुलना में गत वर्ष भारत में 8.5 लाख पर्यटक आये थे, जो यात्रियों के रूप में केवल 50,000 ही अधिक थे अथवा लगभग 6 प्रतिशत अधिक थे;

(ग) (एक) सरकार की जानकारी के अनुसार (1) बहामा, (2) सिंगापुर, (3) हांग-कांग, (4) जापान, (5) थाईलैंड, (6) ताईवान और (7) दक्षिण कोरिया में पर्यटकों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(दो) क्या यह सच है कि इनमें से प्रत्येक देश की तुलना में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विश्व भर से अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित करने और इस प्रकार अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं ?

पर्यटक और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) और (ख) जी हां । 1981 के दौरान कुल 853,148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने भारत की यात्रा की और इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 53 हजार (या 6.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी । वर्ष 1981 के लिए वर्तमान कीमतों के आधार पर पर्यटन से अनन्तिम रूप से 564 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है और इससे 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होती है ।

(ग) (एक) विश्व पर्यटक संगठन के अनुसार, वर्ष 1980 के लिए निम्नलिखित देशों के बारे में यात्री/पर्यटक आगमनों के आंकड़े इस प्रकार से थे:—

	(लाखों में)
(1) बहमा	11.81
(2) सिंगापुर	25.62
(3) हांग-कांग	22.79
(4) जापान	8.44
(5) थाईलैंड	8.47
(6) ताईवान	11.11
(7) दक्षिण कोरिया	9.76

(दो) निरपेक्ष रूप से मात्र आंकड़ों को देखा जाए तो 1980 में उपर्युक्त देशों में जहां भारत की अपेक्षा अधिक पर्यटक आए। यहां भारत में पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि बहुत ज्यादा थी । उदाहरण के लिए, सिंगापुर में 9.48 मिलियन रात्रियों (ठहरने की औसत अवधि 3.7 दिन) और हांग-कांग में 8.20 मिलियन रात्रियों (ठहरने की औसत अवधि 3.6 दिन) की

तुलना में पर्यटकों ने भारत में कुल 20.35 मिलियन रात्रियां (ठहरने की औसत अवधि 25 दिन बितायीं।

(घ) जबकि पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है, 1981 के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए थे :—

(1) यात्रा परिपथों की संकल्पना को अन्तिम रूप दिया गया और केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध साधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से सघन विकास के लिए 61 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए जो 441 पर्यटक केन्द्रों को कवर करते हैं। इन पर्यटक केन्द्रों में हिमक्रीड़ा स्थल समुद्र तट विहार वन्य जीव विहार स्थल, सांस्कृतिक रुचि के स्थल और ऐसे ही पर्यटक आकर्षण के अन्य स्थान शामिल हैं।

(2) वर्ष के दौरान 20 नए होटलों को अनुमोदित किया गया जिससे 916 कमरों की वृद्धि हुई और केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होटलों मे कमरों की कुल संख्या 22.300 हो गई। वर्ष के दौरान 35 होटलों को वर्गोकृत भी किया गया और 28 नई होटल परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होते ही विद्यमान क्षमता में 3873 कमरों की वृद्धि हो जाएगी दो एशियाड होटल परियोजनाओ के मामले में यूरो-डालर ऋणों के लिए किए आवेदनों पर अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

(3) विदेशों में प्रारम्भ किएगए संवर्धनात्मक प्रयासों को तेज करने की दृष्टि से विदेश स्थित 3 "आपरेशन"ों की पुनरीक्षा की गई, यह एक ऐसी स्कीम है जिसके अधीन पर्यटन विभाग के विदेश स्थित कार्यालय और एयर इण्डिया विदेशों में पर्यटन संवर्धन के कार्यों में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ऐसे तीन क्षेत्र, जिसके कार्यसचालन की पुनरीक्षा की गई "आपरेशन आस्ट्रेलेशिया" "आपरेशन यूरोप" और "आपरेशन यू० के०" हैं।

(4) इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी फ्लीट में 1981 में दो बूइंग 737 की वृद्धि की।

(5) वर्ष के दौरान एयर इण्डिया ने अपना विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किया और आस्ट्रेलिया के लिए सप्ताह में दो बार सेवा की व्यवस्था करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को दुगना कर लिया।

(6) एयर इण्डिया द्वारा उठाया गया दूसरा प्रमुख कदम, विशेष रूप से जापान से बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यातायात की अभिवृद्धि करने के लिए होक्के क्लब आफ जापान और भारतीय होटल निगम जो कि एयर इण्डिया की एक सहायक संस्था है के बीच

कुशीनगर और राजगीर में प्रत्येक में एक-एक, जापानी स्टाइल के होटलों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम परियोजना थी।

(7) पर्यटक यातायात के वाल्युम में ठोस रुप से वृद्धि करने की दृष्टि से चार्टरज की अभिवृद्धि करने के लिए भारत में आने वाले चार्टर यातायात के विकास को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से मन्त्रालय में एक चार्टर कमेटी गठित की गई है।

(8) भारत में विविध हवाई अड्डों पर पर्यटकों के लिए सुख-सुविधाओं/सुविधाओं का सृजन करने और उनमें सुधार लाने के लिए 1 8। में एयरपोर्ट सलाहकार समितियां गठित की गई थीं।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ को कम करने के उद्देश्य से, चूंकि इससे पर्यटकों की शीघ्र निकासी में विलम्ब हो जाता हैं, बम्बई हवाई अड्डे पर इन्टरनेशनल टर्मिनल बिल्डिग के विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है; साथ ही साथ दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए एक नई बिल्डिग का निर्माण किया जा रहा है।

निर्यात नीति सम्बन्धी टंडन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

96. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें दशक के लिए निर्यात नीति सम्बन्धी टडन समिति की रिपोर्ट की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) टंडन समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की छः सिफारिशें क्या हैं, जिन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है और;

(ग) टंडन समिति की शेष 85 सिफारशों को कब क्रियान्वित किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)

(क) 80 के दशक के लिए निर्यात नीति सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट सरकार को जनवरी, 1981 में प्रस्तुत की गई। वाणिज्य मन्त्रालय ने रिपोर्ट की प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है और समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए आर्थिक सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(ख) अन्तरिम रिपोर्ट की छः महत्वपूर्ण सिफारिशों जिन्हें अन्तिम रिपोर्ट में दुहराया

गया, के अलावा 12 अन्य सिफारिशों का कार्यान्वयन हो चुका है। जिन सिफारिशों का कार्यान्वयन हो चुका है उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) सभी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद किया जाएगा।

विवरण

टंडन समिति की उन सिफारिशों की सूची जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है

1. मैट्रोपोलिटन सीमाओं और स्टैन्डर्ड शहरी क्षेत्र की सीमाओं में स्थित उन उद्योगों के बारे में विशेष रूप से अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो निर्यात के लिए उत्पादन करने की स्थिति में हैं।

2. एक बार जब किसी औद्योगिक उपक्रम को सामान्य विवरण के अन्तर्गत एक उत्पादन के लिए लाइसेंस दे दिया जाए तो स्थिति में अन्यथा परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले उत्पादक के किसी परिवर्तन को भी लाइसेंस के अन्तर्गत समझा जाना चाहिए।

3. सितम्बर, 1975 से 15 उद्योगों की एक सूची को 5 प्रतिशत प्रति वर्ष या एक पंचवर्षीय योजना अवधि में 25 प्रतिशत की सीमा तक पंजीकृत या लाइसेंस शुदा क्षमता में ओटोमेटिक विस्तार की अनुमति थी। इस सूची का परिवर्तन किया जाना चाहिए किन्तु एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० की कम्पनियों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिनपर टास्क फोर्स नियन्त्रण होना चाहिए।

4. एम० आर० टी० पी० कम्पनियों सहित औद्योगिक उपक्रमों के निर्यात उत्पादो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और लाइसेंस शुदा क्षमता की दृष्टि से प्रतिबन्ध होते हुए भी लाइसेंस शुदा क्षमता के प्रतिबन्ध केवल घरेलू उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में लागू होने चाहिए।

5. उपक्रमों की प्रधानता का निर्धारण करते समय निर्यात के लिए उत्पादन को अलग रखा जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम में परिभाषा में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए.

6. चूंकि 1980 के दशक में परियोननाओं के निर्यात इन्जीनियरिंग निर्यात के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसलिए निर्यात के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, अतः कुछ विशेष वित्तीय प्रबन्धों पर विचार करना होगा। इन प्रबन्धों के लिए यूरो-डालर बाजारों का उपयोग किया जा सकता है जहां भारत की बहुत साख है। प्रस्तावित एग्जिम बैंक को इस तरह से सुसज्जित किया जाना चाहिए जिससे वह परियोजनाओं और सेवा निर्यातकों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सके।

(7) रेडियो रिसीवर, टेपरिकार्डर, कैसेट, टी वी और पब्लिक एडरेस सिस्टम जैसी उपभोक्ता चीजों के निर्यात बढ़ाने के लिए डिजाइन में परिवर्तन को प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्पादन और परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए क्वालिटी टैक्नालाजी को अपग्रेड किया जाना चाहिए।

(8) उच्च मूल्य वाली चमड़े की चीजों के उत्पादन के लिए उद्योग को उदार और रियायती वित्त दिया जाना चाहिए। पैंशन शू, चमड़े के परिधान, चमड़े के ऊनी परिधान, पैकेट, ओवर कोट और फैशन वस्त्र परिधान, आदि जैसी सुरूचिपूर्ण चीजों के निर्यात को विदेशी तकनीकी सहयोग और विपणन प्रबन्ध करके प्रोत्साहन देना चाहिए। वर्तमान प्रतिबन्धात्मक उपायों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जिनका उद्देश्य विकसित देशों द्वारा आयात की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाना है, मूल्य पर नहीं, अधिक इकाई मूल्य वाली मदों पर जोर देना आवश्यक है।

(9) न्यूनतम मूल्यवर्धन व्यवस्था और सोने के आयात की व्यवस्था सहित सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात के लिए उपयुक्त योजनाएं पुनः आरम्भ की जानी चाहिए। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव से आभूषणों के निर्यातों में बाधा नहीं पड़नी चाहिए और इटली, स्पेन, हांगकांग आदि जैसे आभूषण निर्यातक देशों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का भारत में उनको अमल में लाए जाने के लिए गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

(10) बुनाई क्षमता पर उच्चतम सीमा लगी हुई है। अतिरिक्त क्षमता के सृजन और विशिष्ट निर्यात लक्ष्यों के बारे में विचार किया जाए। सरकारी क्षेत्र की एन टी सी मिलों को इस योग्य बनाया जाए कि वे वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

(11) कैनवस, टैरी, तौलिये, पिलोकवर, बैडशीट और तैयार माल जैसी चीजों के उत्पादन के लिए जिनकी विदेशों में बड़ी मांग है बड़े अर्ज वाले करघों, टैरीकरघों तथा 10" और 100" के बीच के अर्ज की अन्य आधुनिक प्रोसेसिंग मशीनरी के आयात की अनुमति केवल निर्यात के लिए दी जानी चाहिए।

(12) ऊनी वस्त्रों और कालीनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कच्ची ऊन पर निर्यात शुल्क समाप्त कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए।

(13) दिसम्बर, 1977 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में स्थान संबंधी नीति में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर विचार किया जा सके जिन के बारे में रुग्णता क्षमता के पूरे उपयोग, उत्पादन के विविधीकरण, नई टैक्नालोजी के प्रयोग, किफायत, उद्योग के लाभ आदि जैसी परिस्थितियों में विचार करना न्यायोचित हो।

(14) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों से आय और खरीद विदेशी मुद्रा के अन्तप्रवाह का काफी बड़ा नया साधन साबित हो सकता है। हमारी निर्यात नीति के एक अभिन्न अंग के

रूप में विदेशों में भारतीय औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए। इससे निवेश और कर्मचारियों आदि के संचलन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उधार लेने, टैक्नालोजी और उपस्करों के आयात के सम्बन्ध में जहां उसी प्रकार की भारतीय टैक्नालोजी पर्याप्त रूप से उन्नत न हो, वर्जनाहीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी।

(15) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (एन ए बी आर डी) के स्तर पर एक चक्रीय निधि की स्थापना की जानी चाहिए जिससे निर्यात अभिमुख फसलों को सुलभ ऋण दिया जा सकें।

(16) एक छोटे समूह को बराबर प्रक्रियाओं की मोनिटरिंग करनी चाहिए, उनको सरल और सुव्यवस्थित बनाना चाहिए और निर्यातकों की प्रक्रिया संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिये :

(17) उत्पादन के निर्यात अभिमुख होने को प्रोत्साहन देने के लिए निवेशकर्ता को यह आश्वासन होना चाहिए कि निर्यात नीतियों में उचित स्थायित्व रहेगा और निर्यात के लिए उत्पादन करने से उत्पादक को लाभ होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना अवधि के दौरान निर्यात नीतियों में काफी स्थायित्व रखा जाना चाहिए।

(18) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले निर्यातों की मोनिटरिंग और मूल्यांकन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए।

इन्डियन एयरलाइन्स की रद्द की गई उड़ानें

*97. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानें रद्द की गई थीं; और

(ख) इन्हें रद्द करने के क्या कारण थे और इंडियन एयरलाइंस द्वारा आने जाने के लिये वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 1880-81 तथा 1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक) के दौरान हुई कुल 87787 तथा 66884 उड़ानों में से, क्रमशः 1512 तथा 856 उड़ानें रद्द की गयीं।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक) के दौरान रद्द की गई कुल उड़ानों में से क्रमशः 0.1 प्रतिशत तथा 0.66 प्रतिशत रद्द उड़ानें, ऐसे कारणों से हुई जो एयरलाइन्स के नियंत्रण में थे। शेष रद्द की गई उड़ानें खराब मौसम अथवा अन्य विविध कारणों व परिणामी कारणों से हुई।

रद्द की गई उड़ानों के मामलों में, यात्रियों को दूसरी वैकल्पिक उड़ानों से भेजने के सभी प्रयत्न किये गये। जब कभी सम्भव हुआ, अतिरिक्त उडानें परिचालित की गयीं तथा लाचार यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थानों को पहुंचाने के लिये उड़ानों का योजनाबद्ध रूप से मार्ग परिवर्तन भी किया गया।

बकाया ऋणों की वसूली

*98 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक, बिहार राज्य में नालंदा जिले में एक एपेक्स बैंक और उसकी शाखाओं और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पार्टियों को दिए गए ऋणों की भारी राशि वसूल की जानी बाकी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बुनकरों, रिक्शा, चालकों, छोटे दुकानदारों और शिक्षित बेरोजगारों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण लेने वाली पार्टियों से बकाया ऋणों की वसूली करने की दृष्टि से वसूली प्रमाण-पत्रों की जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उन्हें अपने ऋणों की अदायगी करने का एक अवसर देने की दृष्टि से इस कार्यवाही पर पुनर्विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसंबर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिहार के नालंदा जिले में दिए गए अग्रिमों की बकाया रकमों की स्थिति इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	कुल अग्रिम	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों के लिए गए अग्रिम (बकाया रकम
पंजाब नेशनल बैंक	2.80	0.30
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.75	0.20
भारतीय स्टेट बैंक	3.85	0.08

इस प्रकार इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम, उनके द्वारा इस जिले में दिए गए कुल अग्रिमों के 7 प्रतिशत से कम बैठते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के संबंध में बकाया राशि अपेक्षया उससे काफी ज्यादा है।

सीमित उपलब्ध संसाधनों के अंदर अधिक से अधिक ऋणकर्त्ता आवेदकों की ऋण देने के उद्देश्य से अतिदेय रकतों की शीघ्र वसूली करना और फंसे पड़े संसाधनों को पुनः उपयोग में लाना जरूरी है। बैंक यह महसूस करते हैं कि अधिक संख्या में अतिदेय रकमों के मामलों में रकमों की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने के सिवाय उनके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता।

युक्तिसंगत कठिनाइयों के मामलों में जहां व्यतिक्रम सूखे, बाढ़ अथवा अन्य दैवी विपत्तियों के कारण हुई क्षति के वजह से हुआ हो, बैंक न केवल मौजूदा ऋणों की वापसी अदायगी का फिर से कार्यक्रम बनाते हैं बल्कि राहत और पुनर्वास के लिए नए ऋण भी मंजूर करते हैं।

बस्तर और बिलासपुर को विमान सेवा से जोड़ना

*99 **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में बस्तर और बिलासपुर को विमान सेवा से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्थानों के बीच वायुदूत सेवा चालू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ग) : वायुदूत सेवाओं का चरणबद्ध क्रम से विस्तार किया जा रहा है तथा बस्तर (जगदलपुर) और बिलासपुर को विमान सेवा से जोड़ने के कार्यक्रम को वायुदूत सेवा के विस्तार के प्रथम चरण में ही सम्मिलित किया जा रहा है। उपर्युक्त स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने की समय-सारणी अभी तैयार की जानी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल के साथ बजट पर चर्चा

*100 **श्री सुनील मैत्रा** :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दल की सरकार के साथ बजट के प्रारूप पर चर्चाएं हुई हैं।

(ख) क्या कोष से 5 बिलियन एस. डी. आर. प्राप्त करने की शर्तों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बजट पर ऐसी चर्चाएं करना भी शामिल है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मदुरै को श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से एक प्रवेश स्थल के रूप में बनाना

*101 **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मदुरै को श्रीलंका और दक्षिणपूर्वी एशिया से एक प्रवेश स्थल के रूप में बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रुग्ण वस्त्र उद्योगों का अधिग्रहण

102. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री नीरन घोष क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उद्योग द्वारा संकट के सामना किए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार रुग्ण वस्त्र उद्योगों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार के नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखते हुए जब कभी आवश्यक और न्यायोचित होता है केवल तभी कार्यवाही की जाती है ।

विमल तथा विनोद टैक्सटाइल मिल्स के बन्द होने सम्बन्धी तथ्यों की जांच

924. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विमल तथा विनोद टेक्सटाइल मिल्स के बन्द हो जाने सम्बन्धी तथ्यों के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) वस्त्र आयुक्त ने एककों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है और यह पता लगाया है कि मिलों के बन्द होने का प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाई है ।

सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों का बीमा

925. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों का जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्कस के कलाकारों और कर्मचारियों का बीमा न करने के क्या कारण हैं जबकि जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों का बीमा किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को सर्कस कम्पनियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सिन्थटिक कपड़ों की जन-मानस का परिधान बनाना

926. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 फरवरी, 1982 को कलकत्ता से प्रकाशित "बिजनेस स्टैंडर्ड" में इण्डस्ट्री सीव क्लीदिग दि पुअर विद सिन्थेटिक्स (उद्योग मंच निर्धनों के लिये सिन्थेटिक वस्त्र) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिन्थेटिक कपड़ों को जन-मानस का पोरेधान बनाने का प्रयास करते हुए, यह देखने का है कि कृत्रिम रेशों तथा धागों का उत्पादन करने वाले इस अत्याधिक लाभप्रद उद्योग में उत्पादन लागत तथा लाभांश में कमी कराई जाये ताकि यह सुनिश्चय हो सके कि शुल्कों में सशोधन में परिणामस्वरूप होने वाला लाभ जन-मानस तक भी पहुंचे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

9 मार्च, 1981 सिन्थेटित वस्त्र नीति में बहू रेशा नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मानव निर्मित रेशों पर राजकोषीय लेवियों की समीक्षा की व्यवस्था है। समीक्षा करने के लिए सचिव, राजस्व, वित्त मन्त्रालय की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी। वस्त्र नीति के विवरण में ऐसे रेशों और यार्नों के लिए घरेलू उत्पादन आधार के विस्तार की भ ीव्यवस्था है ताकि उनका उत्पादन कम से कम संभव कीमतों पर किया जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसे रेशों और यार्न की कीमतें, वस्त्र आयुक्त द्वारा नियमित रूप से मोनीटर की जाती है। ऐसे रेशों और यार्न की उचित कीमतें निर्धारित करने के लिए बी० आई० सी० पी० और वस्त्र आयुक्त द्वारा समय समय पर लागत अध्ययन भी किए जाते है। घरेलू उत्पादकों को जब आयातों से प्रतियोगिता करनी है जिसकी अनुमति ऐसे रेशों और यार्न के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई है। इससे कीमतों के नियन्त्रण में सहायता मिलती है और उत्पादन क्षमता में सुधार होने की संभावना है।

विद्युत-करघों के लिए तकनीकी केन्द्र

927 **श्री मतिलाल हसदा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत-कस्बों के लिये और अधिक तकनीकी केन्द्रों की मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग): शक्तिचालित करघा केन्द्रीकरण के क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़ों को तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध न करा दे।

कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम को तमिलनाडू सरकार से प्राप्त ऋण हेतु आवेदन पत्र

928. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम को तमिलनाडू सरकार से तथा तमिलनाडु की अन्य संस्थाओं से वर्ष 1980-81 के दौरान ऋण के लिये कोई आवेदन पत्र मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो माँगे गये ऋण का ब्यौरा क्या है, आवेदक का नाम क्या है और प्रत्येक मामले में ऋण का प्रयोजन क्या हैं ; और

(ग) ऋण के लिये प्राप्त कितने आवेदन-पत्रों पर मंजूरी दे दी गई हैं और कितने विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) किसी राज्य सरकार को ऋण सहायता प्रदान नहीं करता कृषि विकास के लिए ए० आर० डी० सी० द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता पुनर्वित्त सुविधाओं की किस्म की है तथा यह वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गयी विकास की विशिष्ट योजनाओं के लिए इन संस्थाओं को ऋण के तौर पर सुलभ करायी जाती है।

इन संस्थाओं को ए० आर० डी० सीं० द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं लघु सिंचाई यंत्रीकरण, बागान तथा बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़ पालने, मत्स्य पालन, गोबर-गैस, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हैं। 1980-81 (जुलाई- से जून तक) के दौरान इन संस्थाओं से प्राप्त और स्वीकृत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपये)

वित्तीय संस्थाएं	योजनाओं की संख्या	मांगा गया पुनर्वित्त	योजनाओं की संख्या	स्कीकृत पुनर्वित्त
तामिलनाडु, स्टेटलैंड	22	469.03	21	417.25
डवलपमेंट बैंक वाणिज्यिक	122	1060.77	83	456.10
बैंक				
जोड़	144	1529.80	104	873.35

आई० आर० डी० पी०, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसी बहु बैंक (मल्टी बैंकिंग) योजनाएं	44	148.10	42	1198.02
जोड़	188	3011.90	146	2071.37

निपटान के लिए विचाराधीन योजनाओं की संख्या केवल 42 है। ये हाल ही में प्राप्त हुई हैं तथा सम्बन्ध वित्तीय बैंकों/सरकारी विभागों से अपेक्षित विवरणों की प्रतीक्षा है।

बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

929. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं थीं ;

(ख) 1979-80 और 1980-81 के दौरान सभी श्रेणियों, यथा वरिष्ठ प्रबन्धक, कनिष्ठ प्रबन्धक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) 1979 80 और 1980-81 में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) बिहार राज्य में 'होली डे होम' तथा ऐसे ही अन्य स्थल कितने हैं ; और

(ङ.) यदि अब तक कोई 'होली डे होम' नहीं खोला गया है तथा कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के लिये कोई व्यापक रूप-रेखा नहीं है तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

इन वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार	शाखाओं की संख्या
1979	458
1980	570
जून, 1981	577

(ख) बिहार में बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी:—

इन वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार	कर्मचारियों की संख्या
1979	110.9
1980	119.6
जून, 1981	12.92

(ग) कर्मचारियों के कल्याण कार्य पर खर्च की गयी लगभग राशि:—

कलैंडर वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1979	5.40
1980	5.00
1981	6.80

(घ) और (ङ) : बिहार राज्य कर्मचारी, अन्य स्थानों के कर्मचारियों की भाँति बैंक द्वारा मुहैया की जाने वाली व्यापक कर्मचारी कल्याण सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं । परन्तु बिहार राज्य में 'होली डे होम' नहीं हैं ।

प्याज का निर्यात

930. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन खाणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान कुल कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया !

(ख) प्रत्येक प्याज उत्पादक राज्य से कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ग) निर्यात किस ऐजेंसी के माध्यम से किया गया ;

(घ) प्रत्येक प्याज उत्पादक राज्य से प्याज किस दर पर खरीदा गया ;

(ङ.) क्या यह सच है कि गुजरात को अदा की गई दर पर अन्य राज्यों को दी गई दर से कम है ; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1981 के दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा 1.64 लाख मे० टन है ।

(ख) निर्यात के लिए प्याज की राज्यवार खरीद के सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) निर्यात नफेड द्वारा मार्गीकृत ज ।

(घ) उन दरों से सम्बन्धित आंकड़े, जिन पर निर्यात के लिए प्याज की खरीद की जाती है, सरकार द्वारा नहीं रखे जाते ।

(ङ.) तथा (च) नफेड के निर्यात के लिए गुजरात से प्याज की खरीद नहीं की क्योंकि सामान्य रूप से विदेशी क्रेताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है ।

परामर्श-सेवा का निर्यात

931. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों में परामर्श सेवा बाजार में सफलता प्राप्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान किये गये परामर्श सेवा के निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन प्रमुख कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान विदेशों में परामर्श-सेवा करने में योगदान किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत ने पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका के अनेक विकासशील देशों और साथ ही पश्चिम यूरोप तथा अमरीका के कुछ विकसित देशों को परामर्श सेवाओं का निर्यात किया । इन निर्यातों में शामिल हैं : सिविल विनिर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण तथा प्रबंधकीय सेवाएं, संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, इंजीनियरी परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा प्रबंधकीय सेवाएं तथा कृषि संबंधी विकास के लिए परामर्श सेवाएं। 1980-81 के दौरान परामर्श सेवाओं के निर्यात से कुल आय लगभग 22 करोड़ रु0 होने की संभावना है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन प्रमुख कम्पनियों की सूची जिन्होंने विदेशों में परामर्श सेवा सम्विदाएं प्राप्त की हैं ।

1. मै० ए० एफ० फरग्यूशन एण्ड कम्पनी, बम्बई ।
2. मै० एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन, बम्बई ।
3. मै० एसोसिटेटिड सीमेंन्ट कम्पनी, बम्बई ।

4. मै० बिडला ब्रदर्स प्रा० लि० नई दिल्ली ।

5. मै० कमचन्द्रा इन्डिया, नई दिल्ली ।

6. मै० कासल्टिंन इन्जीनियर सर्विसिस (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।

7. मै० डेसीन (नई दिल्ली) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।

8. मै० डेवलपमेंट कंसल्टेनर प्रा० लि०, कलकत्ता ।

9. मै० इलेक्ट्रानिक्स ट्रैड एण्ड टेक्नालाजी डेबलपमेंट कार्पोरेशन लि० नई दिल्ली ।

10. मैं० इन्जीनियर्स इण्डिया लि०, नई दिल्ली ।

11. मै० फाइवर टैव इजी० एण्ड मैन्यु० कानपुर ।

12. मै० हंसल पेपर कंसल्टेंट्स प्रा० लि० नई दिल्ली ।

13. मै० हवा (इन्डिया) प्रा० लि० नई दिल्ली ।

14. मै० इंडियन होटल्स कं० लि० बम्बई ।

15. मै० एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० प्रा० लि० कलकत्ता ।

16. मै० इन्टरसीन शिपिंग कंठ, नई दिल्ली ।

17. मै० मेकोर लि० रांची ।

18. मै० नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली ।

19. मै० पावर गैस इन्डिया लि० बम्बई ।

20. मै० रेल इन्डिया टैक्नीकल एन्ड एकनामिक सर्विसिस लि०, नई दिल्ली ।

21. मै० टाटा वरोह लि०, बम्बई ।

22- मै० टाटा कंसल्टिंग इन्जी०, बम्बई ।

23. मै० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिस, वम्बई ।

24. मै० वाटर इंड पावर कैसल्टेंसी सर्विसिस (इंडिया लि० नई दिल्ली ।

25. मै० एच० एम० टी० (इन्टरनेशनल) लि० बंगलौर ।

26. मै० फर्टिलाइजर (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) इंडिया लि०, नई दिल्ली ।

27. मैं० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली ।

28. मैं० साइमन कार्वस इन्डिया लि०, वम्बई ।

29. मै० एग्रीमा प्रोजेक्ट इंजी० एड कंसल्टेंसी सर्विसिस लि०, बम्बई ।

?0. मै० प्राइस वाटर हाउस एंड कं०, कलकत्ता ।

भारतीय शिष्टमंडल की लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा

932. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय शिष्टमंडल ने हाल ही में लैटिन अमरीकी देशों और भारत के बीच व्यापार के विस्तार और आर्थिक संबंधों के प्रसार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उन देशों की यात्रा की थी ;

(ख) शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन किन लैटिन अमरीकी देशों की यात्रा की गई ; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई के अन्तिम सप्ताह में अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा की ।

(ख) तथा (ग) : प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची संलग्न है । इन सभी सदस्यों ने लैटिन अमरीकी क्षेत्र के मिशन के भारतीय प्रमुखों के सम्मेलन में जो ब्यूनस, ब्यर्स में 27-28 जुलाई 1981 को हुआ था और जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य मन्त्री ने की थी, भाग लेने के लिए अर्जेन्टीना की यात्रा की थी । भारत लौटते समय, प्रतिनिधि मण्डल की सूची में क्रमांक 1 से 5 पर दिखाए गए केवल पाँच सदस्यों ने आपसी हित के मामलों पर ब्राजील के प्राधिकारियों से व्यापारिक बातचीत करने के लिए 29 से 31 जुलाई, 1981 तक ब्राजील की यात्रा की ।

(घ) अर्जेन्टीना सरकार के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए । दो तरफा व्यापार विकास विशेष रूप से तीसरे देशों की परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों की सम्भाव्यताओं, क्रेडिट लाइन के संचालन तथा अर्जेन्टीना और ब्राजील की सरकारों के साथ जहाजरानी सेवाओं में सुधारों के बारे में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई । मिशन के प्रमुखों के सम्मेलन में व्यापार के विद्यमान स्तर की समीक्षा की गई और भारत और लेटिन अमरीकी क्षेत्र के बीच व्यापार में सुधार के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों का पता लगाया गया ।

विवरण

लैटिन अमरीका क्षेत्र के मिशन के प्रमुखों के सम्मेलन में जो ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में 27-28 जुलाई, 1981 को हुआ, वाणिज्य मन्त्री के नेतृत्व में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची ।

1. श्री प्रणव मुखर्जी — नेता
   वाणिज्य मन्त्री

2. श्री पी० के कौल,
   वाणिज्य सचिव

3. श्री एस० गोपालन
   संयुक्त सचिव,
   वाणिज्य मन्त्रालय ।

4. श्री सी० एम० वासुदेव,
   निदेशक,
   वाणिज्य मंत्रालय

5. श्री एस० वी० एस० जुनेजा,
   अपर सचिव,
   आर्थिक कार्य विभाग ।

6. श्री एम० सी० गुप्ता,
   संयुक्त सचिव,
   सारी उद्योग विभाग ।

7. श्री देव मुखर्जी,
   निदेशक,
   विदेश कार्य मन्त्रालय ।

8. श्री विक्रम प्रकाश,
   अध्यक्ष,
   परियोजना तथा उपस्कर निगम

9. श्री एम० बारेटी,
   वाणिज्यिक निदेशक,
   एयर इण्डिया ।

10. श्री एच० एग० कौल,
    (यू० एस० ए०-कनाडा के कार्य से सम्बन्धित),
    निवासी निदेशक;
    एयर इण्डिया ।

11. श्री जे० पी० अन्द्रादे,
उप निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध,
एयर इण्डिया ।

12. अडमिरल आर० के० एस० गांधी,
उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
जहाजरानी निगम ।

13. श्री जे० डी० मेहता,
निदेशक,
लाइनर सर्विस,
भारतीय जहाजरानी निगम ।

14. श्री एम० आर० बी० पुंज,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

15. श्री टी० ए० एस० बालगोपाल,
उद्योगपति (ई० ई० पी० सी० के प्रतिनिधि

16. श्री विनोद एल० दोषी,
उपाध्यक्ष,
ए० आई० ई० आई० ।

17. श्री जागु तन्ना,
चेयरमैन, गुजरात राज्य निर्यात निगम ।

विकास परियोजनाओं के लिए पैट्रो-डालर सहायता

933. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य विकास परियोजनाओं के लिए पैट्रोडालर सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु खाड़ी के देशों को शिष्टमण्डल भेजने के बारे में विचार कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उन राज्यों को इस बारे में कोई निदेश जारी किया था ; और

(ग) अब तक कितने राज्यों ने खाड़ी के देशों से पैट्रो-डालर सहायता की मांग की है

और किन-किन परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त किया गया है तथा ऋणदाताओं ने क्या-क्या शर्तें लगाई हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए उपलब्ध की गयी सुविधा के अनुरूप सहायता प्राप्त करने के लिए खाड़ी के देशों में शिष्टमण्डल भेजने की इच्छा व्यक्त की थी।

(ख) राज्य सरकारों को उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें इस प्रकार की सहायता को आयोजनागत आबंटनों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने की आवश्यकता पर और बातचीत करने के लिए शिष्टमंडल बाहर भेजने से पहले पर्याप्त आरम्भिक कार्य सम्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ग) यद्यपि कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न चरणों में बातचीत अथवा चर्चा रही है तथापि केन्द्र के समक्ष अनुमोदनार्थ कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक समर्पित नहीं किया गया है।

विजय मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बडनेरा का राष्ट्रीयकरण

934. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजय मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बडनेरा, जिला अमरावत (महाराष्ट्र राज्य) का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय कब किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं और निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : भारत सरकार को सूचित किया है कि वह औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। यह महाराष्ट्र सरकार का काम है कि यदि हम मामले में आगे कोई कार्यवाही करनी हो तो वह करे।

भारतीय इलायची द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया जाना

935. **एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इलायची को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वाटेमाला से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत को विश्वबाजार में ग्वाटेमाला के साथ प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए कर में छूट देकर इलायची के निर्यात मूल्यों में कमी करने और उपयुक्त नकद प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : इलायची बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कुछ उपायों का सुझाव दिया है जिनमें (सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से) बिक्री कर को कम करना । समाप्त करना, नकद मुआवजा का दिया जाना आदि शामिल हैं । इन उपायों पर विचार किया जा रहा है इलायची के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं । किये जा रहे हैं :

(1) इलायची सम्बन्धी बाजार सूचना एकत्र करने और भेजने तथा मध्य-पूर्व के बाजारों में बाजार सम्वर्धन कार्य करने के लिए बेहरीन में इलायची बोर्ड का एक व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित किया गया है ।

(2) निर्यात संवर्धन सामग्री का प्रकाशन ।

(3) भारत, श्रीलंका, तंजानिया और ग्वाटेमाला के इलायची उत्पादन करने वाले देशों का इलायची समुदाय बनाने के लिए प्रयास ।

(4) आई० टी० सी० एस० आई० डी० ए० और बाजार विकास सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाजार संवर्धन कार्य लागू किए जा रहे हैं ।

(5) मध्य-पूर्व में इलायची के लिए विक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधि मण्डल ।

(6) दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण करके मध्य-पूर्व प्रचार अभियान के लिए परियोजनाएं ।

बहुत अधिक संख्या वाले भूतपूर्व सैनिकों वाले जिला-मुख्यालयों में सी० एस० डी० की कैन्टीनें स्थापित करना

936. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तथा जम्मू तथा काश्मीर हरियाणा और राजस्थान के ऐसे जिला मुख्यालयों में सी० एस० डी० की कैन्टीनें स्थापित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जहां बहुत अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं,

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इन राज्यों में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां पहले से ही ऐसी कैन्टीनें बनी हुई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये कैन्टीनें किस संभावित तारीख तक स्थापित की जायेंगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा तमिलनाडु से भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों/भूतपूर्व सैनिकों की लोगों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने कैन्टीन स्टोर विभाग के स्टोर डिपुओं से उपलब्ध होने वाले माल खरीदकर अपनी कैन्टीनें चलाने की अनुमति मांगी है।

(ख) और (ग) : भूतपूर्व सैनिकों संगठनों/भूतपूर्व सैनिक लोगों को कैन्टीन स्टोर विभाग के माल को बेचने के लिए अपनी कैन्टीनें स्थापित करने के लिए अनुमति देना सम्भव नहीं है क्योंकि जिस सामान पर उत्पादन शुल्क और बिक्री कर की रियायतें मिलती हैं उनकी बिक्री की अनुमति उन्हीं संगठनों को दी जा सकती है जो रक्षा मन्त्रालय या सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में होते हैं।

अफीम की बिक्री से विदेशी मुद्रा का अर्जन

937. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास वर्ष 1980-81 के अन्त में अफीम का जितना कुल स्टाक उपलब्ध था उसका पूरा ब्यौरा क्या है, वर्ष 1980-81 के दौरान अफीम का कुल कितना उत्पादन हुआ और अफीम की बिक्री से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) जिस क्षेत्र में 1981-82 के दौरान अफीम की खेती की गई उसके कुल क्षेत्र का हेक्टेयरों में पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) दिनांक 31-3-81 की स्थिति के अनुसार सरकार के स्टाक में 90 डिग्री गाढ़ता की लगभग 1721 मीटरी टन अफीम थी। फसल वर्ष 1980-81 के दौरान 90 डिग्री गाढ़ता की अफीम की कुल पैदावार लगभग 1126 मीटरीटन हुई थी। वर्ष 1980-81 के दौरान अफीम के निर्यात से लगभग 23.18 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी।

(ख) फसल वर्ष 1981-82 के दौरान पोस्त की काश्त के लिए कुल 35403 हेक्टेयर रकबे के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

कोरिया को कोयले का निर्यात

938. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरिया को कोयले का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश को प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात करने का विचार है ;

(ग) कोरिया को को कोयले का निर्यात कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस विषय पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत चल रही है।

विदेशी परियोजना ठेकों में चूक करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां

939. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी परियोजना के उन ठेकों के आकार का ब्यौरा क्या है जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने चूक की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : सम्बन्धित स्रोतों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बंगलोर में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र के एककों को ऋण

940. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलोर में तथा कर्नाटक में अन्य स्थानों के लघु क्षेत्र के बीसियों एकक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता और ऋण की कमी के कारण रुग्ण हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैंकों को इस बारे में कुछ अनुदेश देने का विचार है तथा इन एककों को बन्द होने से बचाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : कर्नाटक में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के संबंध में, दिसम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के मुताबिक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषित 954 लघु उद्योगिक एकक रुग्ण थे जिन पर 21.10 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से प्राप्त सूचना यह नहीं दर्शाती कि बैंकों से सहायता और ऋणों की कमी के कारण बंगलोर अथवा कर्नाटक में कहीं अन्यत्र, लघु औद्योगिक एकक रुग्ण हुए हों। लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, बैंकों में संचालन और समन्वय प्रबधों को शुरू करना, अन्य संस्थाओं और राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पुनरूजीवन के प्रयास करना, आवश्यकता पर आधारित ऋण सुविधाओं की स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रियायती दर, मार्जिन में छूट, पिछली देयताओं का पुनर्निर्धारण, और बैंकों के बोर्डों द्वारा इस पहलू

की आवधिक समीक्षा जैसे पहलू व्याप्त हैं। परामर्शी सहायता के संचालन के लिए, बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे कक्ष स्थापित करें जिनमें ऐसे काम के वास्ते अनुभवी और योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को रखा जाए। रुग्ण एककों के पुनर्वास के वास्ते उठाए गए कुछ अन्य कदम इस प्रकार है :

(क) एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुसरण में राज्य स्तरीय अंत: संस्थागत समितियां (एस० एल० आई० आई० सी० एस०) (उन स्थानों पर जहां भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग के कार्यालय हैं) स्थापित की गई हैं। ये समितियां छोटे और मंझोले औद्योगिक एककों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचना देने और चर्चा करने के एक मंच के रूप में कार्य करने के अलावा, विभिन्न राज्यों में, रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वास से संबंधित कार्य में अधिक प्रभावी और योजनाबद्ध रूप से समन्वय करेंगी। राज्य के सचिव (उद्योग) इस समिति के अध्यक्ष हैं।

(2) उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों के पुनर्वास में सहायता देने के वास्ते एक सुलभ ऋण सहायता निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक में एक अध्ययन दल गठित किया गया है। इस अध्ययन दल का कार्य अभी चल रहा है।

(3) जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की ऋण गारंटी योजना में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों द्वारा बाकीदारी के जोखिम के विरुद्ध एक सीमा तक सुरक्षा प्रदान की गई है छोटे पैमाने के उद्योगों में से अपेक्षतया छोटे एककों पर जोर को प्रतिबिंबित करने के लिए इस योजना में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं और उनके मामले में व्याप्ति 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत कर दी गई है।

मदुरै हवाई-अड्डे पर धावन-पथ (रन-वे) का पूरा किया जाना

941. **श्री ई. के. इम्बीबावा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदुरै हवाई अड्डे पर धावन-पथ (रन-वे) के कब तक पूरा होने की आशा है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मदुरै हवाई अड्डे पर धावन-पथ तथा सम्बद्ध पेवमैंट्स को मजबूत करने के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है। सरकारी मंजूरी जारी हो जाने के बाद नियम संबंधी औपचारिकताएं तथा ठेका देने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। निर्माण कार्य के, ठेका देने के नौ महीने बाद, पूरा हो जाने की आशा है।

कच्चे रेशम की कमी

942. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कच्चे रेशम की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश की कच्चे रेशम की जरूरत पूरी करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष के दौरान कच्चे रेशम की कमी के कारण ये हैं : सूखे तथा यू जी फ्लाई संकट के वजह से कर्नाटक में फसल खराब होना और बुनकर क्षेत्र से मांग में वृद्धि ।

(ग) (1) सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कच्चे रेशम का उत्पादन उसके 5000 मे० टन के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 9000 मे० टन तक करने के लिए विभिन्न रेशम उद्योग विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । कर्नाटक में 80 करोड़ रु० के परिव्यय से विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक रेशम उद्योग परियोजना शुरू की गई है । अन्य रेशम उद्योग राज्यों में भी देश में कच्चे रेशम का कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कच्चे रेशम की तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए चीन से 250 मे० टन कच्चा रेशम आयात करने की व्यवस्था की है ।

(3) सरकार ने, विद्यमान आयात नीति के अन्तर्गत भी कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दी है । यह अनुमति अग्रिम लाइसेंसिंग योजना (शुल्क मुक्त आयात) तथा प्रतिपूर्ति योजना (आर इ पी) दोनों के अन्तर्गत दी जाती है ।

उड़ीसा की चिलका, अंशुपा और सारा झीलों का सौन्दर्यकरण

943. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश की झीलों को सुन्दर बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा की चिलका, अंशुपा और सारा झीलों को भी उक्त सौन्दर्य करण योजना के अन्तर्गत रखा जाएगा ;

(ग) उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए उड़ीसा में 1982-83 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) उक्त सौन्दर्यकरण योजना को कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

944. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम करने योग्य कितने भूतपूर्व सैनिक अभी बेरोजगार है; और

(ख) सरकार उन्हें रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) : सेवानिवृत्त होने के बाद कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या की कोई पक्की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत से भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय को इसकी सूचना नहीं देते है । फिर भी, 30 जून, 1981 को रोजगार कार्यालयों/पुनर्वास महानिदेशक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 1,73,318 थी । भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के और सुअवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार और बहुत से राज्यसरकारों ने अपने अधीन सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में इनके लिए पदों को आरक्षित किया है । आरक्षित किए गए रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को पुर्ननियोजित करने के लिए उनकी आयु और शैक्षिक योग्यताओं में रियायतें दी गई है । आरक्षित रिक्त पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों का नाम भेजने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय/राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों को अधिकार दिए गए हैं । अधिक से अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खपाया जा सके, इसके लिए उनमें कार्य कुशलता और विशेषज्ञता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण के अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे है । सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में "कार्य पर प्रशिक्षण" देने के संबंध में कुछ चुने हुए व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है । सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध अवसरों का समुचित स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है ताकि सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिए दी गई रियायतों और अन्य सुविधाओं का वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें ।

रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट के संदर्भ में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियां

945. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सूरज भान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 से लेकर अब तक रुपये की क्रय क्षमता में तेज गिरावट आई है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की उपलब्धियों के मूल्य में तदनुसार कितनी गिरावट हुई है, ; और

(ग) इसे दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और वह किस सीमा तक दूर हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रुपए की क्रय शक्ति, अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है। दिसम्बर 1981 (अद्यतन उपलब्ध) का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार रुपए की क्रयशक्ति 21.74 पैसे बैठती है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की उपलब्धियां पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को सुसपष्ट रूप से नापना सभव नहीं है। तथापि निर्वाह-व्यय में होने वाली वृद्धि के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तथा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ता योजना के द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों में कमी करने को उच्च प्राथमिकता दी ज ती है।

मूल्य स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ताकि उदीयमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में उचित कदम उठाए जा सकें।

दिल्ली में निर्माणाधीन 5 स्टार होटल

946 **श्री अनादि चरण दास** : क ा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कितने 5 स्टार होटल निर्माणाधीन हैं ;

(ख) प्रत्येक 5 स्टार होटल की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) इनके पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ; और

(घ) इन 5-स्टार होटलों का निर्माण कार्य पूरा होने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1982 के एशियाई खेलों के संबंध में 5-स्टार श्रेणी के लिए प्लान किए गए 10 होटलों का (जिनमें एक विस्तार योजना है), नई दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है।

(ख) से (घ) : इन होटल परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं के एशियाई खेलों के समय तक पूरे हो जाने की आशा है जबकि कुछ परियोजनाओं के खेलों के लिए आंशिक रूप से

ही तैयार हो जाने की संभावना है। कुल मिलाकर निर्माण पूरा होने की तारीखों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाए गए शेड्यूल के अनुसार निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है।

प्रत्येक होटल परियोजना के बारे में अनुमानित लागत, प्लान किए गए कुल कमरों की संख्या और एशियाई खेलों से पहले-पहले जिन कमरों के तैयार हो जाने की संभावना है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

होटल का नाम	अनुमानित लागत करोड़ों में	कमरों की कुल संख्या	एशियाई खेलों से पहले जिन कमरों के तैयार हो जाने की आशा है।
1. होटल सम्राट आई. टी. डी. सी.	18.00	300	300
2. सरदार पटेल मार्ग डी. डी. ए/एन. डी. एम. सी/ताज ग्रुप	33.00	500	200
3. भीकाजी कामा प्लेस, (एशीयन्स होटल्स लि०)	33.68	588	300
4. सूर्य इन्टरनेशनल होटल, (न्यु फ्रेन्डस कालोनी)	15.50	258	258
5. सिद्धार्थ इंटरकान्टीनेंटल होटल्स (आई) लि० (वसंत विहार)	9.90	156	156
6. सेंटोर होटल (एच. सी. आई.)	20.56	400	200
7. मौर्य शेराटन (विस्तार)	6.40	122	122
8. पार्क होटल, (नार्दन एंटरप्राईसेज (कार्पोरेशन प्रा० लि०)	17. 7	231	100
9. बाराखम्बा लेन, (मैसर्ज भारत होटल्स लिमिटेड)	36.00	500	150
10. विन्डसर प्लेस, (मैसर्ज प्योर ड्रिन्कस (न्यू दिल्ली) लि०)	35.65	425	110

लघु एककों को बैंक सहायता

947. **श्री के. प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में लघु एककों को बैंकों से कम सहायता मिलने से इन एककों में उत्पन्न संकट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार देश के विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को उनके निकट लघु एककों को पर्याप्त सहायता देने के लिए मार्ग निदेश जारी करने का है ;

(ग) लघु एककों में सुधार लाने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को ये मार्ग निदेश कब जारी करने का विचार है; और

(घ) मार्ग-निदेशों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सरकार की नीति के अनुसार संस्थाओं और बैंकों से सहायता देने के मामले में ग्राम और कुटीर उद्योगों समेत लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता और महत्व दिया जाता है। इन उद्योगों के वित्तपोषण के लिए विशेष संस्थागत प्रबंध किए गए हैं और इन उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कई विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं और उनकी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

बैंक वित्त के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वित्तपोषण में बैंकों को अवश्य पूरा करना होता है। अब यह लक्ष्य रखा गया है कि 1985 तक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता का अंश बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल अग्रिमों के कम से कम 40 प्रतिशत तक पहुंच जाये।

लघु उद्योगों में सबसे छोटे उद्योगों को अर्थात उन उद्योगों को जिनकी ऋण की आवश्यकताएं 25,000 रुपये तक की है, कमजोर वर्गों की संज्ञा दी गई है। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि इस प्रकार के एककों को दी जाने वाली सहायता की राशि 1985 तक लघु उद्योगों को दी जाने वाली कुल सहायता के कम से कम 12.5 प्रतिशत तत पहुंच जानी चाहिये। ग्राम और कुटीर उद्योगों के ऋणकर्त्ताओं में सबसे कमजोर ऋणकर्त्ताओं को, जो पात्रता के सिद्धान्त के अनुसार सन्तोषजनक पाये जाते हैं, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का रियायती दर पर अधिक से अधिक 6,500 रुपये का ऋण दिया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय/ग्रामीण बैंकों की स्थापना

948. **श्री चिंग वांग कोन्याक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति ने सिफारिश

की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वहां शीघ्र ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, हां । जनवरी, 1982 को हुई क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में उत्तरपूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने और उन्हें शीघ्र निपटाने का निर्णय किया गया है ।

(ख) : अब तक असम में ऐसे 4 और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों मे ऐसा एक-एक बैंक स्थापित किया गया है । असम व राज्य में लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जिलों को व्याप्त करने वाले एक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है और उपर्युक्त बैंक को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । नागालैंड में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर, उस राज्य की सरकार के कर परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है । जहां तक अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, वहां की सरकारों ने अपने क्षेत्र में ऐसे बैंकों की स्थापना करने का निर्णय अभी तक नहीं किया है ।

साइकिलों का निर्यात

949. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों को साईकिलें निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी साईकिलों का निर्यात के लिए चयन किया गया है ;

(ग) भारत से साईकिलें आयात करने वाले देशों के नाम क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि चीन ने भारत से साईकिलों के आयात की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने रुपये की साईकिलों की चीन को निर्यात करने की उम्मीद है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां । भारत से विभिन्न देशों को लगातार साईकिलों का निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) इस समय भारत में लगभग 15 विख्यात साईकिल विनिर्माता हैं और ये विभिन्न देशों को लगातार इन साईकिलों का निर्यात कर रहे हैं । इन निर्यातकों की सूची संलग्न है ।

(ग) भारत से साईकिल आयात करने वाले देशों के नाम ये हैं :—

अफगानिस्तान	मलावी
बंगलादेश	मारिशस
मिस्र	नाइजीरिया
घाना	श्रीलंका
ईरान	तंजानिया
इराक	सं० अ० अमीरात
इटली	उगांडा
कीनिया	जाम्बिया

(घ) जी हां। चीन ने भारत से साईकिलों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की थी। चीन में अक्तूबर, 1981 के महीने में नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई, भारत की 80,000 साईकिलों का क्रयादेश किया था। इसकी पूरी खेप नवम्बर-दिसम्बर, 1981 के दौरान पहले ही पूरी की जा चुकी है और भुगतान प्राप्त किया जा चुका है।

(ङ) इस क्रयादेश का अनुमानित मूल्य लगभग 8.5 मिलियन रु० था।

विवरण

भारत से साईकिल के निर्यातकों की सूचियां

(1) मैसर्स एटलस साईकिल इंडस्ट्रीज, सोनीपत।

(2) मैसर्स एक्न साईकिल प्रा० लि०, लुधियाना।

(3) मैसर्स फैडरल स्पोर्टस, नई दिल्ली।

(4) मैसर्स हैमिल्टन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, बम्बई।

(5) मैसर्स हीरो साइकिल लि०, लुधियाना।

(6) मैसर्स नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई।

(7) मैसर्स हिन्दुस्तान मोनार्क पा० लि०, नई दिल्ली।

(8) मैसर्स इंडो जावा एण्ड कं०, नई दिल्ली।

(9) मैसर्स मैट्रो एक्सपोर्टस प्रा० लि०, बम्बई।

(10) मैसर्स नूमेक्स इंजीनियर्स, बम्बई।

(11) मैसर्स रोड मास्टर इंडस्ट्रीज आफ इंडिया प्रा० लि०, राजपुरा।

(12) मैसर्स साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता ।

(13) मैसर्स सुपर साईकिल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, लुधियाना ।

(14) मैसर्स टिपसन साईकिल इंडस्ट्रीज, लुधियाना ।

(15) मैसर्स टी० सी० साईकिल्स, मद्रास ।

बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों से भवन निर्माण ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर

9९0. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग उद्योग की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से भवन निर्माण ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पिल्लै समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक समूह में 1979 से लागू किए जाने के बादे, इन बैंकों के अधिकारी स्टाफ से आवास ऋणों पर एक समान 6 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल की जाती है। सरकार ने हाल ही में इन बैंकों को सलाह दी है कि वे अधिकारियों के आवास ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा कर पहले 25,000 रुपये पर 6-1/2 प्रतिशत, अगले 25,000 पर 8 प्रतिशत और शेष राशि पर 10 प्रतिशत कर दें।

जहां तक अवार्ड स्टाफ को स्वीकृत आवास ऋणों पर ब्याज की दरों का संबंध है, यह प्रत्येक बैंक में अलग-अलग है और सामान्यतः 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच है। अलबत्ता, सरकार की सलाह पर कुछ बैंकों ने, अवार्ड स्टाफ के आवास ऋणों पर ब्याज की दर को संशोधित करके उसे अधिकारियों के आवास ऋणों की संशोधित ब्याज दर के बराबर कर दिया है।

1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों में कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास ऋणों की ब्याज दरें प्रत्येक बैंक में अलग अलग हैं और अभी तक वही हैं जोकि उनके राष्ट्रीयकरण से पहले थी क्योंकि इन छः बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों अनुलाभों आदि का मानकीकर अभी किया जाना है।

मयूर बिहार, दिल्ली में बैंक की शाखा खोलना

951. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मयूर बिहार कालोनी का दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में विकास किया है और इसमें हजारों लोगों को फ्लैट आवंटित किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है वहां बैंक सुविधाएं न होने के कारण वहां के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में बैंक खोलने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ.) यह सूचित किया गया है कि मयूर बिहार, दिल्ली के निवासियों को इस समय हिम्मत पुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और पटपड़ गंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक की 4 शाखाओं तथा पटपड़गंज में स्थित पंजाब नेशनल बैंक और ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड की एक एक शाखा से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। बताया गया है कि सभी शाखाएं मयूर बिहार से डेढ़ से ढाई किलोमीटर तक की दूरी पर स्थिति हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मयूर बिहार दिल्ली में शाखा खोलने के लिए किसी बैंक का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उन्हें मिलेगा तो उस पर शाखा लाइसेंसिंग नीति 1982-85 की सीमाओं के भीतर विचार किया जाएगा जिसके अन्तर्गत महानगरीय क्षेत्रों में केवल समिति शाखा विस्तार करने की परिकल्पना है।

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा तैयार किया गया शुष्क "सैम्पू"

952. **श्री राजेश पायलट** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में पाउडर के रूप में एक शुष्क 'सैम्पू तैयार किया गया है ;

(ख) क्या दूर दराज के शुष्क तथा ठंडे क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें यह शुष्क 'सेम्पू' उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन लघु उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें यह तैयार किया जाएगा ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मद को सेना द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था इसलिए इसके निर्माण करने या इसे उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

चांदी का पकड़ा जाना

953. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 1981 के 'जागरण' में प्रकाशित 43 लाख रुपये की चांदी पकड़े जाने का समाचार सही है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अहमदाबाद में आय-कर प्राधिकारियों ने दिसम्बर, 1981 में चांदी के कुछ व्यापारियों के परिसरों की तलाशियां ली थीं तथा प्रथम दृष्ट्या, लेखा बाह्य चांदी की लगभग 1548 कि० ग्रा० वजनी छड़ें तथा अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी थीं जिनका कुल अनुमानित मूल्य 42.97 लाख रुपये था । अपराधारोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए थे । कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, पकड़ी गई सामग्री की जांच आरम्भ की जा चुकी है ।

सरकार के कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा हस्तक्षेप

954. **श्री नीरेन घोष** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है और सभी मामलों में परेशान करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है ; और

(ग) इन प्रश्नों पर सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का सवाल पैदा ही नहीं होता । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक दल ने जिसने हाल ही में भारत की यात्रा की थी तथा विस्तारित प्रबन्ध के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य अनुच्छेद परामर्शों तथा मध्यावधिक समीक्षा के ढांचे के अन्तर्गत विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमर्शों के आर्थिक तथा वित्त सम्बन्धी मौजूदा घटनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया था ।

पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर हमले की आशंका

955. **श्री के० लकप्पा** :

श्री जेवियर अराकल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर पड़ौसी देशों द्वारा हमले की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारी रक्षा तैयारियों का ब्यौरा क्या है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : हाल में भारतीय उप महाद्वीप और हमारे पड़ौस में सुरक्षा परिवेश में काफी परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों से पड़ने वाले प्रभाव का सरकार सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करती है और अपनी रक्षा तैयारियों से संबंधित योजनाओं को समय पर समय अद्यतन बनाती रहती है। इस बारे में ब्यौरे बताना उचित नहीं होगा।

कम्पनियों द्वारा जनता से धनराशि जमा करना

956. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों द्वारा धनराशि जमा करने की एक लहर सी चल पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कुछ कम्पनियों ने अपनी पूंजी के अनुपात से अधिक पैसा जनता से इक्ट्ठा कर लिया है ;

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों पर मुकद्दमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में उद्योगों में केन्द्र का पूंजी निवेश

957. **श्री ए० नीलालोहिथा बसन नाडर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का विभिन्न राज्यों के औद्योगिक संस्थानों में कुल कितना पूंजी निवेश हैं ; और

(ख) भारत सरकार का प्रत्येक राज्य में औद्योगिक संस्थानों में पूंजी निवेश कितना है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) —केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सकल परिसम्पत्ति का राज्यवार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण—1980-81 के खण्ड-1 के पृष्ठ 395 पर दिया गया है, जिसे 24.2 1982 को संसद के सभा-पटलों पर रखा गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी इक्विती पूंजी लगाने की अनुमति

958. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी इक्विटी पूंजी लगाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार ने चुनीदा आधार पर कुछ विशिष्ट कारणों, अर्थात सामान्य शेयर पूंजी में भागीदारी आदि के अलावा किसी आधार पर औद्योगिकी की अनुपलब्धि होने पर कुछ उद्यमों में विदेशी सामान्य शेयर पूंजी में भागीदारी की अनुमति दी है। इस प्रकार सामान्य शेयर पूंजी में विदेशी भागीदारी का विवरण 24 फरवरी, 1982 को सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 के खण्ड 1 में पृष्ठ संख्या 215 पर विवरणी संख्या 14.2 में दिया गया है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना

959. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए एक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) यह राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा जो अन्य बातों के अलावा यार्न तथा अन्य कच्चे माल की खरीद तथा वितरण की व्यवस्था करेगा और हथकरघा उद्योग को विपणन तथा विकास सम्बन्धी सहायता प्रदान करेगा। इसकी स्थापना के ब्यौरों के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सरकारी उद्यमों द्वारा लाभ

960. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरों के अनुसार 170 से भी अधिक सरकारी उद्यम लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 10 प्रतिशत से अधिक और इससे कम लाभ कमाने वाले सरकारी उद्यमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन उद्यमों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू वर्ष (1981-82) में लगाई गई पूंजी पर 6 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं कमाया है, उनके कार्य-निष्पादन में कमी के क्या कारण हैं और उनकी स्थिति में सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय वित्तीय वर्ष 1981-82 से है, जिसके पूर्ण आकड़े दिसम्बर, 1982 से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 24.2.1982 को संसद के सभा-पटलों पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 से ली गई 1980-81 वर्ष की सुसंगत जानकारी इस प्रकार है :—

168 में से 93 चालू उद्यमों ने 1980-81 में कर पश्चात लाभ अर्जित किया हैं। इनमें से 67 उद्यमों ने 1980-81 में अपनी लगी पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक सकल लाभ अर्जित किया है।

168 में से 79 चालू उद्यम 1980-81 में अपनी लगी पूंजी का 6 प्रतिशत से भी अधिक लाभ अर्जित नहीं कर सके हैं। इन सभी 168 उद्यमों में लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ के प्रतिशत के आंकड़े 24.2.1982 को संसद के सभा-पटलों पर रखे गये लोक-उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 के खण्ड I में पृष्ठ 52 से 62 पर दिए गए हैं।

उपर्युक्त द्वितीय श्रेणी वाले उद्यमों की लाभकारिता कम रहने के कारण इस प्रकार हैं।

1. बिजली की कमी
2. कम उत्पादकता
3. सस्ते मूल्य
4. क्षमता का कम उपयोग आदि।

इस स्थिति को सुधारने के लिए बिजली पैदा करने वाले सैटों को व्यवस्था करने, प्रोत्साहन बोनस योजनाएं शुरू करने और उनसे सुधार करने, मजूरी विवादों का शीघ्र निपटान करने, मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बनाने आदि जैसे विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा को विशेष गैर-योजनागत सहायता

*61. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु मांगी गई विशेष गैर-योजनागत विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि उसने विकासात्मक कार्यों के लिए कोई विशेष आयोजना-भिन्न सहायता नहीं मांगी है।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सर्जिकल इंसिग का निर्यात

962. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल० 3) के अन्तर्गत "सर्जिकल ड्रेसिंग" के निर्यात की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उसे जीवाणु-शून्य (नान-स्टेराइल) बनाया गया हो ;

(ख) क्या विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "सर्जिकल ड्रेसिंग" के पिछले निर्यात को घटिया पाया गया था, 'जीवाणु शून्य के (स्टेरिलाइज्ड) सर्जिकल ड्रेसिंग के निर्यात के लिए कोई तरीका निकाला गया है ; और

(ग) सर्जिकल ड्रेसिंग के निर्यातकों तथा निर्यातकों द्वारा इस प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 30.12.81 से शल्य चिकित्सा पट्टियों के निर्यात की अनुमति जो कि एल-3 के अन्तर्गत इस शर्त के अध्यधीन है कि शल्य चिकित्सा पट्टियों के कंटेनरों पर अन्दर तथा बाहर दोनों तरफ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में सेकोई एक लेबल लगा होना चाहिए :

"प्रयोग से पूर्व स्टेरिलाइज किए जाएं"

अथवा

"गैर-स्टेराइल" (उन पट्टियों के बारे में जिन्हें स्टेरिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है)

(ख) तथा (ग) : औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही यह व्यवस्था है कि शल्य चिकित्सा पट्टियों सहित केवल बढ़िया औषधियां ही देश में बनाई जाएं । तथापि, इन रिपोर्टों को देखते हुए कि भारत से दूषित शल्य चिकित्सा पट्टियों का निर्यात किया गया है, 30.12.81 से शल्य चिकित्सा पट्टियों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया, ताकि जिन शल्य चिकित्सा पट्टियों को स्टेरिलाइज किये जाने की आवश्यकता हैं उन्हें "प्रयोग करने से पूर्व स्टेरिलाइज किया जाए" लेबल के साथ तथा जिन शल्य चिकित्सा पट्टियों को स्टेरिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें "गैर-स्टेराइल" लेबल के साथ निर्यात करने की अनुमति दी जा सके । औषधि नियन्त्रक (भारत) ने सभी राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों को जोरदार ढंग से लिखा है और शल्य चिकित्सा पट्टियों के विनिर्माण एवं परीक्षण तथा स्टेरिलाइजेशन आदि के लिए अपनाई गई पद्धति पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है । यह अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि वे विनिर्माताओं के परिसरों से स्टेराइल शल्य चिकित्सा पट्टियों के नमूने एकत्र करें और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कल-

कत्ता से उनकी स्टेरिलिटी का परिक्षण करवा लें। राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकार रोध किया गया है कि वे परिक्षण रिपोर्टों के आधार पर आगे कार्यवाही करें।

रुपये का मूल्य

963. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी द एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 को आधार वर्ष मानकर 31 दिसम्बर, 1970, 31 दिस 31 दिसम्बर 1977, 31 दिसम्बर, 1978, 31 दिसम्बर 1979, 31 दिसम्बर, 1 31 दिसम्बर, 1981 को रुपये का मूल्य क्या था ; और

(ख) छब्बीस जनवरी, 1950 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 1960 में रु क्या था ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना संल में दी गई है।

(क) : अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्यु में मापी गई रुपए की क्रय शक्ति इस प्रकार बैठती है :

	(1960 = 1
दिसम्बर, 1970	53.76 पैसे
दिसम्बर, 1975	32.68 "
दिसम्बर, 1977	30.30 "
दिसम्बर, 1978	29.85 "
दिसम्बर, 1979	26.74 "
दिम्सबर, 1980	24.51 "
दिसम्बर, 1981	21.74 "

(ख) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचांक (आधार : 1949 के अनुसार जनवरी, 1950 को आधार मान कर, रुपये की क्रय शक्ति 1960 में बैठती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमा कराई गई राशियां और दिए गए ऋण

964. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला ए सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जुलाई, 1969 से पूर्व कुल परिसम्पत्तियां और देयता क्या थीं ; उनके द्वारा कितनी राशि जमा की गई तथा ऋण दिए गए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कितनी शाखायें थीं और उनके वर्तमान अलग-अलग आंकड़े क्या है ;

(ख) भारत में कार्यरत 50 करोड़ रुपये से अधिक की कुल जमा राशि वाले प्रत्येक विदेशी बैंकों तथा भारतीय बैंकों के निश्चित आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या भाग (ख) में उल्लिखित बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : उपलब्ध आंकड़े अनुबंध-1 और 2 में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये – देखिए संख्या एल. टी. 3419/82]

(ग) निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए, जिनकी कि समिति और स्थानीय परिचालनात्मक भूमिका है, और विदेशी बैंकों के कारभार की विशिष्ट किस्म तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में आदान-प्रदान की आवश्यता को देखते हुए उपर्युक्त इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उचित नहीं माना गया है ।

फोम मैंटिंग्स आफ इण्डिया लिमिटेड एलेप्पी से अभ्यावेदन

965. **श्रीमती सुशीला गोपाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम फोम मैंटिंग्स आफ इण्डिया लिमिटेड एलेप्पी से, उसे उसके उत्पादों, जिनका बाहर निर्यात किया जा रहा है और जिसे एक नए उत्पाद के रूप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, राजसहायता अथवा नकद प्रोत्साहन दिए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) मंत्रालयों को यह अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था ; और

(ग) अब तक निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : फोम बैक्ड कयर मैंटिंग्स के निर्यातों पर नकद सहायता प्रदान करने के लिए सितम्बर, 1980 में मैसर्स फोम मैंटिंग्स (इंडिया) लि०, एलिपी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । एफ ओ बी मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर पर लैटेक्स बैक्ड कयर मैंटिंग्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता मंजूर करने संबंधी सरकारी आदेश 28 नवम्बर, 1981 को जारी किये गए । ये दरें इस समय 31 मार्च 1982 तक प्रभावी हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार घाटा

966. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सूरज भान :
श्री गुलाम रसूल कौचक :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री एम० बी० चन्दशेखर मूर्ति :
श्री चिस महाटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितना व्यापार घाटा रहा ;

(ख) प्रत्येक समय मूल प्राक्कलन क्या थे ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेश व्यापार में घाटा निम्नोक्त प्रकार था :

वर्ष	करोड़ रु०
1978-79	—1088.04
1979-80	—2562.99
1980-81	—5775.17
(अद्यतम)	
अप्रैल 8-नवम्बर, 81	—3522.80
(अनन्तिम)	

विदेश व्यापार में अधिक घाटे मुख्य रूप से विश्व कीमतों में विशेष तौर पर पी ओ एल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण हुए जिसके अनुसार निर्यातो में वृद्धि नहीं हुई । घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की अनेक बाधाओं से निर्यातों की वृद्धि में रुकावट आयी ।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन के अनेक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं । इनमें शामिल हैं निर्यात उत्पादन में लाइसेंस सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना, सारे देश में शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक और एक्जिम बैंक की स्थापना, शुल्क वापसी का सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण, निर्यातों पर राजकोषीय छूट । इनके साथ-साथ पैट्रोलियम, अलमीनियम, उरवर्कों, लोहा तथा इस्पात, वनस्पति तेलों आदि के घरेलू उत्पादन में सुधार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आयातों की वृद्धि दर पर नियंत्रण रखा जा सके ।

स्टैपल यार्न के मूल्य में वृद्धि

967. **श्री राम अवध :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 के दौरान 5 कि० ग्रा० स्टैपल यार्न के एक बंडल का मूल्य 120 रु० से बढ़कर 132 रु० हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस मूल्य वृद्धि के कारण, गरीब बुनकरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है और सैकड़ों बुनकर बेरोजगार हो गए हैं ? और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मद के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) स्पन यार्न की उपलब्धता में कमी के कारण किसी बुनाई एकक के बन्द होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) स्टेपल यार्न पर कीमत नियंत्रण लगाने के लिए सरकार के सामने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कीमतें उचित स्तर पर रहें, चालू आयात नीति के अन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर स्पन यार्न के लिए कच्चे माल के रूप में स्टेपल रेशे के आयात की अनुमति दी जा रही है ।

राज्यों द्वारा 'ओवरड्राफ्ट'

968. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओवरड्राफ्ट लिए जाने के विरुद्ध परामर्श देते हुए राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों द्वारा पिछले वर्ष लिए गये ओवरड्राफ्टों की तुलना में हाल में ओवरड्राफ्ट के रूप में कितनी राशि ली गई है ; और

(ग) ओवरड्राफ्ट के स्थान पर राज्य सरकारों को क्या वैकल्पिक उपाय करने के सुझाव दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : राज्यों के ओवरड्राफ्टों को विनियमित करने के लिए एक संशोधित योजना 1 अक्टूबर, 1978 से लागू की गई थी । इसके साथ-साथ प्राप्तियों और व्यय की गति के बीच अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में सहायता प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक से राज्यों को उपलब्ध सामान्य प्राधिकृत अर्थोपाय की सीमा को दुगना कर दिया गया था । योजना में यह व्यवस्था है कि जैसे ही कोई राज्य सरकार प्राधिकृत अर्थोपाय सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेती है तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को सावधान कर देगा और यदि, इस प्रकार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार के खाते में से 7 कार्य दिनों से अधिक के लिए धन लिया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक स्वतः ही भुग-

सीमा स्थगित कर सकता है जिसे ओवरड्राफ्ट का निपटान किए जाने तक पुनः चालू नहीं किया जाएगा।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) ऊपर (क) में निर्दिष्ट योजना के विकल्प के रूप में राज्य सरकारों को किसी योजना का सुझाव नहीं दिया गया है।

विवरण

17 फरवरी, 1982 और 17 फरवरी, 1981 को राज्यों के ओवरड्राफ्ट के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(करोड़ रुपये)

राज्य	17.2.1982 को स्थिति	17.2.1981 की स्थिति
1. असम	45.92	22.96
2. गुजरात	44.36	—
3. हरियाणा	42.67	—
4. हिमाचल प्रदेश	23.95	—
5. कर्नाटक	30.48	9.01
6. केरल	72.10	—
7. मध्य प्रदेश	113.00	38.28
8. महाराष्ट्र	63.27	—
9. मणिपुर	38.02	4.87
10. उड़ीसा	6.77	—
11. पंजाब	120.99	7.61
12. राजस्थान	309.11	90.14
13. त्रिपुरा	18.49	2.18
14. पश्चिम बंगाल	278.70	94.89

वर्ष 1982-83 के दौरान निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

969. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाना है और उनकी मात्रा क्या है ; और

(ख) इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1982-83 के लिए निर्यातों का अनुमान लगाने का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

गणतन्त्र दिवस परेड के लिए झांकी के डिजाइन

970. **श्री रेणुपद दास** :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान गणतंत्र दिवस परेड के लिए अपनी झांकी के डिजाइन भेजे हैं और उनका वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौर क्या है ;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जिनके डिजाइनों को रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) उन राज्यों के डिजाइनों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल टी० 3420/82]

(ग) गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाने वाली झाकियों के लिए सीमित समय और विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त बड़ी संख्या में प्रस्तावों को देखते हुए परेड में केवल सीमित संख्या में ही झांकियों को शामिल किया जा सकता है । केन्द्रीय झांकियों को शामिल किया जा सकता है केन्द्रीय झांकी समिति जिसमें कला, संस्कृति, डिजाइन और वास्तुकला के विशेषज्ञ हैं, झांकियों की विषयवस्तु, संकल्पना और प्रस्तुति पर विचार करके प्रत्येक प्रस्ताव की विशेषताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद अपेक्षित संख्या में झांकियों का चयन करती है ।

चाय निर्यातक देशों की नई दिल्ली में बैठक

971. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात कोटे पर चर्चा हेतु इस वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह में चाय निर्यातक देशों की नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ;

(ख) इस बैठक में किन-किन देशों ने भाग लिया ;

(ग) इस बैठक में अन्य किन प्रस्तावों पर विचार किया गया ; और

(घ) क्या उत्पादकों को चाय के और लाभप्रद मूल्य देने के लिए इस बैठक में कोई कदम उठाने पर विचार किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां !

(ख) इस बैठक में जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया वे हैं : अर्जेन्टीना, बंगलादेश, बुरुंडी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कीनिया, मलावी, मारिशस, मोजाम्बिक, पपुआ न्यू गिनी, रुआंडा, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा, वियतनाम तथा जिम्बाब्वे ।

(ग) तथा (घ) : निर्यात कोटों के आवंटन के अलावा, चाय के निर्यातों के लिए क्वालिटी मानकों की आवश्यकता, सप्लाई व्यवस्था के अनुरूप चाय के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित अवरोधी, बफर स्टाक व्यवस्था तथा चाय की खपत बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया । भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के बीच उपयुक्त विषयों पर आम सहमति थी और अंतर्राष्ट्रीय चाय करार के मसौदे की रूप रेखा का अनुमोदन किया गया ।

हथकरघा क्षेत्र को विद्युत-चालित करघों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जाना

972. श्री गदाधर साहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र को बचाने के लिए, जिससे कि इसे विद्युत चालित करघों से प्रतिस्पर्धा के कारण हानि न उठानी पड़े, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) तथा (ख) : सरकार ने शक्तिचालित करघों के साथ प्रतिस्पर्धा से हथकरघा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं —

(1) हथकरघा क्षेत्र द्वारा प्रयोग किए गए हैंक यार्न को उत्पादन शुल्क से पूरी तरह युक्त रखा गया है ।

(2) हथकरघा कपड़े को प्रोसेसिंग शुल्क से भी पूरी तरह छूट दी जाती है यदि वे हथकरघा निगमों तथा हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा स्थापित एककों में प्रोसेस किए जाते हैं और जब अलग-अलग प्रोसेसरों रूप में मान्यता प्राप्त एककों में प्रोसेस किए जाते हैं तो 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

(3) वस्त्र नियंत्रण आदेश के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र द्वारा विशेष उत्पादन के लिए 14 किस्में आरक्षित की गई हैं ।

अनधिकृत बिद्युत-चालित करघे

973. डा० सरदाश राय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक अनधिकृत विद्युत-चालित करघे चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत-चालित करघों की संख्या क्या है तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन अनधिकृत विद्युत चालित करघों को नियमित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : सरकार को देश में अनधिकृत विद्युत चालित करघों की सम्भाव्यता के बारे में जानकारी है। चूंकि ये अनधिकृत विद्युत चालित करघे हैं इसलिए कोई राज्य-वार ब्यौरे नहीं बताये जा सकते ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ) उन विद्युत चालित करघों के सम्बन्ध में, जो 3-3-1981 को विद्यमान थे, आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि वैध मामलों के विनियमन का कार्य 30-6-1982 तक पूरा कर दिया जाये ।

फिल्म निर्माण को उद्योग घोषित किया जाना

974. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के इस आशय के प्रस्ताव पर कि फिल्म निर्माण में काले धन के उपयोग में कमी करने के लिए फिल्म निर्माण को 'उद्योग' के रूप में घोषित करने, जिससे कि वे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकें, किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीजनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत करने से रोकने के वास्ते बैंकों को न तो सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं और न ही रिजर्व बैंक द्वारा। अलबत्ता, बैंकों के पास निधियों (फंडों) की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों से इन निधियों पर अधिक प्रतिस्पर्धा मांगों तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (नेशनल फिल्म डबलपमेंट कारपोरेशन) की मौजूदगी से, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म निर्माण के वास्ते वित्त प्रदान करता है, बैंकों द्वारा फिल्मों के निर्माण में वित्त पोषण को कम प्राथमिकता दी जाती है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं कम प्राथमिकता तथा इस गतिविधि की किस्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें वित्तीय

संस्थाओं से ऋण पाने का पात्र बनाने के प्रयोजन के लिये, फिल्म निर्माण और सिनेमा गृहों को उद्योग के रूप में मान्यता देने विषयक प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं।

चीन से आयात की जाने वाली वस्तुएं

975. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्षों में कच्ची रेशम को छोड़कर अन्य किन-किन मदों का चीन से आयात किया जाएगा अथवा किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : चीन से विशिष्ट मदों के आयात के लिए कोई दीर्घावधि व्यवस्था नहीं है। आयात के स्रोत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होते हैं।

"कन्विक्ट हू चीटेड बैंक आफ रुपीज 40 लाख" शीर्षक समाचार

976. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 1982 के अंग्रेजी साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में "कन्विक्ट हू चीटेड बैंक आफ रुपीज 40 लाखस्" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) ऋण की वसूली के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : कलाई घड़ियों के निर्यात के वास्ते, कांधला मुक्त व्यापार क्षेत्र में एक घड़ी उत्पादन और असेंबलिंग यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में मैं० सिन्हा वाचेस (इंडिया) प्रा० लि० को, गुजरात स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन द्वारा 10 लाख रु० और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा 55 लाख रुपए के सावधि ऋण स्वीकृत किए गए थे। इन दोनों संस्थाओं ने, विदेशों से मशीनरी के आयात के वास्ते बैंक द्वारा जारी किए गए साख-पत्रों (लैटर आफ क्रेडिट) के अधीन लिखे गए बिलों की अदायगी करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को वचन-पत्र (लैटरस आफ कमिटमेंट) जारी किए थे। तदनुसार, बैंक ने पांच साख पत्र जारी किये जिनमें से 3,65,000 अमरीकी डालर और चार 3,68,000 स्विस फ्रांक के थे। अलबत्ता, जब सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त हुए तो उस समय न तो उक्त दोनों वित्तीय संस्थाओं ने और न ही इस कम्पनी ने, उपर्युक्त साख-पत्र के अधीन लिखे गए बिलों को छुड़ाया। बैंक द्वारा यह भी पाया गया कि भेजी गई मशीनरी घटिया किस्म की और पुरानी थी। अतः बैंक ने कम्पनी और उसके

गारटीदाता निदेशक के विरुद्ध एक दावा दायर किया है और उक्त दोनों राज्य वित्तीय निगमों को भी अभियोजित किया। इस समय यह मामला न्यायाधीन है। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री सुशील कुमार सिन्हा के भारत के विभिन्न बैंकों के खातों के अधिशेषों और उनके नाम के एक बैंक लाकर के विरुद्ध बैंक अनुऋणी (गारन्शी) आदेश प्राप्त कर चुका है बैंक ने स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास एक शिकायत दायर की है और केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस मामले को दर्ज कर लिया है तथा उसकी जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है।

मिर्जापुर-भदोही क्षेत्र के गलीचा उद्योग में मंदी आना

977. **श्री उमाकांत मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर-भदोही क्षेत्र के गलीचा उद्योग में आई मन्दी और संकट को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी हां। निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) कालीन उद्योग को इस लायक बनाने के लिए कि वह बिक्रियों से प्राप्त आय को स्वदेश भेजने के सम्बन्ध में अस्थाई कठिनाइयों को दूर कर सके, सरकार ने इन पर कार्यवाही आरम्भ कर दी।

(2) नये बाजारों का पता लगाने के लिए ऊंची कालीनों के लिए एक बिक्री—सह-अध्ययन दल मध्य पूर्वी देशों को गया है।

(३) निर्यात बढ़ाने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका और कला का ऊनी कालीनों के लिए एक अन्य बिकी सह अध्ययन दल बनने का विचार है।

नोवहन और पोत-निर्माण के लिए प्रोत्साहन

678. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आई० एन० एस० ए० के प्रैसीडेण्ट ने नौ वहन और पोत-निर्माण के लिये कर सम्बन्धी प्रोत्साहन तआ पर्याप्त प्रोत्साहन। एस० डी० एफ० डी० ऋण आदि दिये जाने के बारे में दिनाँक 29 दिसम्बर, 1981 को वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में नेशनल शिपिंग बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पारित किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठता।

गणतन्त्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी का न होना

979. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतन्त्र दिवस परेड की झांकियों में पश्चिम बंगाल राज्य का पिछले लगातार कितने वर्षों से प्रदर्शन नहीं किया जा रहा ; और

(ख) उसके कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) 3 वर्ष

(ख) गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने के लिए 14-15 झांकियों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा कला, संस्कृती, डिजाइन और वास्तु कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकारों की एक समिति का गठन किया जाता है जो इन झांकियों की विषयवस्तु, संकल्पना, उद्देश्य और प्रस्तुति के संबध में विचार करने के बाद इनका चयन करती है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने के लिए प्राप्त झांकियों के प्रस्ताव और प्रदर्शित की गई झांकियों की संख्या इस प्रकार है :—

	1980	1981	1982
प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	35	42	60
दर्शाई गई झांकियों की संख्या	14	15	14

पश्चिम बंगाल सरकार को अपने माडलों में कलात्मक आधार पर संशोधन करने का एक अवसर दिया गया था ताकि उस पर समिति विचार कर सके, लेकिन उन्होंने कोई संशोधित माडल नहीं भेजा।

980. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा राशि-ऋण के बीच अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : दिसम्बर, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक के राज्य-वार और बैंकवार ऋण : जमा अनुपात को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रख: गया—देखिए एल० टी० संख्या 3421/ 2]

हैदराबाद के निजाम की ओर देय आयकर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि

981. **श्री डी० पी० यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के पौत्र ने अपनी ओर देय आयकर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि की अदायगी करने के प्रयोजन से अपना महल बेचने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आयकर तथा सम्पदाशुल्क की बकाया राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस बकाया राशि को वसूल करने के लिए अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) हैदराबाद के स्व० निजाम उस्मान अली खां के एक पोते श्री मीर बरकत अली खां की ओर से, हैदराबाद की जुबिली पहाड़ियों पर स्थित चिरान नामक महल से संलग्न भूमि को बेचने के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 20 (1) (क) और अथवा (ख) के अन्तर्गत, राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है।

(ख) मीर बरकत अली खां की ओर, उनकी निजी हैसियत में, आयकर के रूप में 33 लाख रु० (लगभग) की रकम बकाया है। मीर बरकत अली खां पर कोई सम्पदा शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि वह जीवित व्यक्ति हैं। लेकिन स्वर्गीय श्री उस्मान अली खां की सम्पदा पर, जिसके कानूनी प्रतिनिधि श्री बरकत अली खां हैं, सम्पदा शुल्क के रूप में लगभग 91 लाख रु० की रकम बकाया है। स्व० श्री उस्मान अली खां की ओर आय कर की कोई रकम बकाया नहीं बताई गई है।

(ग) सभी अचल सम्पत्तियां कुर्क कर ली गयीं हैं, परन्तु वे नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं और सक्षम प्राधिकारी ने, श्री मीर बरकत अली खां द्वारा सितम्बर 1976 में दाखिल की गई घोषणा के आधार पर, अधिशेष भूमि की पहचान अथवा सीमा निर्धारित नहीं की है। तथापि, श्री बरकत अली खां ने, राज्य सरकार द्वारा उन्हें छूट दिये जाने की शर्तों के अधीन रहते हुए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियन) अधिनियम, 1976 की शर्तों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, जुबिली पहाड़ियों पर स्थित चिरान महल से संलग्न भूमि को बेचने के लिए, नासार को को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०, के साथ 7-12-1981 को एक करार किया है। करार के खण्ड 3 में यह कहा गया है कि बिक्री की रकम को कर की बकाया के प्रति आयकर विभाग को अदा किया जाय।

दार्जिलिंग में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता

982. **श्री आनन्द पाठक**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल राज्य स्थित दार्जिलिंग जिला पर्यटन के मामले में अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करता जा रहा है और देश-विदेश के विभिन्न भागों से प्रतिवर्ष यहां लाखों लोग आते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि दार्जिलिंग में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए होटल खोलकर तथा परिवहन सुविधायें और देकर पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्रों को सुन्दर बनाकर राज्य सरकार को पर्यटन विकास को सहायता दी जाये और इस प्रकार दार्जिलिंग जैसे पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) दार्जिलिंग एक महत्वपूर्ण/लोकप्रिय पर्यटक स्थान है। केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से सुविधाओं का विकास करने के लिए पश्चिमी बंगाल में निर्धारित यात्रा परिपथों में ऐसे एक यात्रा परिपथ

में दार्जिलिंग को शामिल किया गया है। चूंकि यह क्षेत्र ट्रेकिंग के लिए अच्छे अवसर प्रदान करता है, पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग-संदकफू-फालतू ट्रेक-रूट के साथ सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार से यह पता चला है कि पर्यटक गृहों के निर्माण और सुधार, परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और आकर्षण केन्द्रों को सुन्दर बनाने से संबंधित कुछ स्कीमें राज्य सरकार के विकास और आयोजना विभाग द्वारा नियन्त्रित पर्वत कार्य विकास (एचएडी) हेतु केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन पहले ही चित घोषित की जा रही हैं।

एयर इण्डिया द्वारा अपने विभिन्न विदेशी कार्यालयों पर किया गया खर्च

983. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा रोम, ब्रसल्स, एम्सटर्डम, फ्रैंकफर्ट तथा जेनेवा स्थित अपने विदेश कार्यालयों में तैनात अपने अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा रख-रखाव पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) उनमें भारतीयों तथा विदेशियों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में तैनात कर्मचारियों पर खर्च भारत में तैनात कर्मचारियों पर होने वाले खर्च से पांच गुना अधिक है ; और

(घ) यदि हां तो विदेशों में तैनात प्रत्येक कर्मचारी पर इतने अधिक खर्च को देखते हुए, उनकी संख्या घटाने के लिए कार्य का मशीनीकरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इण्डिया द्वारा रोम, ब्रसेल्स, एमस्टरडम, फ्रैंकफर्ट और जनेवा में नियुक्त किये गए कर्मचारियों की संख्या और उन पर वेतन भत्तों तथा अन्य खर्चों के रूप में व्यय की गई राशि को दिखाने वाला एक विवरण परिशिष्ट-I पर संलग्न है।

(ग) जी, हां। विदेशों में एयर इण्डिया के कर्मचारियों का वेतन वहां के निर्वाह सूचकांक (कोस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स) और स्थानीय कर्मचारियों, तथा वहां कार्य कर रहे परन्तु मूलत: भारत में नियुक्त भारतीय दूतावास व अन्य सरकारी निगमों के कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन, को दृष्टि में रखते हुए नियत किया जाता है।

(घ) एयर इण्डिया ने कई स्टेशनों पर लेखा कार्यों पर कम्प्यूटर का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। यूरोप और उत्तर अमेरिका के स्टेशनों पर यात्रियों का आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा किया जा रहा है। न्यूयार्क और लंदन के प्रस्थान नियंत्रण को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों के लिए आरक्षण के कार्य को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। एयर इण्डिया सभी स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या का लगातार पुनरीक्षण करती रहती है। 1980-81 के दौरान एयर इण्डिया के विदेशों में स्थित कार्यालयों में लगभग 300 कर्मचारियों की कमी की गई है।

विवरण

रोम, ब्रसेल्स, एमस्टरडम, फ्रैंकफर्ट और जनेवा में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर 1980-81 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान किये गये व्यय को दिखाने वाला विवरण

स्टेशन	वेतन व भत्तों पर व्यय		कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्य व्यय		मूलतः भारत में नियुक्त	नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या		
	1980-81	अप्रैल-सितम्बर	1980-81	अप्रैल-सितम्बर, 1981		स्थानीय कर्मचारी		
						विदेशी राष्ट्रिक	भारतीय राष्ट्रिक	कुल
	(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)					
रोम	94.25	37.16	43.71	20.22	6	44	3	53
ब्रसेल्स	20.33	9.47	6.75	2.61	2	7	1	10
एमस्टरडम	23.26	8.78	8.75	3.97	1	10	1	12
फ्रैंकफर्ट	162.72	58.58	39.98	15.94	12	58	12	82
जनेवा	72.25	33.31	14.29	7.65	4	22	3	29

राष्ट्रीयकृत बैंकों को समेकित करना

984. **डा० बसन्त कुमार पन्डित : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को समेकित करके आठ राष्ट्रीयकृत बैंक बना देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के लाभ तथा त्रुटियां क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : यदि बैंक प्रणाली ढांचे में कोई परिवर्तन किया जाय तो उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। बैंकों के समेकन अथवा विलयन का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

मुजफ्फरनगर में खण्डसारों तथा चीनी मिलों के मालिकों के अन्दर मारे गये छापे

985. **श्री डी० एम० पुत्तेगोडा :**

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी उड़नदस्ते ने हाल ही में मुजफ्फरनगर के खांडसारी तथा चीनी मिलों के मालिकों के यहां छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे 3 करोड़ रुपये से भी अधिक के कर-अपवंचन का पता लगाया गया था ;

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इन कर-अपवंचन करने वालों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

'इकोनोमिस्ट्स सजेस्ट वैजतु बैंक इन्फलेशन' शीर्षक समाचार

986. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इकोनोमिस्ट्स सजैस्ट टु बैंक इंफलैशन' (हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 25-1-1982) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या मुद्रास्फीति रोकने हेतु इन अर्थशास्त्रियों ने मूल्यों में वृद्धि तथा काले-धन की उत्पत्ति को रोकने, घाटे की बजट व्यवस्था में कमी करने के लिये मुद्रा का अवमूल्यन करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने जैसे उपायों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मुद्रास्फीति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : समाचार का शीर्षक "इकोनामिस्ट्स

सजैस्ट वेज टु चैक इन्फलेशन" है और इसका संबंध डा० मेल्कोम एडिसेशीया द्वारा यू. एन. आई. के साथ की गई भेंटवार्ता से है जिसमें उनके द्वारा दिए गए कुछ सुझावों का समाचार दिया गया है।

(ग) सरकार मुद्रास्फीति नियन्त्रण को उच्च प्राथमिकता देती है और पिछले दो वर्षों से इस प्रयोजन के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप मूल्य स्थीति में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। इससे संबंधित विस्तृत ब्यौरा 24.2.1982 को संसद में पेश की गई 'आर्थिक समीक्षा' में दिया गया है। इस संबंध में सरकार संतुष्ट हो कर बैठी नहीं है तथा उदीयमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में और आगे कदम उठाए जाएंगे।

भूटान को विमान सेवा स्थापित करने हेतु सहायता

987. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान ने अपने यहां एक विमान सेवा स्थापित करने हेतु सहायता के लिये प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) : भूटान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन के परिचालन के लिये पहले ही ड्रक एयर कारपोरेशन नाम से एक निगम की स्थापना कर ली है।

जिन क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइन्स ड्रक एयर की सहायता कर सकती है, उनका निर्धारण करने के लिए ड्रक एयर और इंडियन एयरलाइन्स के बीच बातचीत चल रही है। इनमें तकनीकी और परिचालनात्मक सेवाएं तथा संधारण सुविधाएं शामिल होंगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूमों का बन्द होना

988. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तैयार कपड़ा बेचने वाले अपने शो-रूमों को 31 मार्च, 1982 से बन्द कर देने का और एजेंटों के माध्यम से कपड़ा वितरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन शोरूमों को गत दो वर्ष के दौरान कितना लाभ अथवा हानि हुई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की खुदरा दुकानों द्वारा लगातार उठाए गए घाटे को देखते हुए इन दुकानों को बन्द करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) : खुदरा दूकानों द्वारा उठाए गए घाटे निम्नोक्त प्रकार हैं :

1979-80	107.42 लाख रु०
1980-81	76.15 लाख रु०
1981-82 (दिसम्बर, 81 तक)	72.09 लाख रु०

दिल्ली के पांच-स्टार होटलों में चोरियां

989. **श्री कमल नाथ :**

श्री एच० के० एल० भगत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पांच-स्टार होटलों, जिन में सरकारी होटल भी शामिल हैं, लगातार चोरियां होती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ग) पर्यटकों, में, विशेषतः विदेशी पर्यटकों में पुनः विश्वास की भावना पैदा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठायें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिल्ली के पांच स्टार होटलों, जिसमें सरकारी स्वामित्व के होटल भी शामिल हैं, लगातार चोरियां नहीं हुई ।

(ख) जैसा कि दिल्ली के होटलों से सुनिश्चित किया गया है पिछले छः महीनों के दौरान केवल पांच चोरी की घटनाएं हुई हैं ।

(ग) होटलों की सुरक्षा के प्रबन्ध संबन्धित मैनजमेंट द्वारा किये जाते है । होटलों की साख बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी सुरक्षा-प्रबन्ध में सुधार के प्रयास किए जाते हैं जो कि एक सतत प्रक्रिया है ।

बोइंग 707 विमान के स्थान पर दूसरे विमान चलाना

999. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि ट्रिस्टार विमानों के निर्यातागण निकट भविष्य में इन विमानों का निर्माण बन्द कर सकते है ;

(ख) क्या एयर इंडिया ने नये विमान चलाने के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के विमानों के बदले कोई अन्य विमान लेने की इच्छा बताई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस एयरलाइंस ने अपनी उस स्वेच्छा को रद्द कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो कब ;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(च) बोइंग 707 विमानों के स्थान पर यह एयरलाइंस कौन से विमान लेने का विचार कर रही हैं तथा तत्ससम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : : (क) जी, हां। लॉकहीड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने 1984 के बाद एल-1011-500 ट्रिस्टार विमान के निर्माण करने के कार्यक्रम को बन्द करने के अपने निर्णय की सूचना दी है ।

(ख) एयर इण्डिया ने तीन एल 1011-500 ट्रिस्टार विमान खरीदने के अपने विकल्प को वापस ले लिया है ।

(च) एयर इण्डिया ने बोइंग 707 विमान के स्थान पर लिए जाने वाले विमान के प्रकार के बारे में निर्णय नहीं लिया है। तथापि, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एयर इण्डिया द्वारा तीन एयर बस विमान प्राप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मद्रास तथा सिंघापुर के बीच एयर इण्डिया की उड़ानें

991. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स एक ऐसे समय पर जबकि भारी हानि के कारण अधिकांश विमान सेवा कम्पनियां अपने मार्गों को छोटा कर रही हैं, मद्रास तथा सिंघापुर के बीच अपनी विमान सेवा चलाकर एयर इण्डिया के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा इस उड़ान को शुरू किये जाने सम्बन्धि ब्यौरा क्या है और क्या यह सुनिश्चित करने का विचार है कि कोई उड़ाने अलाभकारी नहीं होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल पर शुल्क

992. **श्री मगन भाई बारोट :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय द्वारा, स्थगनादेश दिये जाने के कारण खाद्य तेलों के निर्यात पर लगाया गया 15 प्रतिशत का आयात शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है ;

(ख) सरकार ने यह सतर्कता रखने के लिए क्या कदम उठाये है कि न्यायालयों द्वारा

दिये गये एक तरफा अन्तरिम आदेशों के कारण भविष्य में राजस्व की भारी हानि न हो ; और

(ग) सरकार ने उक्त स्थगनादेशों को रद्द कराने अथवा आयातकों से न्यायालय में ऐसा आयात शुल्क जो कि स्थगनादेश के कारण नहीं लिया जा सका है, जमा कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) खाद्य तेलों के आयात के अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने आयात शुल्क की वसूली को स्थगित कर दिया है। इस स्थगन की शर्तें और समय भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न है ;

(ख) और (ग) संबंधित विभागीय एजेंसियां विभिन्न स्तरों पर विधि मन्त्रालय से परामर्श करके इन मामलों का प्रतिवाद करने के प्रयास करती है। न्यायायलयों द्वारा जब भी स्थगन आदेश पारित किये जाते हैं, विभाग उन आदेशों का सम्मान करता है और मानता है । फिर भी, सभी मामलों में उपयुक्त न्यायालयों में दरख्वास्त देकर इस स्थगन आदेश को रद्द करने की कार्यवाही की जाती है। वास्तव में, ऐसी कार्यवाहियों के परिणामतः न्यायालयों ने अनेक मामलों में मूल अन्तरिम आदेशों में संशोधन किये हैं ।

काला धन हवाला सौदे

993. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तथा कथित "हवाला सौदों में अब तक कितनी राशि का काला धन अन्तर्ग्रस्त पाया गया है ;

(ख) कितने "हवाला' सौदे प्रकाश में आये हैं और उस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया हैं ; और

(ग) उक्त सौदे करने की कार्य-प्रणाली क्या थी और ऐसे सौदों का पता लगाने तथा रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) वर्ष 1981-82 के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में पकड़े गये कागजात की प्रारम्भिक जांच के आधार पर, यह पता चला है कि विगत कुछ वर्षों में अनेक लेन-देनों के जरिये 35 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का 'हवाला' लेन-देन हुआ होगा। तथापि, छिपायी गई आय की ठीक ठीक रकम, 'हवाला' लेन देनों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या का पता जांच-पड़ताल पूरी होने और कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही लगेगा ।

(घ) जाली' हवालों लेन-देन प्रायः निम्नलिखित के जरिये किये जाते हैं :-

(1) तथाकथित रूप से खरीदे गये अथवा बेचे गये माल अथवा सौदे को वास्तव में दिये बिना ही फर्जी प्रविष्टियां,

(2) अधिक मुनाफा कमाने के लिए मूल्य बढ़ाने हेतु काल्पनिक विचौलियों के माध्यम से दिखाये गये फर्जी लेन-देन ;

(3) लेखा-वहियों में लेखाबाह्य रकमें दिखाने के लिए जाली कर्जे ; और

(4) की गई सेवाओं अथवा खरीददारियों के खर्चों को बढ़ाने के लिए जाली कमीशन ।

आयकर प्राधिकारी इस मामले में चौकसी बरतते हैं और जब कभी आवश्यक होता है, तो एकत्रित की गई अथवा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही करते हैं ।

चाय का निर्यात

994. **श्री सज्जन कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चाय का निर्यात करता है :

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय चाय किन-किन देशों को निर्यात की जा रही है ; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का विचार किन किन देशों को चाय का निर्यात करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत विश्व के लगभग अस्सी देशों को चाय का निर्यात करता है । भारतीय चाय के प्रमुख खरीददार है ब्रिटेन, सोवियत संघ, पौलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक मिस्र का अरब गणराज्य, सूडान तथा अफगानिस्तान ।

(ग) भारत से चाय के निर्यात शुल्क बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पहले ही कतिपय उपाय लागू किए हैं । ये हैं : —

(1) 14.2.1979 से चाय के निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना ;

(2) जनवरी, 1979 से पैकेट चाय के निर्यातकों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की सुविधा का पुनः लागू किया जाना ;

(3) चाय बैंगिंग मशीनरी आयात को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा जाना ;

(4) चाय बैंगिंग मशीनरी का आयात शुल्क 75 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत किया जाना ;

(5) पैकेट चाय तथा बैग निर्यातों के लिए अप्रैल 1979 से नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दर 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12-1/2 प्रतिशत करना ;

(6) आयात शुल्क तथा चाय बैग निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की वापसी की सर्व-उद्योग दर को 1.6.1981 से बैग्स के घड़ा वजन के आधार पर 64 रु० प्रति किग्रा० से बढ़ाकर 85/ रु० प्रति किग्रा करना ;

(7) इन्सटैंट चाय तथा उपभोक्ता पैक चाय के पंजीकृत निर्यातों के लिए आर० ई० पी० का शुरू किया जाना ;

(8) आयात के लिए अनुमानित सामान की सूची के विस्तार सहित चाय बैग निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० दर में वृद्धि करना ।

(9) संवर्धन संबंधी अर्थात उपाय व्यापक संवर्धन एक राष्ट्रीय संवर्धन व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि ।

(10) बागान निर्यातों के मामले में पूरी सीमा तक और बागानेतर निर्यातों के मामले 40 पैसे प्रति किग्रा० की सीमा तक उत्पादन शुल्क रियाय का दिया जाना ।

सरकार अभी मौजूदा बाजारों को चाय का निर्यात जारी रखेगी और परम्परागत बाजारों में निर्यात संभाव्यताओं का पता लगाने के भी प्रयास किए जाएंगे ।

सार्वजनिक खपत की चीजों के मूल्य स्थिर करने में राज्य व्यापार निगम की भूमिका

995. श्री चिंतामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किए हैं कि जिन-जिन सार्वजनिक खपत की वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहता हो उनके मूल्यों में स्थाई आधार पर स्थिरता लाने के लिए उनका सरकारी तौर से आयात अथवा निर्यात किया जाए ;

(ख) क्या सरकार ने अपनी तत्संबंधी नीति का पुनर्विलोकन किया है तथा इस निगम की विकासात्मक भूमिका के लिए एक भावी योजना तैयार करने हेतु निगम के साथ मंत्रणा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां । आम खपत की ऐसी वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जिनकी सप्लाई में उतार चढ़ाव से उनका आयात और निर्यात करना आवश्यक हो जाता है । राज्य व्यापार निगम को खाद्य तेलों, सीमेंट, अखबारी कागज, छपाई के सफेद कागज, चीनी के आयात के सम्बन्ध में और चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में मार्गीकरण अभिकरण का काम सौंपा गया है ।

(ख) तथा (ग) : राज्य व्यापार निगम की विकासात्मक भूमिका के लिए योजना बनाना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी बराबर समीक्षा की जाती रहती है ।

सस्ते कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

996. श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सस्ते कपड़े के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार सस्ते कपड़े तथा नियन्त्रित कपड़े की वर्तमान वितरण नीति में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : स्वैच्छिक सस्ता कपड़ा योजना के अन्तर्गत सस्ते कपड़े की अधिकतम खुदरा कीमत को 6.36 रू० प्रति मीटर से बढ़ाकर 7.31 रु० प्रति मीटर कर दिया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि जिस कपड़े की खुदरा कीमत 7.31 रु० प्रति मीटर से अधिक नहीं होगी वह सस्ता कपड़ा योजना के अन्तर्गत आएगा।

(ग) तथा (घ) : सस्ते कपड़े के वितरण की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। कन्ट्रोल का कपड़ा सहकारी क्षेत्र और नागरिग पूर्ति निगमों की खुदरा दुकानों और साथ ही उचित दर की दुकानों के जरिए उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

एयरबसें खरीदने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स को विदेशी बैंकों की सहायता

997. श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पर्यटक और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बैंकों के एक संस्टोरियस ने इण्डियन एयरलाइन्स को एयरबसें/विमान खरीदने के लिए धन देना स्वीकार कर लिया हैं।

(ख) यदि हां, तो ये बैंक किन-किन देशों के हैं और इंडियन एयरलाइन्स को इनसे कितनी राशि के ऋण मिलेंगे ; और

(ग) उक्त ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने दो एयरबस विमानों तथा सम्बन्धित इन्जिनों और उपकरणों की विदेशी मुद्रा की लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था के लिये दो ऋणों का प्रबन्ध किया है। दोनों ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) 770 लाख अमरीकी डालर की राशि के ऋण की ब्रिटिश, फ्रेंच तथा जर्मन बैंकों के कंसोर्टियम के साथ निर्यात ऋण के अन्तर्गत क्रमशः 20:40 के अनुपात में निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों पर, व्यवस्था की गई :

ब्याज की दर	9.5 प्रतिशत वार्षिक
प्रतिबद्धता शुल्क	0.375 प्रतिशत न लिये गये बकाया पर
प्रबन्ध शुल्क	मूल का 0.375 प्रतिशत
वापसी	20 अर्ध-वार्षिक किस्तों में।

(2) दो एयरबसों की कीमत के 10 प्रतिशत तथा फालतू पुर्जों तथा सम्बन्धित उपकरणों के 90 प्रतिशत मूल्य के लिये, वित्त व्यवस्था करने के लिये, मिडलैंड बैंक, यू० के० के साथ 21 लाख अमरीकी डालरों के मूल्यों का यूरो डालर का ऋण निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों पर प्राप्त किया :—

ब्याज की दर	लिबोर + दोहरे कर लाभों के साथ 1/16 प्रतिशत, यह मान कर चलते हुए कि यदि ये लाभ भारतीय तथा यू० के० सरकारों द्वारा वापिस ले लिये जातें हैं तो "मार्जिन" 3/8 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा।
प्रतिबद्धता शुल्क	न लिये गये बकाया पर 0.25 प्रतिशत
प्रबन्ध शुल्क	मूल का 7/16 प्रतिशत
वापसि	15 अर्ध-वार्षिक बराबर किस्तों में पहली किस्त करार के हस्ताक्षर होने के 3 वर्ष पश्चात अदा की जायेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका

998. **श्री चित्त वसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने हेतु नये मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : उत्तरपूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के त्वरित विकास और ऋण प्रवाह में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही/प्रयास कर रहे हैं।/बराबर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के और अधिक विस्तार और उसकी महनता बढ़ाने के लिए :

(1) इस क्षेत्र में बैंकों की शाखा जाल को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ;

(2) दूरदराज के क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से, बढ़ी हुई मात्रा में प्रत्यक्ष सहायता देने के अलावा बैंकों, को सहकारी समितियों, कृषक सेवा समितियों बहु आकार की बहुप्रयोजनी समितियों (एल० ए० एम० पी० एस०), सरकार द्वारा प्रायोजित नियमित अधिकरणों आदि जैसे माध्यमों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है ;

(3) इस क्षेत्र में मुख्य बैंकों का प्रशासकीय ढांचा सुदृढ़ बनाया गया है अर्थात भारतीय स्टेट बैंक ने गौहाटी में एक स्थानीय प्रधान कार्यालय स्थापित किया है, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने इस क्षेत्र में एक और कार्यालय खोला है, युनाइटेड कमर्शियल बैंक ने अपने मण्डल कार्यालय का स्तर बढ़ाया है आदि ;

(4) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने क्षेत्र में एक कार्यालय खोला है ;

(5) बैंकों में परिचालन व्यक्तियों की नियुक्ति करने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र के वास्ते एक पृथक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड,स्थापित किया गया है ;

(6) इस क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के लिए बैंक अधिकारियों और विकास कार्य से सम्बंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों को सयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(7) बैंक से कहा गया है कि वे इस क्षेत्र में व्याप्त विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऋण प्रक्रियाओं में उनके अनुरूप संशोधन करें।

इलायची के निर्यात में गिरावट

999. श्री यो०एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कठिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण 1981-82 के दौरान इलायची के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में हुई गिरावट की मात्रा कितनी है ; और

(ग) आगामी वर्षों में इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : अप्रैल, 1981 से जनवरी 1982 के दौरान 28.00 करोड़ रु० मूल्य की 2150 मे० टन इलायची की मात्रा का निर्यात किया गया । जबकि 1980-81 की इसी अवधि के दौरान 3.37 करोड़ रुपये मूल्यकी 2089 मे. टन इलायची का निर्यात किया गया था । इस प्रकार यह देखाजा सकता है कि 1981-82 के दौरान निर्यात की गई इलायची की मात्रा में कोई विशेष गिरावट नहीं आयी है ।

(ग) इलायची के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

(1) इलायची सम्बन्धी बाजार सूचना एकत्र करने और भेजने तथा मध्यपूर्व के बाजारों में बाजार सम्वर्धन कार्य करने के लिए बेहरीन में इलायची बोर्ड का एक व्यापार सम्वर्धन कार्यालय स्थापित किया गया है ।

(2) निर्यात सम्वर्धन साहित्य का प्रकाशन ।

(3) भारत, श्रीलंका, तंजानिया और ग्वाटेमाला के इलायची उत्पादक करने वाले देशों का इलायची समुदाय बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।

(4) आई० टी० सी०/एस० आई० डी० ए० और बाजार विकास सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाजार संवर्धन कार्य लागू किए जा रहे हैं ।

(5) मध्य पूर्व में इलायची के लिए विक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधि मंडल ।

(6) दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण करके मध्यपूर्व में प्रचार अभियान के लिए परियोजनाएं ।

आयकर विभाग द्वारा दिल्ली में डाक्टरों के घरों पर छापे

1000. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने दिसम्बर, 1981 महीने के दौरान राजधानी में कुछ डाक्टरों के घरों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो लेखों में न दिखाई गई धनराशि और और दोष सिद्ध करने वाले अन्य पाए गए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं और कर अपवंचन के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों ने, दिसम्बर, 1981 में, डा० ओ० पी० भार्गव, डा० वी० एन० गुप्त, डा० (श्रीमती) गीता कुमारी, डा० आर० पी० गुप्त तथा डा० (श्रीमती) गीता गुप्त के परिसरों की

तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्टया लगभग 9.08 लाख रुपये मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां तथा अपराध आरोपणीय लेखा बहियां तथा कागजात पकड़े गये थे। कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, पकड़ी गई सामग्री की जांच आरम्भ की जा चुकी है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा त्रिपुरा में होटलों की स्थापना

1001. **श्री अजय बिसवास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार त्रिपुरा में होटलों की स्थापना का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकार के साथ संयुक्त सेक्टर के अन्तर्गत अगरतला में एक 30 कमरे वाले होटल की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव भिजवाया है। त्रिपुरा सरकार ने प्रस्तावित होटल परियोजना में अपनी भागीदारी पर अनुमोदन लेने के लिए और साथ ही 1982-83 के वास्ते राज्य की योजना में अपेक्षित धनराशि आवंटित करवाने के लिए इस मामले को योजना आयोग के समक्ष रखा है। यदि व्यवहार्यता रिपोर्ट सन्तोषजनक रहीं तथा संसाधन उपलब्ध हुए तो त्रिपुरा सरकार के साथ करार के हस्ताक्षरित हो जाने पर छठी योजना (1980-85) के दौरान परियोजना को कार्यान्वयन के लिए आरम्भ किए जाने की संभावना है।

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इन्डिया के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर मुकद्दमे

1002. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इन्डिया के खिलाफ इसके कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में कितने मुकद्दमे दायर किए गए हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में वकील को कानूनी शुल्क और कोर्ट फीस के रुप में इन मामलों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) कर्मचारियों ने न्यायालय में मामले दायर किए हैं। एक कर्मचारी की याचिका इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।

(ख) प्रत्येक मामले में दी जाने वाली फीस की मात्रा के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि वकील को कानूनी शुल्क और कोर्ट फीस आदि को पूरा करने के लिए लेखागत अदायगियों के रुप में एडवोकेटों को अभी तक 70,425 रू० दिए गए हैं।

भारत द्वारा विदेशी सहायता

1013. श्री बी० डी० सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है एक कि ओर भारत द्वारा लिए जाने वाले विदेशी ऋणों में तेजी से वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर अन्य देशों को भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा अन्य देशों को (उनके नाम भी बताए) 1976-77 से 1978-79 के दौरान कितनी राशि की सहायता दी गई है ; और

(ग) भारत द्वारा अन्य देशों को दिए जाने वाले ऋण से भारत के विकास कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : यद्यपि देश की बढ़ी हुई विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल के वर्षों में भारत द्वारा लिए जाने वाले उधार में बराबर वृद्धि हुई है तथापि भारत द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता में जो कि भारत द्वारा विदेशों से लिए जाने वाले उधारों का एक मामूली सा अंश है। हाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हालांकि यह सच है कि इस सहायता से हमें कुछ त्याग करना पड़ता है किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह सहायता मित्र देशों को दी जाती है जिनमें से कुछ हमारे नजदीक के पड़ौसी देश हैं। जिस हद तक यह सहायता उन देशों को इसलिए दी जाती कि वे भारत से सामग्री तथा सेवाएं प्राप्त कर सकें उसी सीमा तक इससे हमारे निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। भारत मित्र देश को मुख्य रूप से उनके द्वारा भारत से सामान तथा सेवाओं की प्राप्ति में सहायता करने की दृष्टि से उधार दे रहा है।

विवरण

भारत द्वारा अन्य देशों को दी गयी सहायता (राजकोषीय वर्ष)

देश/कार्यक्रम — प्राधिकरण — (करोड़ रुपए)

	1976-77			1977-78			1978-79		
	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़
1. अफगानिस्तान	—	—	—	6.2	—	6.2	—	—	—
2. बंगला देश	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. भूटान	1.5	21.2	22.7	2.9	24.8	27.7	7.2	36.2	43.4
4. मारीशस	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—
5. नेपाल	10.0	10.4	20.4	—	9.6	9.6	—	9.4	9.4
6. श्रीलंका	7.1	—	7.1	10.0	—	10.0	4.8	—	4.8
7. तंजानिया	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0
8. वियतनाम	—	—	—	22.5	—	22.5	41.2	—	41.2
9. जाम्बिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	—	—	—	—	6.7	6.7	—	3.0	3.0
जोड़:	18.6	31.6	50.2	51.6	41.1	92.7	55.2	48.6	103.8

विहार में चांदवाड़ा में अभ्रक के कागज बनाने के कारखाने की स्थापना

1004. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने 11 मई 1981 को बिहार के कोडर्मा अभ्रक क्षेत्र में चांदवाड़ा में अभ्रक के कागज बनाने के कारखाने और ग्लास बांडेड अभ्रक संयंत्र की नींव रखी थी और 1983 तक उसमें 1200 मीट्रिक टन अभ्रक के कागज का उत्पादन शुरू होने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण संयंत्र का निर्माण कार्य निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है ताकि इसमें 1983 में उत्पादन शुरू हो जाए ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या समयबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम के न होने के परिणाम स्वरूप प्राक्कलनों में संशोधन करना पड़ेगा और खर्च में दुगनी वृद्धि होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस फिजूल खर्च का उत्तरदायी कब होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) निटको 1983 के अन्त तक माइका पेपर प्रोजेक्ट के कार्यान्वित करने की योजना पर कार्य कर रहा है इसमें 900 टन माइका पेपर के विनिर्माण के लिये एक जापानी फर्म के साथ तथा एक दूसरे प्रोसेस से माइका पेपर की और 300 मे. टन के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ करारों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। कुल पूंजीगत लागत करीब 1250 लाख रु० होने का अनुमान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में होटल उद्योग का विकास

1005. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल उद्योग के विकास के लिए हरियाणा राज्य को 1981 के दौरान कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) हरियाणा राज्य को 1982 के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग किसी राज्य में होटल उद्योग के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देता। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) का संबंध है, भारत में इन्कार्पोरेटिड और रजिस्टर्ड केवल लिमिटेड कम्पनियां या कोआपरेटिव सोसाइटियां ही इससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं। चूंकि 2.00 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति आम तौर पर राज्य स्तर के वित्तीय इन्स्टिट्यूशनों द्वारा किए जाने की आशा की जाती है, ऐसी उपयुक्त फर्म के आवेदनों पर आई. एफ. सी. आई. द्वारा विचार किया जाता है जिनकी परियोजनाओं की लागत 2.00 करोड़ रुपए से अधिक होती है।

आई. एफ. सी. आई. ने हरियाणा में किसी भी होटल परियोजना के वास्ते अभी तक किसी वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी नहीं दी है और हरियाणा राज्य में इस समय किसी भी होटल परियोजना की बाबत वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन लंबित नही पड़ा हैं।

पर्यटन मानचित्र में मिलम हिमनद (ग्लैशियर) का दर्शाया जाना

1006. **श्री हरी चन्द्र सिंह रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिथौरागढ़ जिले के मसूरी क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद विश्व के अत्यधिक सुन्दर हिमनदों में से एक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार इस हिमनद को पर्यटन मान-चित्र में दर्शाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुशीद आलम खान) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलम ग्लेशियर एक बहुत सुन्दर ग्लेशियर है।

(ख) चूंकि यह एक संरक्षित क्षेत्र है, फिलहाल पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास और संवर्धन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

आयकर दाता

1007. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 50,000 रुपये से अधिक का आय कर का भुगतान करने वाले आयकर दाताओं की कुल संख्या कितनी है इनमें से 5,000 रुपये से लेकर 50,000 तक आय कर का भुगतान करने वालों की संख्या कितनी है और 5000 रुपये तक का भुगतान करने वालों की संख्या कितनी हैं ;

(ख) क्या सरकार के कर राहत उपायों ने आयकर वसूली को कुप्रभावित किया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेनामी लेन देन और जाली फर्मों द्वारा आयकर की चोरी न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) प्रश्न में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर निर्धारितियों की बाबत आंकड़े, उनके द्वारा अदा किए गए आयकर के आधार पर एकत्रित नहीं किए जाते। तथापि, आय की विभिन्न रेंजों में आने वाले कर-निर्धारितियों की संख्या के आधार पर ओहदे-वार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस प्रश्न के प्रयोजनार्थ फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 1980-81 के लिए उन का दाताओं की ओहदे-वार संख्या, जो 2,000 रु० से नीचे, 25,000 रु० और 1,00,000 रु० के बीच तथा 1,00,000 रु० से ऊपर की आय रेंजों के अन्तर्गत आते हैं, संलग्न विवरण में दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि 25,000 रु० और 1,00,000 रु० की आय पर अधिभार सहित आयकर क्रमशः 3,840 रु० और तथा 47,040 रु० है।

(ख) यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है कि कर से राहत देने के लिए सरकार के जो उपाय हैं उनसे आयकर की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं। तथ पि, पिछले पांच वर्षों में आयकर (जिसमें निगम कर भी शामिल है) की शुद्ध वसूली के नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है वसूलियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष	शुद्ध वसूली
1976-77	2178.63
1977-78	2222.79

1978-79	2428.86
1979-80	2732.21
1980-81	2817.18

(ग) ऐसे कर-अपवंचन को रोकने के लिए प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। अन्य उपायों में से, कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा 5 नवम्बर, 1972 से अन्तःस्थापित की गई धारा 281 के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि, बेनामी धारित किसी सम्पत्ति की बाबत किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद, चाहे उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम वह सम्पत्ति धारित है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति से आय विवरणी में प्रकट नहीं की गई हों, ऐसी सम्पत्ति शुद्ध धन की विवरणी में, यदि कोई प्रस्तुत की गई है, प्रकट नहीं की गई हो तथा दावेदार द्वारा आयकर अधिकारी को ऐसी बेनामी धारिता की सूचना नहीं दी गई हो। कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा 1-10-975 से अन्तःस्थापित की गई धारा 132 (4 क) के उपबन्धों में इस उपधारणा की व्यवस्था है कि जहां धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियन्त्रण में कोई लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज पाई जाती है वहां ऐसी लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज धन सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की ही हैं। प्रशासनिक तथा जांच तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के उपाय करके इन वैधानिक उपायों को बल प्रदान किया गया है : विभाग द्वारा तलाशियां लेने और माल पकड़ने की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेक्षण कार्यों को सरल तथा सुविधाजनक बनाया गया है और उन्हें एक स्थाई आधार दे दिया गया है। निरन्तर सर्वेक्षण करते रहने के लिए एक स्थाई संगठन बनाया गया है। और सर्वेक्षण कार्यों द्वारा अनेक नये कर निर्धारिती का पता लगाया गया है। जिन मामलों में किसी कर-अपवंचन का पता चलता है उनमें निरंतर जांच की जाती है, जिससे ऐसा ठोस मामला बनाया जा सके जो न केवल अर्थदण्ड लगाने को ही न्यायोचित ठहराये बल्कि जिससे सफलता पूर्वक मुकदमा भी चलाया जा सके।

विवरण

31-3-1981 की स्थिति के अनुसार विभाग की पुस्तकों में आय की चुनिंदा रेंजों में कर निर्धारितियों का वर्गीकरण

		आय-रेंज	(रुपयों में)
कर निर्धारितियों की हैसियत	25,000 रु० तक आय	25,010 रु० से 1,00,000 रु० के बीच आय	1,00010 रु० और उससे अधिक की आय

(1)	(2)	(3)	(4)
1. व्यष्टि	26,71,276	8,02,449	15,652
2. हिन्दू अविभाजित परिवार	1,73,986	59,002	1,495
3. फर्में	4,01,046	3,16,202	36,470
4. कम्पनियां	31,210	7,205	51710
5. अन्य	62,310	9,588	8 4
योग	3[illegible],39,288	11,94,446	60.151

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई

1009. **श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी एजेन्सियों की योजना पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की है और उन्होंने वाशिंगटन में 25-1-81 को 450 मिलियन डालर मूल्य के हथियार सप्लाई करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा फरवरी, 1982 के अन्त तक वे सभी हथियार पाकिस्तान को सप्लाई कर दिये हैं जिसके लिये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीन सहित भारत के कई मित्र देशों ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किए जाने की कार्यवाही का स्वागत किया है ;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान को फरवरी, 1982 के अन्त तक अमरीका तथा अन्य स्रोतों से कुल कितने हथियार प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ङ) पाकिस्तान द्वारा हथियारों के इस संग्रह में किस सीमा तक भारत के लिए खतरा उत्पन्न किया है और भारत सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) : पाकिस्तान के भारी मात्रा में अति आधुनिक शस्त्रों की सप्लाई के अमरीकी निर्णय की सरकार को जानकारी है। इस सम्बन्ध में अनेक करार किए गए हैं। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि अब तक जो करार किए हैं उनके अन्तर्गत अमरीका द्वारा हथियारों की पहले ही सप्लाई कर दी है। इस बात के

संकेत हैं कि यह सप्लाई लगभग 5 वर्षों की अवधि में होगी। अमरीका के अलावा पाकिस्तान अनेक देशों से फौजी साज सामान प्राप्त करता रहा है।

(ङ.) पाकिस्तान को अमरीका द्वारा भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई के बारे में सरकार के विचार बड़े स्पष्ट रूप में पाकिस्तान और अमरीका दोनों की सरकारों को बता दिए गए हैं। सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति सजग है और पूरी तथा पर्याप्त रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है।

राजस्थान सरकार द्वारा ओवर-ड्राफ्ट

1010. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार की ओर ओवर-ड्राफ्ट की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या ओवर-ड्राफ्ट की भारी राशि का मुख्य कारण राज्य में गत तीन/चार वर्षों से पड़ने वाले लगातार सूखे के कारण पड़े अकाल से ग्रामीण लोगों को भुखमरी से बचाने के के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया भारी व्यय है ;

(ग) क्या राज्य की कमजोर वित्त स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ओवर-ड्राफ्ट की राशि को दीर्घ अवधि के ऋण में परिवर्तित करने के लिए तैयार है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से और किस रूप में ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : 17 फरवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार राजस्थान का ओवर-ड्राफ्ट 309.11 करोड़ रुपये का था।

(ख) जी नहीं। सूखा सम्बन्धी राहत पर खर्च की जाने वाली व्यय की उच्चतम सीमायें, केन्द्रीय सरकार द्वारा, स्थिति का अध्यन करने के लिए भेजे गए केन्द्रीय अध्यन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद निर्धारित की जाती हैं। उच्चतम सीमा तक व्यय करने से राज्य सरकार को कोई वित्तीय कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा दी जाती है। यदि उच्चतम-सीमाओं से उपर कोई व्यय किया जाता है तो इससे राज्य सरकार के लिए बजट सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होगी। राजस्थान के मामले में, उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति में ह्रास का यह मुख्यकारण नहीं है।

(ग) : इस सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों के लिए चयन-ग्रेड

1011. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों को 14 वर्ष का सेवा काल पूरा करने या कुल वेतन क्रम का तीन चौथाई भाग पूरा करने के बावजूद चयन ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) श्रेणी 'ग' के आशुलिपिकों में तीव्र अवरोध को दूर करने और उनके सेवा काल में समय निर्धारित पदोन्नतियां देकर महत्वपूर्ण सुधार लाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार '03 चयन ग्रेड के पद मंजूर किए गए थे, इस प्रकार केवल 103 व्यक्तियों को, जिन्होंने ग्रेड में 14 वर्ष सेवा पूरी की है या वेतन मान का तीन चौथाई भाग पूरा कर लिया है उन्हें चयन ग्रेड मंजूर किया गया ।

(ख) चयन ग्रेड के अलावा ग्रेड "ग" के 63 पदों का ग्रेड "स" के रूप में दर्जा बढ़ा दिया गया है जिससे उन्हें पदोन्नति का लाभ मिला है। सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समय वेतनमान पदोन्नति प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1012. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को दिसम्बर, 1981 तक ओवरड्राफ्ट के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) वे आकड़े किस तरह से राज्य की योजना और वित्त प्रणाली को कुप्रभावित अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित करते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) राज्यों के ओवरड्राफ्ट उनकी प्रतिदिन की नकद स्थिति को दर्शाते हैं और उनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है । ओवरड्राफ्ट या तो राज्यों के बजट में संरचनात्मक असन्तुलन के कारण होते हैं या राज्यों के नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं । अस्थायी असमानताओं के कारण होने वाले ओवरड्राफ्टों के मामलों को वर्ष के दौरान ही ठीक कर लिया जाता है और इससे राज्यों की आयोजनाओं पर प्रभाव नही पड़ता है, हालांकि, इससे अस्थायी आधार पर राज्यों के लिए अर्थोपाय की समस्या अवश्य उत्पन्न हो जाती है । ऐसे मामलों में जहां संरचनात्मक असंतुलन होते हैं वहाँ इसका अर्थ, आयोजन परिव्यय सहित, राज्य व्यय के वित्तीयपोषण के लिए संसाधनों में अपर्याप्तता से होता है ।

विवरण

30 दिसम्बर, 1981 को राज्यों के ओवरड्राफ्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(करोड़ रुपये)

	राज्य	30-12-81 को स्थिति
1.	असम	34 35
2.	गुजरात	10.47
3.	हरियाणा	32.09
4.	हिमाचल प्रदेश	1.04
5.	कर्नाटक	11.34
6.	केरल	63.14
7.	मध्य प्रदेश	78.34
8.	महाराष्ट्र	23.24
9.	मणिपुर	31.40
10.	मेघालय	1.33
11.	नागालैंड	0.73
15.	पंजाब	102.26
13.	राजस्थान	251.15
14.	त्रिपुरा	10.16
15.	पश्चिम बंगाल	215.23

एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन

1013. श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

* आंकड़े 30 जनवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं क्योंकि वार्षिक खाते बन्द करने के लिए 31-12-81 को भारतीय रिजर्व बैंक में छुट्टी थी।

(क) क्या सरकार ने एयर-इन्डिया की उड़ानों में हिन्दी फिल्में दिखाने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों को आकर्षित करने के लिए इन्डियन-एयरलाइन्स की उड़ानों में भी फिल्में दिखाने के प्रश्न पर विचार करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : क : 26 जनवरी, 1982 से एयर-इन्डिया अपनी बी०-747 उड़ानों पर भारत/यू० एस० ए० और भारत यू०/के/ भारत मार्गों पर फिल्में दिखा रही है। परन्तु कारपोरेशन की बी-707 उड़ानों पर चलचित्र का दिखापाना हिन्दी संभव नहीं है क्योंकि विमान उड़ानगत "मनोरन्जन प्रणाली" से सज्जित नहीं हैं।

(ख) : क्योंकि इन्डियन-एयरलाइन्स की उड़ानें कम समय की हैं और उपलब्ध समय में उड़ान के दौरान खाना-आदि दे पाना ही मुस्किल से सम्भव होता है, कारपोरेशन के विमान फिल्म-प्रदर्शन सुविधाओं से सज्जित नहीं किये गये हैं।

जापान के साथ आर्थिक सहयोग की सम्भावनायें

1014. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के साथ और आगे आर्थिक सहयोग करने की सम्भावनाएं क्या हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई विशिष्ट कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जापान के साथ और अधिक आर्थिक सहयोग करने की अच्छी संभावनाएं विद्यमान हैं।

(ख) जापानी प्राधिकारियों के साथ सुनिर्दिष्ट प्रस्तावों के सबन्ध में बातचीत हो रही है और ऐसे प्रस्तावों को विभिन्न चरणों में तैयार किया जा रहा है।

मदुरै से बोइंग-737 विमान सेवा शुरू किया जाना

1015 .**श्री ई० बालानंदन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरे से बोइंग-737 विमान सेवा शुरू करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : **(श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मदुरै को मद्रास के साथ इन्डियन-एयरलाइन्स की 1982-83 की शीत-कालीन समय-सारणी में बी-737 विमान की दैनिक सेवा से जोड़े जाने की योजना है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत को सहायता

1016. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है और विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिये उसका वितरण क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख दाताओं द्वारा कम अन्नदान दिये जाने के परिणाम स्वरूप राजकोषीय वर्ष 1982 के लिये उपलब्ध वचन प्राधिकार में कमी आने से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को उपलब्ध होने वाली सहायता की राशि में कमी होने की संभावना है। फिर भी, बैंक ने इस कमी के परिणामस्वरूप ऋण की राशियों के देशवार निर्धारण औपचारिक रूप में अभी अधिसूचित नहीं किये हैं, अतः राजकोषीय वर्ष 1982 में भारत को उपलब्ध होने वाली राशि की मात्रा निश्चित नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ राजकोषाय वर्ष 1982 के लिये अभी तक निम्नलिखित परियोजनाओं के करारों पर हस्ताक्षर किए गये हैं :

(करोड़ डालर)

परियोजना का नाम	ऋण की राशि
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम चरण-2	12.5
हाजिरा उर्वरक	40.0
कोरबा-2	40.0
कानपुर नगर विकास	2.5

सरकारी वित्तीय निकायों द्वारा देशीय बाजार से अतिरिक्त ऋण लिया जाना

1017. **श्री मोकू राम जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी वित्त निकायों द्वारा देशीय बाजार से अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अखिल भारतीय सावधि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं के संसाधनों की पुनः पूर्ति करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को वर्ष 1981-82 में कुल 175 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बाजार ऋण आवंटित किया गया था। यह रकम 1981-82 का वार्षिक बजट तैयार करते समय इन संस्थाओं को आवंटित 525 करोड़ रुपये की रकम के अतिरिक्त थी।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर काम्पलैक्स के विभिन्न डिविजनों का निर्माण कार्यक्रम

1018. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर काम्पलैक्स के विभिन्न डिविजनों के वर्तमान निर्माण कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) क्या किसी डिविजन में उपयुक्त क्षमता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर काम्पलैक्स में विभिन्न प्रकार के विमानों और हेलीकाप्टरों के निर्माण के अलावा विमानों के इंजन भी बन रहे हैं। निर्माण कार्यक्रम के ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) जी हां

(ग) उत्पादन क्षमता कम से कम खाली पड़ी रहे इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बासमती चावल का निर्यात

1019. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान भारत से कितने बासमती चावल का निर्यात किया गया और इसका निर्यात किन देशों को किया गया; और

(ख) निर्यात करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं और उन्होंने उक्त अवधि में कितनी मात्रा का निर्यात किया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : 1981-82 (अप्रैल 81 से दिसम्बर, 1981) के दौरान बासमती चावल के निर्यात इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1981-82 (अप्रैल, 81 से दिसम्बर, 81)	1,65,640.0*	93.99*

*अनन्तिम

सोवियत संघ प्रमुख आयातक देश है। कुवैत सऊदी अरब तथा दुबई जैसे देशों को भी कुछ निर्यात किए गए हैं।

(ख) : चूंकि बासमती चावल के निर्यात करने की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है, अतः पार्टीवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन

1020. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979, 1980 और 1981 वर्षों के दौरान कंट्रोल के कितने कपड़े का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ग) । जनवरी, 1980 से प्रमुख प्रमुख किस्मों में कितनी मूल्य वृद्धि की गई है ;

(घ) क्या इस मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आपत्ति की गई है ; और

(ड.) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : कैलेण्डर वर्षों 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान मिल क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन क्रमशः 354, 747, 476,230 तथा 349. 815 मिलियन वर्ग मीटर था। हथकरघा क्षेत्र की जनता वस्त्र योजना को कन्ट्रोल के कपड़े की कानूनी योजना के ढांचे के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष, 1981 (अप्रैल से नवम्बर) के 8 महीनों के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन 214.890 मिलियन मीटर था।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : मिल-निर्मित कन्ट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमत में 1974 में प्रचलित उपभोक्ता कीमतों की अपेक्षा भारित औसत वृद्धि 88 प्रतिशत है। धोतियों, साड़ियों तथा लट्ठे की

उपभोक्ता कीमत में भारित औसत वृद्धि क्रमश 65 प्रतिशत, 71 प्रतिशत तथा 110 प्रतिशत है। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित जनता कपड़े की कीमत में 1 जुलाई, 1981 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

(घ) : जी हां।

(ङ.) : निश्चित उपदान दरों तथा उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए कीमतें घटाना संभव नहीं है।

मौसम के सम्बन्ध में गलत भविष्यवाणी

1021. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1982 के दूरदर्शन के अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार बुलेटिनों में यह कहा गया था कि 28 जनवरी, 1982 को घनी धुन्ध होगी जो 11.00 बजे तक साफ हो जाएगी और यह बात गलत सिद्ध हुई ;

(ख) क्या भूतकाल में यह दावे किये गये हैं कि मौसम के बारे में ठीक भविष्यवाणी 48 घंटे पूर्व की जा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त भविष्यवाणी ठीक नहीं रही और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी दावे के अनुसार ठीक से की जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : 27 जनवरी, 1982 के दूरदर्शन के अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार बुलेटिनों में भविष्यवाणी की गयी थी कि संभवतया 28 जनवरी, 1982 को पुन: घनी धुन्ध होगी जिसकी 11.00 बजे तक साफ हो जाने की संभावना थी। भविष्यवाणी, जिसके दायरे में दिल्ली के इर्द गिर्द का 50 नॉटिकल मील का क्षेत्र आता है, सही साबित हुई, क्योंकि पालम और सफदरजंग विमान क्षेत्रों तथा दिल्ली के कई बाहरी क्षेत्रों ने धुन्ध की खबर दी। पालम विमान क्षेत्र ने भारी धुन्ध की सूचना दी जिसमें दृश्यता की सीमा 100 मीटर तक रह गयी बताई गई थी। धुन्ध प्रात: 10.25 बजे समाप्त हो गयी।

(ख) : स्थानीय भविष्यवाणियां अगले 24 घंटों के लिए होती हैं तथा सामान्यतया 80 से 90 प्रतिशत तक सही सिद्ध होती हैं। उससे आगे के 24 घंटों के लिए भी मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय प्रसारण के साथ जारी किये जाते हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

बन्द पड़े विनोद तथा विमल टैक्सटाइल मिल्स का अधिग्रहण का प्रस्ताव

1022. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन, मध्य प्रदेश की विनोद तथा विमल टैक्सटाइल मिल्स नामक दो कपड़ा मिलों को बन्द कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मिलों का अधिग्रहण किए जाने का केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया है ; और यदि हां, तो कब, और उनके अधिग्रहण के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : जी हां।

(ख) : मध्यप्रदेश सरकार से उनके पत्र दिनांक 16-1[illegible]-81 के उत्तर में यह बताने का अनुरोध किया गया था कि क्या वे अधिग्रहण में विद्यमान प्रबन्धकीय तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों को लेना चाहेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक दक्षिण बम्बई से सोने के बिस्कुटों की चोरी

1023. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 ग्राम प्रत्येक के भार वाले सोने के 75 बिस्कुट जिनका मूल्य 1.30 लाख रु० था, 30 दिसम्बर 1981 को दक्षिण बम्बई में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से चुरा लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि हट्टी गोल्ड माइंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से इसकी बम्बई मुख्य शाखा द्वारा रखे गए स्वर्ण भण्डार में से 10 ग्राम वजन वाले 75 टुकड़ों (कुल 750 ग्राम) की कमी का पता चला था। इस कमी का पता तब चला जबकि स्वर्ण से सम्बद्ध संयुक्त अभिरक्षक (ज्वाइंट कस्टोडियन) ने 2 जनवरी, 1982 को स्वर्ण भण्डार का सत्यापन किया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गयी थी और पुलिस अब तक 740 ग्राम स्वर्ण को बरामद करने में सफल रही है। पुलिस का जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

लेखा परीक्षकों के वेतनमान

1024. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में लेखा परीक्षकों के वेतनमान अगस्त, 1981 से मध्यस्थ निर्णय के

अधीन हैं और इसी प्रकार भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का वेतन ढांचे का निर्धारण भी नए सिरे से मध्यस्थ को निर्देशित है ; और

(ख) यदि हां, तो पंचाट निर्णय कब तक मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : लेखा-परीक्षकों (जिनका पदनाम 31 मार्च, 1973 तक उच्च श्रेणी लिपिक था) के वेतन-मानों में संशोधन करने के लिए भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) के कर्मचारी-पक्ष की मांग अगस्त, 1981 में पंच निर्णय के लिए भेजी गई थी ।

भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में वेतन के ढांचे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए कर्मचारी पक्ष की मांग को पंचनिर्णय के लिए भेजे जाने के संबंध में उनसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) : वह तारीख जिस तक अवार्ड के प्राप्त होने की संभावना की जा सकती है, इस स्थिति में नहीं बताई जा सकती ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारियों के लिये घोषित किया गया बोनस

1025. **श्री एस० ए० दोराई सबस्तियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पालिसी धारियों के लिये मार्च, 1981 को समाप्त हुई 2 वर्षीय मूल्यांकन अवधि के लिये बोनस की घोषणा दिसम्बर, 1981 से पूर्व कर दी थी, और यदि हां, तो बोनस की दर क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अविलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : हालांकि, सामान्य रूप से 31 मार्च, 1981 तक के भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमांकिक मूल्यांकनों को 1981 के अन्त तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ कुछ एक राज्यों में बिजली में कटौती किए जाने से आंकड़ों को मिलाने और उनको सारणीबद्ध करने पर प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से इस कार्य को पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ । जनवरी, 1982 में मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था ।

मूल्यांकन के आधार पर जीवन बीमा निगम ने बन्दोबस्ती बीमों की प्रत्येक एक हजार रुपए की बीमाकृत राशि पर प्रति वर्ष 28.00 रुपए बोनस देने और आजीवन बीमों के सम्बन्ध में प्रत्येक एक हजार रुपए की बीमाकृत राशि पर प्रतिवर्ष 35.00 रुपए देने की घोषणा की है ।

महाराष्ट्र बैंक में कर्मचारियों की भर्ती

1026. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र बैंक में वर्ष 1979 से 1980 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में वर्गवार ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी थी ; और

(ग) क्या उनकी संख्या में कोई कमी हुई है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : वर्ष 1976 से 1980 तक के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र में विभिन्न कॉडरों में भर्ती किये गये और नियुक्त किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में सूचना दी गयी है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या हर वर्ष अलग अलग होती है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मचारी	
	कुल अ० ज०/अ० ज० जा०		कुल अ० जा०/अ० ज० जा०		कुल अ० जा/अ० ज० जा०	
1976	101	15	491	228	110	37
1977	120	13	695	300	144	58
1978	172	65	1106	163	242	77
1979	76	13	592	229	193	86
1980	67	12	641	73	341	166

दिल्ली छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

1027. **श्री शिबू सोरन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी अधिनियम, की धारा 185 और छावनी अधिनियम 1924 की धारा 256 के अधीन ऐसे लोगो को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने अनाधिकृत निर्माण किए हैं और दिल्ली छावनी क्षेत्र में छावनी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनकों नोटिस जारी किए गए थे और इन नोटिसों के जारी करने की तारीख क्या हैं और धारा 185 के अधीन नोटिस का पालन न किये जाने पर कितने व्यक्तियों को धारा 256 के अधीन नोटिस जारी नहीं किए गए और क्या अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में मनमानी नीति का अनुसरण किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि एक समान नीति का पालन क्यों नहीं किया

जा रहा है और केवल व्यक्तियों को उनके निर्माण गिराये जाने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा है ।

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अनधिकृत निर्माण के बारे में 1981 में छावनी अधिनियम 19 की धारा 185 के अंतर्गत 18 मामलों में नोटिस जारी किए गए और इनमें से मामलों में उसी अधिनियम की धारा 256 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए । इस बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण ये दिए गए हैं ।

(ग) ऊपर देखने पर ऐसा लगता है कि शेष चार मामलों में अलग बर्ताव किया गया है। दो मामलों में छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 की धारा 256 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के बजाय जगह खाली कराने की कार्रवाई की गई तीसरे मामले में, जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था उसकी मृत्यु हो गई है । बोर्ड इस सम्बन्ध में अगली कार्रवाई पर विचार कर रहा है । चौथे मामले में बोर्ड के पास इस आशय का आवेदन-पत्र दिया गया था कि अनाधिकृत निर्माण की कार्रवाई प्रशमित कर दी जाए । आवेदक से कहा गया है कि सम्बन्धित सम्पति के मूल अलाटी की मार्फत इसके लिए आवेदन करे ।

विवरण

क्रम सं.	नाम और पता	धारा 185 के अन्तर्गत	धारा 256 के अंतर्गत
1	2	3	4
		जारी नोटिस	जारी नोटिस
1.	श्री प्रीतम सिंह गिल, 11-26 व 27 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू सी.-पो एस. जी. एस. बी.-80.81 दिनांक 25-3-81	डी. सी. बी.-4यू. सी.-पी.2 एस. बी.-80-81 दिनांक 27-1-82
2.	श्री किशन लाल के. 1-43 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी. के. एल. एस. बी. दि.18-7-81	डी. सी. बी.-4 यू.सी-एल. एस. बी., दि. 7-12-81
3.	श्री हरी चन्द 1-41, सदर बाजार	डी. सी. बी-4-यू. सी.-एच. सी. एस· बी. दि. 18-7-81	डी. सी. बी.-4 यू. सी.-एस. एस. बी., दि. 29-9-81
4.	श्री धर्मपाल, 1-50 सदर बाजार	डी. सी. बी-4-यू. सी.-डी. सी. एस. बी. दि. 18-7-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-डी· पी. एस. बी. दि. 15-9-81
5.	श्री गुरु दास सिंह 1-50 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-बी. एस. एस. बी., दि. 20-7-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-जी. एस. एस. बी. दि. 7-12-81

1	2	3	4
6.	श्री सूरत भान, 1-170, सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-एस. वी. एस. बी. दि. 20-7-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी-एस. वी. एस. बी. दि. 13-11-81
7.	श्री हरदयाल सिंह 1-176 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-एच. एस. एस. बी., दि. 27-7 81	जारी नहीं किया गया ।
8.	देशराज, 1-364, सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-डी. आर. एस. बी. दि. 27-7-81	डी. सी. बी.-4 यू. सी.-डी.आर. एस. बी. दि. 17-2-82
9	श्रीफकीर चन्द, स्टाल नं. 6, शास्त्री बाजार	डी. एस. बी.-4-यू. सी.-एफ. सी. एस. बी., दि. 20-7-81	जारी नहीं किया गया
10.	श्री विनोद कपूर, स्टाल नं. 9, शास्त्री बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी-वी. के. एस. एच. वी., दि. 20-7-81	जारी नहीं किया गया
11.	श्री लखी राम, 1-166 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी. एल. आर. एस. बी. दि. 27-7 81	डी. सी. बी.-4-यू. सी. एल. आर. एस. बी., दि. 24-9 81
12.	श्री गुरुदेव सिंह, 1-48, सदर बाजार	डी. सी. सी.-4-यू. सी.-जी एस. एस. बी. दि. 20-7-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी.- जी. एम. एस. बी. दि. 7-12-81
13.	श्री जसवन्त सिंह, 1-48 सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.- जे. एस. एस. बी., दि, 20-7 81	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-जे. एस. एस. बी. दि. 7-12-81
14.	श्री एस. एन. ऐरी, 11-5 :-9 और 9-ए, सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-एस. एन.ए. एस. बी., दि. 30-9-81	डी. सी. वी.-4-यू. सी. एस. एन. ए. -एस. बी., दि. 7.12-81
15.	श्री लक्ष्मन सिंह 1-52, सदर बाजार	डी. सी. वी.-4-यू. सी.-एल. एस. एस. बी., दि. 30-11-81	जारी नहीं किया गया
16.	श्री विनोद कुमार, 1-185-11, तांगा स्टैंड, सदर बाजार	डी. सी. बी.-4-यू.-सी.-विनोद एस. बी. दि. 5-12-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी. विनोद, एस. बी., दि. 17-2-81
17.	श्री विजय कटयाल सी. बी.-70-2,	डी. सी. बी.-4-यू. सी.-वी के. नारायणा, दि. 3-6-81	डी. सी. बी.-4-यू. सी. वी. के. नारायणा, दि. 18-12-81
18.	श्री चानन सिंह, नारायणा गांव	डी. सी. बी.-4-यू. सी-चानन सिंह	डी. सी. वी.-4-यू. सी.-चानन

1	2	3	4
16. एच. एस. पार्क	एच. एस. पार्क, दि. 25-8-81 (धारा 187 के अन्तर्गत नोटिस)	सिंह-एच-एस- पार्क, दि. 17-2-82	

राज्य एवं केन्द्र सरकार के पर्यटन विभागों के बीच समन्वय

1028. **श्री टी० आर० शमनता** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के पर्यटन विभागों के बीच कोई समुचित समन्वय नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को विशेष रूप से विदेशों पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं देने और पर्यटकों को उचित कीमत पर बेहतर सुविधायें देने के लिये कोई कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार और राज्य पर्यटन विभागों के बीच देश भर में पर्यटन का विकास और संवर्धन करने के लिए पर्याप्त समन्वय है।

(ख) जी हां। पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु जो कदम प्रस्तावित किए गए हैं उनमें विविध श्रेणियों का आवास, परिवहन, मनोरंजनात्मक और खेल कूद सुविधाएं, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, सूचना और गाइड सेवाएं, दृश्यावलोकन और सचालित कोच टूअर-सुविधाएं और पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक/मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की प्रकृति और विस्तार को देखते हुए उनकी लागत एक रेंज में होगी, जिनमें यूथ होस्टलों और कोच टूअर्स के लिए कम कीमतों वाले टैरिफ शामिल हैं।

जे. सी. बी कर्मचारियों की शिकायतें

1029. **श्री वेशवराव पारधी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोइंट साइफर ब्यूरो खेलकूद को आन सभी में कर्मचारियों ने जे. सी. बी. अधिकारियों को यह बताया था कि वे जे. सी. बी. वार्षिक दिवस में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि उनकी शिकायतों का निवारण नही किया जा रहा ;

(ख) क्या जे. सी. बह अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों पर जे. सी. बी. दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए अनुचित प्रभाव एवं बवाब का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती हैं कि वे समारोहों में सम्मिलित हों

जबकि भर्ती नियमों में उनके हित के संशोधन नहीं किए गए हैं और मामला पिछले 5-6 वर्षों से अधर में है ;

(घ) क्या भूतकाल में भी कर्मचारियों से अपेक्षा की गई थी कि वे लिखित परीक्षा में बैठे परन्तु उन्होंने सामूहिक रूप से इससे इन्कार कर दिया हालांकि परीक्षा की तिथियों को कार्यालय में उपस्थित थे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार परीक्षा की शर्त को हटाने और तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के विभागीय कोटे को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बीजांक ब्यूरो की व्यावसायिक अपेक्षाओं और विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों को ध्यान में रखते हुए 1980 में ब्यूरों के विभिन्न पदों के भरती नियमों में संशोधन किया गया । देखिए 9-10-1980 को सा. नि. आ. सं. 306 ।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कानपुर के अधीन कार्यालयों में काम करने वाले रिश्तेदार

1030. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के आदेश हैं कि मन्त्रालय के छोटे कार्यालयों में जिनमें कर्मचारियों की संख्या 6 अथवा 7 व्यक्ति हो एक साथ दो सगे सम्बन्धी काम नहीं कर सकते :

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, कानपुर के अधीन ऐसे कार्यालयों के नाम क्या है जिनमें दो अथवा अधिक सगे रिश्तेदार एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) उनको अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं और इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) प्रश्न के (क) भाग से यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें प्रयुक्त "सगे सम्बन्धी" अभिव्यक्ति में वस्तुत : कौन-कौन से सम्बन्धी आते हैं । सम्भवत: यहां सन्दर्भ "निकट रक्त संबंधियों" का है जैसे भाई, बहन, पिता और पुत्र तथा शायद पति और पत्नी । रिश्तेदारों के सम्बन्ध में सूचना रिकार्ड में तत्काल नहीं रखी जाती है । अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसे रिश्तेदार किसी ऐसे छोटे कार्यालय में है अथवा नहीं जिसमें 6-7 व्यक्ति कार्यरत हैं । फिर भी, ऐसे सरकारी कर्म

चारियों के लिए जिनका परस्पर रक्त सम्बन्ध हो, एक ही कार्यालय में काम करने के बारे में कोई पावन्दी नहीं है ।

सार्वजनिक उपक्रमों में कम उत्पादन

1031. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक उपक्रमों में उत्पादन अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके एककों की पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं । और

(ग) यदि ऐसे कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का ध्यान सरकारी उद्यमों में संस्थापित क्षमता की तुलना में ऊत्पादन कम रहने का हवाला देते हुए क्षमता के उपयोग के अति उच्च स्तर की ओर है । उद्यमों के कार्यनिष्पादन का हाल ही में जायजा लेने से यह पता चला है कि सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन के स्तर को सुधारने के लिए किये गए अनेक उपायों के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्यमों/एककों में क्षमता का काफी अधिक उपयोग हो रहा है ।

(ख) और (ग) सरकार सरकारी उद्यमों में कार्यचालन की लगातार समीक्षा करती है और उसने उनका कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये हैं :

(1) सरकार, सरकारी उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन, बिजली, आधारभूत कच्चे माल आदि जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके शीर्ष स्तरीय परिवक्षण करती है ।

(2) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के चुनीदा उद्यमों के कार्य-निष्पादन की जांच करने और उनके प्रचालन परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ।

(3) प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा प्रत्येक उद्यम के कार्य निष्पादन का तिमाही समीक्षा बठकों में आवधिक परिवीक्षण करना, ताकि वे जहाँ आवश्यक हो सुधारात्मक कार्यवाही कर सके ।

(4) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन में सुधार करना तथा शीर्षस्थ रिक्त पदों को ठीक समय पर भरना ।

(5) औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए मजूरी विवादों का शीघ्र निपटान करना ;

(6) संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ बिजलीघरों में आवश्यक अतिरिक्त पूंजी निवेश की मंजूरी देना, और

(7) सरकारी उद्यमों का कार्यचालन सुधारने, विशेषकर नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के एक सूत्र के अन्तर्गत कार्य कुशलता, क्षमता का उपयोग बढ़ाने और आंतरिक संसाधन जुटाने पर विशेष बल देते हुए 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित करना।

इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर

1032. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इण्डिया इन्वेस्टमेण्ट सेन्टर की उपयोगिता पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेण्टर द्वारा सहायित सकल मामलों के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इंडिया इंवेस्टमेंट सेण्टर के विदेश स्थित कार्यालयों की सहायता से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए विशिष्ट प्रस्तावों के आंकड़े क्या हैं

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय निवेश केन्द्र विदेशी सहयोग तथा प्रौद्योगिकी आदि के आयात के सिलसिले में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8664 तथा 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8721 के सम्बन्ध में दिए गए उत्तरों की ओर दिलाया जाता है।

(ख) तथा (ग) : केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा हर वर्ष सभा पटेल पर रख दिया जाता है। रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी जाती है कि केन्द्र के कार्यकलाप क्या है और उसके द्वारा कितने मामलों में सहायता दी गई है।

सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों तथा संस्थाओं में समयोपरि भत्ते की अदायगी

1033. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वित्तीय रूप से नियन्त्रित अथवा सहायित सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों तथा संस्थाओं में कर्मचारी काम के समय तो इधर उधर घूमते रहते हैं अथवा काम जमा करते रहते हैं और समयोपरि काम के लिए बैठने के लिए हेरा-फेरी करते हैं ;

(ख) क्या यह हमेशा सुनिश्चित किया जाता है कि समयोपरि काम के लिए रोके जाने वाले कर्मचारियों का अधीक्षण अधिकारी द्वारा हो; और

(ग) समयोपरि भत्ते की अदायगी को नियंत्रित/समाप्त करने और उसके स्थान पर

अधिक आदमियों को काम पर लगाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) सरकारी उद्यमों, बैंकों आदि में समयोपरि भत्ते की अदायगी उनके द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित की जाती है। जब कभी अपरिहार्य होने पर ही समयोपरि कार्य कराया जाता है। इसकी आवश्यकता अपर्याप्त कर्मचारियों अथवा कार्यालय के बीच काम का बंटवारा ठीक न होने के कारण नहीं; बल्कि कुछ अत्यावश्यक कार्य पूरे करने के लिए पड़ती है। सरकार ने सरकारी उद्यमों और बैंकों आदि को समयोपरि भत्ते की अदायगी में कमी करने के उपाय करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं। किन्तु, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और बैंकों के अधिकारियों को यह समयोपरि भत्ता नहीं मिल सकता है !

बम्बई हवाई अड्डे पर अनुमोदित टिकटों वाले यात्रियों को सीटें न दिया जाना

1031. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान आई है कि विशेषरूप से खाड़ी क्षेत्रों से आने वाले बम्बई/कोचीन यात्रियों को बम्बई हवाई अड्डे पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुमोदित टिकटों वाले यात्रियों को सीटें नहीं दी जाती और आकस्मिक यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुमोदित टिकटों वाले यात्रियों को उस समय भी इन्कार कर दिया जाता है जब विमान में उसकी पूरी क्षमता के अनुसार यात्री न हों ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बम्बई कोचीन उड़ान गड़बड़ी पैदा करने के लिए जानबूझ कर अधिकतर लेट कर दी जाती है ;

(ङ) त्रिवेन्द्रम-कोचीन उड़ान पिछले तीन महीनों में किन तारीखों को निर्धारित समय पर उड़ी और किन तारीखों को उसमें क्षमता के अनुसार पूरे यात्री नहीं थे ; और

(च) क्या इस मामले में कोई जाँच किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : बम्बई/कोचीन उड़ानों में कभी-कभी अत्यधिक भीड़ होती है और खाड़ी के देशों से आने वाले यात्रियों को सीट मिलने में परेशानी होती है।

(ख) (ग) और (घ) : जी, नहीं।

(ङ) और (च) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटेल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही मिलों का अधिकरण

1035. **श्री मूल चंद गया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन काम करने वाल मिलों को जनता कपड़ा बनाने के लिए कोई राज सहायता दी जाती है और यदि हाँ, तो कितनी ;

(ख) निगम के अधीन कामाकरने वाली मिलों द्वारा 1979, 1980 और 1981 क्रमश: के दौरान कितने कपड़े का उत्पादन किया और क्रमश: कितना कपड़ा बेचा ; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन काम करने वाली मिलों को औसत डेढ़ करोड़ रु० की हानि हो रही है और यदि हाँ, तो यह हानि कब से हो रही है और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलों द्वारा उत्पादित कंट्रोल कपड़े पर 1.5 रु० ये लेकर 2.00 रु० प्रति वर्ग मीटर तक की दर से राज सहायता दी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित और बेचे गए कपड़े का वर्ष-वार ब्योरा निम्नोक्त प्रकार है—

वर्ष	कपड़े का उत्पादन (मिलियन मीटर में)	कपड़े की बिक्री (मिलियन मीटर में)
1978-79	640	920
1979-80	843	893
1980-81	921	90

× इसमें फेन्ट्स, रैग्ज तथा चिंदी शामिल हैं।

(ग) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम 1979-80 को छोड़कर 1974-75 से 1.5 करोड़ रु० से अधिक का मासिक औसत घाटा उठा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक औसत घाटा लगभग 5.44 करोड़ रु० है।

चालू वर्ष के दौरान 5-तारा होटलों के निर्माण पर किया गया व्यय

1036 **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पांच तारा होटलों के निर्माण पर किए गए व्यय का ब्योरा क्या है और उनके पूरा होने के समय उनकी लागत का अनुमान क्या है ; और

(ख) क्या इन होटलों का निर्माण कार्य समयावधि के अनुरूप चल रहा है और इस वर्ष एशियाई खेल आरम्भ होने से पूर्व दूर कर लिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : 1982 के एशियाई खेलों के सम्बन्ध में 5-स्टार श्रेणी के लिए प्लान किए गए 10 होटलों का (जिनमें एक विस्तार योजना है) नई दिल्ली से निर्माण किया जा रहा है। इन होटल परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओ के एशियाई खेलों के समय तक पूरे हो जाने की आशा है जबकि कुछ परियोजनाओं की केवल आंशिक रूप से तैयार होने की संभावना है। निर्माण पूरा होने की तारीखों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाए गए शेडयूल के अनुसार निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है।

प्रत्येक होटल परियोजना के संबंध में अनुमानित लागत, 15.2.1982 तक किए गए खर्च की सूचना के अनुसार व्यय, प्लान किए गए कुल कमरों की संख्या और एशियाई खेलों से पहले जिन कमरों के तैयार हो जाने की संभावना है, उनकी संख्या निम्नलिखित है—

होटल का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	15.2.82 तक व्यय	कमरों की कुल संख्या	एशियाई खेलों तक पूरे होने वाले कमरों की संख्या
1. होटल सम्राट (आई०टी०डी०सी०)	18.00	7.0419	300	300
2. सरदार पटेल मार्ग (डी०डी०ए०/एन०डी० एम०सी०/ताज ग्रुप)	33.00	12.95	500	200
3. भीकाजी कामा प्लेस (एशियन होटल्स लि०)	33.68	14.41	588	300
4. सूर्य इन्टरनेशनल होटल (न्यू फ्रैन्डस कालोनी)	15.50	6.51	258	258
5. सिद्धार्थ इंटरकांटी नेन्टल होटल्स (आई०) लि० (वसन्त विहार)	9.90	4.4482	156	156
6. सटोर होटल (एच०सी० आई)	20.56	7.80	400	200

1	2	3	4	5	6
7.	मौर्य शेराटन (विस्तार)	6.40	2.35	122	122
8.	पार्क होटल (नार्दन एंटरप्राइसेज कार्पोरेशन प्राइवेट लि०)	17.17	7.97	231	100
9.	बाराखम्भा लेन मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड	36.00	4.50	500	150
10.	विन्डसर प्लेस (मैसर्स प्योरा ड्रिक्स नई दिल्ली) लि०	35.65	5.00	425	110

केंद्रीय सचिवालय तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के बीच आशुलिपिकों की पदोन्नति

1037. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के बीच आशुलिपिकों की पदोन्नति का अनुपात रखे जाने की क्या आवश्यकता थी, जब कि ये दोनों सेवाएं पृथक हैं और इसके अलावा अनुभाग अधिकारी की विभागीय परीक्षा को जिसमें गृह मंत्रालय के दिनांक 12 नवम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के आशुलिपिक बैठते हैं, के जरिए पदोन्नति के अनुपात पर ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में मौजूद व्यवस्था के आधार पर सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों के लिए चयन ग्रेड शुरू किए जाने के बावजूद वहां पर अभी भी अवरोध विद्यमान है, जो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप पैदा हुआ था ;

(ग) जब कि गृह मंत्रालय के अन्य कार्यालय ज्ञापनों को सशस्त्र सेना मुख्यालय में लागू नहीं किया गया था तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये चयन ग्रेड सम्बन्धी कार्यालय ज्ञापन को इस पर क्यों लागू किया गया है ; और

(घ) क्या इन दोषों को दूर किया जायेगा ; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड

"ग" ग्रेड से "ख" मेंकुछ पदों का दर्जा बढ़ते समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों की पदोन्नति के भावी अवसरों को ध्यान में रखा गया था और ऊपर से लेकर नीचे तक के ग्रेडों के पदों के अनुपात में एक रूपता लाई गई थी ।

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड "ग" में चयन ग्रेड की मंजूरी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के आधार पर दी गई है । तथापि इस ग्रेड में स्थिरता अभी भी बनी हुई है ।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा सेवा सम्बन्धी मामलों में जारी किए गये सरकारी आदेशों को जो केन्द्रीय कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन के सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों से प्राप्त धनराशि

1038. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों के दौरान विदेशों से कितनी धन राशि प्राप्त हुई; और

(ख) पिछले पांच सालों के दौरान खाड़ी के देशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) : पिछले पांच वर्षों के निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के तुरत और अनन्तिम अनुमान इस प्रकार है—

वर्ष	करोड़ रुपए
1977	1908.33
1978	2,18.75
1979	2775.28
1980	4467.28
1981	4621.76

उपर्युक्त आंकड़े 'आवक प्रेषणाओं' से संबद्ध प्राप्तियों के चार शीर्षा, अर्थात् (1) परिवार भरण-पोषण, (2) अनिवासी बचतों, (3) प्रवासी अन्तरणों और मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा नौवहन, बीमा, लाभांश तथा पर्यटन आदि जैसी सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं ।

(ख) चूंकि चालू विनियमनों के अनुसार प्राधिकृत डीलर्स को 10,000 रुपए या उससे

कम राशि की प्रेषणाओं के ब्यौरों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रेषणाओं के बारे में देश-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजा गया लाभ

1039. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो सालों के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने लाभ की कितनी धनराशि विदेशों को भेजी ;

(ख) क्या इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्री : (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) : गत दो वर्षों में विदेशी शाखाओं द्वारा प्रेषित लाभ तथा विदेशी कंपनियों द्वारा प्रेषित लाभांश का एक विवरण संलग्न है !

(ख) और (ग) : जी नहीं। समस्त अनुमोदित विदेशी निवेशों के प्रति सरकार अविभेद पूर्ण व्यवहार नीति अपनाती है।

विवरण

विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रेषित राशियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लाभ	लाभांश
1977-78	10.13	68.01
1978-79	10.24	54.35

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लिए गए विदेशी परियोजनाओं के ठेके

1040. **श्री वीरभद्र सिंह** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को विदेशी परियोजनाओं के पिछले तीन सालों में अलग-अलग कितने ठेके मिले; और

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान इन कम्पनियों को विदेशों में अपने कार्य में कुल कितना घाटा या लाभ हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम ही ऐसी एक सार्वजनिक क्षेत्रीय कम्पनी है जो विदेशी परियोजना संविदाएं प्रदान करने में कार्यरत हैं और 1978-79 में 0.09 करोड रु० की

1 संविदा, 1979-80 में 29.04 करोड़ रु० की 3 संविदाएं तथा 1980-91 में 57.90 करोड़ रु० की 3 संविदाएं प्राप्त की है ।

(ख) : भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम ने तीन पूरी हुई परियोजनाओं पर 1 लाख 92 हजार रु० अर्जित किए हैं । जहां तक शेष संविदाओं का सबंध है लाभ का हिसाब परियोजना पूरी होने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मंजूर किये गये ऋण

1041. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों को ऋण की कितनी धनराशि मंजुर की ;

(ख) : क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को दिये गये ऋण की किस्तें नियमित रूप से मिल रही हैं ;

(ग) : यदि नहीं, तो बैंक-वार अनियमित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(घ) : इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि जून 1979 में 169 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर 1980 तक बढ़कर 339 करोड़ रुपये हो गई । इसके बाद की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ख) से (घ) : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों की वसूली के बारे में सूचना केवल विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में इकट्ठी की जाती है । दिसंबर 1980 में समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत इन ऋणकर्ताओं द्वारा अतिदेय रकम 17.10 करोड़ रुपये थी जो कुल मांग के 68.63 प्रतिशत बैठती है । जिन खातों से यह अतिदेय रकमें संबंधित हैं उनकी सूचना आंकड़े सूचित करने की प्रणाली में नहीं दी जाती ।

बैंकों द्वारा अर्थक्षम योजनाएं तैयार करके, सुविकसित किस्म का मूल्यांकन करके तथा ऋण का समुचित उपयोग करने के मामले में ऋणकर्त्ताओं को सलाह तथा मार्गदर्शन प्रदान करके रकमों की वापसी की गति में सुधार करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण वाली मिलें

1042. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण में कुछ मिलें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या है और वे कहां स्थित हैं; और

(ग) कितनी मिलें लाभ पर और कितनी घाटे पर चल रही हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वामित्व में 103 वस्त्र मिले हैं। इसके अलावा निगम उन 9 अन्य मिलों का प्रबन्ध भी कर रहा है जो सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई हैं। इन मिलों के नाम और स्थापना स्थल दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) : अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के लिए अनन्तिम कार्यसंचालन परिणामों के अनुसार निगम के अधीन उत्पादन कर रही 109 मिलों में से 20 मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं।

विवरण

मिलों के नाम तथा उनका स्थापना स्थल

राष्ट्रीयकृत मिलें

राष्ट्रीय मिलें

1. आजम जही मिल्स, लक्ष्मीपुर, वारंगल।
2. अनन्तपुर काटन मिल्स, येरागुन्टापल्ली (डाक घर टाडापत्री),
3. नटराज स्पि० तथा वी० वि० मिल्स, निर्मल।
4. नेथा स्पि० मिल्स, इल्चीगुडा, सिकन्दराबाद।
5. तिरुपति काटन मिल्स, रेनी गुन्टा।
6. अदोनी काटन मिल्स, अदोनी।

कर्नाटक

7. महबूब शाही गुलबर्ग मिल्स, गुलबर्ग।
8. मिर्नवा मिल्स, बंगलौर
9. मैसूर स्पि० तथा मैन्यू०मिल्स, बंगलौर।
10. श्री यालाम्मा काटन, वूलन तथा सिल्क मिल्स, देवनगिरी।

केरल

11. पार्वती मिल्स, क्वीलिन।

12. अलागप्पा टैक्सटाइल (कोचीन) मिल्स, अलागप्पा नगर ।

13. कण्णूर स्पि० तथा वी० वि० मिल्स, कण्णूर ।

14. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर ।

15. विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम ।

माहे

16. कण्णूर स्पि० तथा वी वि० मिल्स, पांडेचरी ।

दिल्ली

17. अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली ।

पंजाब

18. दयालबाग स्पि० तथा वी वि० मिल्स, अमृतसर ।

19. सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलोट ।

20. पानीपत वूलन मिल्स, खरर ।

21. खरर टैक्सटाइल मिल्स, खरर ।

राजस्थान

22. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर ।

23. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर ।

24. श्री विजय काटन मिल्स, बिजयनगर ।

गुजरात

25. अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

26. हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

27. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

28. न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

29. पेटलद टैक्सटाइल मिल्स, पेटलद ।

30. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद (इकाई नं० 1

31. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, इकाई नं०2, अहमदाबाद

32. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

33. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट ।

34. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर ।

35. विरांगम टैक्सटाइल मिल्स, विरांगम ।

36. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद ।

मध्यप्रदेश

37. इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इंदौर ।

38. कल्याणमत मिल्स, इंदौर ।

39. स्वदेशी काटन तथा फ्लौर मिल्स, इंदौर ।

40. हीरा मिल्स, उज्जैन ।

41. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल ।

42. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनदगाँव ।

43. बुरहानपुर तप्ती मिल्स, बुरहानपुर ।

उत्तरी महाराष्ट्र

44. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं०1, बम्बई ।

45. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं०2, बम्बई ।

46. इंडिया यूनाइटेड मिल्स, नं०3, बम्बई ।

47. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं०4, बम्बई ।

48. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं०5, बम्बई ।

49. इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स, बम्बई ।

50. माडल मिल्स नागपुर, नागपुर ।

51. आर०एस०आर० गोपालदास मेहता स्पि० वी वि० मिल्स, अकोला ।

52. विदर्भा मिल्स (बेरर), आचलपुर ।

53. आर०बी०बी०ए० स्पि० तथा वीवि० मिल्स, हिंगनघाट ।

54. सावातराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला ।

दक्षिणी महाराष्ट्र

55. मुंबई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई।

56. ओरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, ओरंगाबाद।

57. नंदेड टैक्सटाइल मिल्स, नंदेड।

58. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई।

59. बर्सी टैक्सटाइल मिल्स बर्सी।

60. चालीस गांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव।

61. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स बम्बई।

62. जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई।

63. दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई।

64. धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले।

65. भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई।

तमिलनाडु

66. ओम परासक्ति मिल्स, कोयंबटूर।

67. कम्बोडिया मिल्स, कोयंबटूर।

68. किशनावेनी टैक्सटाइल मिल्स, कोयंबटूर।

69. श्री रंगविलास ग्रां०, स्पि० तथा वी वि० मिल्स, कोयंबटूर।

70. कोयंबटूर मूरूगन मिल्स, कोयंबटूर।

71. कोयंबटूर स्पि० तथा वी वि० मिल्स, कोयंबटूर।

72. बलरामवर्मा टैक्सटाइल्स, शेनकोटा।

73. सोमासुन्द्रम मिल्स, कोयम्बटूर।

74. श्री सारदा मिल्स, कोयंबटूर।

75. काली स्वरर मिल्स, 'ए' इकाई, कोयंबटूर।

76. पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर।

77. पाएनीर स्पिनर्स, कमुदकुडी।

78. काली स्वरर मिल्स, "बी" इकाई, कालायाकायल ।

79. श्री कोथान्द्रम स्पि० मिल्स, मदुराई ।

मदुराई

80. श्री भारती मिल्स, पांडेचेरी ।

उत्तर प्रदेश

81. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर ।

82. म्यूर मिल्स, कानपुर ।

83. लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर ।

84. श्री विक्रम कॉटन मिल्स, लखनऊ ।

85. बिजली काटन मिल्स, हाथरस ।

पश्चिम बंगाल

86. आरती काटन मिल्स, हावड़ा ।

87. बंगाल फाइन स्पि० तथा वी वि० मिल्स, नं० 1, कोननगर ।

88. बंगाल फाइन स्पि० तथा वी वि० मिल्स, नं० 2, कटिगंज ।

89. सेन्ट्रल कॉटन मिल्स, हावड़ा ।

90. रामपूरिया कॉटन मिल्स, सेरामपुर ।

91. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर ।

92. ज्योती वी वि० फैक्टरी, कलकत्ता ।

93. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिश्रा ।

94. श्री महालक्ष्मी मिल्स, पाल्ता ।

95. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, कोसिमबाजार ।

96. मनिन्द्रा मिल्स, कासिमबाजार ।

97. कनोरिया इंडस्ट्रीज, कोननगर ।

98. बंगसरी काटन मिल्स, सोडीपुर ।

99. सोडीपुर काटन मिल्स, सोडीपुर ।

असम

100. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज (असम), चन्द्रापुर।

बिहार

101. बिहार कापरेटिव वी वि० तथा स्पि० मिल्स, मोकामेह।

102. गया काटन तथा जूट मिल्स, गया।

उड़ीसा

103. उड़ीसा काटन मिल्स, कटक।

प्रबन्धित मिलें

104. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर।

105. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।

106. स्वदेशी काटन मिल्स, पांडेचेरी।

107. स्वदेशी काटन मिल्स, नयनी, इलाहाबाद।

108. स्वदेशी काटन मिल्स, माऊनाथ भंजन।

109. रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, राय बरेली।

110. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर।

111. अथरटन वेस्ट, कानपुर।

112. मोहिनी मिल्स, कलकत्ता।

माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा माइक्रोनाइज्ड अभ्रक एककों को स्थापित करना

1043. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ने पिछले तीन सालों के दौरान कोई माक्रोनाइज्ड माइका एककों और वेट ग्राइन्ड माइका एककों की स्थापना की है या करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयत्र को कहां स्थापित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : छठी पंचवर्षीय योजना-वधि के दौरान अभ्रक व्यापार निगम द्वारा इन एककों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) : दोनों एएकों का प्रस्तावित स्थापना स्थल बिहार राज्य में कोदरमा के निकट अभ्रक नगर में है।

रक्षा लेखा सेवा विभाग के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, स्थानान्तरणों और नियुक्तियों में खर्च

1044. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा सेवा विभाग में पिछले तीन सालों के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और स्थानान्तरणों और नियुक्तियों में कुल कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या रक्षा लेखा विभाग में आई० डी० ए० एस० अधिकारियों को छोड़कर सभी श्रेणियों की नियुक्ति वैज्ञानिक ढंग से राज्यवार और कमान्डवार करके इस प्रकार के भारी व्यय को कम करना संभव नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	1978-79	1979-80 (लाख रुपयों में)	1980-81
यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	33.22	28.80	38.46
स्थानान्तरण/नियुक्तियां	13.78	14.40	12.88
जोड़=	47.00	43.20	51.34

(क) और (ग) : रक्षा लेखा विभाग के संगठन में रक्षा सेवाओं और आयुध कारखानों के संगठनात्मक ढांचे का अनुसरण किया जाता है । अखिल भारतीय स्वरूप के विभाग में प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानांतरण अपरिहार्य हैं । फिर भी, सरकार द्वारा जारी किये गये, व्यय में मितव्ययिता के आदेशों को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण कम से कम किये जाते हैं ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1045. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

श्री जो० वाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान कृषि उत्पादों का अनुमानित निर्यात कितना होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : 1980-81 के दौरान प्रमुख कृषि मदों जैसे तम्बाकू, काजू, मसाले (छोटी इलायची को छोड़कर), खली, एच० पी० एस० मूंगफली, कैस्टर आयल, साधित खाद्य पदार्थ, चमड़ा चावल, चीनी (चाय/काफी और कपास जैसे बागान को छोड़कर) के अनुमानित निर्यात अनन्तिम तौर पर लगभग 1054 करोड़ रु० के हुए ।

गरीबों के लिए बैंकों से ऋण

1046 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को गरीबों के लिए बैंकों ऋणों में और वृद्धि करने के निर्देश दिये हैं ;

(ख) : यदि हां, तो क्या उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिए और अधिक ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ग) : क्या उन्होंने गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज्य सरकारों और बैंकों के बीच और गहरे संबंध बनाने का सुझाव दिया है ;

(घ) : क्या इस बारे में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किया गया है ; और

(ङ.) : यदि हां, तो क्या बैंकों ने मंत्रालय के निर्देश में शामिल सुझावों को लागू करने का आश्वासन दे दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ.) : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों से कहा गया है कि वे 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अपने ऋणों को अपने कुल ऋणों के 33-1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का कम से कम 40 प्रतिशत, अर्थात् कुल ऋणों का 16 प्रतिशत कृषि और सबद्ध गतिविधियों को मिलने लगना चाहिए। दो प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों के भीतर कमजोर वर्गों की अवधारणा शामिल कर ली गई है और उनके लिए समुचित उप-लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, कुल प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का 50 प्रतिशत भाग बैंकों द्वारा 1983 तक कृषि के कमजोर वर्गों को मिलने लगना चाहिए। 1985 तक छोटे पैमाने के उद्योगों को मिलने वाले कुल बैंक ऋण का 12.5 प्रतिशत छोटे पैमाने के उद्योगों के कमजोर वर्ग को मिलने लगना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम के अधीन लाभ पाने वालों के लिये बैंक सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक कार्यवाही करें। क्षेत्र स्तर पर बैंकों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बीच कुशल समन्वय की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य समूहों को ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण नियोजन प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ किया है जिसे बैंक कार्यान्वित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अधीन छठी आयोजना के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक ब्लाक में निर्धनतम माने गए 600 परिवारों को सहायता दी जाएगी। छठी आयोजना अवधि के दौरान प्रत्येक ब्लाक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करेगा जिसे केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। छठी आयोजना अवधि के दौरान सभी ब्लाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए

की व्यवस्था की गई है। वर्धमान आयोजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के वास्ते 3000 करोड़ रुपये के संस्थागत वित्त की आवश्यकता होगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विभेदी ब्याज दर योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपने ऋण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में ऋण प्रवाह की समीक्षा करने और लक्ष्य समूहों के प्रति बैंक ऋण की दिशा और मात्रा में सुधार करने के वास्ते आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए 21.11.1981 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और मुख्य सचिवों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। इस बीच, इस कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गों को ऋण की गति बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अनुदेशों से, कमजोर वर्गों की ऋण सुविधाओं में समुचित विस्तार सुनिश्चित होने की संभावना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 15.2.1982 को हुई सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यपालकों की सबसे हाल की बैठक में बैंकों में इस बात पर सहमति हुई कि वे प्रधान मंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन लाभ पाने वाले कमजोर वर्गों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे।

बन्द सूती कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध

1047. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मजदूरों की समस्या के कारण बन्द पड़ी सूती कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिए पहल करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सितम्बर, 1981 के अन्त में 22 सूती कपड़ा मिलें, 14 कताई मिलें और 8 कम्पोजिट मिलें बन्द पड़ी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ मिलें मजदूरों में अशांति के कारण बन्द पड़ी थी अन्य मिलें समक्ष न होने (नान-वायबिल्टी) और वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द पड़ी थी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने बन्द पड़ी या बेकार पड़ी सूती कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के बारे में कार्यवाही की है और केन्द्र सरकार के विचार में सभी कपड़ा मिलें सामान्य ढंग से कब कार्य करना शुरू कर देगी ?

वाविज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) : राज्य सरकारों से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया हैं।

(ख) : जी हां।

(ग) : जी हां ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

कर सहायकों को विशेष वेतन

1048. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद की उप-समिति ने आयकर विभाग की आन्तरिक/विशेष लेखा परीक्षा दलों में काम कर रहे कर-सहायकों को विशेष वेतन देने के बारे में अपनी रिपोर्ट भेज दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : विभागीय परिषद की समिति ने, जुलाई, 1980 में कर्मचारी पक्ष से कुछ जानकारी मांगी थी । कर्मचारी पक्ष ने उक्त जानकारी अगस्त, 1981 में प्रस्तुत कर दी । तब से मामले पर व्यय विभाग की सलाह को ध्यान में रखते हुए कोई राय कायम कर लेने के बाद यह मामला पुनः समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(ग) : इस अवस्था पर यह कह पाना संभव नहीं है कि उप-समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर सकेगी ।

नागपुर में रिजर्व बैंक के भवन का निर्माण किया जाना

1049. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : नागपुर में पिछले छः महीनों के दौरान रिजर्व बैंक के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) : यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन विभागों के नाम क्या हैं जिन्हें बम्बई से नागपुर स्थनांतरण किये जाने का प्रस्ताव हैं ; और

(घ) : इन विभागों के विशेष कार्य क्या हैं ; प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी हैं और इनमें से प्रत्येक को स्थानांतरित करने के विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भवन निर्माता (आर्किटैक्ट) द्वारा भवन के निर्माण के लिए तैयार की गयी

प्रारम्भिक योजनाएं बैंक द्वारा नगर निगम को भेज दी गयी हैं। मंजूरी और ब्यौरे-वार मंजूरी मिलने तक इमारती तथा वास्तुशिल्पीय नक्शों के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : जब भवन बनकर कब्जे के लिए तैयार हो जाएगा तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, नये भवन में स्थानांतरित किये जाने वाले विभागों के बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा। स्थानांतरण के मुख्य कारण है : परिचालनात्मक सुविधा तथा बम्बई में जगह की कमी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार में ली गई जूट मिलें

1050. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जूट मिलों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1980 केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इनमें से प्रत्येक मिल पर अधिकार में लेने के बाद कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई धनराशि मिल-मालिकों को भुगतान की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार ने 1980 के दौरान किसी पटसन मिल को नियन्त्रण में नहीं लिया। तथापि, सरकार ने 1980 में निम्नलिखत छः पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया :

(1) नेशनल जूट कम्पनी लिमिटेड।

(2) अलैक्जेन्डर जूट मिल्स लिमिटेड।

(3) खरदाह कम्पनी लिमिटेड।

(4) किन्नीसन जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड।

(5) आर० वी० एच० एन० जूट मिल्स प्रा० लि०।

(6) यूनियन जूट कम्पनी लि०।

(ख) सरकार ने अब तक पुनरुद्धार की योजना के अन्तर्गत आधुनिकरण तथा नवीकरण के लिए ऋणों के रूप में निम्नलिखित धनराशि की रिलीज मंजूरी की :

(लाख रू० में)

(1) नेशनल	—	48.00

)लाख रुपयों में)

(2) अलैक्जैण्डर	—	19.60
(3) खदराह	—	33.35
(4) किन्नीसन	—	6.98
(5) यूनियन	—	29.52

आर० वी० एच० एम० की बहुत पुरानी मशीनरी को देखते हुए आर० वी० एच० एम० की धनराशियों की रिलीजों के बारे में अलग से विचार किया जा रहा है ।

इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने निम्नलिखित अनुसार अन्तराल ऋण मंजूर किये हैं :—

(लाख रू० में)

(1) नेशनल	—	150.00
(2) अलैक्जेण्डर	—	78.55
(3) खरदाह	—	77.03
(4) किन्नीसन	—	154.25
(2) आर० वी० एच० एम०	—	136.40
(6) यूनियन	—	175.36

(ग) सरकार ने मिल मालिकों को किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया है ।

दिल्ली के होटलों और क्लबों में शराब की बिक्री

1051. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्लबों और होटलों को शराब की बिक्री करने की मंजूरी दे दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : जी नहीं। दिल्ली में केवल स्टार श्रेणी के 26 होटलों को ही जो पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में हैं, शराब परोसने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

यह भी निश्चिय किया गया है कि 1-1-82 से उन्हीं 14 क्लबों के लाइसेंस का नवीकरण किया जाए जिनके लाइसेंस 1-4-78 तक नवीकृत नहीं हुए थे । तथापि इन क्लबों में से अभी तक केवल 11 क्लबों ने ही अपने लाइसेंस अनुमोदित करवाए हैं ।

हिमाचल प्रदेश में बिना बैंक वाले केन्द्र

1052. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिना बैंक वाले केन्द्रों के नाम क्या हैं जहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1981-82 और 1982-83 में राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं खोलने की सिफारिश की है ;

(ख) जिलेवार उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनके लिए शाखाएं मंजूर की गयी हैं तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें ये शाखाएं आवंटित की गयी हैं ; और

(ग) बाकी शाखाओं को किस तिथि तक मंजूरी दी जायेगी और लाइसेंस जारी किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति जनवरी, 1979 से मार्च, 1982 तक की अवधि के लिए है। इस नीति के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बैंक कार्यालयों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 50 केन्द्रों की सिफारिश की थी। नवम्बर, 1980 में राज्य सरकार ने बैंक कार्यालय खोलने के लिए रिजर्व बैंक के पास 29 केन्द्रों की एक और सूची भेजी इस बारे में संबन्धित सूचना क्रमशः विवरण,1 और ।1 में दी गयी है। लाइसेंसिंग नीति अवधि 1982-85 के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

विवरण-1

शाखा खोलने के लिए दिसम्बर, 197) में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश किये गए केन्द्रों की सूची

जिला	केन्द्र का नाम	आवंटिती बैंक	टिप्पणी
चम्बा	1. छतरारी	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस विचाराधीन
	2. गेहरा	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोला गया
	3. बैरागढ़	—	आधारभूत सुविधाओं की कमी
	4. किहार	—	तदेव
मंडी	5. कोटलु	—	तदेव
	6. भराड़	—	तदेव
	7. जयदेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला	कार्यालय खोला गया

1	2	3	4
	8. बलिचोकी	हिमाचल ग्रामीण बैंक	लाईसेंस विधाराधीन
	9. भम्वलार	-तदेव-	-तदेव-
सोलन	10. जवनाजी	भारतीय स्टेट बैंक	कार्यालय खोला गया
	11. दरलाघाज	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	12. पट्टा मेहलोग	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	-तदेव
	13. रामशहर	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	14. बलेरा	पंजाब नेशनल बैंक	लाइसेंस विचाराधीन
किन्नौर	15. कल्पा	-तदेव	कार्यालय खोला गया
	16. संगला	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	17. संगरा	भारतीय स्टेट बैंक	-तदेव
लाहौल और सिप्ति			
	18. जलमा	यूनाईटेड कमर्शिलय बैंक	-तदेव
	19. सुंधु	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस विचाराधीन
हमीरपुर	20. रंगास	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोला गया
	21. अवाहादेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला	-तदेव
	22. लडरौरी	पंजाव नेशनल बैंक	-तदेव
कुलु	23. गडसा	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-तदेव
	24. फोजल	पंजाब नेशनल बैंक	-तदेव
	25. सैंज	भारतीय स्टेट बैंक	लाइसेंस विचाराधीन
	26. दलास	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-तदेव
शिमला	27. द्राल	स्टेट बैंक आफ पटियाला	लासेंसस विचाराधीन
	28. सैंज	पंजाब नेशनल बैंक	कार्यालय खोला गया
	29. नेरना	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोला गया
	30. खदराला	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	-तदेव

1	2	3	4
	31. मंढोल	भारतीय स्टेट बैंक	-तदेव
कांगड़ा	32. घीरा	हिमाचल ग्रामीण बैंक	लाइसेंस विचाराधीन
	33. चढियार	-तदेव	-तदेव
	34. खुंडिया	यूनाइटेट कमर्शियल बैंक	-तदेव
	35. सुलहा	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-तदेव
	36. अलनपुर	-तदेव	कार्यालय खोला गया
	37. भदवार	-तदेव	-तदेव
ऊना	38. चडी	-तदेव	लाइसेंस विचाराधीन
	39 हरोली	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	कार्यालय खोला गया
	40. नेहरियन	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	41. लत्यान	-तदेव	-तदेव
	42. चौकी मनयार	पंजाब नेशनल बैंक	-तदेव
बिलासपुर	43. नामहोल	भारतीय स्टेट बैंक	-तदेव
	44. कुढेरा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	45. हटयार	पंजाब नेशनल बैंक	-तदेव
सिरमुर	46. नारी	भारतीय स्टेट बैंक	-तदेव
	47. नवरंग	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	-तदेव
	48. रोनहाट	स्टेट बैंक आफ पटियाला	लाइसेंस विचाराधीन
	49. कौलावाला हुड	पंजाब नेशनल बैंक	-तदेव
	50. धौला कुंआ रामपुर	भारतीय स्टेट बैंक	कार्यालय खोला गया

विवरण-2

शाखा खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश किये गए केन्द्रों की सूची का ब्यौरा।

जिला	केन्द्र का नाम	आवंटिती बैंक	टिप्पणी
ऊना	1. खरवैन	पंजाब नेशनल बैंक	आवंटन विचाराधीन

1	2	3	4
	2. सुहारी तकोली	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोला गया आवंटन विचाराधीन
बिलासपुर	3. गेहरविक	—तदेव	शाखा खोलने के बारे में विचार करने के लिए लीड बैंक से अनुरोध किया गया है।
	4. कलोल	—तदेव	
चंडी	5. पिंगला	—	वैकल्पिक केन्द्र के बारे में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
	6. जमनी	—	—तदेव
	7. धाजवान	—	—तदेव
	8. बागसैद	—	—तदेव
चम्बा	9. होली		शाखा खोलने के बारे में विचार करने के लिए लीड बैंक से अनुरोध किया गया है।
शिमला	10. मंडल	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	आवंटन विचाराधीन
	11. पंड्रान	—	शाखा खोलने के बारे में विचार करने के लिए लीड बैंक से अनुरोध किया गया है।
	12. धनहट्टी	पंजाब नेशनल बैंक	आवंटन विचाराधीन
	13. खोलीधर	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव
	14. रुहरु	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	बैंक पहले ही कार्यरत है
सिरमुर	15. थमला	—	शाखा खोलने के बारे विचार करने के लिए लीड बैंक से अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4
सोलन	16. कुठार	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	आवंटन विचाराधीन
	17. डोमेहर	स्टेट बैंक आफ़ पटियाला	—तदेव
	18. साधुपुल	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	—तदेव
हमीरपुर	19. भुमपाल	पंजाब नेशनल बैंक	आवंटन विचाराधीन
	20. कंगु	भारतीय स्टेट बैंक	—तदेव
	21. गेलर	पंजाब नेशनल बैंक	—तदेव
किन्नौर	22. टपरी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	कार्यालय खोला गया
कुलू	23. शवार	हिमाचल ग्रामीण बैंक	आवंटन विचाराधीन
कांगडा	24. बाडोह	तदेव	—तदेव
	25. मंगवाल	—	वैकल्पिक केन्द्र के बारे सुझाव देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है
	26. गुलेर	—	—तदेव
	27. चौमुख	—	—तदेव
	28. टिहरी	—	—तदेव
	29. दादासिवा	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक पहले ही कार्यरत है

भूतपूर्व सैनिकों के कर्मी दलों की स्थापना करना

1053. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के चुने गए क्षेत्रों से पर्यावरण विकास संयंत्र चलाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के 2 कर्मी दलों की स्थापना करने पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मी दलों की कार्य पद्धति सहित उन दो स्थानों के नाम क्या हैं ; और कर्मी दल किस तिथि से कार्य आरम्भ करेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के कार्यक्रमों को चलाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के एक टास्क-फोर्स कृत्रिक दल गठित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के

कृत्रिक दल की स्थापना करने के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया है वे लाहोल स्पिती, चम्बा कांगडा और ऊना जिले हैं ।

इन कृतिक दलों के कार्यरूप पर विचार किया जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारत के भाग लेने के परिणाम स्वरूप व्यापार संबंधी पूछताछ

1054. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, के नाम क्या हैं जिनमें पिछले दो सालों के दौरान भारत ने भाग लिया ;

(ख) इन मेलों/प्रदर्शनियों, से उत्पन्न व्यापार सम्बन्धी पूछताछ का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मेलों/ प्रदर्शनियों के दौरान कुल सौदों को कितने अन्तिमरूप दिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) इन मेलों में होने वाली पूछताछ में इन्जीनियरी उत्पाद, वस्त्र, रासायदिक पदार्थ तथा मेगजीय पदार्थ, प्लास्टिक, खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, हस्तशिल्प की वस्तुएं, खेल का सामान चमड़ा उत्पाद जैसे अनेक उत्पाद शामिल हैं ।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में जिन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया गया/आयोजित की गई पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनमें तय किये गये व्यापार के ब्यौरे दिये गये हैं ।

क्रमांक	मेले का नाम	तय किया गया व्यापार (लाख रू० में)
	1980-81	
	1. मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) अप्रैल 80	52.36

2. भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, दुबई (यू.ए.ई.) मई 1980	696.20
3. बार्सिलोना अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बार्सिलोना (स्पेन) जून, 80	10.50
4. पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैंड) जून 80	23.00
5. दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया) अगस्त 80	200.00
6. पलाद्विव अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पलाद्विव (बल्गारिया) सितम्बर, 80	289.37
7. जेगरेब अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जेगरेब(यूगोस्लाविया) सितम्बर 80	336.00
8. बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक) अक्तूबर 80	ईरान-इराक संघर्ष के कारण मेला रद्द किया गया
9. सन्तियागी अन्तर्राष्ट्रीय मेला, सन्तियागी (चिली) अक्तूबर/नवम्बर 80	15.90
10. भारतीय प्रदर्शनी, लागोस (नाइजिरिया जनवरी/फरवरी 81	401.62
11. भारतीय प्रदर्शनी सिंगापुर मार्च/अप्रैल,81	1000.00
12. भारतीय प्रदर्शनी जद्दा, (दक्षिणी अरब) मार्च/अप्रैल, 81	564.00
13. त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रीय मेला, त्रिपोली (लिबिया) मार्च, 81	सांकेतिक भाग लेना
1981-82	
1. मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान(इटली) अप्रैल,81	96.00
2. भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी हांगकाम, मई 81	80.00

3. दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सरिया) अगस्त/सितम्बर, 81	सांकेतिक भाग लेना
4. बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय आटम मेला- (कंजूमर गुड्स) बुडापेस्ट (हंगरी) सितम्बर, 81	162.00
5. जेट अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जेट (बेल्जियम) सितम्बर, 81	243.00
6. बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक) अक्तूबर, 81	108.00
7. इंडियन प्रोडक्ट्स डिस्पले एट आई.-टी. डी. सी., सिडनी (आस्ट्रेलिया) अक्तूबर, 81	30.00
8. बुखारेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला बुखारेस्ट (रोमानिया) अक्तूबर 81	सांकेतिक भाग लेना
9. प्रेट ए. पोर्टर फेमिनन अन्तर्राष्ट्रीय महिला रेडी टू वीयर क्लोदिंग प्रदर्शनी तथा सेक्शन बटिक, पैरिस (फ्रांस) अक्तूबर,81	290.00
10. सेटियागो अन्तर्राष्ट्रीय मेला एफ्आईएसए सेटियागो (चिली), अक्तूबर-नवम्बर, 81	34.57
11. खारतूम अन्तर्राष्ट्रीय मेला, खारतूत (सूडान) जनवरी,-फरवरी,82	सांकेतिक भाग लेना
12. इस्टर्न स्टाफ एन्ड टोटल फैशन मेला, आसाका (जापान) फरवरी 82	5.00
13. भारतीय प्रदर्शनी बहरीइन, फरवरी, 82	प्रतीक्षित
14. भारतीय प्रदर्शनी नैरोबाई, (केन्या) मार्च 82	होनी है।

रोमानियां को औषधि सामग्री का निर्यात

1055. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया के उप विदेश व्यापार मन्त्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत से औषधि सामग्री का आयात करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है ;

(ख) क्या रोमानिया की भारतीय औषधियों की मांग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) रोमानियां को उपर्युक्त सामग्री भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रोमानियां के विदेश व्यापार मन्त्री ने भारत से भेषजों का आयात करने में अपने देश की दिलचस्पी व्यक्त की।

(ख) बुखारैस्ट में भारतीय दूतावास के वाणिज्य अनुभाग ने कुछ ऐसी मदों का पता लगाया हैं जिनमें रोमानियां के संबन्धित संगठनों ने रुचि दिखाई है । ऐसी सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए एफ० आई० सी० आई० के एक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर, 1981 में में रोमानियां का दौरा भी किया।

(ग) जब कैमइम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोमानिया के महानिदेक ने जनवरी, 1982 में भारत की यात्रा की, तो भारतीय निदेशकों और उनके बीच विस्तार में विचार-विमर्श की व्यवस्था की गई ।

भारत-श्रीलंका सीमाओं पर तकस्री की गतिविधियां

1056. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिये भारत और श्रीलंका सरकारों के बीच दिसम्बर, 1981 में कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और इसे कब कार्यान्वित किया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

यद्यपि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, फिर भी भारत और श्री लंका के सीमा शुल्क एवं पुलिस अधिकारियों के बीच दोनों देशों में होने वाली तस्करी की समस्या तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय बातचीत चलती रहती है, ताकि समुचित उपचारी उपाए किए जा सकें।

ड्राइवरों और चतुर्थ श्रेणियों की वर्दी और जूता भत्ता

1057. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर कीमतों के बढ़ाने के कारण केन्द्रीय सरकार में ड्राइवरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दी और जूता भत्ता को बढ़ाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और यदि हां, तो कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्दी और जूता भत्ते में कितनी बार वृद्धि की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के ड्राइवरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित विशिष्टियों की वर्दियां और जूते समय-समय पर वस्त्र के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए इनके बदले में उन्हें वर्दी और जूता भत्ता स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों द्वारा निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों के कारण भत्ते में में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रियों के निजी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि

1058. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रत्येक कैबिनेट मन्त्री राज्य मन्त्री और उपमन्त्री के निजी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : भारत सरकार के मंत्रालयों /विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त हो जाएगा, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमान अपहरण रोकने का नया तरीका

1059. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान अपहरण को रोकने के लिये कुछ नये तरीके अपनाये हैं ;

(ख) वे नये तरीके क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विमान अपहरण को रोकने के लिये कुछ इलैक्ट्रानिक यन्त्रों का प्रयोग किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के नये तरीके कब तक अपनाये जायेंगे ; और

(ङ) हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिये अपनाये जाने वाले यंत्रों, तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) : सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि भारत के सभी विमान क्षेत्रों पर हर विमान क्षेत्र की नाजुक परिस्थिति एवं ज्ञात/संदिग्ध विध्वंसकारियों की गतिविधियों तथा खुफिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए वहां अपहरण-विरोधी सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण करे तथा उन्हें और मजबूत करें।

(ख) हाल ही के इंडियन एयरलाइन्स/एयरइंडिया विमानों के अपहरण की घटनाओं के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप (1) यात्रियों के हाथ के सामान की जांच प्रक्रिया को और कड़ा करने, (2) यात्रियों की पूरी तरह शारीरिक पड़ताल करने तथा (3) वाहकों द्वारा उड़ान से पूर्व कड़ाई से तोड़-फोड़ विरोधी जांच करने के बारे में नये सिरे से हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

(ग) : जी हां।

(घ) : विमान पर चढ़ने से पूर्व यात्रियों तथा उनके हाथ के सामान की सुरक्षा जांचों को पूर्णतः प्रभावी और असंदिग्ध बनाने के लिये अतिपरिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन उपकरण लगाने का निर्णय किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि 1983 के अंत तक भारत के सभी विमान-क्षेत्रों पर इस प्रकार के एक अथवा अधिक उपकरण लगा दिये जायें।

(ङ.) : यात्रियों के हाथ के सामान की कड़ी जांच तथा पूरी शारीरिक पड़ताल और विमान कम्पनियों द्वारा उड़ान से पूर्व तोड़-फोड़ विरोधी व्यापक निरीक्षण तथा फोटों लगे पहचान कार्डों की सहायता से विमान क्षेत्रों के परिचालन व अन्य नाजुक क्षेत्रों में प्रवेश पर कड़े नियंत्रण आदि उपायों से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है।

कुल वाणिज्यिक ऋण

1060. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1982 को देश पर कुल कितना वाणिज्यिक ऋण था ;

(ख) उन प्रमुख परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए इतनी बड़ी राशि अन्य देशों से उधार ली गई है ;

(ग) किन-किन देशों ने भारत को ऋण दिया है ;

(घ) प्रत्येक ऋण की क्या-क्या शर्तें हैं ; और

(ङ.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1977 से 31 जनवरी, 1982 तक कुल मिलाकर अनुमानतया लगभग 22150 लाख अमरीकी डालर की राशि के वाणिज्यिक ऋण लिए गए।

(ख) सरकारी क्षेत्र की तीन मुख्य परियोजनाओं के नाम जिनके लिए वाणिज्यिक ऋण लिए गए हैं इस प्रकार हैं अर्थात (1) तेल प्राकृतिक गैस आयोग की तेल अन्वेषण तथा विकास परियोजना ; (2) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी की उड़ीसा एल्यूमीनियम परियोजना, (3) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स की थाल वैषट उर्वरक परियोजना। इसके अलावा एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स, भारतीय नौवहन कंपनियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की अन्य कंपनियों ने भी वाणिज्यिक/निर्यात ऋणों संबंधी शर्तों पर विदेशी ऋण लिए हैं।

(ग) से (ङ.) : ये ऋण आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए गए हैं, खास-खास देशों से नहीं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों की शर्तें इस प्रकार है :—

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

(1) ब्याज की दर	पहले दो वर्षों के लिए लन्दन अन्तर-बैंक प्रस्ताव दरों से 3/8 प्रतिशत ऊपर और शेष अवधि के लिए 'लंदन अन्तर बैंक प्रस्ताव दरों' से 1/2 प्रतिशत ऊपर।
(2) ऋण की अवधि	सात वर्ष।
(3) वचनबद्धता शुल्क	ऋण की निकाली न गई रकम पर 3/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से।

(4) ऋण का प्रबंध करने के लिए बैंकरों को प्रबन्ध शुल्क तथा अन्य खर्चों की अदायगी भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ही की जाएगी।

उड़ीसा एल्यूमीनियम परियोजना के लिए नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी को।

(1) ब्याज की दर	इस ऋण के अन्तर्गत ली जाने वाली रकमों पर उन दरों के हिसाब से ब्याज लगेगा जिन दरों के हिसाब से तीन अथवा छः महीनों की अवधियों की यूरो डालर जमा रकमें अथवा अन्य उपलब्ध यूरो मुद्राओं की जमा राशियां, अथवा जिस मामले में केवल डालर मुद्रा में ही निकासी की गई हो (किन्तु उपलब्धता की पुष्टि बैंकों द्वारा किए जाने की शर्त पर) 12 महीने की अवधि की ऐसी राशियां लन्दन अन्तर बैंक मार्किट में रेफरेंस बैंकों को प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित मार्जिन दरों को और जोड़ दिया जाता है:— पहले 4 वर्षों में 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष। उसके बाद 5/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष। ब्याज की राशि प्रत्येक ब्याज अवधि के अन्त में देय होगी लेकिन वह अवधि छमाही अवधि से कम न होगी। ब्याज का हिसाब 360 दिन का एक वर्ष मानकर गुजरे हुए वास्तविक दिनों के आधार पर लगाया जाएगा।
(2) बचनबद्धता शुल्क	उन रकमों पर जिन को लिया नहीं गया है किन्तु जिनकी चालू वर्ष में लिए जाने के लिए उपलब्ध रकमें निर्देशित कर दिया गया है 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

	उन रकमों पर जिनको लिया नहीं गया है किन्तु जिनकी अगले वर्ष में लिए जाने के लिए उपलब्ध रकमें निर्देशित कर दिया गया है 3/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ।
	अनिष्कासित शेष रकम पर 1/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष । यदि प्रत्येक उपलब्ध रकमों के रूप में निर्देशित रकम से अधिक रकम की आवश्यकता हो उनकी भी निकासी की जा सकती है बशर्ते कि इस प्रकार की निकासियों पर रकमों की निकासी से पहले 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता शुल्क की अदायगी कर दी गई होगी ।
(3) वापसी अदायगी	11 छमाही किस्तों में जिनकी अदायगी ऋण करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से पांच वर्ष बाद शुरू होगी ।
(4) प्रबन्ध शुल्क	1/2 प्रतिशत की समान दर से ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स

(1) परिपक्वता की अवधि	7 वर्ष
(2) ब्याज की दर	12.25 प्रतिशत
(3) उत्सर्जन	100 प्रतिशत
(4) प्रबंध शुल्क	बाण्ड निर्गम की राशि का 2 प्रतिशत
(5) अन्य व्यय	के० डी० 600,000 की अधिकतम सीमा के अधीन, वास्तविक ।

'पालम्स आर्काइक वेज परसिस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख

1061. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका नई दिल्ली से प्रकाशित 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पालम्स आर्काइक वेज परसिस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विशेषकर सामान की, शीघ्र धरा उठाई के मामले में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है, जिसके कारण यात्रियों, विशेषकर विदेशी यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

वायुदूत सेवा का विस्तार

1062. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक नगरों में "वायुदूत" सेवा को लाभ देने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन छोटे शहरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान बड़े शहरों से विशेष कर उत्तरी क्षेत्र के बड़े शहरों से जोड़ा जायेगा ;

(ग) छोटी यात्राओं के लिये दरें किस प्रकार निर्धारित की जायगी, और किस प्रकार के हवाई जहाज प्रयोग में लाये जायेंगे ; और

(घ) इन छोटे शहरों और नगरों में यातायात की बुकिंग किस नेकार की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : जी, हां । वायुदूत सेवाओं का देश के अन्य भागों में चरणबद्धक्रम से विस्तार किया जा रहा है । प्रथम चरण में जोड़े जाने वाले स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) : ऐसी आशा की जाती है कि वायुदूत में विमान किराये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लिये जा रहे किरायों के बराबर होंगे । जब तक वायुदूत अपनी सेवाओं के लिये उपयुक्त छोटे विमान नहीं ले लेती वह अपनी सेवाओं का, इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिये गये टर्बो प्रॉप विमानों से, परिचालन जारी रखेगी ।

(घ) : वायुदूत द्वारा जोड़े जाने वाले स्थानों के लिये सेवाओं को हैंडल करने का तरीका, इन स्थानों पर विमान सेवाएं प्रदान करते समय तय किया जाएगा ।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से बाहर वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले अनुमोदित स्टेशनों की सूची

आन्ध्र प्रदेश	—	कुडप्पा
		राजामुंदरी
		वारंगल
बिहार	—	जमशेदपुर
		गया

		मुजफ्फरपुर
		पूर्निया
कर्नाटक	—	रायचूर
		हुबली
केरल	—	कालीकट
मध्य प्रदेश	—	बिलासपुर
		जगदलपुर
महाराष्ट्र	—	नान्देड़
उड़ीसा	—	रूरकेला
पंजाब	—	लुधियाना
राजस्थान	—	कोटा
		बीकानेर
		जैसलमेर
तमिलनाडु	—	तंजावुर
उत्तर प्रदेश	—	देहरादून
		गाजीपुर
		पन्तनगर
		रायबरेली

अहमदाबाद होकर बम्बई से कराची को इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ानें

1063. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हुए करार के अन्तर्गत भारत सरकार का विचार अहमदाबाद होकर बम्बई से करांची तक इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें चालू करने का है क्योंकि इस उड़ान में अधिकतर यात्री गुजरात के होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में गिरावट

1064. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये गये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) यह ठीक है कि विकसित देशों में गम्भीर मन्दी, संश्लिष्ट एवजी माल तथा बंगलादेश से तीव्रतियोगिता तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के फलस्वरूप बिक्री से कम प्राप्ति के कारण हाल के महीनों में पटसन माल की निर्यात मांग में कमी आई है।

(ग) इसके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय के रूप में सरकार ने सितम्बर, 1981 से पटसन माल के विभिन्न मदों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता की मंजूरी दी है। गैर परम्परागत उत्पादों का विकास करके तथा राज्य व्यापार निगम को अपेक्षाकृत अधिक सहयोग लेकर मध्य पूर्व अफ्रीका, लातीनी अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा जापान में परम्परागत तथा गैर परम्परागत दोनों मदों के लिए नए बाजार हाथ में लेकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर और संवर्द्धनात्मक प्रयत्नों के लिए बाजार अभिमुख व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजकर पटसन माल के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

नेपाल में पटसन उत्पादक देशों में हुआ परामर्श

1065. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादन देशों के सरकारी परामर्श का चौथा सत्र अभी हाल में नेपाल में हुआ था जिसमें उत्पादकों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर जोर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पटसन का उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पटसन उपजकर्ता देशों के बीच सरकारी परामर्शों के चौथे सत्र में पटसन माल की कीमतों को ऐसे स्तर पर स्थिर करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया जिससे कच्चे पटसन के उपजकर्ताओं को उचित लाभ और साथ ही लाभकारी कीमत भी सुनिश्चित होगी।

(ख) काठमांडु परामर्श में पटसन उत्पादकता में सुधार, क्वालिटी में सुधार पटसन रेशों की ग्रेडिंग पर ढाका में एस्केप द्वारा प्रायोजित कार्यशाला-सहप्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का संकल्प किया गया। सरकार का विचार है कि कार्यशाला में शामिल होने के वास्ते और पट-

सन बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों, क्वालिटी में सुधार के लिए बेहतर सिंचाई व रैटिंग सुविधाओं, पौध संरक्षण क्रियाविधियों में तकनीकी सहायता और पटसन की स्टिकों के रासायनिक उपचार और साथ ही उपजकर्ताओं के हितों की बेहतरी के लिए पटसन-स्टिकों के शिकायती प्रयोग का प्रचार करने के बारे में किये गये उपायों पर प्रकाश डालने के लिए पटसन स्पैशलिस्टों को नामित किया जाये जिनमें ग्रेडिंग विशेषज्ञ भी शामिल हों।

विभिन्न हवाई अड्डों पर दूर संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

1066. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक हवाई अड्डों में दूर संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और पुराने उपकरणों को बदलने तथा नये उपकरण लगाने पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसकी योजना परिचालनात्मक आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप तैयार की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, 20.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश के अन्तर-राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर, ऐसी वैमानिक संचार सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जैसे उच्च तथा अति-उच्चावृत्ति वायु-भू-संचार सुविधाओं में सुधार, प्वायंट-टु-वायंट-संचार, व्यवस्था तथा ए० एफ० टी० एन० नेट-वर्क व ए० टी० सी० स्पीच सर्किटों में वृद्धि इत्यादि।

आयकर और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की बकाया राशि

1067. **श्री सनत कुमार मडल** : क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े उद्योग गृहों, व्यक्तियों, कम्पनियों और अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं जनवरी, 1982 को आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक की राशि बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1068 : **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय बैंक श्रीलंका के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के क्या नाम हैं ;

(ग) श्रीलंका में उन बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली जायेंगी ; और

(घ) उनके कब तक खोले जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक को श्रीलंका में पांच शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है जिन में से तीन शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। श्री लंकाई प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन (क्लियरेंस) प्राप्त होने के बाद ये शाखाएं खोल दी जाएगी।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

1069. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश द्वारा एशियाई विकास बैंक से कुल कितनी राशि की ऋण सहायता मांगी गई है ;

(ख) 1982-83 के वित्तीय वर्ष के दौरान एशियाई विकास बैंक से कुल कितनी राशि का ऋण मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), से (ग) : एशियाई विकास बैंक से मिलने वाली ऋण सहायता के ब्यौरे, बैंक द्वारा अपनी तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि की राशि, चल रही बात-चीत से तय करके, तैयार किए जाएंगे।

समेकित ग्रामीण विकास के लिए केनरा बैंक की योजनाएं

1070. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या समेकित ग्रामीण विकास के लिए केनरा बैंक कुछ योजनायें चालू कर रहा है ;

(ख) : यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं ;

(ग) : क्या ऐसी योजनायें विभिन्न राज्यों में चालू की जाएंगी ;

(घ) : यदि हां, तो समेकित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक द्वारा उड़ीसा के विभिन्न जिलों के कुल कितने गांवों को चुना गया है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी हां।

(ख) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इस बैंक की ग्रामीण

शाखाओं द्वारा प्रयास के अलावा बैंक ने ग्रामीण विकास न्यास (रुरल डवलपमैंट ट्रस्ट) की प्रायोजित किया है तथा यह चुनिन्दा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे के निर्माण के वास्ते निधियों (फंड) मुहैया कराता है।

(ग), से (ङ.) : हां। इस योजना को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा तथा इसके द्वारा प्रति वर्ष तीस से चालीस गाँवों की व्याप्ति की जाएगी। यह योजना इस समय इस बैंक द्वारा उड़ीसा के गंजाम जिले में चन्द्रगिरी गांव में कार्यान्वित की जा रही है। उड़ीसा के 6 और गाँवों में इस योजना को चलाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत, दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्धारित गांवों के समग्र विकास के लिए चुनिन्दा शाखा प्रबन्धकों द्वारा कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी तथा इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

बोकारो, जमशेदपुर और अन्य इस्पात नगरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराना

1071. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बोकारो, जमशेदपुर और भारत के अन्य इस्पात नगरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सेवायें कब तक चालू हो जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (**श्री अनन्त प्रसाद शर्मा**) : (क) और (ख) : वायु-दूत सेवाओं का देश के अन्य भागों में चरणों में विस्तार किया जा रहा है। प्रथम चरण में विमान सेवा से जोड़े जाने वाले इस्पात नगरों में जमशेदपुर और रुरकेला शामिल हैं। उपरोक्त स्थानों को विमान सेवा से जोड़े जाने सम्बन्धी समय-सारणी अभी तैयार की जानी है।

चांदी के सिक्कों के निर्यात पर रोक

1072. **श्रीमती जयती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चांदी के सिक्कों के निर्यात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो रोक के आदेश किस तारीख से प्रभावी होंगे ;

(ग) क्या अप्रचलित चांदी के सिक्कों पर भी रोक लगा दी है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ये आदेश प्रभावी होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : दिनांक 2.1.1982 के सार्वजनिक नोटिस संख्या 2-ई० टी० सी० (पी०एन०)/82 के उपबंधों के अनुसार चांदी के सिक्कों के निर्यात पर 2.1.1982 से पाबन्दी लगा दी गई है।

(ग) और (घ) : समय-समय पर जारी किये जाने वाले स्मारक सिक्कों के प्रूफ सैटों को (अपरिचालित वर्ग के सिक्के) निर्यात करने की अनुमति केवल भारत सरकार टकसाल बम्बई को ही दी गई है। सीमा-शुल्क अधिकारी इस प्रकार के निर्यात के लिए प्रत्यक्ष इजाजत देंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों का पुनर्गठन

1073. **श्री गुलाम मुहम्मद खान :**

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया है, यदि हां, बैंक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार ने अभी हाल में निम्नलिखित 14 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों का पुनर्गठन किया है—

1. सैंट्रल बैंक आफ इंडिया
2. बैंक आफ इण्डिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. बैंक आफ बड़ौदा
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
6. केनरा बैंक
7. सिंडीकेट बैंक
8. देना बैंक
9. यूनियन बैंक आफ इंडिया
10. इलाहाबाद बैंक
11. बैंक आफ महाराष्ट्र
12. इंडियन ओवरसीज बैंक
13. न्यू बैंक आफ इंडिया
14. पंजाब एंड सिंध बैंक

उपर्युक्त बैंकों के निदेशकों के नाम तथा अन्य विवरण अनुबन्ध में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3422/82]

"ओपेक" से अनुरोध

1074. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "ओपेक" देशों से यह अनुरोध किया है कि भारत को उनकी सप्लाई के लिये कुछ समय के लिये कम मूल्य लिया जाये तथा ऋण सहायता प्रदान की जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ग) वर्ष 1979 के दौरान अशोध्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप तेल करने वाले विकासशील देशों तथा भारत ने दोनों अनौपचारिक द्विपक्षीय विचार-विमर्शों तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तेल उत्पादक और निर्यातक दशों का ध्यान आयातित अशोध्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण विकासशील देशों द्वारा अनुभव की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया। इसके उत्तर में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों ने पहले ही वचन दे दिया है कि वे तेल आयात करने वाले विकासशील देशों का वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकारी कीमतों पर अशोध्य तेल का पर्याप्त उपलब्धी सुनिश्चित करेंगे। जहां तक वित्तीय भार का संबन्ध है, तेल उत्पादक और निर्यातक देशों ने इस इस मामले को अपनी दीर्घावधिक नीति संबन्धी समिति को विचारार्थ भेज दिया था। समिति ने विभिन्न तेल आयातक विकासशील देशों को अलग-अलग मात्राओं में वित्तीय सहायता दिए जाने की सिफारिश की है जो उनके अशोध्य तेल के कुल उपयोग और उनके विकास की स्थिति पर निर्भर होगा। फिर भी दीर्घावधिक नीति सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पर तेल उत्पादक और निर्यातक देशों द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है। और इस सम्बन्ध में अन्तिम दृष्टिकोण अभी सामने आना है।

तेल खोज कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सहायता

1075. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को इसके तेल खोज कार्यक्रम के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सहायता को किस ढंग से उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई०एफ० सी० (डब्ल्यू)) जो विश्व बैंक से सम्बद्ध एक संस्था है सरकार की गारन्टी के बिना संयुक्त/निजी

क्षेत्र के उद्यमों को सामान्य पूंजी में निवेश और ऋण देने की व्यवस्था करता है। देश के औद्योगिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई० एफ० सी० (डब्ल्यू)) का सहयोग बढ़ाने के की दृष्टि से इस दिशा में नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उपाध्यक्ष ने जनवरी, 1982 में भारत यात्रा की थी। सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई० एफ० सी० (डब्ल्यू) दल ने विदेशी कम्पनियों बताए गए भूखण्डों में विस्तृत भूकम्पीय कार्य करने की रुचि दिखाई थी। यह बातचीत प्रारम्भिक और अन्वेषणात्मक थी ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सयुंक्त राज्य अमरीका की सहायता योजनाओं का स्वरूप

1076. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता योजनाओं का एक नया स्वरूप हाल ही में लागू हुआ है जिसके द्वारा अमरीका के निजी क्षेत्र द्वारा भारत में किये गये निवेश का अब से इस देश में संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से चल रहे तथा नये कार्यक्रमों के साथ भारतीय बैठाया जाऐगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तरी क्षेत्र की कपड़ा मिलों में संकट

1077. **श्री निहाल सिंह** :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 जनवरी, 1982 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित यह समाचार सही है कि उत्तरी भारत की कपड़ा मिलें संकट का सामना कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सूती कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जो इस समय बन्द पड़ी है, और वे कब से बन्द पड़ी है ; उन मिलों के नाम क्या हैं जो बन्द होने वाली हैं तथा इन मिलों के बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं , और

(ग) इन मिलों को चालू रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उत्तरी क्षेत्र में सूती वस्त्र मिलें अन्तर्निवेशों की लागतों में वृद्धि तथा मांग में कमी के कारण कठिनाई का अनुभव करती रही हैं।

(ख) 31.12.81 की स्थिति के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में निम्नलिखित सूती वस्त मिलों को उनके सामने अंकित तारीखों से तथा कारणों की वजह से बन्द कर दिया गया :—

क्रमांक	सूती वस्त्र मिल का नाम	जिस तारीख से बन्द किया गया	कारण
1.	बिहार कोटन मिल्स, पटना	24.7.81	तालाबन्दी
2.	हरियाणा स्पिनिंग मिल्स	जुलाई,81	श्रमिक अशान्ति
3.	के०के० मैन्यूफैक्चरर्स कानपुर	1.10.76	वित्तीय कठिनाइयां
4.	प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल उद्यान	11.5.76 *21.1.82 से उठायी गई।	—वही

(ग) पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए, कदम हर मामले में भिन्न हैं। उपरोक्त (ख) में उल्लिखित मामलों में बन्द रहने की अवधि तथा बन्द होने के कारणों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कोई कदम तत्काल उठाने का विचार नही है,

चीन के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

1078. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत में तथा भारतीय सहयोग से तीसरे विश्व के देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की रुचि दिखाई है,

(ख) क्या चीन के प्रतिनिधि मंडल ने दिसम्बर, 1981 में भारत का दौरा किया था और इस सम्बन्ध में भारतीत व्यापारियों तथा उद्यमियों से चर्चा की थी,

(ग) क्या चीन सरकार से ऐसे कोई रचनात्मक प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) व्यापार अथवा निवेश के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन के किसी भी शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा नहीं किया। किन्तु चीन की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सवर्धन परिषद के तीन अधिकारियों के एक दल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुराष्ट्रीय निगम केन्द्र के तत्वावधान में अध्ययन संबंधी दौरा जरूर किया था। इस दल ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा विवादों को निपटाने से संबंध रखने वाली नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कानूनी व्यवस्था से सबंधित मामलों को समझने के लिए 17 दिसम्बर, 1981 से 27 दिसम्बर 1981 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

1079. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम संकट ग्रस्त हैं और उनका घाटा बढ़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों की असफलता के कारणों को बताते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 10 उद्यमों, जिनकी स्थापनाएं एवं पंजीकृत कार्यालय बिहार में स्थित हैं, में से केवल पांच उद्यम घाटा उठा रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष में इन पांच उद्यमों द्वारा उठाये गए घाटे का ब्योरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

उद्यम का नाम	घाटा		
	1978-79	1979-80	1980-81
भारी इंजीनियरी निगम	27.48	34.77	51.13
भारत कोकिंग कोल लि०	71.18	45.31	43.94
भारत रिफ्रक्ट्रीज लि०	0.65	0.97	1.00
इण्डिय फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन कं० लि०	0.28	0.63	0.02
फार्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डिवलपमेंट (इण्डिया) लि०	1.72	1.31	2.39

इन सभी उद्यमों ने घाटा मुख्यतः बिजली की सीमित उपलब्धि कम उत्पादकता और अपर्याप्त आर्डरों के कारण उठाया है। इनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(क) भारत कोकिंग कोल लि० के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली पैदा करने वाले सैटों की व्यवस्था करना।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० की खानों का आधुनिकिरण, पुनर्गठन और पंजीकरण करना।

(ख) भारी इन्जीनियरी निगम, तापसह सामग्री वाले एककों तथा फर्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डिवेलपमैंट (इण्डिया) लि० के लिये पर्याप्त आर्डरों की व्यवस्था करना।

अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियन्त्रण बोर्ड की रिपोर्ट

1080 **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री पियूष तिरकी :

श्री एच० एन० नन्जेगौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियन्त्रण बोर्ड की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत कुछ नशीली दवाओं के अवैध व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया है (पैटरायड 24-1-82) और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) तथा (ख) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियन्त्रण बोर्ड की वर्ष 1981 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का इस्तेमाल नशीली औषधियों की तस्करी हेतु एक पारगमन देश के रूप में किया जा रहा है। तथापि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने स्वापकों के नियन्त्रण में परम्परागत रूप से एक प्रभावकारी एवं रचनात्मक भूमिका निभाई है सीमाशुल्क अधिकारियों ने अन्य प्रवर्तन एजेंसियों, अर्थात नारकोटिक्स आयुक्त सम्बद्ध राज्य पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करके, नशीली औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समुचित उपाय किए हैं, और वे नशीली औषधियों के तस्करों के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों की गतिविधियों का पता लगाने में सफल हुए हैं।

आभूषणों का निर्यात

1081 **श्री बी० एस० विजया राघवन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितने मूल्य के आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) विदेशों में इसके बाजार का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आभूषणों में सोने का अन्श 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा चलाई जा रही योजना में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) तथा (ख) अप्रैल 1981 जनवरी, 1982 के दौरान आभूषणों की निर्यात निम्नलिखित रही है—

मद	मूल्य (करोड़ रु० में) (अनन्तिम)
स्वर्ण आभूषण	
गैर आभूषण	31.42
आभूषण	1. 51
नकली आभूषण	0. 39

(स्रोत तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

विदेशी बाजार ढूढ़ने और साथ ही भारतीय आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर विदेशों में बाजार सर्वेक्षण किये जाते हैं और प्रदर्शनी सह बिक्रियां आयोजित की जाती है ।

(ग) से (ङ.) इस समय मूल्प में 10 प्रतिशत की मात्रा तक स्वर्ण युक्त स्वर्ण आभूषण के निर्यात पर कोई पाबन्दी नहीं है । इसके अलावा 14.10.1980 को सरकार द्वारा घोषित स्वर्ण आभूषण के निर्यात की योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्यात की जाने वाली मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त स्वर्ण की मात्रा की सीमा तक निशुल्क सप्लाई किए गए स्वर्ण के आधार पर स्वर्ण जेवरातों तथा वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है । किसी अन्य पद की तरह ही स्वर्ण आभूषण की निर्यात नीति की स कार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग का युक्ति युक्तकरण

1082 **श्री राम विलास पासबान**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक प्रशासथ सुधार आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग के कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब और सिंध बैंक के वित्तीय प्रबंध की जांच

1083 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब और सिंध बैंक के वित्तीय प्रबन्ध में अनियमितताओं की जाँच की जा रही थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उस चाँच के क्या परिणाम सामने आये हैं ; और

(ग) क्या इन अनियमितताओं की जाँच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच कराने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यचालन में कतिपय तथाकथित अनियमितताओं के बारे में सूचना मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1981 में इस बैंक की कुछ शाखाओं की लेखा पुस्तकों की जाँच पड़ताल करने का काम हाथ में लिया। 9 दिसम्बर, 1981 को राज्य सभा में चर्चा के दौरान कुछ आरोप सरकार के ध्यान में लाये गए थे भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह इन मामलों की भी जांच करें। अन्तिम रूप से जाँच पड़ताले करने का काम पूरा होते ही भारतीय रिजर्व बैंक के निष्कर्ष उपलब्ध हो जायेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के बाद ही केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच हड़ताल समेत और आगे जाँच पड़ताल करने की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा।

विदेशी वस्तुओं की तस्करी

1084. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी की वस्तुओं सहित विदेशी वस्तुओं की काफी मात्रा में तस्करी की जानकारी है।

(ख) क्या हवाई अड्डों पर नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारी वस्तुओं पर बहुत ही कम सीमाशुल्क वसूल करते हैं और यात्रियों को अन्य कारणों से अपने साथ वस्तुएं ले जाने देते हैं ;

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार-बार स्थानान्तरित करने के लिए क्या नियम है ; और

(घ) क्या सच्चाई का पता लगाने के लिये सीमाशुल्क कर्मचारियों की परिसम्पतियों का

पता लगाने के लिये अब तक कोई प्रयास किये गए हैं ; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि बम्बई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तस्करी की संभावना वाले स्थान हैं । इन हवाई अड्डों से तस्करी के आकर्षण वाली बस्तुओं में सोना, कलाई घड़ियाँ, हीरे और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का चोरी छिपे आयात किया जाता है और चांदी व सांप की खालों का चोरी छिपे निर्यात किया जाता है ।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है । यदि किसी विशिष्ट मामले की जानकारी दी जाए तो उचित कार्यवाही के लिए मामले की जांच की जा सकती है ।

(ग) आपवादिक मामलों को छोड़कर जो विशेष परिस्थितियों में ही होते हैं, किसी हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों की तैनाती की सामान्य अवधि 3 साल होती है जिसका अनुपालन किया जाता है ।

(घ) केन्द्रीय असैनिक सेवा आचरण नियम और उसमें निहित शर्तों का पालन करने क अलावा, सहकारी कर्मचारियों की परिसम्पत्तियों की जाँच पड़ताल विशिष्ट शिकायतों की जांच के दौरान ही की जाती है । इस सम्बन्ध में कोई निरुद्देश्य जाँच पड़ताल करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है ।

बम्बई की सूती कपड़ा मिलों में संकट

1085. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की कपड़ा मिलों को भारी माल इकट्ठा होने की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन कपड़ा मिलों को वित्तीय राहत पहुंचाने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मुख्य रूप से मांग में मंदी के कारण न केवल बम्बई में बल्कि संपूर्ण भारत में सूती मिलों को स्टाक इकट्ठा होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) तथा (ग) सरकार ने तथ्यों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को बताया है और अब यह उस संस्थान का काम है कि वह इस मामले पर विचार करे ।

भारत पर विदेश ऋण

1086. **श्री संतोष मोहनसिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक भारत पर विदेशी ऋण कितना है और उस पर कितना ब्याज दिया जाता है,

(ख) सरकार का कितना नया ऋण लेने का विचार है,

(ग) बड़ी मात्रा में अनावश्यक ऋण लेने की अनुमति न देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) क्या विदेशी ऋण का कारगर ढंग से उपयोग कराने का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 31 दिसम्बर, 1981 को भारत के सरकारी खाते विदेशी ऋण की राशि 17806.63 करोड़ रुपए थी। 31 दिसम्बर, 1981 तक अदा किए गए ब्याज (मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी) कुल राशि 9890.72 करोड़ रुपए बैठती है।

(ख) प्राप्त की जाने वाली सहायता की राशि और उसका स्वरूप (अर्थात ऋण अथवा अनुदान) अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के वातावरण तथा हमारी अपनी आवश्यकताओं के जैसे बहुत से तथ्यों पर निर्भर करता है तथा इसका प्रत्येक वर्ष के आधार पर अनुमान लगाना होता है सहायता के सम्बन्ध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विचार-विमर्श को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इन ऋणों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। वर्ष 1981-82 के बजट अनुमानों में 501·01 करोड़ रुपए तक की राशि के ऋणों की व्यवस्था की गई थी।

(ग) आत्मा निर्भरता के जरिए निरन्तर अपनी प्रगति जारी रखने के अपने मूलभूत उद्देश्य के अनुरूप विदेशी सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती जाती है और केवल उन्हीं परियोजनाओं क्षेत्रों के लिए सहायता ली जाती है जो हमारी राष्ट्रीय आयोजना की प्राथमिकताओं के समनुरूप होते हैं और वह भी केवल सुनियोजित रकमों तक ही विदेशी ऋण के विवेकशील प्रबन्ध की अपेक्षाओं पर बराबर ध्यान दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताएं

1087. : **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि उखादनकारी उद्यमों के लिए कमजोर वर्ग की ऋण की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर बैंकों का क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस दिशा में बैंकों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रलय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में बृहत्तर भूमिका निभाने की आशा की गई थी तथा अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादक उपक्रमों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त और कमजोर वर्गों को ऋण देने के सम्बन्ध में इन्हें विशिष्ट अनुदेश दिये गए हैं। समय-समय पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इनके ऋणों में बढ़ोतरी करने के लिये इन बैंकों के सम्मुख विशिष्ट कार्यक्रमों/लक्ष्यों को रखा गया है। 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में दिये गये ऋणों की उपलब्धता पर विचार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के भीतर "कमजोर वर्गों" का निर्धारण किया गया है तथा बैंकों को इन क्षेत्रों में अग्रिमों को बढ़ाने की सलाह दी गई है जिससे कि कुछ उप-लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। डी० आर०आई० स्कीम के अधीन, जिसका आशय बुनियादी तौर पर उत्पादक प्रयोजनों के लिए लाभदायक व्यवसायों को आगे बढ़ाने में सहायता देने के वास्ते कमजोर वर्गों के सबसे कमजोर व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं का पूरा करने से है, 4 प्रतिशत ब्याज की रिआयती दर पर ऋण प्रदान किये जाते हैं आई०आर०डी०पी० ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की ओर ध्यान केन्द्रित किया है जिससे कि उत्पादकता की गतिविधियों के लिये सरकार राजसहायता (सब्सीडी) तथा बैंक वित्त के माध्यम से उनके रहन-सहन के स्तर को सुधारा जा सके। आई० आर०डी०पी० के अन्तर्गत छठी आयोजना के दौरान छोटे तथा सीमान्तिक किसानों ग्रामीण शिल्पकारों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि को मिलाकार बने प्रत्येक प्रखण्ड (ब्लाक) में निर्धारित 3000 गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आई० आर० डी० पी० के कार्यान्वयन के लिये बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(ख) और (ग) : बैंकों द्वारा उत्पादक उपक्रमों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए अनेकों कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ ये हैं—

1. मार्जिन, सुरक्षा मानदंडों तथा दोष और इसकी सहायक गतिविधियों, शिल्पकारों, लघु उद्योगों के अतिरिक्त ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को ऋण देने के लिए सरलीकृत

तथा समनुरूप आवेदनपत्रों को अपनाने संहित ऋण देने की शर्तों तथा निबन्धनों का सरलीकरण ।

2. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए संगठनात्मक मशीनरी को सुदृढ़ बनाने तथा प्रधान कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा-स्तर पर लीड बैंक योजना का कार्यान्वयन, समुचित तकनीक-संक्षम स्टाफ के साथ आंचलिक कार्यालयों पर कृषि वित्त कक्षों की स्थापना, ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में कृषि/तकनीकी फील्ड आफिसरों का उपलब्ध कराना, लीड जिलों में लीड बैंक अधिकारियों की नियुक्ति, जनशक्ति आयोजना तथा प्रशिक्षण, निगरानी और मूल्यांकन कक्षों का रख-रखाव आदि ।

3. शाखा प्रबन्धक के अधिकारों का प्रत्यायोजन जिससे कि छोटे ऋणकर्ताओं और प्राथमिकता प्राप्त ऋण-आवेदनों को शाखा-स्तर पर स्वयं निपटाया जा सके ।

4. ब्लाक, जिला तथा राज्य-स्तरों पर ऋण एजेंसियों विकास एजेंसियों, जिला/राज्य सरकार के अधिकारियों आदि के बीच समन्वय के लिये समुचित मशीनरी का निर्माण करना, डी०सी०सी०एस० के कार्यकलाप, लीड जिला अधिकारियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों की नियुक्ति ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अपने ऋणों में सुधार लाने के वास्ते बैंकों को इन सभी उपायों से मदद मिली है। 50 वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये गये क्षेत्रवार आवंटन के त्वरित अनुमान, जो कि बैंक ऋणों की 95 प्रतिशत राशि को व्याप्त करते हैं, दर्शाते हैं कि सितम्बर, 1981 मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों की राशि 9551 करोड़ रुपये है जो कि निवल बैंक ऋण का 35.5 प्रतिशत बैठती है ।

बैंकों में धोखाधड़ी

1088. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंक डकैतियां भी नहीं रुकी ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में धोखाधड़ी तथा डकैती की इन घटनाओं में कितनी धनराशि की हानि हुई ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है और अब तक क्या परिणाम हासिल हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : वर्ष 1978,

1979, 1980 के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों में सूचित धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि नीचे दी गयी है—

वर्ष	मामलों की संख्या	(लाख रुपये) अन्तर्ग्रस्त राशि
1978	1644	1485.84
1979	1645	1616.92
1980	1840	9?5.48

टिप्पणी—(1) "बैंक धोखाधड़ी" में सामान्यत: मिथ्या-निरुपण, विश्वास भंग, लेखा पुस्तकों में हेरा-फेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनिमय पत्रों जैसी लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, उपकरण, गबन, चोरी, राशियों का मिथ्या निरुपण, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कमियां, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

(2) इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि अनिवार्यत: बैंकों में हुई हानि की राशि को नहीं दर्शाती।

वर्ष 1979, 80 और 1981 के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों में हुई डकैतियों/लूटमारों की कुल संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि नीचे दर्शायी गई है—

वर्ष	मामलों की कुल संख्या	(लाख रुपये) अन्तर्ग्रस्त राशि
1979	12	36.19
1980	24	35.60
1981	40	83.71 तथा साथ में लगभग 58.5 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण

(ग) जब भी कोई धोखाधड़ी होती है तो वर्तमान अनुदेशों के अनुसरण में सम्बन्धित बैंक उसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देता है। रिजर्व बैंक इन मामलों का विश्लेषण करता है। विभिन्न मामलों में अपनायी गई कार्य-प्रणाली के विश्लेषण के आधार पर और अनुदेशों के अनुपालन में पाई गई शिथिलता के आधार पर रिजर्व बैंक, समय-समय पर किये जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बारे में बैंकों को सलाह देता है। धोखाधड़ियों के मामलों को रोकने

के लिए अलग अलग बैंकों के अपने स्वयं के भी निर्देश होते हैं जिनकी लगातार समीक्षा की जाती है।

जहां तक लूटमार/डकैतियों का सम्बन्ध है, एक ओर जहां सरकार बैंकों की लूटमार/डकैतियों की घटनाओं को गम्भीर मामला मानती है वह यह अपेक्षा करती है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाएंगी कि ऐसी लूटमार/डकैतियां रोकी जायें अथवा जब ये लूटमार/डकैतियां हो ही जाये तो अपराधी को सजा दिलवाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाएं। सभी बैंकों के अपने आंतरिक सुरक्षा प्रबन्ध हैं जिनकी उनके द्वारा, जहां कहीं आवश्यक हो स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से परामर्श करते हुये समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने भी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को यह अनुदेश जारी किये हैं कि वे अपने मौजूदा सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ बनायें। सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे बैंक डकैतियों और लूटमारों के सन्दर्भ में सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करें और जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें सुदृढ़ बनाएं।

नारकन्डा की स्कीइंग क्षमता का उपयोग करने के लिए चरणवार कार्यक्रम

1089. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने नारकन्डा की स्कीइंग क्षमता का उपयोग करने के लिए एक चरणवार कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इससे देश की पर्यटन क्षमता में कहां तक सहायता मिलेगी ;

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मुख्य बातें ये हैं :— पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए अगले 10 से 15 वर्षों में नारकन्डा की मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भूमि प्रयोग सर्वेक्षण कराना ; आधारिक संरचना का विकास, कुटीरों का निर्माण, नारकन्डा का वर्षाकालीन पर्यटक रिसार्ट के रूप में सवंर्धन करने के लिए शीतकालीन क्रीड़ाओं, ट्रेकिंग और अन्य मनोरंजनात्मक सुविधाओं का विकास।

(ग) प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार नारकन्डा के विकास से पर्यटक आकर्षणों को विविध रूपात्मक बनाने में मदद मिलेगी और बाहरी मनोरंजनात्मक कार्यकलापों में रुचि रखने वाले पर्यटकों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी।

'आई० बी० आर० डी० प्रोकेट कट वक्स इन आई० डी० ए० लोन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

1090. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1982 के 'इक्वामिक टाइम्स' में आई० बी० आर० डी० ओकेज कटवक्स इन आई० डी० ए० लोन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 141 राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी० ए०) द्वारा दिए जाने वाले ऋण में कमी किए जाने के लिए स्वीकृत दे दी है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) द्वारा दक्षिण एशिया प्रभुख्तया भारत, पाकिस्तान और बंगला देश के लिए ऋण में पूर्व नियोजित 2-8 बिलियन डालर के ऋण से चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1.8 बिलियन डालर की कमी की जाएगी और अन्य कटौतियां अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) द्वारा उप – सहारा अफ्रीकी देशों तथा अन्य गरीब देशों को दिए जाने वाले ऋण में से करनी पड़ेंगी ; और

(घ) यदि भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के आर्थिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : जी, नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दक्षिण एशिया के लिए किए गए लगभग 2.8 अरब डालर के स्तर के पूर्व नियोजित आबंटन के मुकाबले अब अनुमानतः 1.6 अरब डालरों का आबंटन करने का कार्यक्रम बनाया गया है

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बचनबद्धता प्राधिकरणों में प्रस्तावित कमी की वजह से भारत को उपलब्ध साधनों में भी कमी हो जाएगी, लेकिन बैंक ने इस कमी के कोई अधिसूचना नहीं दी है । अतः इस कटौती की वजह से आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण करना अथवा पड़ने वाले क्षेत्र वार प्रभाव को बताना इस समय संभव नहीं है । फिर भी सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भारत की उपलब्ध होने वाली धनराशियों में कम से कम कटौती की जाए ।

राज्य व्यापार निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थानांतरित करना

1091. श्री विजय कुमार यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की दिल्ली शाखा के कार्यालय की इसके वर्तमान स्थान से हटाकर चाणक्यपुरी 'शापिंग काम्पलेक्स' से स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इस स्थान को किराए पर कब लिया गया था और उसका किराया क्या है तथा शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम का भवन निर्माणाधीन है और वह व्यवसाय के लिए कब उपलब्ध हो जाएगा ;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों ने इसके कार्यालय को चाणक्यपुरी स्थानान्तरित करने का विरोध किया था ; और

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख) चन्द्रलोक बिल्डिंग में वर्तमान स्थान में जगह की कमी के कारण राज्य व्यापार निगम के दिल्ली शाखा कार्यालय को हटाकर 3/4, धर्ममार्ग/मालचा मार्ग शांपिंग कैम्पलेक्स में भेजा गया था। नई बिल्डिंग में कार्यालय की जगह लगभग 11,000 वर्ग फुट है।

(घ) इस स्थान को वातानुकूलित जगह के लिए 6.50 रु० प्रति वर्ग फुट पर से 21 नवम्बर, 1980 को किराए पर लिया गया था। एक शर्त यह थी कि बारह महीनों का किराया पेशगी दिया जाना है।

(घ) जी हां। इसके 1984 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ङ) तथा (च) राज्य व्यापार निगम के स्टाफ ने हटाये जाने का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया था कि इस स्थान की लोकेशन सुविधाजनक नहीं थी और इस क्षेत्र में बस सेवा नहीं है। कार्यालय हटाया जा चुका हैं और नये स्थान में सामान्य रूप में कार्य कर रहा है।

गणतन्त्र दिवस के लिए झांकी

1092. **श्री सुनील मैत्रा**
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री सुबोध सेन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गणतन्त्र दिवस की परेड के लिए भेजी गई झाँकी का डिजाइन राष्ट्रीय एकता के अनुरूप था ;

(ख) इसे किस आधार पर अस्वीकृत किया गया था ; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से सरकार पश्चिमी बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं दे रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित झांकी का शीर्षक "राष्ट्रीय एकता" था।

(ख) माडल घटिया किस्म का था और उसमें विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। चूंकि केवल 14-15 झांकियां ही परेड में शामिल की जा सकती हैं, और उनका चयन तुलनात्मक गुणों के आधार पर किया जाता है, इसलिए केन्द्रीय झांकी समिति ने जिसमे कला, सस्कृति, डिजाइन और वस्तुकला के क्षेत्र के प्रख्यात कलाकार होते हैं। यह झांकी स्वीकार नहीं की।

(ग) झांकी के बारे में प्राप्त सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय झांकी समिति द्वारा पूरी तरह विचार किया जाता है। कुछ अन्य राज्यों के प्रस्तावों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों मे पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों को उनके डिजाइन और माडल को देखने के बाद उन्हें परेड में प्रस्तुत करने के लिए नहीं चुना जा सका।

कालीकट बन्दरगाह के निर्माण पर व्यय

1093. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालीकट बन्दरगाह के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : 11.62 लाख रुपये। इसमें अधिग्रहण करने, इस पर तारों की बाड़ वगाने और सर्वेक्षण कार्य पर होने वाला खर्च भी शामिल है

स्टेपल यार्न का मूल्य निर्धारित करना

1094 **श्री राम अवध :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेपल यार्न के 5 किलो ग्राम के वण्डल पर अंकित मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) स्टेपल यार्न की कीमत पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। कुछ विनिर्माता विपणन की सुविधा के लिए बंडलों पर कीमत अंकित करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गया जिले में बराबार पहाड़ी पर पर्यटन सुविधायें

1095. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गया जिले की बराबार पहाड़ी पर्यटकों की बहुत पसंद की जगह है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस स्थान पर पर्यटन सुविधायें बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : भारत में प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्य वाले अधिकांश स्थान हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं ; इसमें संदेह नहीं कि बिहार के अन्तर्गत गया जिले में बराबार पहाड़ी इन्हीं में से एक है । परन्तु फिर भी केन्द्रीय सेक्टर में यात्रा परिपथ के आधार पर पर्यटन विकास पर बल दिया गया है जिसमें अभिनिर्धारित यात्रापरिपथों के साथ पड़ने वाले यात्रा केन्द्रों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है । बराबार पहाड़ी को बिहार में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों में से किसी भी यात्रा परिपथ में शामिल नहीं किया गया है ; अतः केन्द्रीय सेक्टर में इस स्थान के विकास के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए प्रत्येक राज्य में यात्रा परिपथों को अंतिम रूप दिया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम हथियारों की प्राप्ति

1096. **श्री राम स्वरूप राम :**

श्री सज्जन कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम हथियारों की प्राप्ति से भारत की सुरक्षा को भारी चुनौती है और पूरा देश पाकिस्तान विमानों की प्रहार परिधि के भीतर आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अमरीका सहित अनेक देशों से भारी मात्रा में आधुनिक और नवीनतम प्रणालियों युक्त सैनिक साज समान प्राप्त करके अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है ।

(ख) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई के बारे में सरकार ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही सरकारों को अपने विचार स्पष्ट रूप में बता दिए हैं । इन गतिविधियों का देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सरकार पूरी तरह जागरूक है और पूरी तथा पर्याप्त रक्षा तैयारियां बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है ।

कच्चे रेशम के उत्पादकों को उदार राज सहायता देना जारी रखना

1097. **श्री रेणु पद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारंभिक टसर उत्पादक सरकार की ओर से भारी राजसहायता दिये जाने के कारण संतुष्ट है और वे अच्छे किस्म के रेशम का उत्पादन करने में अधिक रूचि नहीं ले रहे हैं परन्तु इस प्रकार वे इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार करने की सरकार की उदार आयात नीति में बाधक बन रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार कच्चे रेशम के उत्पादकों को उदार राज सहायता जारी रखने के मामले में पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है ।

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

प्रकंपों के कारण कैम्पबेल की खाड़ी में नौसेना को जेटी को क्षति

1098. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में आये अत्यन्त भारी प्रकंपों से कैम्पबैल की खाड़ी में नौसेना जेटी को समग्र रूप से क्षति हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है ;

(ग) क्या कुछ बड़ी यंत्रीकृत नौकाओं और रक्षा पोतों की भी क्षति हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : भूचाल के कारण कैम्पबेल की खाड़ी में जेटी में छः इंच की एक दरार आ गई और उसकी एक बत्ती को क्षति पहुंची ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल के नृत्य दल को अनुमति न देना

1099. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिये पश्चिम बंगाल के नृत्य दल को अनुमति न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए नृत्य दल को अनुमति देने का अनुरोध किया था ;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा यह अनुरोध ठुकरा दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) : गणतंत्र दिवस समारोह 1982 में लोक नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के 2 प्रस्तावों समेत 22 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों से 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, इन पर लोक नृत्य समिति द्वारा जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, विचार किया गया था। इन विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को केवल गुण-दोष के आधार पर विवेचना करने के बाद समिति ने केवल 14 लोक नृत्य चुने थे क्योंकि लोक नृत्य समारोह के लिए सीमित समय को देखते हुए परेड में अधिक से अधिक 14 नृत्य ही शामिल किए जा सकते थे।

व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का पुनरीक्षण

1100. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच व्यापार में संवर्धन करने के लिए प्रयास कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पुनरीक्षण की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत सरकार ई० ई० सी० के साथ भारत के निर्यात बढ़ाने तथा ई० ई० सी० के साथ व्यापार के वर्तमान प्रतिकूल सन्तुलन को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

(ख) तथा (ग) : नई दिल्ली में 22 तथा 23 जनवरी, 1982 को हुई भारत ई० ई० सी० संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अन्य बातों के साथ साथ 1982 के लिए उपलब्ध साधनों के भीतर भारत ई० ई० सी० व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय अतिरिक्त गतिविधियों पर विचार करने की सहमति दी।

चीनी का आयात

1101. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मांग पूरी करने के लिये इस वर्ष चीनी को आयात करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : चीनी का आयात करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के निगमों/विभागों द्वारा अर्जित लाभ

1102. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सभी निगम और विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मुनाफे में रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के ऐसे निगमों और विभागों के नाम क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक निगम और विभाग द्वारा कितना लाभ दर्शाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : वायुदूत को छोड़कर, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणावर्ती सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया है । इस मंत्रालय के विभाग वाणिज्यिक आधार पर कार्य नहीं करते ।

(ख) : केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणवर्ती उद्यमों को वर्ष 1981-82 के दौरान हुआ अनुमानित लाभ निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
(1) भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	9.86
(2) एयर इंडिया	10.00
(3) इंडियन एयरलाइंस	8.00
(4) भारत पर्यटन विकास निगम	1.30

भारतीय भोजन, कला और शिल्प का "एक्सपीरिएंस इण्डिया" समारोह

1103 **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया और वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स द्वारा पश्चिम एशिया के चार प्रमुख नगरों में भारतीय भोजन, कला और शिल्प का 14 दिवसीय समारोह "एक्सपीरियेंस इण्डिया" संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों का ब्योरा क्या है ;

(ग) भारतीय व्यक्तियों को बाहर भेजने में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है और इनकी अर्हतायें क्या हैं : और

(घ) विदेशों में भेजे गये व्यक्तियों के चयन के मानदंड क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य एयर-इंडिया पर ट्रैफिक का संवर्धन विशेष रूप से एयर-इंडिया की गल्फ और भारत के बीच सेवाओं का तथा साथ ही साथ वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स के होटलों के विक्रय की अभिवृद्धि करना था ।

(ग) एयर-इंडिया द्वारा कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई । तथापि, विदेशों में विक्रय संवर्धन करने के लिये होटलों को विदेशी मुद्रा रिलीज करने सम्बन्धी स्कीम के अधीन वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स को मध्य पूर्व में अभिवृद्धि करने के लिये 12,240 यू० एस० डालर की मंजूरी दी गई थी । इस राशि में से वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स ने "एक्सपीरियेंस इंडिया" समारोह के लिये अपने कार्मिकों के संवर्धनात्मक दौरे पर 10,200 यू० एस० डालर का उपयोग कर लिया है । चूंकि समारोह का आयोजन सीधे एयर-इंडिया और वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स द्वारा किया गया था, विदेश भेजे गये भारतीय कार्मिकों की अर्हताओं के बारे में उन्होंने ही निर्णय लिया था ।

(घ) चूंकि उन कार्मिकों का चयन, जो विदेश भेजे गये थे, वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स ने किया था, सरकार इस मामले में कसौटी निर्धारित करने से सम्बन्धित नहीं थी ।

भूतपूर्व सैनिक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करना

1104. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का कार्य-क्षेत्र और कृत्य क्या हैं और इसके प्रबन्धक वर्ग के स्वरूप कौन-कौन है और इस कार्यकरण की पद्धति क्या है; और

(ग) यह निगम किस तारीख से कार्य करना शुरू कर देगा और अपने निजी औद्योगिकी एककों की स्थापना करने के लिये भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) : भूतपूर्व सैनिक औद्योगिक विकास निगम के रूप में किसी विशेष निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऐसे औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों को उचित समर्थन दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई जाती हैं ।

छठी योजना के दौरान वायुदूत विमान सेवा का विस्तार

1105. श्री के० प्रधानी :
श्री उत्तम राठोर :
श्री एम०एम० लारेंस :
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऐसे शहरों अथवा नगरों के नाम क्या हैं जहां इस समय वायुदूत विमान सेवा चल रही है ;

(ख) क्या सरकार का छठी योजनावधि में फीडर विमान सेवा वायुदूत का विस्तार करने के लिये एक प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजना की बाकी अवधि में देश के कुछ और छोटे शहरों अथवा नगरों में वायुदूत सेवायें उपलब्ध कराने जाने की सम्भावना है ; और

(घ) वायुदूत विमान सेवाओं के साथ जोड़े जाने वाले प्रस्तावित शहरों और नगरों के नाम के बारे में ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : गौहाटी, बारापानी, कैलाशहर, अगरतला, रूपसी, कमलापुर, डिब्रुगढ़ (छबुआ), तेजू ।

(ख) : जी, हां ।

(ग) : जी, हां ।

(घ) : वायुदूत सेवाओं का देश के अन्य मार्गों के लिये चरणों में विस्तार किया जा रहा है । प्रथम चरण में, 23 स्टेशनों (विवरण संलग्न) को जोड़ने का प्रस्ताव है ।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले अनुमोदित स्टेशनों की सूची ।

आन्ध्र प्रदेश	—	कुडप्पा
		राजामुंदरी
		वारंगल
बिहार	—	जमशेदपुर
		गया
		मुजफ्फरपुर
		पूर्निया

कर्नाटक	—	रायचूर
		हुबली
केरल	—	कालीकट
मध्य प्रदेश	—	बिलासपुर
		जगदलपुर
महाराष्ट्र	—	नान्देड़
उड़ीसा	—	रूरकेला
पंजाब	—	लुधियाना
राजस्थान	—	कोटा
		बीकानेर
		जैसलमेर
तमिलनाडु	—	तंजावुर
उत्तर प्रदेश	—	देहरादून
		गाजीपुर
		पन्तनगर
		रायबरेली

उड़ीसा में रक्षा उत्पादन केन्द्र का खोला जाना

1106. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रक्षा उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में एक रक्षा उत्पादन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) उड़ीसा में ऐसा रक्षा उत्पादन केन्द्र किस स्थान पर खोले जाने की सम्भावना है ; और

(ड.) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) आयुध कारखानों के बारे में यह सूचना प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ड.) यह प्रश्न नहीं उठते ।

इंडियन एयरलाइन्स के "जेट" विमानों द्वारा जोड़े गए शहर/नगर

1107. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से शहर और नगर है जिन्हें इस समय इंडियन एयरलाइन्स के जेट विमानों द्वारा जोड़ा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स जेट विमानों के बेड़े में नया विमान जोड़ा गया है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में इंडियन एयरलाइन्स के जेट कनेक्शन द्वारा कितने और शहरों और नगरों को शामिल किए जाने की संभावना है ; और

(घ) ऐसे शहरों और नगरों के नाम क्या हैं जहां इंडियन एयरलाइन्स के जेट विमान एशियाई खेल, 1982 से पूर्व चलाये जा सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : इंडियन एयरलाइन्स की जेट सेवाओं से निम्नलिखित स्थानों को जोड़ा गया है—

1. अगरतला
2. आगरा
3. अहमदाबाद
4. अमृतसर
5. औरंगाबाद
6. बागडोगरा
7. बंगलौर
8. भावनगर
9. भोपाल
10. भुबनेश्वर
11. भुज
12. बम्बई
13. कलकत्ता
14. चंडीगढ़
26. जाम नागर
27. जोधपुर
28. जोरहाट
29. खजुराहो
30. लेह
31. लखनऊ
32. मद्रास
33. मंगलोर
34. नागपुर
35. पटना
36. पोर्ट ब्लेयर
37. राजकोट
38. रांची
39. श्रीनगर

15. कोचीन
16. डबोलिम
17. दिल्ली
18. डिब्रूगढ़
19. गौहाटी
20. ग्वालियर
21. हैदराबाद
22. इम्फाल
23. इन्दौर
24. जयपुर
25. जम्मू
40. त्रिची
41. त्रिवेन्द्रम
42. उदयपुर
43. बाडोडरा
44. वाराणसी
45. काबुल
46. ढाका
47. माले
48. काठमाण्डू
49. करांची
50. लाहौर
51. कोलम्बो

(ख) : दो अतिरिक्त एयरबस तथा 4 अतिरिक्त ब-737 विमान क्रमशः मई 1982 तथा अगस्त/सितम्बर, 1982 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में शामिल कर लिये जाएंगे।

(ग) और (घ) : 1 जून, 1982 से लागू होने वाली आगामी ग्रीष्म-कालीन समय-सारणी में गौहाटी के लिये एयरबस सेवा तथा सिल्चर और पुणे के लिये बी-737 सेवा परिचालित करने की योजना है। मदुरै, कानपुर तथा विशाखापत्तनम् के लिये अक्तूबर, 1982 तक बी०-737 सेवा के परिचालन की योजना है।

2.75 करोड़ एल० आई० सी० लोन फार बोगस हाउसिंग बोर्ड शीर्षक समाचार

1108. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी 1982 के अंग्रेजी साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में 2.75 करोड़ एल० आई०सी० लोन फार बोगस आ हाउसिंग बोर्ड (बोकस आवास बोर्ड के लिए जीवन बीमा निगम का 2.75 करोड़ रुपए का ऋण) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सम्बद्ध संस्था और व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऋण के वापस लेने के लिए क्या कार्रवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। समाचार एक की प्रति सलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई-देखिए संख्या एल० टी० 3423/82]

(ख) यह समाचार ठीक नहीं है। राज्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम की आवास ऋण सहायता केवल राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दी जाती है। प्रश्न में उल्लिखित आवास बोर्ड को भारतीय जीवन बीमा निगम ने कोई ऋण नहीं दिया है।

सामान्य बीमा निगम की सेवाओं में आरक्षित कोटा

1109. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 की भर्ती के दौरान भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा सेवाओं में विशेषकर प्रथम और तृतीय श्रेणी के पदों में सांविधिक आरक्षित कोटे को न भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों में कर्मचारियों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति के मामले में भारी पिछली कमी है ;

(ग) यदि हां, तो इस पिछली कमी को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ;

(घ) भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रथम श्रेणी (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) और तृतीय श्रेणी के पदों के लिए शिक्षा अर्हताओं के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ.) क्या सामान्य बीमा निगम के वर्तमान नियमों में पदोन्नति के रिक्त पदों में में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे की व्यवस्था है।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ.) तक वर्ष 1980 के दौरान की गई कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार थी :—

	भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या	कुल भर्ती में अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों का प्रतिशत
पहली श्रेणी	125	31	25 प्रतिशत

1	2	3
(सामान्य सूची)		(अनुमानत:)
तीसरी श्रेणी 1766	239	13.5 प्रतिशत
चौथी श्रेणी 278	136	48.9 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि पहली श्रेणी और चौथी श्रेणी के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन- जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित कोटे से ज्यादा भर्ती हुई थी। फिर भी तीसरी श्रेणी के पदों पर भर्ती के मामले में कुछ कमी हुई क्योंकि विभिन्न प्रशासनिक कारणों से सारे देश में पूरी संख्या में भर्ती नहीं हो सकी।

साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां भर्ती के मामले में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को विभिन्न रियायतें देकर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को लेकर के पहले से खाली पदों को भरने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। यह जरूरी नहीं समझा गया है कि पहली श्रेणी और तीसरी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं में ढील दी जाए क्योंकि ऐसा करने से किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नही हुआ है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा पदोन्नति नियमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7-1/2 प्रतिशतों पदों के आरक्षण की व्यवस्था है।

सामान्य बीमा के बारे में प्राप्त किया गया प्रीमियम

1110. **श्री मोहम्मद अफरार अहमद**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैंडर वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान देश में (कम्पनीवार, वर्षवार और राज्यवार) सामान्य बीमा के प्रीमियम की प्राप्त की गई राशि कितनी है ;

(ख) उपभोक्ता प्रीमियम के मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बीमा कंपती में, राज्यवार, और कंपनीवार कितने कर्मचारी और एजेंट (अलग-अलग) कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों आदि पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और प्रत्येक वर्ष कुल व्यय में उसकी प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुबन्ध 1 से 5 तक विवरण

संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल० टी० 3424/82] जिनमें वर्ष 1977 से 1980 तक के दौरान साधारण बीमा निगम और उसकी चारों सहायक कंपनियों द्वारा भारत में सीधे किए गए सकल प्रीमियम कारबार के बारे में राज्य-वार ब्यौरे दिए गए हैं। वर्ष 1981 के सम्बन्ध में इस तरह की पीमियम आय का राज्य-वार विभाजन अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) राज्य-वार जारी की गई पालिसियों की संख्या के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) कर्मचारियों और एजेंटों की संख्या का राज्य-वार विभाजन तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी वर्ष 1977 से 1980 तक साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कंपनियों में कम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक से उधार ली गई राशि

1111. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैंडर वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से कितनी राशि उधार ली गई थी और इसमें राज्यवार और केन्द्रवार कौन कौन सी परियोजनाएं संबद्ध है ;

(ख) ये ऋण किन शर्तों पर लिए गए थे ; और

(क) क्या वे परियोजनाएं इस बीच कार्यान्वित की गई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इस समय 11.6 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देता है। यह दर विश्व पूंजी बाजारों से लिए गए उधारों की लागत से सम्बद्ध है। ऋण के संवितरित न किए गए भाग पर 1 5 प्रतिशत का प्रारम्भिक शुल्क और 0.75 प्रतिशत का वचन-बद्धता शुल्क भी लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन ऋणों के संवितरित न किए गए भाग पर 0.5 प्रतिशत का वचनबद्धता शुल्क और संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभाग लगाया जाता है।

विवरण			
राज्य/क्षेत्र	परियोजना का नाम	करार पर हस्ताक्षर की तारीख	विदेशी सहायता की राशि/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (मिलियन डालर)
1. राज्य क्षेत्र	2	3	4
1. तमिलनाडु	मद्रास नगर विकास--1	1.4.1977	24.00
2. केरल	केरल कृषि विकास	1.4.77	30.00
3. उड़ीसा	उड़ीसा कृषि विकास	1.4.77	20.00
4. गुजरात	गुजरात मीन उद्योग	22.4.77	4.00
5, गुजरात	गुजरात मीन उद्योग	22.4.77	14.00
6. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कृषि विस्तार	1.6.77	12.00
7. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश का कृषि विस्तार	1.6.77	10.80
8. तमिल नाडु	पैरियार वैगई सिंचाई	30.6.77	23.00
9. आसाम	आसाम कृषि विकास	30.6.77	8.00

1	2	3	4
10. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सिंचाई	11.10.77	70,00
11. उड़ीसा	उड़ीसा सिंचाई	11.10.77	58.00
12. राजस्थान	राजस्थान कृषि विस्तार और अनुसंधान	14.11.77	13.00
13. बिहार	बिहार कृषि विस्तार	6.1.78	8.00
14. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता नगर विकास—ii	6.1.78	87.00
15. कर्नाटक	कर्नाटक सिंचाई	12.5.78	117.64
16. आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश मीन उद्योग	19.6.78	17.5
17. जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर बागवानी	17.7.78	14.00
18. गुजरात सिंचाई	गुजरात सिंचाई	17.7.78	85.00
19. हरियाणा	हरियाणा सिंचाई	16.6.78	111.00
20. पंजाब	पंजाब जलपूर्ति और मल निकासी	27.10.78	38.00
21. महाराष्ट्र	बम्बई जलपूर्ति और मल निकासी	13..11.78	196.00
22. पंजाब	पंजाब सिंचाई	30.3.79	129.00

1	2	3	4
23. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जलपूर्ति और मल निकासी	21.6.79	48.00
24. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सामाजिक वनपालन	21.6.79	2[illegible].00
25. महाराष्ट्र	द्वितिय महाराष्ट्र सिंचाई	14.4.80	210.00
26. गुजरात	गुजरात सामुदायिक वनपालन	14.4.80	37.00
27. तमिल नाडू	तमिलन डू पोषाहार	12.5.80	32.00
28. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकारी ट्यूबवेल	12.5.80	18.00
29. गुजरात	द्वितीय गुजरात सिंचाई	12.5.80	175.00
30. केरल	केरल कृषि विस्तार	25.6.80	10.00
31. पंजाब	कांडी जल विभाजक क्षेत्र और क्षेत्र विकास	12.9.80	30.00
32. राजस्थान	राजस्थान जल पूर्ति और मल निकासी	25.6.80	80.00
33. पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता नगर परिवहन परियोजना	27.10.80	56.00
34. कर्नाटक	कर्नाटक रेशम कीटपालन उद्योग	27.10.80	54.00
35. बिहार	बिहार ग्रामीण सड़कें	5.12.80	35.00

1	2	3	4
36. उड़ीसा	महानदी बांध	5.12.80	83.00
37. तमिल नाडू	द्वितीय मद्रास नगर विकास	14.1.81	42.00
38. कर्नाटक	कर्नाटक तालाब सिंचाई	26.3.81	54.00
39. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई	26.3.81	140.00
40. तमिलनाडू	ततिलनाडू कृषि विस्तार	7.5.81	28.00
41. तमिल नाडू	तमिलनाडू अखबारी कागज	23.9.81	100.00
42. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार	7.5.81	37.00
43. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि विस्तार	7.5.81	23.00
केन्द्रीय क्षेत्र			
1. सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत परियोजना		1.4.77	150.00
2. बम्बई हाई अपतट विकास		30.6.77 (समाप्त)	150 00
3. कृषि पुनर्वित विकास निगम--II		1.6.77	200.00
4. द्वितीय खाद्यान्न भण्डारण		6.1.78	107.00

1	2	3	4
5.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/संयुक्त/सरकारी	1.3.78	25.00
6.	कोरवा सुपरतापीय बिजली परियोजना	12.5.78	200.00
7.	राष्ट्रीय डेरी	19.6.78	150.00
8.	तृतीय ट्राम्बे तापीय परियोजना	19.6..78	105.00
9.	सातवां दूर संचार	19.6.78	120.00
10.	रेलवे का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण	13.11.78	190.00
11.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विद्युत	7.12.78	27.00
12.	रामागुंडम सुपर तापीय विद्युत परियोजना	2.2.79	200.00
13.	रामामागुन्डम सुपर तापीय विद्युत परियोजना	2.2.79	50.00
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम—ii परियोजना	21.6.99	175.00
15.	द्वितीय सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत परियोजना	5.6.80	300.00
16.	फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना	11.7.80	225.00
17.	फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजन	11.7.80	25.00

1	2	3	4
18. कृषि पुनर्वित्त विकास निगम—iii		20.8.79	250.00
19. द्वितीय बम्बई हाई अपतट विकास परियोजना		11.12.80	400.00
20. आठवीं दूर संचार परियोजना		26.3.81	314.00
21. हाजिरा उर्वरक परियोजना		28.10.81	400.00
बहुराजीय			
1. बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश	द्वितीय राष्ट्रीय बीज परियोजना	17-7-78	16.00
2. हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	2-2-75	30.00
3. कर्नाटक, गुजरात, और हरियाणा	संयुक्त कृषि परियोजना	16-2-79	25.00
4. बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश			

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	अन्तर्देशीय मीन उद्योग	18-1-80	20.00
5. आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश	द्वितीय भारत जनसंख्या	14-4-80	46.00
6. उड़ीसा कर्नाटक केरल और आन्ध्र प्रदेश	काजू	10-6-80	22.00
7. उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश	द्वितीय राष्ट्रीय सहकारिता निगम	27-7-81	125 00

1	2	3	4
गैर-सरकारी			
1. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (सरकार द्वारा गारंटी शुदा)	बारहवां औद्योगिक ऋण और निवेश	22-7-77	80.00
2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (सरकार द्वारा निवेश गारन्टी शुदा)	चौदवां औद्योगिक ऋण और निवेश	8-10.81	150.00
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	तेरहवां औद्योगिक ऋण और निवेश	16-5.80	100.00

उड़ीसा को विश्व बैंक सहायता

1112. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा बिजली परियोजनाओं, बिजली और सिंचाई सुविधाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना (ऋण संख्या 740-आई० एन०) तथा महानदी बांध परियोजना (ऋण संख्या 1078 आई० एन०) को उड़ीसा सरकार द्वारा आजकल क्रियान्वित किया जा रहा है।

इन्द्रावती पनबिजली विद्युत परियोजना के ऊपरी सिरे तथा सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना (बिहार और उड़ीसा) को विश्व बैंक के सम्मुख सहायता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों से गुजर रही हैं।

देशीय एयर बस सेवाओं में "प्रथम श्रेणी" आरम्भ करना

1113. **श्री नवीन रबाणी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशीय एयरबस सेवाओं "प्रथम श्रेणी" आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए किराये की प्रतिशतता क्या होगी,

(ग) "प्रथम श्रेणी" में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसे कब आरंभ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर और विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति

1115. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में किन किन व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त किया गया और वे किन किन हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार ने इस वर्ष निम्नलिखित बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की है :—

1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया

2. बैंक आफ इण्डिया

3. पंजाब नेशनल बैंक

4. बैंक आफ बड़ौदा

5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

6. केनरा बैंक

7. देना बैंक

8. सिंडिकेट बैंक

9. यूनियन बैंक आफ इण्डिया

10. इलाहाबाद बैंक

11. बैंक आफ महाराष्ट्र

12. इण्डियन ओवरसीज बैंक

13. न्यू बैंक आफ इण्डिया

14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इन निदेशकों के नाम तथा जिन हितों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वे अनुबन्ध में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी०० 3425/82]

जिन निदेशकों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो गया है वे अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होने तक राष्ट्रीय बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 की धारा 9 (3) के अनुसार अपने पद पर बने रहेंगे।

एशियाई खेलों के दौरान यात्रियों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था

1116. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय एशियाई खेलों के दौरान यात्रियों के लिए सस्ते आवास की कोई व्यवस्था कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली में 527 कमरों/1200 बैड वाले एक एकीनामी क्लास होटल अशोक यात्री निवास का निर्माण कर रहा है जो एशियाई खेलों के लिए

आवास सम्बन्धी जरुरतों को भी पूरा करेगा । यह होटल बजट यात्रियों/पर्यटकों की जरुरतों की पूर्ति करेगा और सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराएगा । अशोक यात्री निवास के प्रस्तावित टैरिफ नीचे दिए गए हैं :

सिंगल आकुपैंसी	50 रुपए
डबल आकुपैंसी	60 रुपए (30 रुपए प्रति बैड)
फैमली आकुपैंसी	72 रुपए(13 रुपए प्रति बैड)

दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने एशियाई 1982 के दौरान आने वाले यात्रियों से लिए पेइन्ग गेस्ट आवास का रजिस्ट्रेशन करना प्रारम्भ कर दिया है जिसके लिए प्रेस में विज्ञापन देकर मकान मालिकों से आफर्स आमन्त्रित की गयीं थीं और उनसे बहुत उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त हुए हैं । अभी तक 3375 कमरों र लिए जिनकी बैड क्षमता 6400 है, आफर्स प्राप्त हुई हैं । इन गृह-परिसरों का निरीक्षण किया जा रहा है । यात्रियों को ये कमरे 50 रुपए और इनसे अधिक किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

इसके अलावा, बजट पर्यटकों आवास उपलब्ध कराने के लिए कुछ कैम्पि पार्कों में टेंट में लगाकर आवास उपलब्ध कराया जाएगा ।

चीन का भारत से लौह-अयस्क आयात करने का इरादा

1117. **श्री लक्षमण मलिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने भारत से लौह-अयस्क आयात करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो चीन को प्रतिबन्ध लौह.अयस्क की कुल कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है ;

(ग) निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क का मूल्य क्या होगा ; और

(घ) चीन को लौह अयस्क निर्यात करने के संबंध में अब तक क्या प्रबंध किये गये हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक चार सदस्यीय चीनी प्रतिनिधी मण्डल ने अपने इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के लिए भारतीय लौह अयस्क की उपलब्धता और उपयुक्तता तथा भारत में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं का पता चलाने के लिए नवम्बर 1981, में भारत का दौरा किया । प्रतिनिधिमण्डल ने भारत से लौह अयस्क का आयात करने में रुचि दिखाई किन्तु कहा कि वे अपनी सही-सही आवश्यकताएं यथा समय सूचित करेंगे -

(ख) चीन को वर्ष 1978-79 में 54,000 मी० टन और 1979-80 में 65,000 मी० टन तक लौह अयस्क के परीक्षण निर्यात किए गए ।

नयी किस्म के मल्टीफाइबर करार का अनुसमर्थन

1118. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने नई किस्म के मल्टी फाइबर करार (एन० एफ० ए०) का अनुसमर्थन किया है और इसे चार वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है : और

(ख) यदि हां, तो पिछले समझौते की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ग) नये करार से भारत के हितों को कितना लाभ पहुंचा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री(श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बहुरेशा प्रबन्ध का दूसरा कार्यकाल, जो 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुआ, 23 दिसम्बर, 1981 में जेनेवामेंगाट वस्त्र समिति द्वारा संलेख की अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताब को स्वीकार किए जाने पर चार साल और सात महीने (1 जनवरी 1982 से लेकर 31 जुलाई, 1986 तक) की और अवधि के लिए नवीकृत किया गया। भारत ने, जो कि बहुरेशा प्रबंध के 1974 में आरम्भ होने के समय से उनका हस्ताक्षरकर्ता रहा है। 31.12.1981 की अवधि बढ़े हुए बहुरेखा प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किये हैं।

2. बहुरेखा प्रबन्ध के कार्यपालन को दूसरे कार्यकाल (1978 से 1981 तक) के दौरान कई आधार भूत क्षेत्रों में बहुरेशा प्रबन्ध की व्यवस्थाओं में सामान्य अस्त-व्यस्तता आ गई जिसके परिणाम स्वरुप विकासशील देश को विकसित देशों के बाज़ारों का उचित अंश नहीं मिल सका।

3. नये बहुरेशा प्रबन्ध में नीति संबंधी मुख्य लाभ यह है कि उचित अवक्रिम खन्ड को समाप्त किया गया है जो पहले वाले प्रबन्ध का भाग था और जिसका विकासशील देशों के अहित के लिए प्रयोग किया गया। इसके अलावा नये बहुरेशा प्रबन्ध में निम्नलिखित बातें हैं जो पिछली प्रबन्ध में सुधार दर्शाती है ;

(1) कोटा प्रतिबन्ध लगाने के लिए मूल प्रबन्ध में निर्धारित वस्तुपरक कसौटियों की प्रधानता का दोहराया गया है।

( ) उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए (1) आयातक देशों के लिए यह जरुरी बना दिया गया है कि प्रतिबन्ध लगाने की कार्रवाई के अनुरोधों के साथ संगत विशिष्ट वास्तविक जानकारी भेजी जायेगी और (2) प्रतिबन्ध को न्यायोचित ठहराने वाली बाजार अव्यस्था के चलते रहने की स्थिति के बारे में टी एस बी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

(3) मूल बहुरेशा प्रबन्ध में निर्धारित वृद्धि की निम्न दरों को बाजार अव्यवस्था के द्वारा पैदा होने या उसमें बढ़ने के असाधारण मामलों में केवल द्विपक्षीय करारों के जरिये ही संभव बनाया गया है।

(4) लोचशीलता से हटने की व्यवस्था, प्रधान सप्लायरों के सम्बन्ध में बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाये गए और बहुत बड़े प्रतिबन्ध स्तरों के लिए की गई है। इस मामले में भी निर्यातक के अधिकारों को माना गया है।

(5) जबकि वर्तमान कोटास्तरों के भीतर निर्यात बढ़ाने के लिए समर्थकारी व्यवस्था की गई है आयात वृद्धियों के मामले में निर्यातक देशों को न्यायोचित और अनुमान्य मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है।

(6) ढांचे सम्बन्ध और स्वायतशासी समायोजन नीतियों और उपायों को सतत आधार पर मानिटर करने के लिये संस्थागत व्यवस्था की गई है तथा वस्त्र समिति को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि वह समायोजन उपायों सम्बन्धी उप समिति की रिपोर्टों की समीक्षा करे।

(7) साथ-साथ नये प्रवेश कर्ताओं और छोटे सप्लायरों तथा साथ ही ब्लूटाप जैसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों को क्रमवद्ध रूप से लगाने की व्यवस्था की गई है।

(8) छोटे सप्लायरों और नये प्रवेशकर्ताओं के साथ अनुकूल व्यवहार किया गया है।

(9) हथकरघा और कुटीर उद्योग के लोक उत्पादों के लिए मूल बहुरेशा प्रबन्ध में विशेष कोटा मुक्त व्यवस्था को बनाये रखा गया है।

(10) नये बहुरेशा प्रबन्ध में यह व्यवस्था है कि रुई उत्पादक निर्यातक देशों से सूती वस्त्रों के निर्यातकों का विशेष ध्यान रखा रहना चाहिए।

4. जहां तक भारत को सम्बन्ध है इसकी मुख्य चिन्ता है आधार कोटा स्तरों का निर्धारण, बहुरेशा प्रबन्ध के उपबन्धों के अनुसार वृद्धि दरें और लोचशील उपबन्धों तथा हथकरघा एवं भारत की मदों के लिये छूट का दर्जा। 1 जनवरी, 1982 से लागू नये संलेख के अनुसार इन बातों की अधिकांशत:/पूर्ति हो जायेगी।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डियन द्वारा कम्पनियों को दिया गया ऋण

1119. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बम्बई मुख्य कार्यालय ने (एक) अग्रवाल टैक्सटाइल इंडस्ट्री और (दो) मैसर्स रमेश अग्रवाल डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स, बसई, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को ओवरड्राफ्ट् ऋण, हुण्डी और आर्य बैंक सुविधाओं के रूप में करोड़ों रुपया उधार दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को उपरोक्त दोनों पार्टियों की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ग) क्या यह सच है कि ये दोनों कम्पनियां "भागीदार" बन गयी है और अब ये कोर्ट-रिसीवर के अधीन है ;

(घ) इन कम्पनियों को अन्य पार्टियों की ओर कितनी धनराशि बकाया है और उसमें से कितनी-कितनी राशि (क) प्राप्त (ख) अप्राप्य और (ग) संदिग्ध हैं ;

(ड.) क्या उपरोक्त दोनों कम्पनियों के उन गोदामों में नकली आग की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, जो कोर्ट रिसीवर के अधीन है ; और

(च) यदि हां, तो बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के अधीन तथा बैंकरों में प्रचलित रीति रीवाजों तथा प्रथाओं के अनुसरण में बैंकों के अलग अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रगट नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल

1120. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंकों के निदेशक मण्डलों में कुल कितनी नियुक्तियां होनी शेष हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितने निदेशक मण्डल बढ़ाई गयी अवधि में अब तक काम कर रहे हैं ; और

(ग) उपरोक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डल सम्बन्धी नियुक्तियों में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) सूचना संलग्न विवरण में अन्तर्विष्ट है।

(ख) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सरकार द्वारा इस वर्ष 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों को पुनर्गठित किया गया है। शेष छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में वर्तमान निदेशक मण्डल अभी कार्यरत हैं इण्डियन बैंक तथा यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के मण्डलों के निदेशकों के कार्यकाल की निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद वे, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 9 (3) के अधीन कार्य भारत संभाले हुए हैं। और

(ग) इन बैंकों के निदेशक बोर्डों का शीघ्र ही पुनर्गठन करने का विचार है।

विवरण

बैंक का नाम	नियुक्त किये जाने वाले गैर सरकारी निदेशकों की अधिकतम संख्या	पदों पर अवस्थित गैर सरकारी निदेशकों की वास्तविक संख्या
1. सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	9	8

1	2	3
2. बैंक आफ इण्डिया	9	8
3. पंजाब नेशनल बैंक	9	8
4. बैंक आफ बडौदा	9	8
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	9	8
6. केनरा बैंक	9	8
* 7. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	9	8
8. देना बैंक	9	8
9. सिंडीकेट बैंक	9	8
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	9	8
11. इलाहाबाद बैंक	9	7
* 12. इण्डियन बैंक	9	7
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	9	7
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक	9	8
* 15. आंध्र बैंक	9	—
* 16. कारपोरेशन बैंक	9	—
17. न्यू बैंक आफ इण्डिया	9	7
* 18. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	9	—
19. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9	7
20. विजया बैंक	9	—
जोड़	180	121

* इन छः बैंकों के सम्बन्ध में बोर्डों को शीघ्र ही पंनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव है। (1) आंध्र बैंक (2) कारपोरेशन बैंक (3) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (4) विजया बैंक के बोर्डों में इस समय कोई गैर सरकारी निदेशक नहीं है।

संगठन और प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर) में किए जा रहे अध्ययन

1121. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठन और प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर) में कौन-कौन से अध्ययन किये जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक अध्ययन कब-कब (महीना और वर्ष) शुरू किया गया था ; और

(ख) प्रत्येक अध्ययन कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर) में किये जा रहे चुनिन्दा अध्ययनों की एक सूची संलग्न है जिसमें उनके शुरु करने का महीना तथा वर्ष निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) इस अवस्था पर, इन अध्ययनों के पूरा होने की संभावित तारीखों के बारे में ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर), नई दिल्ली में किये जा रहे चुनिन्दा अध्ययनों की सूची ।

क्रम संख्या	अध्ययन	आरम्भ करने का महीना तथा वर्ष
1.	नमूना छानबीन में पता लगाई गई अप्रकट आय के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना तथा उसका विशेषण करना	फरवरी, 1982
2.	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारियों के लिए कम्प्यूटराइज्ड कैरियर मैनेजमैंट सिस्टम पुनः चालू करने के लिए प्रस्ताव	नवम्बर, 1981
3.	विचाराधीन बड़े मामलों की सही रिपोर्ट देना	सितम्बर, 1981
4.	'होटल प्राप्ति कर' की वसूली की लागत	जनवरी, 1982
5.	प्राप्ति लेखा के लिए लेखा एकक में उप लेखा नियन्त्रक के 7 पदों का सृजन	अक्तूबर, 1980
6.	धारा 146 के अधीन तथा मूल-सुधार के लिए विशेष निशानी वाली आवृत्तियों का रजिस्टर रखना	मई, 1980
7.	निरीक्षी सहायक आयुक्त की ड्यूटी लिस्ट	जनवरी, 1978

8.	उच्च श्रेणी लिपिकों तथा कर सहायकों की ड्यूटी लिस्ट	नवम्बर, 1980
9.	वर्ष 1976 में लागू किये गये आयकर विवरणी की पावती भेजने की प्रणाली का मूल्यांकन	फरवरी, 1982
10.	मानक एककों के अनुसार कार्य का मूल्यांकन	मई, 1981
11.	जिस सीमा तक अर्थदण्ड सम्बन्धी कार्यवाहियां आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बढ़ाने के प्रश्न की जांच	जून, 1981
12.	निरीक्षण प्रभाग का कार्य	फरवरी, 1980
13.	केन्द्रीय सूचना शाखा के कार्यों/कर्मचारियों की व्यवस्था	अक्तूबर, 1981
14.	निरीक्षी सहायक आयुक्त (अधिग्रहण) तथा सहायक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना	जनवरी, 1982
15.	गृह प्रबन्ध कार्यों के लिए वर्ष की प्रथम तिमाही को अलग करने का प्रभाव	फरवरी, 1982
16.	प्रत्यक्ष-कर सांख्यिकी पर मैथ्यू समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन-निरीक्षण निदेशक (ग०, सा० तथा प्र०) के सांख्यिकीय पक्ष की कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था	अक्तूबर, 1981
17.	आय-कर विभाग में माइक्रो-प्रोसेसर आधारित ई० डी० पी० प्रणाली लागू करना	नवम्बर, 1981
18.	स्थायी खाता संख्या (आशोधन) के क्षेत्राधिकार कोड तथा अन्य पहलू	मार्च, 1981
19.	कर-निर्धारण तथा वसूली के लिए क्षेत्राधिकार पद्धति	जनवरी, 1980
20.	आय-कर विभाग में रिकार्ड कीपरों के पदों के लिए मानदण्डों का निर्धारण	मई, 1981
21.	आय-कर की बकाया पड़ी मांग के तिमाही विवरण पत्र तथा कर की बकाया की वसूली/घटौती के बारे में तार से प्राप्त विवरण पत्र के संकलन का तरीका	अप्रैल, 1981

22.	निरीक्षण निदेशालय गवेषणा, सांख्यिकी तथा जन सम्पर्क) तथा निरीक्षण दिदेशालय मुद्रण तथा तथा जन० सम्पर्कमें कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी आवश्यकतायें	जुलाई, 1981
23.	मूल्यांकन कक्ष की कार्यपद्धति का अध्ययन	अक्टूबर, 1979
24.	छोटे पुस्तकालयों की स्थापना	जून, 1981
25.	केन्द्रीय परिमण्डल तथा विशेष जांच पड़ताल परिमण्डल का संगठन तथा कर्मचारियों को रखने का तरीका	फरवरी, 1682
26.	कर-निर्धारण की नवालिटी का वस्तुगत मूल्यांकन करने के लिए परिमापी	अक्तूबर 1981
27.	नोटिस तामील कर्ताओं द्वारा नोटिस तामोल करने की पद्धति को डाक द्वारा नोटिस तामील करने की पद्धति द्वारा क्रमिक रूप से बदलना	जुलाई, 1981
28.	प्राइवेट वेतन परिमण्डल किये गये काम के प्रतिमानों के निर्धारण के लिए अध्ययन	जुलाई, 1981
29.	समूह 'ग' अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनायें	नवम्बर, 1981
30.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन लेखा अधिकारियों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकया	सितम्बर, 1981
31.	आय-कर विभाग में समूह 'घ' पदों (सफाई कर्मचारी, फराश तथा चौकीदार) की आवश्यकता	जनवरी, 1982
32.	आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में एस० ए० पी० की आवश्यकता	जून, 1981
33.	रिकार्ड रखने की पुनः प्राप्ति (रिटाइलल) पद्धति	जून, 1981
34.	रिसीट अकाउन्टिंग की अशोधित पद्धतिकी की कार्यविधि की पुनरीक्षा	अक्तूबर, 1981
35.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ड ड के कार्यचालन की समीक्षा	नवम्बर, 1981
36.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ग के कार्य चालन की समीक्षा	नवम्बर, 1981

37.	ब्लु-बुक आई० टी० एन० एस० 132 का परीक्षण	अप्रैल, 1980
38.	दैनिक वसूली रजिस्टर का पुनरीक्षण	जनवरी,1981
39.	असाविधिक प्रपत्र का एक पुनरीक्षण एक सतत कार्य	अक्तूबर, 1979
40.	सांविधिक प्रपत्रों का पुनरीक्षण एक सतत कार्य	अप्रैल, 1980
41.	आई० टी० एन० एस प्रपत्रों पर छापे जाने वाले 'नारे'	अगस्त, 1981
42.	प्राप्ति लेखाविधि का सरलीकरण	अप्रैल 1981
43.	बैंक स्क्राल के आकार का मानकीकरण	नवम्बर 1980
44.	निरीक्षण निदेशालय (आयकर) परीक्षा कक्ष में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना	अप्रैल, 1981
45.	संक्षीप्ततः कर निर्धारण के निपटान में कमी लोक लेखा समिति (34 वीं रिपोर्ट) के सुझाव का अध्ययन	दिसम्बर, 1981
46.	वर्ष 1970 से 76 के दौरान, कर निर्धारितियों की खोई हुई फाइलों के मामलों का अध्ययन	फरवरी, 1982
47.	प्राप्ति लेखा परीक्षा के समानान्तर संगठन के सन्दर्भ में स्थापित आन्तरिक लेखा-परीक्षा का अध्ययन	जनवरी, 1982
48.	प्रोशोभेवल कैलकुलेटर यूनिट के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन	जनवरी 1981
49.	धारा 243/244 के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी नहीं करने के सम्बन्ध में अध्ययन	फरवरी, 1981
50.	अभिलेखों के भण्डार के सम्बन्ध में अध्ययन	जनवरी, 81
51.	वर्ष 1980-81 में कार्यभार और निपटान के संदर्भ में आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों से आयकर अधिकारियों की संख्या में असंतुलन का जायजा लेने के लिए अध्ययन	अक्तूबर 81
52.	आयकर/अन्य कर-निर्धारणों के निपटान के लिए तीन वर्षीय योजना (1982-85)	फरवरी 1982

53.	विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन पड़े अपीलों को कम करने के लिए तीन वर्षीय योजना (1982-85)	फरवरी 1982
54	एक आयकर अधिकारी से दूसरे आयकर अधिकारी को कर निर्धारण रिकार्डों का अन्तरण पत्रों की पावती स्वीकार करना।	फरवरी 1982
55.	आयकर विभाग के रजिस्टर और अभिलेखों को रखने की अवधियों को अद्यतन बनाना—	
	(क) आयकर विभाग के संबंधित विशिष्ट मामले	मार्च 1981
	(ख) सभी विभागों से सम्बन्धित	अक्तूबर, 1981
56.	कोट नहीं किए गए सामान्य शेयरों का मूल्यांकन	सितम्बर, 1979
57.	पुराने अभिलेखों की छटनी	अप्रैल, 1981
58.	निरीक्षकों के संवर्ग कार्य अध्ययन	मई, 1981

विदेशों से ऋण और विकास के लिए सहायता

1122. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विदेशों से और अधिक ऋण और विकास के लिए सहायता प्राप्त करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विदेशों से प्राप्त ऋण की धनराशि का उपयोग करने के लिये व्यवहार्य योजनाओं और क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) भारत सरकार का विदेशों से ऋण और विकासात्मक सहायता लेने का प्रस्ताव है जो छठी पंचवर्षीय आयोजना में निर्धारित मार्गदर्शकों पर आधारित है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायता के सम्बन्ध में विचार विमर्श को अंतिम रूप दिए जाने पर, जो एक चालू प्रक्रिया है, इस सहायता के ब्यौरों का पता लग सकेगा।

(ग) विदेशी सहायता के उपयोग के लिए स्कीमों और क्षेत्रों कार्यक्रमों का चयन किया जाता है और इसके बाद उनके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सहायता का आबंटन किया जाता है।

खाड़ी देशों के सार्थ संघ की ओर से केरल को सहायता

1123- **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी देशों के सार्थ संघ ने औद्योगीकरण कार्यक्रम के लिए केरल को 10 बिलियन डालर की सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) तथा (ख) भारत सरकार को केरल सरकार की ओर से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो केरल सरकार को खाड़ी के देशों के संघ द्वारा दस अरब अमरीकी डालर का ऋण दिए जाने की पेशकश के बारे में हो।

अगरवत्तियों के निर्यात में कमी

1124. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत चार वर्षों से भारत की अगरबत्तियों के निर्यात में निरन्तर कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण है ; और

(ग) उसके निर्यात में और अधिक कमी न होने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) मूल रसायन भेषजीय पदार्थ तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान अगरवत्तियों के सम्बन्ध में निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए में)
1977-78	6.11
1978-79	6.20
1979-80 (अनुमानित)	5.86
1980-81 (अनुमानित)	6.83

(ख) 1979-80 के दौरान निर्यातों में मामूली गिरावट का मुख्य कारण कुछ परम्परागत खरीदारों अर्थात इथोपिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कम मात्रा में माल उठाया जाना बताया जाना है।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए किये गए/ किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्न लिखित शामिल हैं :

(1) अगर वत्तियों तथा धूप के निर्यात उत्पादन के लिए आपेक्षित अंतर्निविष्ट साधनों को आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर आयात के लिए अनुभेष बनाया गया है ; तथा

(2) मूल रसायन, भेषजीय पदार्थ तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रमुख आयातक देशों तथा विदेशों में संभावित बाजारों को प्रतिनिधिमण्डल/अध्ययन सह-बिक्री दल/बाजार सर्वेक्षण दल प्रयोजित किए जा रहे हैं ।

सशस्त्र सेवाओं के वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण

1125. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेवाओं के अधिकारियों और जवानों के वेतन और भत्तों की पिछली बार वर्ष 1973 में पुनरीक्षा की गयी थी ;

(ख) क्या मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण ये वेतनमान समय अनुकूल नहीं रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सरकार जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में प्रति 8 अंकों की वृद्धि पर मंहगाई भत्ता दे रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंक की मुरादपुर शाखा में ठगी

1126. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय मुरादपुर (बिहार) शाखा में 7,00,000 रु० की ठगी का पता लगा था ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी जाँच की थी ?

(ग) क्या इसी प्रकार धनबाद के यनमोर में स्थित एक अन्य शाखा को भी ठगा गया है ।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) इन मामलों में सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ड.) बैंक के नाम तथा उल्लिखित ठगी की अवधि के अभाव में सरकारी श्रेत्र के सभी बैंकों की मुरादपुर, पटना स्थित शाखाओं से यह सूचना मंगाई गई है । यह सूचना उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय स्टेट बैंक में "जनता "जमा योजना"

1127. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में 'जनता-जमा योजना चला रही है और यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान बिहार राज्य में भरतीय स्टेट बैंक की कितनी-कितनी शाखायें थी ;

(ग) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कितने "जनता जमा-एजेंट" की भर्ती की गयी थीं ,

(घ) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई थी, और

(ड.) यदि बचत की अधिक धनराशि एकत्र नहीं की जा सकी तो उसके क्या कारण हैं और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि एकत्र करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसकी चुनिन्दा शाखाओं में जून,1971 से जनता जमा योजना को कार्यन्वित किया जा रहा है ।

(ख) दिसम्बर,1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 500 थी तथा दिसंबर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक यह संख्या 571 थी । बिहार में, जिन शाखाओं में जनता जमा योजना चलन में थी उनकी संख्या 1979-1980 के दौरान 28 तथा 1980-81 के दौरान 40 थी ।

(ग) 1979-80 और 1980-81 के दौरान बिहार राज्य में इस बैंक द्वारा 40 जनता जमा संग्रहकर्त्ताओं को कार्य पर लगाया गया था .

(घ) बिहार में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जनता जमा संग्रहों की कुल राशि 1979-80 में 29 लाख रुपये तथा 1980-81 में 50 लाख रुपये बैठती है ।

(ड.) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जनता जमा योजनाओं के अन्तर्गत लघु बचतों के संग्रह के मूल्यांकन उत्साहवर्धक हैं लेकिन इसके परिचालन में अधिक लागत अन्तर्ग्रस्त होती है ।

भारतीय स्टेट बैंक में श्रेणीचार रक्षकों के पदों का बनाया जाना

1128. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में रक्षकों सहित श्रेणी के चार के पद बनाए जाने के कोई मानदण्ड हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान वरिष्ट प्रबन्धकों, कनिष्ठ प्रबन्धकों लिपिक-टंकक (टाइपिस्ट) और लिपिक व खजांची आदि जैसी सभी श्रेणियों में असाधारण वृद्धि हो जाने के बावजूद यह मानदण्ड कार्यान्वित क्यों नहीं हो रहे हैं और श्रेणीचर के पदों का सृजन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मैसेंजरों/गार्डों तथा साथ ही अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के पदों के निर्माण के लिए मूलभूत मानदण्ड का आधार किये जाने वाले कारबार का स्तर और उन बैंक कार्यालयों में कारबार की उपलब्ध संभावना है। नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कर्मचारियों विषयक आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक जायजा लिया जाता है । इस बैंक ने 1977-80 के दौरान अपने अधीनस्थ काडर में 8175 व्यक्ति भर्ती किये ।

डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गों की सहायता

1129. : **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त कन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आदर्श उत्पादन उद्यमों में लगे हुए समाज के कमजोर वर्गों के निर्बलतम लोगों की सहायता के लिए डी० आर० आई० योजना तैयार की है ; और

(ख) इस योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने पात्रता में मानदण्ड शर्त, ऋण की अधिकतम राशि आदि से संबन्धित क्या क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना-मुख्य मुख्य बातें

कम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से चार प्रतिशत की दर पर ऋण सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए।

ऋण कौन ले सकता है ?

कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय सभीस्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार रुपये और अर्ध शहरी क्षेत्रों में तीन हजार से अधिक न हो। लाभप्राप्तकर्ता की भूमि का जोत (यदि कोई हो) तो वह यदि सिंचित हो तो एक एकड़ अथवा असिंचित हो तो ढाई एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। जमीन की जोत की यह शर्त अनुसूचित जातियों और अनु-

सूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होतीं । मोटे तौर पर तीन तरह के व्यक्ति ऋण ले सकते हैं :—

(1) वह व्यक्ति जो मुख्यतः अपने आप तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अथवा कुछ संयुक्त भागीदारों की सहायता से काम करता हो और जो अन्य व्यक्तियों को नियमित अदायगी के आधार पर नियोजित नहीं करता हो (2) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसे कुशल विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति निर्धि अनुदान प्राप्त नहीं करते हों, (3) विकलांग व्यक्ति जो लाभप्राप्त व्यवसाय कर रहा हो । अनाथालय और महिला सदन जहां बिक्री योग्य सामान तैयार किए जाते हों और जिनके पास पूर्त अक्षय निधि (एण्डोवमेंट) अथवा नियमित धर्मार्थ सहायता पर्याप्त तथा निर्भर करने योग्य आय का स्रोत न हो तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनी संस्थाएं (केवल उत्पादन के प्रयोजन के लिए) बैंकों से ऋण ले सकते हैं ।

ऋणों के लिए पात्र प्रयोजन :—

कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप, बन उत्पादों का संग्रह अथवा प्रारंभिक परिष्करण, किसानों, शिल्पकार दस्तकार और व्यापारियों के हाथ बिक्री के लिए ऋण आदि का संग्रह, कपड़े काटने (कटिंग), पोशाक की सिलाई करने जैसे कुटीर और ग्रामीण उद्योग, काफी सस्ती खाने-पीने की चीजे तैयार करने वाले दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं की घरों में सुपुर्दगी करने वाली सेवा, मार्गों पर चाय की दूकानें चलाने वाले, स्वयं अपनी मेनुअल रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलाने वाले, जूते/सैंडल की मुख्यतः हाथ से मरम्मत करने वाले हाथ से टोकरी बनाने तथा ऐसे अन्य कार्य करने वाले ।

कोई कितना ऋण प्राप्त कर सकता है :—

1500 रुपये तक की रकम कार्यचालन पूंजी के लिए और 5000 रुपये तक की रकम सावधिक ऋण के रूप में औजार तथा उपस्कर खरीदने के लिए । शिल्पकारों तथा कुटीर उद्योग के लिए 6,500.00 रुपये की अधिकतम सीमा तक के संमिश्रऋण मंजूर किये जा सकते हैं ।

जमानत :

बैंक ऋणों से खरीदी जाने वाली परिसम्पत्ति का दृष्टिबन्धन । इसके अतिरिक्त एक जैसे ऋणकर्ताओं के दल को ऋण देने के लिए दलगत गारंटियां ली जा सकती हैं पूर्त जमानत अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी पर जोर नहीं दिया जाता ।

कोई अन्य प्रभार ?

ऋणकर्ताओं से चार प्रतिशत ब्याज के अलावा कोई अन्य प्रभार नहीं वहन करना होता निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष ऋण गारंटी निगम को देय गारंटी शुल्क तथा परिसम्पत्ति के बीमे का खर्च बैंक स्वयं वहन करते हैं ।

ऋणों की वापसी अदायगी :—

सावधिक ऋण की वापसी अदायगी पांच वर्षों के अन्दर करनी होती है जिनमें दो वर्षों

तक की रियायती अवधि शामिल होती है ; ऋणकर्ताओं के कार्यकलाप तथा उत्पादक प्रयत्न से होने वाली अतिरिक्त आय (निर्वहन आवश्यकताओं. से अधिक) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में वापसी अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए :

बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के मामले में, प्रत्यक्ष अथवा उनके कल्याण के लिए स्थापित किए गए राज्य निगमों के माध्यम से ऋण दे सकते हैं । उक्त निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक सदस्य के लिए विशिष्ट तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम योजनाएं तैयार करें । स्थापना तथा अन्य खर्च उक्त निगम/राजय सरकारों द्वारा वहन किए जाते हैं । इन निगमों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाभ प्राप्त करने वाले से होने वाली वसूली की स्थिति कुछ भी हो, निर्धारित तारीखों पर ऋण की वापसी अदायगी करें, तथा इस बात का भी हो, निर्धारित तारीखों पर रिणों की वापसी अदायगी करें, तथा इस बात का भी सुनिश्चिय करे कि जिन प्रयोजनों के लिए ऋण दिए गए हैं वे उन्हीं के लिए काम में लाए जा रहे हैं । ऋणों की वापसी अदायगी की गारन्टी राज्य सरकारों द्वारा दी जानी है ।

आदिम जातियों के लिए :

बैंक, प्रत्यक्ष तथा सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में खास कर जनजातियों के लाभ के लिए संगठित सहकारी समितियों/बड़े आकार की बहु प्रयोजनी समितियों के माध्यम से उन्हीं शर्तों पर रिण दे सकते हैं जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिए स्थापित निगमों पर लागू होती हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को ऋण

1130. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए ऋण कैम्पों की व्यवस्था की थी ;

(ख) प्रत्येक बैंक ने कितने कितने कैम्प आयोजित किए, किस-किस स्थान पर आयोजित किए और उन कैंपों में अनुसूचित जन जाति के लोगों को कुल कितनी-कितनी धनराशि की मंजूरी दी गयी ; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे कितने केम्पस आयोजित करने का बिचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) क्षेत्र स्तर के विभिन्न अभिकरणों की अन्तर्ग्रस्तता वाले ऋण-प्रस्तावों से सम्बद्ध औपचारिकताओं को एक साथ पूरा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुझाया गया एक उपाय हैं, ऋण कैम्पों का आयोजन । बैंकों और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा इस तरीके को उस समय अपनाया जाता है जब उन्हें

एक सीमित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, ऋण-प्रस्तावों को पूरा करना होता है। सामान्यतः, ऐसे ऋण कैंप निर्दिष्ट क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में ऋण आवेदनों को निपटाते हैं और विशिष्ट स्कीमों के के अधीन, विशिष्ट क्षेत्रों में बैंकों द्वारा आयोजित किए गए विशेष अथवा सामान्य ऋण कैंपों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित सदस्यों को व्याप्त किया जाता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्थिति को देखते हुए ऋण कैंपों के संगठन का निर्णय बैंकों के क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अतः लगाए कैंपों आदि के ब्यौरे तुरत उपलब्ध नहीं हैं। इसी लिए इस संबन्ध में बैंकों द्वारा कोई पूर्व आयोजना भी नहीं बताई जाती। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अर्थक्षम उपक्रमों को ऋण सहायता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अनु० जाति/अनु० जनजाति से सम्बन्धित ऋणकर्ताओं को. बैंकों के बकाया अग्रिम 339 करोड़ रुपये के थे जिनमें 20.7 लाख ऋणकर्ताओं खाते अन्तर्ग्रस्त थे। इनका बैंकवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को अग्रिम।

बैंक का नाम		(राशि हजार रुपये)	
		ऋणकर्ता लेखों की संख्या	बकाया राशि
क.	1. भारतीय स्टेट बैंक	771962	1491774
	2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	67103	141807
	3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	10172	14443
	4. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	32893	70430
	5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	17332	15595
	6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	27394	57952
	7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	9006	9586
	8. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	30257	20178
	उप जोड़ (क)	906119	1821765

1	2	3
ख. 1. सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया	152044	233937
2. बैंक आफ इण्डिया	133152	139240
3. पंजाब नेशनल बैंक	96605	202985
4. बैंक आफ बड़ौदा	142046	199000
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	53367	75867
6. केनरा बैंक	71397	59785
7. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	157505	152377
8. देना बैंक	36858	47850
9. सिण्डीकेट बैंक	64868	90568
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	62242	77998
11. इलाहाबाद बैंक	21110	37665
12. इण्डियन बैंक	41139	42367
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	27029	68929
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	52701	55377
उप जोड़ (ख)	1112063	1483943
ग. 1. आन्ध्र बैंक	37175	52762
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3751	3915
3. न्यू बैंक आफ इण्डिया	2215	7144
4. विजया बैंक	3814	7628
5. कारपोरेशन बैंक	5100	7801
6. आरियंटल बैंक आफ कामर्स	1406	3242
उप जोड़ (ग)	53461	87492
कुल जोड़	2071643	3393200

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तैयार की गयी योजनाएं

1131. **श्री आर० आर० मोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और भूमिहीन मजदूरों के लाभ के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु क्या-क्या योजनाएं बनायी हैं ;

(ख) : इस प्रयोजन के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ग) : क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन योजनाओं का अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और भूमिहीन मजदूरों के कितने परिवारों को लाभ मिला है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सभी बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका अदा करने की सलाह दी गयी है। समाज के कमजोर वर्गों में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को रियायती शर्तों और निबंधनों पर सहायता पहुंचाने के लिए बैंक स्वयं अपनी योजनाएं बनाते हैं तथा विभिन्न राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति के संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने एक नयी सूचना प्रणाली शुरू की है। दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को दी गयी सहायता से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	खातों की संख्या (हजारों में)	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	2528	952
राष्ट्रीयकृत बैंक	2815	766
जड़ सरकारी क्षेत्र के बैंक	5343	178

वर्तमान सूचना प्रणाली में भूमिहीन मजदूरों को बैंकों के अग्रिमों के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, उपलब्ध आंकड़े दर्शाते है कि दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ऋणकर्त्ता खातों की संख्या 20.71 लाख थी और इन खातों में बकाया राशि 339.32 करोड़ रुपये थी।

भारत के कपड़े के निर्यात के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिक मंडियां

1132. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कपड़ा उद्योग की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्या भारत के कपड़ा निर्यात के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वर्तमान मण्डियों से अधिक मंडियां प्राप्त करने तथा व्यापार में घाटों को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) क्या वार्ता में गैर परम्परागत वस्तुओं के और अधिक मात्रा में निर्यात करने की गुंजाइश का पता लगाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विद्यमान भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार, जिसके अनुसार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारत के वस्त्रों के निर्यात विनियमित होते हैं, 31 दिसम्बर, 1982 तक वैध है । यह निर्णय लिया गया है कि नये बहु रेशा प्रबन्ध के तत्वावधान में एक नया करार करने के लिए दोनों पक्षकारों के बीच मार्च, 1982 में वार्ताओं का प्रथम दौर शुरू होगा । जनवरी, 1'82 में नई दिल्ली में हुई भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की बैठक में वस्त्र व्यापार के क्षेत्र में भारत की मूलभूत चिन्ताओं पर भी बल दिया गया ।

(ख) भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को व्यापार के प्रवाह में रुकावट डालने वाली समस्याओं, यदि कोई हों का विस्तृत अध्ययन करने की दृष्टि से व्यापार के सबंध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है ।

न्यायालयों में कानूनी चुनौतियों के कारण वसूल न की गई धनराशि

1133. **श्री मगन भाई बरोट** : क्यया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80 (जे) को दी गई अनिर्णीत कानूनी चुनौती तथा इस संबंध में न्यायालयों द्वारा जारी किये गये विभिन्न आन्तरिक आदेशों के कारण कुल कितनी धनराशि की वसूली संभव नहीं हो पाई हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान गैर सरकारी व्यापारियों को न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत जिस अखबारी कागज और खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति दी गई थी उस पर लगा आयात शुल्क कुल कितनी धनराशि का था जिसकी वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी गई है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के वसूल किये जाने का अनुमान था और वास्तव में कुल कितनी धनराशि की वसूली हुई; और

(घ) न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई कराने और समय पर रोक/व्यादेश रद्द करने के लिये क्या उपाय किये गये है ताकि सरकार को राजस्व की हानि न हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

आयकर, उत्पादन शुल्क आदि की वसूली का रोका जाना

1134. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1979-80, 1980-81 और अप्रैल-दिसम्बर 1981 के बीच (एक) आयकर (दो) उत्पादन शुल्क और (तीन) सीमाशुल्क की धनराशि की वसूली के कितने पंचार डिक्री और आदेशों को न्यायिक कार्यवाही में प्रदत्त स्थगन आदेशों/निषेधाज्ञा के अन्तर्गत स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) उपयुक्त अवधि के लिये इनमें से प्रत्येक मद में कितनी धनराशि वसूल की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) द्वारा इकट्ठे किए गए भन्डार की बिक्री के लिए राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के साथ व्यवस्था

1135. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम गुजरात में इकट्ठे हो गए भण्डारों की बिक्री के लिए राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के साथ व्यवस्थाएं की हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इस तरह की व्यवस्था न केवल वस्त्र उद्योग के हित में है अपितु इससे उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण सहायता भी प्राप्त होगी ; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था करने के उपायों पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख) राज्य नागरिक पूर्ति निगमों आदि की मार्फत राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए राज्य सरकारों के साथ किए गए परामर्श से सरकार द्वारा किए गए विचार के फलस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) ने ऐसे कपड़े की बिक्री के लिए गुजरात राज्य सहकारी उपभोक्ता परिसंघ के साथ प्रबन्ध किए हैं ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वस्त्रों की बिक्री में राज्य सहकारी परिसंघ को शामिल करने के लिए मार्गोपायों का पता लगाया जा रहा है ।

बैंकों में समयोपरि भत्ता

1136. **श्री सूरज भान** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 से बैंकों में समयोपरि भत्ता पूरी तरह बन्द कर दिया गया है ; यदि हां, तो इस तरह की कठोर कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ;

(ख) बैंकों के कार्यकरण पर, विशेषकर जनता के साथ उनके कार्य पर इस कदम का क्या प्रभाव होगा ; और

(ग) किसी दिन (दिनों) विशेष में अतिरिक्त कार्य को किस तरह निपटाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग): जी, नहीं। यह सही नहीं है कि जनवरी, 1982 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ता (ओवरटाइम) पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है। अलबत्ता, बैंकों को 1981 में अदा किए कि समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते की राशि की तुलना में 1982 में समयोपरि भत्ते के भुगतान में 50 प्रतिशत तक की कमी करने की सलाह दी गयी है।

काला धन

1137. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) काले धन का पता लगाने के लिये मारे गये छापों की राज्यवार सख्या कितनी है ; और

(ग) 1981-82 की पहली तीन तिमाहियों और चौथी तिमाही में अब तक कितनी राशि के काले धन का पता लगाया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) कर कानूनों को कारगर ढंग से लागू करने के अलावा सरकान ने 1 दिसम्बर, 1981 से 9 जनवरी, 1982 तक विशेषधारक बंध पत्रों की बिक्री भी पुनः चालू की थी।

(ख) आयकर प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन महीनों अर्थात नवम्बर, दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982 के दौरान ली गई तलाशियों की राज्य-वार संख्या अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों में वर्ष 1981-82 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान, प्रथम दृष्टया, लगभग 2427 लाख रुपए मूल्य की तथा अन्तिम तिमाही के दौरान, 31 जनवरी, 1982 तक लगभग 215 लाख रुपए मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी।

विवरण

(ख) आयकर विभाग द्वारा पिछले तीन महीनों अर्थात नवम्बर, दिसम्बर 1981 तथा जनबरी 1982 के दौरान ली गई तलाशियों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य का नाम	ली गई तलाशियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	56
2. असम	3

3. बिहार	13
4. गुजरात	156
5. गोआ, दमण और दीव	—
6. हिमाचल प्रदेश	—
7. हरियाणा	7
8. जम्मू और कश्मीर	—
9. केरल	24
10. कर्नाटक	31
11. महाराष्ट्र	524
12. मध्य प्रदेश	10
13. मेघालय	—
14. मणिपुर	—
15. नागालैंड	—
16. उड़ीसा	—
17. पंजाब	80
18. राजस्थान	26
19. तमिलनाडु	56
20. त्रिपुरा	—
21. उत्तर प्रदेश	241
22. पश्चिम बंगाल	161
23. दिल्ली	112
जोड़	1500

प्रचलित मुद्रा का मूल्यांकन

1138. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस बात का कोई विश्वस्त मूल्यांकन किया गया है कि देश में,

लेखा बाह्य और लेखाबद्ध कितनी मुद्रा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्तम्बन्धी ब्यौरा क्या है साथ ही देश में लेखा बाह्य और लेखाबद्ध कितनी मुद्रा है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी मूल्यांकन का आधार और तरीका क्या है ?

वित्त मंत्री : (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) से (ग) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से प्रतीत होता है कि 29 जनवरी 1982 को कुल प्रचलित मुद्रा की राशि 14267 करोड़ रुपए थी। 25 दिसम्बर 1981 को भारत सरकार के एक रुपए के नोट तथा एक रुपए के सिक्के 363 करोड़ पए मूल्य के थे तथा 31 मई 1981 को छोटे सिक्के 291 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर थे। कुल परिचालित मुद्रा के यह आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर आधारित हैं। लेखा बाह्य से माननीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवत: उस लेखा बाह्य मुद्रा की राशि से है जिसके लिए कोई पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

बम्बई हवाई अड्डे पर कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयाँ

1139. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कठिनाइयों की जानकारी है जिनका बम्बई हवाई अड्डें पर विदेश से आने वाले यात्रियों तथा कोचीन एवं त्रिवेन्द्रम जाने वाले यात्रियों को सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित उपचारी उपाय किये गये हैं :—

(1) बम्बई में बम्बई/त्रिवेन्द्रम, बम्बई/कोचीन काउन्टरों पर विशेष हैंडलिंग सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ;

(2) यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे आरक्षण इत्यादि में सहायता प्राप्त करने के लिये केवल इंडियन एयरलाइंस के वर्दीधारी कर्मचारियों से ही सम्पर्क करें ;

(3) मलयालम में एक सूचना पट्ट लगाया गया है ;

(4) सांताक्रूज विमाक्षेत्र पर समाज विरोधी तत्वों के होने के बारे में केरल में मलयामम के सामाचार पत्रों में प्रचुर मात्रा में प्रचार किया गया है ;

(5) बम्बई/कोचीन तथा बम्बई/त्रिवेन्द्रम सेवाओं पर सीट क्षमता में वृद्धि करके 500 से भी अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से सम्बद्ध करना

1140. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से होकर जाती हैं ; उड़ानों की तारीखों सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या त्रिवेन्द्र हवाई अड्डे से होकर जाने वाली और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) फिलहाल त्रिवेन्द्रम पन्द्रह अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा हुआ है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ान संख्या आईसी 563/564

सोमवार	वीरवार	शनिवार
प्रस्थान	त्रिवेन्द्रम	1525
आगमन	माले	1555
प्रस्थान	माले	1635
आगमन	त्रिवेन्द्रम	1805

उड़ान संख्या आई सी 507/508

बुद्धवार	शुक्रवार	
प्रस्थान	त्रिवेन्द्रम	1525
आगमन	कोलम्बो	1615
प्रस्थान	कोलम्बो	1655
आगमन	त्रिवेन्द्रम	1745

एयर लंका की शरदकालीन समय सारणी-बी-737 विमान

यू. एल. 161	यू. एल. 161	यू. एल. 161	यू. एल. 162	यू. एल. 162	यू. एल. 162
शनिवार	वीरवार	सोमवार	सोमवार	वीरवार	शनिवार
0830	16.30	18.30 प्र० कोलम्बो आगमन	20.50	19.05	11.05
09.20	17.20	19.20 आगमन त्रिवेन्द्रम प्रस्थान	20.00	18.15	10·15

विवरण

त्रिवेन्द्रम से/के लिए एयर इण्डिया के परिचालन

आई 935	आई 31	एआई 29	एआई 927	एआई 95	एआई 923	एआई 901	एआई 920	एआई 922	एआई 924	एआई 926	एआई 928	एआई 930	एआई 932
रवि०	शनि०	शुक्रवार	वृह०	बुद्धवार	मंगलवार	सोम०	सोम०	मंगलवार	बुद्धवार	वृह०	शुक्रवार	शनि०	रवि०
95	105	605	1705	105	1605	1605	1445	1445	1445	1525	1445	1535	1450
						त्रिवेन्द्रम							
			1930		2005	शारजाह				1030			
			2012							0940			
355		183			835	आइ-		0930					0935
					930	धावी							
				1830	1830	दुबई	0930		0930			10.0	
					1915							0935	
					1950	कुवैत							0710
			2040			रास अल				0915			
						खामा							

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

1141. श्री ए० नीलालोहियादासन नाडार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी और इसके मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या है ;

(ख) अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्राधिकरण ने क्या प्रगति की हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस समय भारत द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा कुल कितनी है ; और

(घ) प्राधिकरण की स्थापना के समय सम्बद्ध धनराशि कितनी थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 26 जुलाई, 1972 को स्थापित किया गया था। प्राधिकरण के कार्य तथा उद्देश्य, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अन्तर्गत उल्लिखित हैं।

(ख) अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण, उसके ब्यौरों सहित अनुबन्ध में दिया गयाहै।

(ग) केलेन्डर वर्ष 1981 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि लगभग 218.88 करोड़ रु० है। (एम० पी० ई० डी० ए० के आंकड़े)

(घ) 1972 में जब यह प्राधिकरण बनाया गया था, समुद्री उत्पादों से होने वाली निर्यात आय 58 13 करोड़ रु० थी।

विवरण 1

प्राधिकरण द्वारा अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई प्रगति का संक्षिप्त लेखा जोखा

तट से दूर तक गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के विकास तथा विनियमन का कार्य इस समय कृषि मन्त्रालय द्वारा देखा जा रहा है। समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण केवल कृषि मन्त्रालय द्वारा तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिए अनुमति प्राप्त मत्स्य ग्रहण पोतों आदि का पंजीकरण करता है। विभिन्न क्षेत्रों के पंजीकरण से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है

1. मत्स्य ग्रहण पोत

2. प्रोसेसिंग संयंत्र

3. भंडारण परिसर

4. वाहन

2. समुद्री उत्पादों के लिए निर्यात मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। और क्वालिटी नियंत्रण के लिए योजनाओं को भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

3. प्राधिकरण द्वारा कार्यान्ति योजनाएं निम्न लिखित के सम्बन्ध में हैं

1. इन्स्यूलेटिड फिश बाक्सेज का उपदान प्राप्त वितरण (उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत तक)

2. पीलिंग शैडों के सुधार के लिए उपदान की व्यवस्था (अपग्रेडेशन की लागत की 28 प्रतिशत की सीमा तक अथवा 18,000 रु० जो भी कम हो।

3. प्रोसेसिंग संयंत्रों में लघु प्रयोगशालाओं के लिए उपदान प्रदान करना (प्रति इकाई 30,000 रु० की सीमा तक)

4. निर्यात संवर्धन दौरों पर जाने के लिए व्यापारियों को सहायता प्रदान करना ;

5. निर्यातकों को सी० सी० एस० तथा आर० ई० पी० लाभ देने की सिफारिश करना ;

6. प्रॉन कल्चर का संवर्धन तथा प्रदर्शन तालों की लागत के अन्शत: वहन करना ;

7. प्रान कृषकों को न्यायोचित कीमतों पर प्रान बीच तथा अन्य अन्तर्निदेश प्रदान करना निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए उत्पादों के निरीक्षण के अलावा संयंत्रों, पीलिंग शैडों आदि का निरीक्षण समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

4. समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को निम्नलिखित अपवादों के साथ ओ. जी. एल. के अन्तर्गत इसकी अनुमति देकर विनियमित किया जाता है :—

(1) 50 प्रतिशत से कम प्रोटीन अंश वाले मत्स्य चूर्ण के निर्यात की अनुमति नहीं है ;

(2) 300 ग्राम से कम आकार वाले ताजा तथा जमाये हुए सिलवर पोम्फ्रेटस के निर्यात पर रोक ;

(3) 80 प्रति किग्रा० से अधिक काउन्ट की मेंढक की टांगों के निर्यात पर रोक है ; और

(4) प्रति वर्ष 15 जून, से 15 अगस्त के दौरान मेंढक की टांगों के निर्यात पर एक संरक्षण उपाय के रूप में रोक है।

5. यह प्राधिकरण राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर, विदेशों में प्रेस प्रचार, प्रचार साहित्य के प्रकाशन तथा विवरण, बिक्री दल तथा प्रतिनिधिमण्डल आयोजित करके, विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञों/आयातकों को आमन्त्रित करके, विदेशों में व्यापार संवर्धन कार्यालयों की व्यवस्था करके तथा भारत में समुद्री खाद्य व्यापार मेला आयोजित करके भारत से बाहर समुद्री उत्पानकों के विपणन का संवर्धन कर रहा है ।

6. इस समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास समुद्री उत्पादों के 720 निर्यातक पंजीकृत हैं । प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों की कीमतों तथा निर्यातों के आकड़े रखे जाते हैं । समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समय-समय पर तकनीकी संसाधन, क्वालिटी नियन्त्रण प्रशिक्षण मछली रख रखाव आदि के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करता है ।

7. प्राधिकरण द्वारा किए जाने कार्यों में कुछ शामिल हैं : मछली उतारने के प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता समुदाय छिलाई केन्द्र, रियायती दरों पर लोबस्टर ट्रैप्स का वितरण, फ्रोजन स्टोरेज (कोचीन तथा कलकत्ता में) की स्थापना, तूतीकोरीन में सुखाई हुई मछली भंडार की स्थापना और निर्यात के लिए बर्फ में जमाए हुए समुद्री खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए रेफ्रीजेरेटिड ट्रकों का संचालन ।

त्रिवेन्द्रम में भारतीय रिजर्व बैंक का नया भवन

1142. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के लिए निर्मित नया भवन में कार्य चलने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य किए जाने के लिए इसे कब खोला गया था और क्या त्रिवेंद्रम में भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बद्ध सभी अधिकारियों को उस भवन में स्थानान्तिरित कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो नए भवन में उन्हें स्थानांतरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) भूमि के मूल्य सहित, नए भवन के निर्माण पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई है ?

वित्त मन्त्रलय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(क) और (ग) इसका उद्घाटन 18 फरवरी, 1982 को हुआ था तथा निर्गम विभाग (इश्यु डिपार्टमैंट) के उप-कार्यलय के सिवाय जिसे सुरक्षा विषयक तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध पूरे होने के पश्चात स्थानान्तरित किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालय भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(घ) त्रिवेंद्रम में अब तक नये कार्यालय भवन पर व्यय की गयी कुल राशि 178.65 लाख रुपये बैठती है।

पालम हवाई अड्डे पर केयरटेकर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को न बुलाया जाना

1143. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर केयरटेकर के पद के लिए साक्षात्कार हेतु जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मंगाए गये थे, उन्हें साक्षात्कार हेतु न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में श्रेणी I और चार के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरी तरह से नहीं भरा गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, दिल्ली हवाई अड्डे पर केयरटेकर का पद था जो कि अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित था न कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए। अतः आवेदन-पत्र केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से आमन्त्रित किए गए थे, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से नहीं।

(ख) 1981 के दौरान एयर इंडिया में श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 दोनों ही में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे गए पदों की संख्या उनके लिए निर्धारित कोटे से अधिक थी। नियुक्ति शर्तों में छूट दिए जाने के बावजूद भी, उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, दोनों ही श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कमी रही है।

1981 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स में चतुर्थ श्रेणी वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों की संख्या उनके लिए आरक्षित कोटे से अधिक थी। उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों की संख्या में कमी रही है।

महाराष्ट्र के भण्डारा स्थित आयुध कारखाने में नाइट्रिक एसिड और सल्फयूरिक एसिड संयंत्र

1144. **श्री ए० के० राय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भण्डारा स्थित आयुध कारखाने में नाइट्रिक एसिड और सल्फयूरिक एसिड संयंत्र को किस तिथि को पूरा किया गया ;

(ख) क्या संयंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त संयंत्र के निर्माण का काम सिन्दरी के आयोजन तथा विकास डिवीजन को सौंपा गया था जिसे अब एफ० पी० डी० आई० एल० कहा जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि इसे काफी समय पूर्व पूरा कर लिये जाने के बावजूद एफ० पी० डी० आई० एल० को अभी तक उसकी देयताओं की अदायगी नहीं की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सल्फयूरिक एसिड संयंत्र को मई 1975 में और नाइट्रिक एसिड संयन्त्र को अप्रैल, 1976 में अपने हाथ में लिया था।

(ख) पहले संयन्त्र ने संतोषप्रद रूप से कार्य किया है लेकिन नाइट्रिक एसिड संयंत्र को टर्बो कम्प्रेसर संयन्त्र में खराबी के कारण उसे अगस्त 1979 से बन्द कर दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एफ० पी० डी० आई० एल० द्वारा 12-18 माह की देरी कर देने की वजह से परिसमापन क्षति लेवी तथा कुछ अन्य तरह के दावे और प्रति दावे पेश किए गए। एफ० पी० डी० आई० एल० के 59.976 रुपये के केवल एक गैर साविदात्मक दावे के अलावा अन्य सभी मामलों को सुलझा लिया गया है।

कमर्शियल बैंकों में संकट

1145. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कमर्शियल बैंक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं ; यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में ए० एस० ओ० परीक्षा

1146. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मन्त्री सशस्त्र मुख्यालय में ए० एस० ओ० को परीक्षा के बारे में 2 दिसम्बर, 1931 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) 1973 में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में परीक्षा का वह उपबन्ध क्यों किया गया था जिसे 1976 में सशस्त्र सेना मुख्यालय स्टेनोग्राफर सेवा में लागू किया गया था क्योंकि

केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अनुरूप बनाया गया था वे क्या परिस्थितियां थीं जिसके कारण केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में एम० ओ० के अनुरूप ए० सी० एस० ओ० की परीक्षा आयोजित करने सम्बन्धी "क्लाज" को हटाना पड़ा ।

(ख) 1976 के पश्चात परीक्षा के माध्यम से तथा विभागीय आधार पर ग्रेड सी के कितने स्टेनोग्राफर को पदोन्नत किया गया तथा ऐसा किये जाने के आधार पर 1980 से एस० पी० ए०/ग्रेड सी०/ग्रेड० डी० स्टेनोग्राफरों के कितने पद बनाये गये,

(ग) क्या लैफ्टिनेंट कर्नल/ब्रिगेडियर और इसके बराबर के पदों के सभी अधिकारियों को उपयुक्त ग्रेड के स्टेनोग्राफर दिये गये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर का पद सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अन्तर्गत आता है और इस पद पर पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आधार पर परीक्षा शुरू नहीं की गई क्योंकि यह परीक्षा सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा के सदस्यों अर्थात सहायकों के लिए आशुलिपिकों के मुकाबले अलाभकर होती । आशुलिपिकों की अलग सेवा अर्थात सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा है ।

(ख) जैसा विवरण 1 और 2 में दिखाता गया है ।

(ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में अफसरों के लिए आशुलिपिक देने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं । प्रत्येक अफसर के कार्य भार के आधार पर आशुलिपिक प्राधिकृत किए जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

समय	रिक्तियों की कुल संख्या	परीक्षा द्वारा पदोन्नत ग्रेड "ग" आशुलिपिकों की संख्या	विभागीय पदोन्नत द्वारा पदोन्नत 'ग्रेड आशुलिपिकों की संख्या
8.2.1975 से 30.9.1977	24	12*	12
1.10.1977 से 30.9.1978	52	5 (केवल 5 उम्मीदवारों ने 1977 की परीक्षा पास की)	26

1.10.1979 से 30.9.1979	24	12+12* *पिछले वर्ष की रिक्तियां भी शामिल की गई।	12
1.10.1979 से 30.9. 980	33	16	17
1.10.1980 से 4.12.1981	28	14	14

विवरण-2

1980 से बनाये गये वैयक्तिक सहायक/ग्रेड "7"/ ग्रेड "8" आशुलिपिकों के पदों की संख्या

पदों के नाम	पदों की संख्या	आधार
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक ग्रेड "ख"	20	अधिकारी कार्यभार
आशुलिपिक ग्रेड "ग"	29	—वही—
आशुलिपिक ग्रेड "च"	13	—वही—

"रा डोल फार आर्मी स्टेनोज" शीर्षक समाचार

1147. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "इण्डियन एक्सप्रेस" दिनांक 30 नवम्बर, 1981 में "रा डोल फार आर्मी स्टेनोज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि :

(एक) सशस्त्र सेना मुख्यालय के ग्रेड "ग" के स्टैनोग्राफरों के साथ पदोन्नति के मामले में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्टेनोग्राफरों की तुलना में जिनके लिये अनुभाग अधिकारी वर्ग के लिये परीक्षा ली जाती है जिसमें वे बैठ सकते हैं और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12. 11.1975 में दिये गये वेतनमानों के बीच के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों को नियुक्त किया जाता है, अनुपयुक्त व्यवहार दिया जाता है ;

*समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 8.2.1975 से आरम्भ की गई थी। इस तालिका में 8.2.1975 के बाद से समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी गई रिक्तियों और पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियों की स्थिति दर्शाई गई है।

(दो) सशस्त्र सेना स्टेनोग्राफर सेना नियम के अनुसार 50:50 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग को रिक्त पद अधिसूचित न करने और 1979 परीक्षा रिक्त पर 1980 की परीक्षा को देने के बारे में जांच की मांग है।

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने तथा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्टेनोग्राफरों के पदोन्नति के अवसर सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) से (ग) जी हां। उल्लिखित समाचार में यह आरोप था कि 1979 और 1980 की परीक्षाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों के बारे में सही सूचना नहीं दी गई थी। यह आरोप सही नहीं है। उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए रिक्त पदों की सूचना संघ लोक सेवा आयोग को नियमानुसार दी गई थी।

जहां तक ए. सी. एस. ओ. के पद पर पदोन्नति परीक्षा का संबंध है यह पद सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा से संबंधित है जबकि आशुलिपिकों की अपनी अलग सेवा, अर्थात सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा है और सरकार ने इस परीक्षा को शुरू न करने का फैसला किया है क्योंकि यह सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सदस्यों अर्थात आशुलिपिकों के मुकाबले सहायकों के लिए अलाभकारी होगी।

गृह मंत्रालय का 12-11-1975 का कार्यालय ज्ञापन केवल केन्द्रीय सचिवों आशुलिपिक सेवा पर ही लागू होता है। सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों के लिए ग्रेड 'ग' के 103 चयन पदों की मंजूरी दे दी गई है और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के 63 पदों का दर्जा बढ़ाकर ग्रेड 'ख' में ला दिया है ताकि पदोन्नति में स्थिरता की स्थिति दूर की जा सके और उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जा सकें।

भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना के लिए औद्योगिक निगम को स्थापित किया जाना

1148. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र और राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना के लिये औद्योगिक निगम की स्थापना करने के बारे में निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सिवाय केन्द्र और राज्यों में इस प्रकार का कोई भी निगम गठित नहीं किया गया है।

(ख) पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम 5 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से शुरू किया गया था। इस निगम का उद्देश्य पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनकी आर्थिक प्रगति करना है। निगम भूतपूर्व सैनिकों को परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक ऋण देकर उनकी वित्तिय सहायता भी करेगा। निगम कुछ औद्योगिक यूनिटों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखता है। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम का गठन अभी हाल में किया गया है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों की मंजूरी

1149. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना मुख्यालय में वरिष्ट निजी सहायकों के पदों की मंजूरी के बारे में 23 दिसम्बर 1981 अतारांकित प्रश्न सं० 5220 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के 12 नवम्बर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन को क्रियान्वित न करने के कारण ये वित्तीय बाधाएं और प्रशासनिक अव्यवहार्यता ; और

(ख) 1976 से आज तक वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में वर्षवार कितने पद रिक्त हुए हैं या उन्हें भरे जाने से संबंधित ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। गृह मंत्रालय के दिनांक 12-11-1975 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान सशस्त्र सेना मुख्यालय पर लागू नहीं होते।

(ख) जैसा कि विवरण 'क' में दर्शाया गया है।

विवरण-क

समय	रिक्तियों की कुल संख्या	पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां	परीक्षा द्वारा भरी गई रिक्तियां
8.2.1975 से 30.9.77	24	12	12 *
1.10.77 से 30.9.1978	52	26	5 (केवल 5 उम्मीदवारों ने 1977 की परीक्षा पास की)
1.10.78 से 30.9.1979	24	12	12+21* *पिछले वर्ष की रिक्तियां भी शामिल की गई।
1.10.1979 से 30.9.1980	33	17	16
1.10.1980 से 4.12.1981	28	14	14

* सीमित त्रिभागीय प्रतियोगी परीक्षा 8.2.1975 से आरंभ की गई थी। इस तालिका में 8.2.1975 के बाद से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी गई रिक्तियां और पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियों की स्थिति दर्शाई गई है।

दिल्ली में सेवारत लड़ाकू सैनिक की वापसी

1150. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली में सेवारत लड़ाकू सैनिकों की वापसी के संबंध में दिनांक 15 अप्रैल, 19 अगस्त और 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 765 ', 465 और 4401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों की स्वीकृत संख्या से अधिक सैनिकों को दिल्ली के बाहर भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह) : (क) थलसेना के 4 जे सी ओ और 15 अन्य रैंक और नौ सेना के 11 नौसैनिकों को उनकी मूल यूनिटों में वापस भेज दिया गया है। वायु सेना में सशस्त्र सेना मुख्यालय सवर्ग के लिपिकों और सिविलियन स्टोरकीपर सवर्ग के कार्मिकों की बहुत कमी है इसलिए जो वायु सैनिक प्राधिकृत संख्या शक्ति से अधिक हैं उन्हें वापस भेजना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) तीनों सेनाओं के योधी कार्मिकों को किसी विशेष समय-बांधित कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता है जिनमें उनके तकनीकी ज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। इसलिए उन सबको वापस भेजना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ तकनीकी कार्य अभी भी चल रहे हैं। फिर भी यहां यह बता देना उचित होगा कि अस्थाई रूप से बुलाए गए इन योधी कर्मचारियों को जिन यूनिटों से बुलाया जाता है, उन यूनिटों में उनकी अनुपस्थिति में कार्यकुशलता प्रभावित नहीं होने दी जाती।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक से सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, वे पद पर पदोन्नति की पद्धति

1151. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक से सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर पदोन्नति की क्या पद्धति है, क्या यह वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर की जाती है अथवा किसी अन्य आधार पर तथा क्या यह गत वर्ष गृह मन्त्रालय द्वारा घोषित नई पदोन्नति नीति के अनुकूल है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर गुणता/उत्तम रिपोर्टों के आधार पर कितने सहायकों को पदोन्नति की गई है, उनकी सेवा की अवधि कितनी-कितनी थी, कितने सहायकों का अतिक्रमण किया गया ;

(ग) क्या सुपर गुणता/उत्तम रिपोर्ट वाली बात का सशस्त्र सेना मुख्यालय की अन्य सभी श्रेणियों और कैडरों में ध्यान रखा जाता है अथवा यह बात सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेड तक ही सीमित हैं, तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की पद्धति पर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी की परीक्षा के आयोजन से सशस्त्र सेना मुख्यालय किस प्रकार बच रहा है, जबकि इससे आशुलिपिक ग्रेड दो केडर में विद्यमान अवरोध की अवधि में कमी आना अवश्यम्भावी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में खाली पदों को सशस्त्र सेना मेख्यालय सिविल सेवा नियमावली 1968 की व्यवस्थाओं के अनुसार चयन के आधार पर (योग्यता तथा वरिष्ठता) पात्र सहायकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सहायक सिविलियन अफसर के रूप में पदोन्नत के सहायकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 'उत्कृष्ट' घोषित किया गया था उनको संख्या तथा उनकी कुल सेवा और जिन सहायकों का अतिक्रमण करते हुए इसे पदोन्नत किया गया, उनकी संख्या विवरण 'क' में दी गई है।

(ग) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सिविलिन स्टाफ अफसर के अलावा अन्य बहुत से पदों पर पदोन्नति चयन के आधार नर (योग्यता तथा वरिष्ठता) की जाती है।

(घ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिबिल सेवा का गठन करते समय सहायक सिविल स्टाफ अफसर के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया गया था लेकिन यह देखा गया कि योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर सहायकों को इन पदों पर पदोन्नति करने से उपयुक्त व्यक्ति का चयन सुनिश्चित होता है और इसलिए इस तरह की परीक्षा जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने परीक्षा शुरू करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया है। लेकिन सहायकों और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा न करने का फैसला किया गया।

विवरण 'क'

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का वर्ष	उत्कृष्ट वर्ग के और सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के रूप में पदोन्नत सहायकों की संख्या।	उत्कृष्ट वर्ग के और सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के रूप में पदोन्नत सहायकों की सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा व्यक्ति को अन्तिरूप से उत्कृष्ट/किया गया और में शामिल किया गया उसने कितने सहायक का अतिक्रमण किया
1	2	3	4
1979-80	74	5 से 13 साल	438
1980-81	5	5 से 11 साल	145
1081-82	1	7 साल	241

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

1152. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारत में विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष के दौरान भारत में विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्रदान की जाने वाली रियायतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस निर्णय से भारत में विदेशी पूंजी निवेश की स्थिति में कितना सुधार होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : जी नहीं। ऐसी किसी नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत विदेशी निवेशकों को पृथक या विशेष रियायतें देने की व्यवस्था की जा रही हो। सरकार की नीति यह है कि समस्त राजकोषीय तथा वित्तीय रियायतें समस्त पूंजी निवेशों पर, चाहे वे भारतीयों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए गए हो, एक सामान रूप से लागू हो।

औषध कम्पनियों द्वारा विदेशी इक्विटी पूंजी का कम किया जाना

1153. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों ने सरकार द्वारा निधारित 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक की अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने से इनकार कर दिया है और इसके क्या कारण हैं। तथा उनके मामले में इन उपबन्धों को लागू करने के लिए सरकार के क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार कन विचार 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी पूंजी को कम करने की उसकी घोषित नीति के क्रियान्वयन का उल्लंघन करने वाली इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से किस प्रकार निपटने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी शेयरधारिता वाली बहुर्राष्ट्रीय औषध कम्पनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ये कम्पनी के क्रियाकलापों के स्वरूप के अनुसार यथास्थिति अनिवासी शेयरधारिता को कम करके 40 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत तक ले जाए। ये निर्देश सांविधिक निर्देश है और जो कम्पनी इस देश में अपना कारोबार जारी रखना चाहती है उसे इनका पालन करना होगा। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी विदेशी औषध कम्पनी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशों का पालन करने से इनकार किया हो। फिर भी कुछ कम्पनियों के बिभिन्न आधारों पर इससे ज्यादा स्तर की अनिवासी शेयरधारिता बनाए रखने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। कार्रवाई करने के प्रश्न पर केवल उसी समय विचार किया जा सकता है जबकि इन अभ्यावेदनों का

निपटारा हो जाए और किसी कम्पनी के अन्तिम निर्देश द्वारा अपेक्षित आनिवासी शेयरधारिता का तनुकरण तब तक न किया हो।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 40 भारतीय युद्ध-बन्दी लापता हैं और सरकार के अधिकारियों ने अभी तक उनका कोई भी पता नहीं लगाया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री पी० शिवशंकर के बिरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मुझे स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है वास्तव में इनकी व्याख्या चुनाव आयोग की व्याख्या से भिन्न है और गृह मन्त्री का कार्यवाही सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। आपके उस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप कोई पेटीशन वगैरहदीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जीं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ?

श्री रामबिलास पासवान : हमारे 40 प्रिजनर्स गायब हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत दिनों से हमारे फारेन मिनिस्टर कह रहे हैं।

श्री राम बिलास पासवान : पाकिस्तान के प्रिजनर्स को तो हमने लौटा दिया लेकिन हमारे प्रिजनर्स का पता नहीं है। भारत सरकार को उनके बारे में पता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पता तो उनका होगा।

शास्त्री जी, आप क्या कहते हैं ?

श्री राम बिलास पासवान : आप इस पर डिस्कशन करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे, किस तरीके से करवा सकते हैं।

श्री आर० एन राकेश (चैल) : इन्दिरा मैया रोटी दे, छोटी दे, या मोटी दे। भूख मिटाने के लिए रोटी दे, रोटी दे।

यह कविता पढ़ने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कवियों को पीटा गया।

(व्यवधान) **

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया है । राष्ट्रीय कवियों की बदायूं में पहली जनवरी को मन्त्री और सरकार ने पिटाई की है । राष्ट्रीय कवि गोपाल दास व्यास और अवस्थी जी से लेकर सारे लोगों को पीटा गया है । *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा मैंने इसकी अनुमति नही दी है ।

अध्यक्ष महोदय : नदालत में जाइये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा ।

(व्यबधान)*

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ बोर्ड कोट्टयम,केरल चमड़ा निर्यात संवंधन परिषद मद्रास के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन तथा कार्य की समीक्षा तथा विलम्ब का कारण बताने वाला वक्तव्य भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधि सूचनायें ।

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम (केरज) के वर्ष, 1980-81 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति ।

(दो) रबड़ बोर्ड कोट्टाय्म (केरल) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3386/82]

(2) (एक) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखपरीक्षित लेखे ।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति

---

* *कार्यवाही-वृत्तान्त* में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3387/82]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3385/82]

(ख) (एक) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषजी निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषजी निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3386/82]

(ग) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3390/82]

(5) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3391/82]

(6) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि सूचनाओं की एक एक प्रति —

(एक) निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन, नियम 1982 जो दिनांक 13 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 556 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1982 जो दिनांक 13 फरवरी 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 557 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3392/82]

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) अध्यक्ष जी, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। झारखण्डे राय जी के क्षेत्र में एक कार्यकर्ता की हत्या की गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हैदराबाद स्थित टकसाल बन्द होने और कलकत्ता स्थित टकसाल तथा नासिक देवास और होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसों में उत्पादन में कमी होने का समाचार

श्री बी० डी० सिंह (पुलफर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"हैदराबाद स्थित टकसाल बन्द होने और कलकत्ता स्थित टकसाल तथा नासिक, देवास और होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसों में उत्पादन में कमी होने, जिसके परिणामस्वरूप नोटों और सिक्कों की कमी होने की सम्भावना है, के समाचार।"

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, यह एक लम्बा वक्तव्य है, क्या इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे रखा जा सकता है···

श्री जनार्दन पुजारी : या क्या मैं इसे पढ़ूं ?

कुछ माननीय सदस्य : पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : पढ़िये । वे चाहते हैं कि आप कुछ अध्ययन करें, आप पढ़ने वाले हों ।

श्री जनार्दन पुजारी : अध्यक्ष महोदय मैं उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं जिनमें टकसालों और मुद्रणालयों (प्रेसों) के उत्पादन में कथित कमी होने और हैदराबाद टकसाल के प्रस्तावित रूप में बंद होने के कारण करेंसी नोटों और सिक्कों की कमी के समाचार की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है ।

सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों तथा जनता की यह आशंका दूर करना चाहूंगा कि विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों और करेंसी नोटों की स्थिति किसी भी तरह से चिन्ताजनक है, हालांकि विभिन्न मूल्य वर्गों के करेंसी नोटों और सिक्कों की स्थानीय कमी के बारे में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

देश में करेंसी और बैंक नोट के कागज के निर्माण की क्षमता और करेंसी प्रेसों की मुद्रण क्षमता पर पड़े दबावों को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगे गए नए नोटों को पूरी मात्रा में छापना हमेशा संभव नहीं हुआ है । सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद ही देश में एक मात्र ऐसी मिल है जहां करेंसी और बैंक नोट के कागज का निर्माण होता है । इसे इस समय आधुनिक बनाया जा रहा है जिससे कि इसकी वार्षिक निर्धारित क्षमता को लगभग 3380 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 6000 मैट्रिक टन किया जा सके । इस परियोजना के अक्टूबर, 1982 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । इसलिए मिल का विस्तार पूरा हो जाने के बाद करेंसी और बैंक नोट कागज की उपलब्धता में काफी अधिक वृद्धि हो जाएगी । फिर भी करेंसी मुद्रणालयों की विद्यमान आवश्यकता की तुलना में कागज के देशीय उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के दौरान कुछ मात्रा में बैंक नोट कागज का आयात किया गया है ।

दो करेंसी प्रेसों में से नासिक वाला प्रेस दिन रात कार्य करता रहा है और दूसरा इस समय एक पारी में काम कर रहा है । देवास प्रेस में दूसरी पारी शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है । करेंसी और बैंक नोट के कागज के निर्माण और नोटों की मुद्रण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक रुपए के नोटों की बढ़ती हुई मांग की कुछ पूर्ति करने के लिए एक रुपए के सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ निश्चित मात्रा में आरक्षित भंडार बनाए रखना किसी कानून द्वारा आवश्यक नहीं है हालांकि यह कार्यचालन की दृष्टि से इष्टकर हो सकता है । स्पष्टत: कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि किसी एक तिजोरी या निर्गम कार्यालय में आरक्षित भंडार कम हो गया हो किन्तु ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य स्थानों से तुरन्त पूर्ति कर देता है । यह कहना ठीक नहीं होगा कि हाल के वर्षों में करेंसी प्रेसों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोटो की पूर्ति में भारी कमी हुई है । किसी भी दशा में देवास प्रेस की स्थापना इसीलिए की गई थी कि इन नोटों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके और इनके उत्पादन में क्रमश: वृद्धि की गई है । इस प्रकार हाल के वर्षों में, परिचालन में आई हुई करेंसी

की क्वालिटी में सुधार करने और इनकी प्रतिस्थापना एवम् बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में नोट उपलब्ध करना संभव हुआ है। उदाहरणार्थ 1980-81 में भारतीय रिजर्व बैंक की कुल आवश्यकता संख्या के अनुसार शत प्रतिशत तक और कुल मूल्य के अनुसार लगभग 94.5 प्रतिशत तक नए नोट सप्लाई करके पूरी की गई। यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सौ रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी मूल्य वर्ग के नोटों की आवश्यकता कुल संख्या के अनुसार लगभग 86 प्रतिशत तक और कुल मूल्य के अनुसार 94 प्रतिशत तक पहले ही पूरी की जा चुकी है, तथापि पिछले 10 महीनों के दौरान, सौ रुपए के नोटों की सप्लाई में कमी हुई है क्योंकि इनकी मांग देवास प्रेस की क्षमता से, जहां ये छापे जाते हैं, बहुत अधिक है।

सिक्का ढलाई के पक्ष में, हाल के वर्षों में पूर्ति के स्तर में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है, यद्यपि एक रुपए के सिक्के के मामले में यह इतनी नहीं है जितनी भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 1975 से, जब एक रुपए के सिक्के चालू किए गए थे 100 करोड़ सिक्कों से अधिक सिक्के परिचालित किए गए हैं। टकसालों में प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करके विशेष रूप से एक रुपए के सिक्कों और सामान्य रूप से अन्य सिक्कों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कलकत्ता की टकसाल में, पिछले तीन वर्षों (जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है) के दौरान उत्पादन स्थिर रहा है। जहां तक हैदराबाद टकसाल का संबंध है, सरकार ने देश में सिक्कों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इस टकसाल को जारी रखने का निर्णय किया है।

संक्षेप में, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि करेंसी नोटों तथा सिक्कों की उपलब्धता के विषय में चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री बी० डी० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इधर एक लम्बी अवधि से देश में छोटे करेन्सी नोटों और सिक्कों के अभाव का अनुभव किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि तमाम बैंकों में करेन्सी नोटों का अभाव उत्पन्न हो गया है। और जो हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, उस में वे स्वीकार करते हैं कि ये समाचार समय समय पर मिलते रहे हैं और कुछ अभाव जरूर है लेकिन इतनी चिन्ताजनक स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छोटे नोटों या सिक्कों का सवाल है, इनके अभाव में जो गरीब आदमी हैं या कम आय वर्ग के लोग हैं, उन को बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। अभी तक यो सारा जन-जीवन आवश्यक वस्तुओं के अभाव में त्रस्त है और उस को प्राप्त करने के लिए घंटों पंक्तिबद्ध रहना पड़ता है लेकिन अब ऐसी स्थिति आने वाली है कि अभी तक जो पुराने नोट या गंदे नोट होते थे, उनको लोग बदल देते थे और बैंकों में जमा कर देते हैं लेकिन अब उन पुराने नोटों को प्राप्त करने के लिए भी लोगों को लाइनों में लगाना पड़ेगा और उस के लिए उनको शायद अधिक कमीशन भी देना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री जी के प्रदेश की राजधानी

से प्रकाशित होने वाला 'स्टैट्समैन' अखबार है, उस में 24 जून को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, उसको में कोट करना चाहता हूं क्योंकि उस से पता चलता है कि छोटे नोटों या सिक्कों की कमी से कितनी भयंकर स्थिति लोगों के लिए पैदा हो जाती है :

"सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्कों तथा नोटों की भारी कमी से सभी चिंतित हैं, विशेषकर व्यापारी तथा सरकारी वर्ग। परचून विक्रेताओं तथा गृहणियों को सिक्कों के बदले डाक टिकटों, लिफाफों तथा सिगरिटों का विनिमय करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।"

इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है और जब किसी भी वस्तु का अभाव उत्पन्न होता है, तो कुछ अभाव तो वास्तविक होता है लेकिन कुछ बनावटी अभाव पैदा कर दिया जाता है और उसमें काला-बाजारी शुरू हो जाती है और कुछ असामाजिक तत्व उसमें काला धंधा करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। अभी जो समाचार मिले हैं, उनसे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में छोटे, करेन्सी नोटों और सिक्कों का अभाव होने वाला है और इस आशंका को आधार-हीन नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वित्त मंत्रालय भी इस तथ्य से अवगत है कि पिछले 10 वर्षों में 10 रुपये मूल्य के करेन्सी नोट या उससे कम मूल्य के करेन्सी नोटों की आपूर्ति मांग से बहुत कम रही है और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की जो इन करेन्सी नोटों की मांग थी, उसमें से पिछले 10 वर्षों में 28 हजार मिलियन करेन्सी नोटों की प्रतियों की आपूर्ति रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को नहीं की गई।

यह स्थिति रही है और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की करेन्सी नोटों का जो सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, उस भंडार को सुरक्षित रखने में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया असमर्थ रहा है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की अदूरदर्शिता और अनिर्णयात्मक आचरण के कारण यह सारी स्थिति पैदा हो रही है। यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने 1964 में ही इस बात का संकेत दिया था और सरकार से आग्रह किया था- क्योंकि जैसा एक रुपये का नोट है, उसके कागज की क्वालिटी बहुत खराब है और उसकी लाइफ बहुत कम होती है- कि एक रुपये के नोट को एक रुपये के सिक्के में बदल दिया जाए। 1964 में इस सुझाव को दिया गया था और दो साल के बाद मंत्री-मंडल ने किसी तरह से इस को स्वीकृत किया। उसके बाद 1975 से सिक्के का चलना प्रारम्भ हुआ लेकिन अभी भी वह पूरी मात्रा में नहीं है जबकि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का सुझाव था कि सारे एक रुपये के नोट एक रुपये के नोट एक रुपये के सिक्के में बदल दिये जाएं। इतना ही नहीं, यह सुझाव भी दिया गया था, क्योंकि नोटों की लाइफ बहुत कम होती है, कि दो रुपये या पांच रुपये के जो नोट हैं, उनको भी उतने रुपये के सिक्कों में बदल दिया जाए। तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। उत्तर देते हुए, माननीय वित्त मन्त्री जी इस पर भी प्रकाश डालें।

साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि मेटल के जो सिक्के हैं, जिस मेटल से वे बनाये जाते हैं, निकल से बनाये जाते हैं, उसके अभाव को देखते हुए एक रुपये के और आठ आने के

के सिक्कों का आकार और वजन कम कर दिया जाए, इस सुझाव को संभवतः सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मैं जानना चाहूंगा कि इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

मान्यवर, नोटों के अभाव की जो स्थिति पैदा हो रही है, वह नोटों के छापने की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जितने कारक सहायक हैं, उन कारकों में अव्यवस्था की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे कागज की बात है। मध्य प्रदेश में होशगाबाद में करन्सी पेपर मिल है, उससे करन्सी पेपर मिलता है। वह मिल एक वर्ष से बन्द चल रही है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें सुधार का काम हो रहा है जिसको कि पहले ही किया जाना चाहिए था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बड़ौदा में करन्सी पेपर मिल की स्थापना की जाएगी और वह मिल 1979 तक उत्पादन करना शुरू कर देगी। लेकिन उसकी आधारशिला भी अभी तक नहीं रखी गयी है। इसके बारे में भी सरकार बताए।

इसके अलावा हैदराबाद में जो टकसाल है वह भी एक साल से बन्द पड़ी है। मालूम नहीं इसको कब तक चालू किया जाएगा ? नासिक में जो इंडिया सिक्युरिटी प्रेस है वह भी अपनी क्षमता पर काम नहीं कर रहा है और करीब आठ वर्ष पूर्व पब्लिक अकाउन्टस कमेटी ने भी इस बात को प्वाएन्ट आऊट किया था और कहा था कि नासिक प्रेस का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। कलकत्ता में अलीपुर की टकसाल में भी लेबर ट्रबल है और वहां पर पिछले पांच वर्षों में लक्ष्य से बहुत कम सिक्के ढाले गए। देवास में एक सिक्युरिटी प्रेस है जहां पर कि नोट छपते हैं। वह भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है इसलिए भी यह सारी कमी है। नोटों के छापने की प्रक्रिया में जो यह कुव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए सरकार कब तक प्रयास करेगी और कब तक यह दूर कर दी जाएगी ?

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की स्थिति इतनी गंभीर हो गयी है कि उसने प्रस्ताव किया है कि जो पुराने नोट अभी नष्ट नहीं किये गये हैं, जिनको कि नष्ट किया जाना चाहिए, उसको एग्जामिनेशन के बाद, परीक्षण के बाद पुनः सरकुलेट किया जाए ? क्या उन नोटों को रिसरकुलेट करने की बात सोची जा रही है, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है ? इसके बारे में भी सरकार बताए।

करीब आठ वर्ष पहले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने स्टेट बैंक और जो दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक उनको अधिकृत किया था कि वे पुराने नोटों को बदलने की प्रक्रिया में रिजर्व बैंक की सहायता करें। इसमें कोई राष्ट्रीयकृत बैंक सहायता नहीं कर रहा है। ऐसा अनुमान था कि पांच सौ करेन्सी चैस्ट खोले जाएंगे किन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों में 80 चेस्ट खोले गए हैं। इससे रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बड़ी कठिनाई हो रही है। तीन हजार सिलियन करन्सी नोटों के बदलने की समस्या है। रिजर्व बैंक के पास उनके रखने का स्थान नहीं है इसलिए उन्होंने एक रुपये और दो रुपये के नोटों को बिना परीक्षण किए नष्ट करने की अनुमति चाही है। क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सरकार से इस प्रकार की अनुमति मांगी है ?

इस प्रकार ये सब जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास करने जा रही है और क्या सरकार इस सदन को आश्वस्त करेगी कि नोटों के अभाव की स्थिति पैदा नहीं होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय सदस्य ने कुछ समस्याओं का जिक्र किया है और यह जानना चाहा है कि स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मेरे सहयोगी ने लिखित उत्तर में कहा है कि जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है, वह ठीक नहीं है, कोई यह नहीं कहता कि कमी नहीं है लेकिन जिस ढंग से इस कमी को पेश किया गया है, वह ठीक नहीं है और हमने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये है, पहला उठाया गया हमारा कदम होशंगाबाद के सेक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को आधुनिकतम बनाने के बारे में है, यह सच है कि इस परियोजना में विलम्ब हुआ है इसे 1980 तक पूरा किया जाना चाहिये लेकिन इसे अब 1982 तक पूरा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 1981-1982 का अनुमानित उत्पादन लगभग 2900 टन हैं जबकि इसकी निर्धारित क्षमता 3800 टन की है। मेरे पास आंकड़े हैं 1979-80 दौरान कुछ कठिनाईयों के कारण उत्पादन अधिक नहीं हुआ फिर इस उत्पादन में वृद्धि हुई 1976 में भी यह उत्पादन कुछ अधिक था वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं:—

1975-76 में, 92 प्रतिशत निर्धारित क्षमता का उपयोग किया गया, 1976-77 में 96 प्रतिशत 1977-78 में 91 प्रतिशत, 1978-79 में 82 प्रतिशत, 1979-80 में 77 प्रतिशत, 1980-81 में 89 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया और 1981-82 के 85.8 प्रतिशत, क्षमता का उपयोग होने का अनुमान हैं।

लेकिन कम से कम जरूरत को पूरा करने के लिये हम करन्सी कागज का आयात करने की कोशिश कर रहे है और वास्तव में इस प्रकार के लगभग 300 टन का आयात हम कर चुके है ताकि इसे बैंकों तथा नासिक स्थित नोट प्रेस तथा करन्सी नोट प्रेस को सप्लाई किया जा सके। अब कार्यक्रम क्षमता को 3380 टन से बढ़ाकर 6000 टन करने का है और हम अवश्य कर रहे है कि अक्तूबर, 1982 तक यह परियोजना पूरी हो जायेगी।

सिक्कों के बारे में मेरे सहयोगी माननीय सदस्य को सूचित कर चुके हैं कि हैदराबाद की टकसाल को बन्द करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि इप टकसाल को बन्द नहीं किया जायेगा। यह चालू रहेगा और हम इसका उपयोग करना चाहेंगे, इसका इतिहास लम्बा रहा है। वित्त मन्त्रालय में जब मैं एक कनिष्ठ मन्त्री, उस समय अलीपुर टकसाल सम्बन्धी समस्या हमारे सामने आयी थी। वहां श्रमिक अशान्ति थी। उस समय श्री यशवंतराव चव्हाण वित्त मन्त्री थे और निर्णय लिया गया कि सिक्कों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्मचारियों को 48 घन्टों के बजाय 72 घन्टों की मजदूरी दी जाये। उन्हें अपरिमत्ता तथा अन्य भत्ते दिये गये। उसके बाद जो कुछ हुआ वह यह हुआ कि 1975-78 मुझे समय पूरी तरह से याद नहीं- में कहा गया कि सिक्कों को कोई नहीं उठाता था। अतः हमें इसकी सप्लाई कम करनी पड़ी और यदि हमें इसकी सप्लाई कम करनी

है तो अपरिमत्ते तथा अन्य भत्तों में कमी करना स्वभाविक ही होगा और वे प्रचलित प्रणाली के अभ्यस्त थे, अब कुछ समस्यायें है और हम उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे है, अतः दो ठोस कदम उठाये गये हैं। एक कदम हैदराबाद टकसाल को खुला रखने अलीपुर टकसाल तथा अन्य टकसालों का समाधान प्रोत्साहन योजना लागू करके करन सम्बन्धी है और दूसरा होशंगाबाद स्थित सेक्योरिटी पेपर मिल के उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी है। अन्तर को पूरा करने हेतु आवश्यक करन्सी कागज का आयात करने के लिये भी कदम उठाये जाते है ताकि देवास तथा नासिक स्थित बैंक तथा करन्सी नोट प्रेस अपनी यथासंभव पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम ये कदम उठा रहे हैं लेकिन कभी कभी कुछ समस्यायें भी पैदा हो जाती हैं जैसे कि इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्रों की समस्याओं का जिक्र किया है। निस्सदेह हमने कदम उठाये हैं। अब सिक्कों का धातु मूल्य बहुत कम है। पहले हमारे सामने एक ऐसी स्थिति भी आयी थी अब लोग इन सिक्कों को इकट्ठा किया करते थे इन्हें गलाते थ और धातु के रूप में बेचते थे, इसके कारण इन सिक्कों के धातु मूल्य को कम करने के लिये कदम उठाये गये हैं। ये काम समय समय पर किये जाते रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों के आश्वासन देना चाहूंगा कि यह इस बात का ध्यान रखरा हमारा प्रयत्न रहेगा कि इन चीजों की कमी न हो और लोग उस स्थिति पर न पहुंचे जहाँ उन्हें ये न मिले। मेरे विचार में मेरे पास अब कहने के लिए कुछ और नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, कल शनिवार है और कल हमारे सबसे जवान वित्त मन्त्री बजट पेश करने वाले हैं। मराठी में एक कहावत है जिसका मतलब है कि न करने वाले का दिन शनिवार होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ न हो जाय। कल बजट आ रहा है लोगों को पता नहीं क्या बोझ उन पर पड़ने वाला है और क्या राहत ब्लैकमनी वालों को होगी। उनके लिए सरकार ने पिछले साल बीयरर बॉड स्कीम निकाली जिससे 1,000 करोड़ रु० भी ब्लैक मनी का नहीं आया है। अब जो नया वित्त वर्ष आ रहा है ब्लैक मनी जिनके पास है और नोटिस उनके पास पड़े हुए हैं उनके लिये कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि अगर मार्केट से नोट चले जाते हैं तो उनके पास पैसा है वह मार्केट में आ जाएगा। लेकिन आम जनता जिसका गुजारा खरीज पर चलता है और तनख्वाह पर गुजारा होता है। उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपने आश्वासन दिया है कि पेपर की अगर कमी होगी तो इम्पोर्ट करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि आप ऐलान करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गिर गया है लेकिन लोगों को मालूम है कि कंज्यूमर प्राइस इंडक्स बढता जाता है। वैसे ही आप नोटों के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आम जनता को जो छोटे छोटे नोटों की जरूरत पड़ती है उनके लिये छोटे नोट बाजार में नही रहेंगे।

मेरे पहले जो कहा गया है मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन में पूछना चाहती हूं, लोगों ने कहा है कि हैदराबाद में मिन्ट बन्द की गई उसके बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को कुछ नहीं बताया गया फोर सम मिस्टीरियस रीजन्स हमें कुछ पता नहीं, 1964 में रिजर्व बैंक ने बताया देश में शॉर्टेज होने वाली है, 1967 में कैबिनेट ने मंजूर किया लेकिन 1975 तक आपने

कुछ कार्यवाही नहीं की। उस समय तो कांग्रेस (आई०) का राज्य चल रहा था, जनता पार्टी के नाम का सवाल ही नहीं था, 1975 में आपका यह कहना कि 100 करोड़ रु० के काइन्स बनाये हैं जो सर्कुलेशन में हैं। लेकिन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को जो उसके पास सोइल्ड नोट्स हैं उसके बारे में शकायतें हैं, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। मैनेजमेंट का यह कहना है कि उनके पास जो नोट्स पड़े हुए हैं उससे इतनी जगह भरी हुई है कि वह कुछ काम नहीं कर सकते। नेशनेलाइज्ड बैंकिंग इनक्लूडिंग स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। 5.0 चैस्ट्स के बदले 80 चैस्ट्स बनाते हैं। बैंक्स के रेनोवेशन पर खर्चा हुआ, उनका कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है। तो क्या इतने सालों में उनके पास वेरीफिकेशन के लिए ऐक्सचेंज के लिए जगह नहीं बना सकते थे? सरकार के नियन्त्रण में बैंक्स हैं, तो सरकार ने उसको करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है, यह मैं पूछना चाहती हूं। लेबर डिस्प्यूट के बारे में हम नहीं चाहते वह बराबर है, झूठ है, गलत है, उसके बारे में नहीं, लेकिन हमारी सरकार सबक सिखाना चाहती है मजदूरों को। उनके लिए एन० एस० ए० और दूसरे कानून होते हैं। जैसे आर० बी० आई० का कहना है कि अगर मशीनरी लाते हैं तो 6,000 नोट एक घंटे में हो जाते हैं, उस बारे में उनका कहना है कि 10 लोगों को काम से हटाया जायेगा। स्टाफ का कहना है कि 500 परसेंट उनका बोझ बढ़ गया है और 100 परसेंट ही लोगों को ज्यादा ले लिया गया है। उनका कहना मंजूर करना चाहिए कि पहले भी जब इण्डस्ट्रीज का माडर्नाइजेशन चल रहा था, उस समय रैशनलाइजेशन विदआउट अरस हो गया था, मजदूरों को काम से नहीं निकाला जायेगा। और उसके बाद भी माडर्नाइजेशन करना पड़ता है और मैकेनाइजेशन भी करना पड़ता है। मुझे पता है कि इसमें हमारे मजदूर सहयोग देंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे कि सबक सिखायेंगे, मुझे लगता है कि आप सबक मजदूरों का नहीं सिखाते बल्कि जनता को सिखाते हैं जिसका कुछ गुनाह नहीं है। वह महंगाई भी सहती है और सहयोग भी करती है इसलिए आप जनता को भी सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूं कि सरकार की यह पालिसी ठीक नहीं है।

बड़ौदा में एक प्रैस खुलने वाला था, 1979 में शुरू होने वाला था। उसके पहले भी खबर अखबार में आई कि उसका अनावरण नहीं हुआ स्टोन-लेइंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर 1964 में आर० बी० आई० ने आने वाले संकट के बारे में वार्निंग दी थी तो मेरा पूछना यह है कि अब तक वहां काम क्यों नहीं शुरू किया?

अभी जो 100 करोड़ रुपये के कोयन्स देश में शुरु किए हैं, उसकी कितनी जरूरत थी। हमें इसका आश्वासन चाहिए, क्योंकि कल आपका बजट है। प्रडोक्टिविटी अगर है तो हमारे देश में काफी मात्रा में कोयन्स और करेंसी रहनी चाहिए ताकि लोगों को लूटने का हथियार हम काला बाजार वालों और एंटी सोशल लोगों के हाथ में न दें। उसकी पूरी व्यवस्था भी करनी होगी।

"सिन्स" कब से आपने शुरू किया, अखबारों में आ गया कि हैदराबाद की मिन्ट में शुरु

किया है। पता नहीं 'सिन्स" का मतलब क्या है। हैदराबाद की मिन्ट में कितने कौयन्स आपने बनाये और सर्कुलेशन के लिए, लाये उसका कुछ पता नहीं चलता है।

मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि यह सिर्फ वेग स्टेटमैंट्स देन के बदले आज ही इस देश की जनता को बतायें कि वह लूट करने की इजाजत एंटी सोशल लोगों को नहीं देंगे और देश में कितने नोटों की आवश्यकता है? कितने आप बना सकते हैं? आपने कहा है, इसलिए मैं मंजूर कर सकती हूं, लेकिन कितना कागज आप इम्पोर्ट करेंगे जिससे इस देश में नोटों की कमी नही रहेगी ?

100 रुपये के नोट आपने नहीं बनाये, अगर आप इसका डिमोनिटाइजेशन करना चाहते हैं और इसलिए नोट नहीं बनाये तो हम इसे समझ सकते हैं लेकिन अखबार में खबर आई है कि कौयन्स के बारे में लोग बोलते हैं कि पैसा खाते हैं। एक आदमी ने एक कौयन्स खाया, पता नहीं, सोने के बिस्कुट होते हैं क्या, हमें मालुम नहीं। लेकिन पैसा खाने की कोशिश की तो वह रुपया टूट गया और जो भी खाया था होटल में उसका देने के लिए पैसा नहीं रहा। इसलिए जो कौयन हम बना रहे हैं, खाने के लिए कौयन आप नहीं बनायेंगे, ऐसा भी मैं उमीद रखती हूं।

फाइनेन्स मिनिस्टर कल के बजट में कितना बोझ डालेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए 1 पैसे जिस रुपये की कीमत है, ऐसे कौयन्स वह कितने बनाने वाले हैं और किस प्रकार से आप लोगों को राहत देने वाले हैं उसके बारे में साफसाफ बता दीजिए, वेग स्टेटमैंट मत दीजिए। मंत्री महोदय क्लीयर बता दें, ताकि लोगों को पता चले कि नोट प्राप्त करने के लिए भले ही उन्हें क्यू में खड़ा होना पड़े, लेकिन उसके लिए उन्हें बार्टर सिस्टम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : बहुत सी बातें उठायी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है क्योंकि कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रचमन जहां तक एक रुपया के नोट का प्रश्न है, यह ठीक है कि निर्णय 1975 में लिया गया था : उसके बाद 10 करोड़ रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं। दूसरे यह पूछा गया है कि क्षमता बढाने के लिए हम किन्हीं मशीनों के आयात की अनुमति क्यों नहीं देते। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं देवास बैंक नोट प्रेस में हमारे पास एक पारी का भी कार्य नहीं है और अब हम दो पारी की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि बिना लागत बढाये क्षमता को बढ़ाया जा सके। अतः मशीन की आयात करके और देवास नोट प्रेस की क्षमता को बेकार रखने में कोई लाभ नहीं है। वही तर्क बड़ौदा में प्रस्तावित कागज के कारखाने पर लागू होता है। पहले हमें देवास बैंक नोते प्रेस की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह है कि कितने माल का आयात किया गया।

मुझे खेद है, मैं अपने आकड़ों को ठीक करता हूं संख्या 10 करोड़ नहीं है अपितु 100 करोड़ है। अतः संख्या 10 गुणी अधिक है।

प्रो० मधु दण्डवते : इतने थोड़े समय में उत्पादन बढ़ गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, यह केवल जानकारी में अन्तर था आयात के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 300 टन का आयात किया जा चुका है और अतिरिक्त 100 टन का आयात कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो अधिक भी करेंगे। आंकड़े में पहले बता चुका हूं।

हैदराबाद मिन्ट के बारे में पहले ही वक्तव्य में बता चुका हूं कि हम निर्णय ले चुके हैं। यह समाचार पत्र के कारण नहीं है। इसको मैं जांच कर सकता हूं। हो सकता है समाचार पत्र ने यह खबर दी हो, परन्तु यह विचाराधीन है तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मिन्ट को जारी रखा जाय, बन्द न किया जाये। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक की समस्याओं का सम्बन्ध है वह एक वयोवृद्ध श्रमिक नेता वह जानती हैं कि रिजर्व बैंक स्वयं ढिंगे पंचात के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा कर रहा है। अतः मैं उस पहलू के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री राम स्वरुप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार में जो समाचार छपे थे, उनसे तो ऐसा लगता था कि स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन जब मुझे सरकार का जवाब देखने को मिला, तो स्थिति साफ हो गई। मुझे बहुत गौरव है कि एक बहुत प्रतिभाशाली अर्थ-शास्त्री देश का फिनांस मिनिस्टर बनाया गया है।

मैं आपका ध्यान अखबार की कुछ कतरनों की ओर ले जाना चाहता हूं। 22 फरवरी, 1982 को एक न्युज आई थी कि सार्वजनिक लेखा समिति ने नासिक टक्साल की समस्या पर ध्यान दिया था और आठ वर्ष पूर्व सलाह दी थी कि टक्साइल का आधुनिकीकरण किया जाए, लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। सब से पहली बात तो यह है कि जब भी छोटे-छोटे क्वायन्ज और नोटों की शार्टज होती है, तो समाज का सबसे कमजोर वर्ग देहात में रहता है और पावर्टी लाइन के नीचे है, ज्यादा इफेक्टिड होता है। जब शार्टज आफ कायन्ज होती है तो सम्पन्न लोगों को तो कहीं न कहीं से उनमें प्राप्ति हो जाती है लेकिन उस स्थिति में समाज का सबसे कमजोर वर्ग, जो आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, बहुत इफेक्टिड होता है। आप बसों में चलते होंगे, पता नहीं उपाध्यक्ष महोदय चलते है या नहीं, लेकिन हम लोग तो बसों में चलते हैं और देखते हैं कि क्वायन्स की कमी की वजह से टिकट लेने के लिए एक रुपये का नोट जब कोई देता है और कंडक्टर के पास पांच पैसे नहीं होते हैं तो वह गरीब बेचारा पांच पैसे उसी के पास छोड़ देता है। इस तरह से हर वाइंट पर उस का एक्सप्लायटेशन होता है। यह बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि यह समाज के एक ऐसे यूनिट को एफेक्ट करता है जो गरीब है। इसलिए सरकार को इसकी गंभीरता से लेना चाहिए। आपने देखा होगा जब

वर्ल्ड वार छिड़ी थी तो एक रुपये को लोग चौदह आने में दे देते थे । उसी तरह की स्थिति आज भी न बन जाय इस के लिए मैं वित्तमंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस स्थिति पर वह वाच रखें ।

दूसरी बात यह है कि एक ओर तो अखबारों में यह बात आती है कि क्वायन्स की कमी है, दूसरी तरफ दूसरे अखबार वाले कुछ और लिखते हैं । किसी में ये अखबार वाले कुछ लिखते हैं किसी में कुछ लिखते हैं । किसी में राम लिखते हैं किसी में घनश्याम लिखते हैं । ये अखबार तो हमारे लोकतंत्र के रक्षक हैं, इसलिए इनको तो कम से कम ठीक तरह से बात रखनी चाहिए । मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास नोटों की कमी नहीं है लेकिन आपके नोट कहां पर पड़े हुए हैं उसको देखने की आवश्यकता है । आप यह देखिए समाचार पत्र हैं "नवभारत टाइम्स", इसमें 23 अप्रैल 1980 को यह निकला है :

"राजधानी में इन दिनों एक रुपये के नोटों की नयी गड्डियों का अकाल पड़ा हुआ है । यहां तक कि रिजर्व बैंक में भारी एक गड्डी प्राप्त करने के लिए कई घंटे बरबाद करने पड़ रहे हैं । लेकिन नगर में सौ रुपये की गड्डी के 110 रुपये देने को तैयार हैं तो उसे दिल्ली के किसी भी भाग में मनचाही संख्या में गड्डियां मिल जाती है ।

इस लिए हम इस बात से हाउस को और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वास्तव में नोटों की कमी नहीं है बल्कि ब्लैक मार्केटियर और प्राफिटियर जैसे सब जगह हैं वैसे ही यहां पर भी वे काम कर रहे हैं । जैसे वे अनाज या और वस्तुओं की ब्लैक-मार्केटिंग और प्राफिटियरिंग में लगे हुए हैं ऐसे ही वे इस गोरखधन्धे में भी लगे हुए हैं जिस की वजह से जैसे ही बैंक से पैसा निकलता है, उनके ब्रोकर या दलाल पहले बैंक में चले जाते हैं और छोटे छोटे नोट वहां से निकाल कर ले जाते हैं । देहात का ग़रीब किसान या मजदूर जाता है तो चार आना मार्जन लेकर 12 आना उसको दे देते हैं । कहते हैं तुम्हारा यह नोट गला हुआ है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पर्याप्त पृठभूमि दे चुके हैं । अब आप प्रश्न पूछें ।

श्री राम स्वरुप राम : इस तरह से ऐसे धन्धे में लोग लगे हुए हैं

मैं तीन सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । पहला सवाल तो यह है कि जो इस गोरख धन्धे में लगे हैं और ब्लैकमार्केटिंग करते हैं, फटे पुराने नोटों के नाम पर ग़रीबों का शोषण करते हैं, इस गम्भीरता को देखते हुए पूरे देश में क्या आप इसको बन्द करने का कोई विचार रखते हैं या नहीं

दूसरी चीज है माडर्नाइजेशन आफ मशीन की बात । वर्षों से आश्वासन पड़े हुए हैं, रेकमेंडेशन पड़ी हुई है, सलाह पड़ी हुई है कि इनको माडर्नाइज किया जाय । तो यह जो मशीन का माडर्नाइजेशन करने की बात है यह कब तक आप करेंगे ? कोई डेफिनिट डेट उसके लिए आप दें । ऐसे तो आपने कहा है कि अक्तूबर तक कर देंगे, यह बड़ी खुशी की बात है ।

तीसरी चीज यह है, मैं यह इन्फर्मेशन आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कुछ जाली नोटों का भी धन्धा बहुत तेजी से हो रहा है। इस देश के हर भाग में यह चीज चल रही है। आप कहीं पर भी जाइए जालीनोट की बात आप को सुनाई पड़ेगी और अखबारों में भी आपने देखा होगा, अक्सर इसके बारे में निकलता रहता है। दिल्ली के चौराहे पर ये जाली नोट नहीं घूमते हैं बल्कि वह घूमते हैं देहातों में जहां के रहने वाले गरीब बेचारे लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि सौ रुपये का नोट या पचास रुपये का नोट कैसा होता है। जो जाली नोटों का काम चल रहा है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह इस तरह का काम करके आपकी एकोनामी को पैरेलाइज करना चाहते हैं और पैरलल एकोनामी चलाना चाहते हैं इसलिए आप इसके लिए ऐसा कड़े से कड़ा कानून बनाएं जिससे यह जाली नोटों का धन्धा बन्द किया जा सके।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो यह कहा है कि कागज अच्छा नहीं है, स्टैण्डर्ड क्वालिटी का नहीं है इसलिए सात महीने के बाद नोट की लाइफ का इरोजन हो जाता है तो क्या सरकार का यह विचार है कि एक रुपए से पांच रुपए तक के नोट्स को हटाकर उनके स्थान पर सिक्के चला दिए जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी अब आप उत्तर दे सकते है।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। एक टकसालों के आधुनिकीकरण के बारे में है। टकसाल का विस्तार पहले ही किया जा रहा है। टकसालों के आधुनिकीकरण का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा तथा अब यह विचाराधीन है यद्यपि बम्बई टकसाल 150 वर्ष पुराना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस अवधि में पर्याप्त आधुनिकीकरण हो चुका हैं तथा कुछ महीने तो अत्यन्त आधुनिकतम हैं। यह एक निरन्तर कि जाने वाले वाली प्रक्रिया है और उसे हम जारी रख रहे है।

दूसरे, छोटे मूल्य के सिक्कों की सप्लाई के मामले में कुछ समय पूर्व कुछ कमी रही है परन्तु यह कमी अधिक नहीं रही है जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये आंकड़ों में बताया गया है तीसरे, कभी कभी कुछ घोटाला तथा चोर बाजारी करने वाले ऐसे अवसरों में स्थिति से लाभ उठाते हैं तथा यह कार्य कानून लागू करने वाले तन्त्र का है कि वे ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करे। मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि कार्यवाही की जाती है तथा विशेष उपाय किये जाते हैं। नकली तथा जाली नोट का कार्य एक अपराध है तथा कानून लागू करने वाला तन्त्र इस पर दृष्टि रखे हुए है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है, उनके विरुद्ध सभी संभव कार्यवाही की जाती है।

श्री० एम० एम० लारेन्स (इडुक्की) : 22 फरवरी के इकोनोमिक टाइम्स में छपा था :

"पिछले 10 वर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा पहचान के अनुसार प्रेसों ने लगभग 2500 करोड़ रुपए के नोट सप्लाई नहीं किये हैं।"

यह एक अधिकारी के वक्तव्य से उद्धृत किया गया है । उसी समाचार पत्र में 1973-74 की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है। इस रिपोर्ट के पृष्ट 21 पर समिति ने अपनी सिफारिश में यह कहा है कि मांग 1978-79 में बढ़कर 770 करोड़ 70 लाख हो जाने की संभावना है उसी पैरा के अन्तिम वाक्य में कहा गया है :

"समिति चाहती है कि देवास प्रेस की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए तथा नासिक में पुरानी प्रेस की मशीनरी धीरे-धीरे बदली जानी चाहिए ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके ।"

उसी प्रकार अगले पैरा 1 41 में समिति ने सिफारिश की है कि :

"समिति चाहती है कि सरकार नियंत्रण अनुभाग की क्षमता को इतना बढ़ाने के लिए कदम उठाये कि मुद्रण अनुभाग अपनी अधिकतम क्षमता तक कार्य कर सके ।"

अब मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक नहीं है कि वह एक निश्चित मात्रा में रिजर्व स्टाक रखे । जो कार्य संचालन के लिए उचित हो । किन्तु इकानोमिक टाइम्स में जिसका कि मैंने उल्लेख किया है बताया गया है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कानूनी तौर पर कुछ स्टोक हाथ में रखना पड़ता है । परन्तु मन्त्री महोदय ने इसके विपरित बात कही है । इस प्रकार मन्त्री महोदय ने बताया है कि इस समय आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे कि इसकी वार्षिक निर्धारित क्षमता को लगभग 3380 मीटरी टन से बढ़ा कर 6000 मीटरी टन किया जा सके । कागज के भार में अन्तर हो सकता है । इस टन भार से हम छापे गये नोटों की सही संख्या नहीं निकाल सकते । देश में सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे सीमेंट, इस्पात, चीनी, खाद्य तेलों, वनस्पति डालडा, घी आदि सभी वस्तुओं की चोर बाजारी होती है । सरकार की नीति नोटों की चोर बाजारी के सभी प्रोत्साहन देने की है । वास्तव में सरकार की नीति इस चोर बाजारी का राष्ट्रीयकरण करने की है । मेरी राय में यह सरकार की आर्थिक नीति की झलक है । यदि इसकी झलक नोटों के छापने तथा नोटों की कमी में भी दिखाई देती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि लोक लेखा समिति (1973-74) की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने नोटों के मुद्रण में सुधार लाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त स्टांक रखने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : बहुत सी बाते मैं पहले बता चुका हूं । यह बात तो कोई भी नहीं कहता कि कोई कमी नहीं है । मेरा कहना यही है कि कमी उतनी नहीं है जितनी कि बतायी गयी है । दोनों प्रेसों के उपयोग के बारे में भी स्थिति यह है कि 1980-81 में देवास की प्रेस की 96 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया और क्रैंसी नोट प्रेस नासिक की 98.8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया । परन्तु यदि एक बार कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है तो उसे ठीक करने में काफी समय लग जाता है । हम स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे है ।

होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल की क्षमता बढ़ाने और आवश्यक होने पर अधिक नोट तैयार करने के लिए देवास बैंक नोट प्रेस में दूसरी पारी शुरू करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे है उनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं ये सभी कदम उठायें जा रहे हैं ।

नीतियों तथा अन्य मामलों में तोड़ मरोड़ किये जाने के मामले में मैं माननीय सदस्य के अपने विचार है । उन्हें अपने विचार रखने की पूरी स्वतन्त्रता है जैसा मुझे अपने विचार रखने का हक है । अतः इसकी चर्चा का कोई लाभ नहीं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, जैसा समाचार-पत्रों में छपा है और अभी ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके निजी अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा । हर किसी ने इसका उल्लेख किया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह स्पष्ट है कि देश में करेन्सी की, खास कर छोटी रकम के, एक या दो रुपये के नोटों की काफी शार्टेज है और मार्केट में देखने को मिलता है कि फटे हुए नोटों को बदलने के लिए केवल दूसरे लोग ही नहीं, यहां तक कि बैंक के अन्दर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम लेकर नये नोट देते हैं, इससे साफ पता चलता है कि देश में नोटों की कमी है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । लेकिन मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं उनसे यह जानना चाहता हूं—आप ने बतलाया है कि इस साल के अन्दर जो टोटल डिमाण्ड थी, संख्या में डिमाण्ड को 86 परसेन्ट तक मीट किया है और वेल्यू में 94 परसेंट तक मीट किया है । मैं समझता हूं यह रिप्लाई काफी वेग है—आप यह बतलायें कि एक रुपये के नोटों की, दो रुपये के नोटों की, पाँच रुपये के नोटों की तथा एक रुपये के सिक्कों की कितनी मांग थी और उनके अगेंस्ट आप ने कितने परसेन्ट मीट किया है ? जो परसेंटेज आप ने बतलाई है इसमें तो बड़े नोट भी आजाते हैं, 30 रुपये और 100 रुपये के नोट भी आ जाते हैं । जो शार्टेज है, वह छोटी करेन्सी की है । इसलिए हर यह जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की जो मांग थी एक रुपये के नोट के लिए, दो रुपये के नोट के लिए, पांच रुपये के नोट के लिए या एक रुपये की करेन्सी के लिए, वह कुल कितनी थी और उसके एगेस्ट कितनी डिमांड आप ने मीट की है ताकि यह पता चले कि छोटी करेंसी में कितना शार्टफाल है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि करेन्सी नोटों के अन्दर जो पेपर काम में आ रहा है प्रिंटिंग के लिए, उसकी क्वालिटी बहुत पूअर है रिजर्व बैंक के स्टैन्डर्ड के अनुसार । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एक रुपये के नोट की डूरेबिलिटी, उसकी जिन्दगी कितने महीनों की होनी चाहिए और उसके एगेन्स्ट कितनी हो रही है ताकि पता लगे कि कागज की क्वालिटी कम है या ज्यादा । इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन नोटों की प्रिंटिंग के लिए कुल कितने कागज की आवश्यकता है और उसके मुकाबले में कितने कागज का प्रोडक्शन आज हमारे देश में हो रहा है और आप ने जो इम्पोर्ट के बारे में बताया है कि हम इतना इम्पोर्ट कर चुके हैं, क्या

आवश्यकता के अनुसार देश के अन्दर नोटों की छपाई के लिए उतना कागज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह भी हम जानना चाहेंगे।

यह जो बार-बार बात आ रही है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास छोटे नोटों के सुरक्षित भंडार नहीं हैं, हम स्पष्ट जानना चाहेंगे कि यह गलत है या सच है। अगर सच है, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अन्त में मैं आप की अनुमति से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो इस बारे में रिपोर्ट है, उसकी तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि अभी तक मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। 1973-74 की पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की नं० 428 रिपोर्ट यह है और इसके पेज 20 और 21 पर इसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मैं हाऊस की जानकारी के लिए इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसमें कई इस प्रकार के सजेशचन्स दिये हैं, रिमार्क्स दिये हैं, जिनके एम्पलीमेंटेशन के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है। अगर ये कदम उठा लिए होते, तो शायद आज वित्त मन्त्री जी को यह न कहना पड़ता कि करेंसी नोटों की शार्टेज है। हम नहीं चाहते कि देश के अन्दर पैनीकी स्थिति बने या किसी किस्म की घबड़ाहट पैदा हो जाए कि सिक्कों की कमी है और लोग उस का नाजायज फायदा उठाएं लेकिन स्थिति यह है कि शार्टेज है। इस रिपोर्ट के पेज 20 पर पैरा 1.40 में यह कहा गया है :

> "करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, नासिक से मुख्यतः भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले एक रुपए के नोटों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक अन्य मूल्य के नोटों के मुद्रण की अपेक्षा की जाती है जिनका उत्पादन भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। इस समय प्रेस के दो यूनिट ओल्ड करेंसी नोट प्रेस तथा न्यू करेंसी नोट प्रेस, नोटों का मुद्रण कर रहे हैं। इन दो यूनिटों की अधिकतम वार्षिक क्षमता 363 करोड़ 60 लाख नोटों के मुद्रण की है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अन्तिम वाक्य पढ़ें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : देवास के बारे में इन्होंने कहा है कि कैपेसिटी से कम काम किया है और अब आप कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। यह जो 1973-74 की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उस समय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था और इस तरह से इसके कमिशनिंग में काफी देर हो गयी है और अब भी ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी आने वाले समय की डिमांड को मीट नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि उसकी कैपेसिटी डिमांड को देखकर बढाई जाए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है:

> "चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक मांग बहुत अधिक है, इसलिए देवास में एक नयी प्रेस स्थापित की जा रही है जिसकी वार्षिक क्षमता 100 करोड़ नोट होगी। वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की मांग क्रमशः

426.30 और 446 करोड़ नोटों की थी। वित्त मन्त्रालय के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के 1974-75 में लगभग 582.40 करोड़ नोटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस मांग के वर्ष 1978-79 तक 770.70 करोड़ नोट हो जाने की उम्मीद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नयी प्रेस की स्थापना के बाद भी करेंसी नोट प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगी यदि भारत सरकार भारी मात्रा में धातु के सिक्के जारी नहीं करती।"

आपने बताया है कि मेटल सिक्के करीब 100 करोड़ पीसेज निकाले हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 1973-74 की इस रिपोर्ट के बाद कौन से साल से आपने सिक्कों को मिट करना शुरु किया और कितने सिक्के मिट किए ?

रिपोर्ट में आगे बताया गया है :

"फिर ओल्ड करेंसी नोट प्रेस, जिसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, कि मशीनरी को ठीक हालत में रखना चाहिए...।"

यह सरकार की समिति संशोधनों की वजह से आवश्यक है। समिति महसूस करती है। कि देवास में नई प्रेस की स्थापना की स्वीकृति देने से पहले, आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन किया जाना चाहिए था ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया, यह इस बात से स्पष्ट है कि 16 करोड़ रू० की अनुमानित लागत पर नई प्रेस के कार्य शुरु करने के बाद भी करेंसी नोट प्रेस की स्थापित क्षमता भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूनतम आवश्यकताओं के कहीं भी नजदीक नहीं है। समिति चाहती है कि देवास प्रेस की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए तथा नासिक स्थित पुरानी प्रेस की मशीनों को धीरे-धीरे बदला जाना चाहिए ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चत की जा सके।"

इसका मतलब यह है कि 1973-74 में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस बात का कांग-निजेंस ले लिया था कि हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनकी केपेसिटी और कागज की स्थिति को देखते हुए उस समय ऐसा लगता था कि हमारे यहां आने वाले सालों में नोटों की शार्टेज हो जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसके बाद से इमरजेंसी क्या-क्या स्टेप्स लिए इसका ब्रेकअप बताइये ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं यह कहना चाहती हूं कि रिजर्व बैंक ने सायल नोटों को बिना एग्जामिनेशन के डेस्ट्राय करने के बारे में जो परमिशन मांगी थी उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, इसका आपने जवाब नहीं दिया।

श्री रामस्वरुप राम : उपाध्यक्ष महोदय, आप नई परम्परा डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपको कोई भी प्रश्न उठाने के लिए मेरी अनु-

मति लेनी चाहिए । आप जो चाहें वही नहीं कर सकते क्योंकि आप राम हैं मैं लक्ष्मण हूं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : दूसरे आपके नेशनेलाइज्ड बैंक के साथ नान कोआप्रेशन कर रहे हैं। उसने पांच सौ चेस्ट खोलने के लिए कहा था लेकिन अभी तक 80 चेस्ट खोले गए हैं। इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ? इसके बारे में भी बताएं । इसका भी आपने जवाब नहीं दिया ।

श्री रामस्वरुप राम : इस सदन का मैं भी सदस्य हूं और माननीय सदस्या भी हैं । उनको दो बार समय मिले और मुझे एक बार ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले वह कुछ स्पष्टीकरण मांगना भूल गयी थीं जो वह अब मांगना चाहती हैं । वह कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हैं । आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे सकते ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक श्रीमती दण्डवते के स्पष्टीकरण या प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने अभी तक रिजर्व बैंक को नोट नष्ट करने की अनुमति नहीं दी है । इसका कारण यह है कि हम उनको नोटों को नष्ट करने सम्बन्धी संशोधित प्रक्रिया का ध्यान पूर्वक अध्ययन किए बिना सभी ही नोटों को नष्ट करने के लिए नहीं कह सकते ।

श्रम तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में आप सराहना करेंगे कि मैं फिलहाल उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत सी टिप्पणियां हैं । वास्तव में उनकी आधे से अधिक टिप्पणियां बजट के सम्बन्ध में थीं । क्योंकि कल मैं बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं बजट से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता ।

श्री गोपाल द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर आते हुए, मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा क्योंकि वह आंकड़े प्राप्त करना चाहते थे । मैं वर्ष 1981-82 के नोटों की बात कर रहा हूं । रिजर्व बैंक को एक रु० के नोट की आवश्यकता 80 करोड़ नोटों की थी तथा जनवरी के अन्त तक 64.70 करोड़ नोट सप्लाई किए गए जो कि 80.8 प्रतिशत पड़ती हैं । दो रु० के नोटों के मामले में 140 करोड़ नोटों की मांग थी तथा पूर्ति 130.90 करोड़ की थी इस प्रकार पूर्ति 93.5 प्रतिशत रही । संतुष्टि पांच रु० के नोटों की आवश्यकता 105 करोड़ नोटों की थी तथा पूर्ति 79.20 करोड़ थी जिससे 75.34 प्रतिशत सन्तुष्टि हो पायी । 10 रु० के नोटों की आवश्वकता 70 करोड़ नोटों की थी तथा पूर्ति 67.60 करोड़ की जिससे 96.57 प्रतिशत संतुष्टि हुई । जहां तक 100 रु० के नोटों का सम्बन्ध है कुछ कमी है । ये आंकड़े वर्ष के पहले 10 महीनों में की गयी पूर्ति से सम्बन्धित है ।

100 रु० का नोट : 65 करोड़ नोटों की मांग थी तथा 17.40 करोड़ नोटों की पूर्ति की *गयी तथा संतुष्टि की दर 26.76प्रतिशत थी ।*

आप छोटे सिक्कों के बारे में भी सूचना चाहते हैं। मैं वह भी दे रहा हूं। मैं आपको बहुत अधिक आंकड़ों के झमेले में नहीं डालना चाहता और इसीलिए मैंने आपको नहीं दी परन्तु यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं। मैं तीन वर्षों के आंकड़े दे सकता हूं परन्तु मैं केवल वर्ष 1981-82 की ही बात कर रहा हूं। 1981-82 के पहले दस महीनों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

एक रु० के सिक्के: 40 करोड़ सिक्कों की मांग की थी तथा 10 महीनों में 11 करोड़ 29 लाख 83 हजार सिक्कों को उत्पादन किया गया.

10 पैसे के सिक्के : माग में केवल 1981-82 की बात कर रहा हूं 30 करोड़ सिक्कों की थी तथा उत्पादन 12 करोड़ 3 लाख 80 हजार सिक्कों का था।

5 पैसे के सिक्के : मांग 30 करोड़ सिक्कों की थी तथा उत्पादन 16 करोड़ 17 लाख 24 हजार सिक्के रहा।

अत: जैसा कि मैंने कहा कमी है। यह नहीं कि प्रत्येक श्रेणी में कोई कमी नहीं है परन्तु यह इतनी नहीं है कि इससे कोई गम्भीर समस्या हो रहीं हो। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में स्थानीय समस्यायें हो सकती हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

देवास तथा नासिक की करेंसी नोट प्रेसों के लिए कागज की आवश्यकता के बारे में मैं बता चुका हूं। नासिक में 98 से अधिक क्षमता का उपयोग 98 से अधिक किया जा रहा है तथा देवास सिकोयरिटी प्रिंटिंग प्रेस में लगभग 96 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। ये आंकड़े मैं पहले ही दे चुका हूं। अत: हम पूर्ण रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल में उत्पादन लगभग 2,900 टन होने की सम्भावना है और पिछले वर्ष हमने 300 टन के लगभग आयात किया तथा 100 टन अभी आ रहा है। और यदि आवश्यकता हुई तो हम और अधिक आयात करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के बारे में क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने अभी तक कुछ नहीं किया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा तात्पर्य लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से है।

श्री प्रणब मुखर्जी : क्योंकि आप 1973-74 की बात कर रहे हैं तो मैं इस पर कोई प्रति क्रिया नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि आप जब मन्त्री थे तो आपने कोई अनुवर्ती कार्य-वाही की होगी। हमें इसको चैक करना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) कागज की किस्म के बारे में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आधुनिक इलेक्ट्रानिक केन्द्रों के निर्माण के लिए इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री पालघाट का विस्तार

श्री बी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : केरल का पालघाट जिला औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है इस क्षेत्र में आई० टी० आई० के अलावा कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है तथा इससे राज्य के औद्योगिक विकास में भारी असन्तुलन पैदा हो गया है कुछ समय पहले माननीय संचार मन्त्री ने कहा था कि आधुनिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज बनाने का प्रस्ताव है तथा उनका निर्माण आई० टी० आई० पालघाट में किया जायेगा। माननीय मन्त्री के इस वक्तव्य से पालघाट के लोगों के मस्तिष्कों में एक आशा की किरण जागी। इसके बाद इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज बनाने के लिए उचित स्थान तथा अन्य बातों का सुझाव देने के लिए सरीन समिति बनायी गयी थी। इस समिति ने अब यह सिफारिश की है कि ऐसी एक्सचेन्ज बनाने का कारखाना बंगलौर में लगाया जाये इस समिति की सिफारिशों ने पालघाट के लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

अब यह कहा जा रहा कि एक छोटा इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज यूनिट पालघाट में लगाया जाएगा जिसका आरम्भिक कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। मूल अनुमान 16 करोड़ रुपए था। परन्तु अब परियोजना के लिए कम से कम 50 करोड़ रु० का टेंडर प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि इस टेंडर को स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी इस राशि को स्वीकृत करने में बहुत अधिक देर लगेगी क्योंकि यह राशि मूल अनुमान से तीन गुना है। अतः इस परियोजना के बारे में भी काफी अनिश्चितता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पहलें प्रस्ताव पर ही कायम रहे तथा आधुनिक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्जें बनाने के लिए आई०टी०आई पालघाट का विस्तार करें।

(दो) घरेलू नौकरों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): नियम 377 के अधीन मैं यह वक्तव्य देता हूं . घरेलु नौकर असन्तुष्ट हैं, क्योंकि इन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है तथा जीवन में उनका कोई भविष्य नहीं है। वास्तव में, दूसरों की तुलना में समाज में उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं है। उनकी गरीबी के कारण उनका गालियों द्वारा शोषण किया जाता है। हालात से मजबूर होकर उन्हें काम की तलाश में घर तथा अपने निकटस्थी तथा प्रियजनों को छोड़कर दूर जाना पड़ता है . उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्हें बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है ,

पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनको कर्जा लेना पड़ता है। यद्यपि सरकार ने

अनेक बंधक मजदूरों को मुक्ति दिलाई है फिर भी अनेक अन्य व्यक्ति अब भी बड़े बड़े साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो इन दलित लोगों से पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं।

श्रम ब्यूरो द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से इन अभागे लोगों के लम्बे कार्य समय के बारे में पता चला है कि 72 प्रतिशत मामलों में घरेलु नौकरों को 9 घंटे से भी अधिक काम करना पड़ता है। इनमें से 13-15 घटे कार्य करने वालों की संख्या 40 प्रतिशत है। अधिकतर नौकर अपने लम्बे कार्य घंटों के प्रति आलोचक थे। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा घरेलु नौकरों के काम के घंटों को विनियमित करने के लिए शीघ्र प्रयास किये जाने चाहिए। अजीब बात है कि सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

इन घरेलू नौकरों को वृद्धावस्था, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ आदि जैसी कोई कल्याणकारी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। घरेलू नौकरों को दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम मजदूरी मिलती है। 11 प्रतिशत मामलों में घरेलू नौकरों को निःशुल्क आवास के अलावा कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है।

ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों की तुरन्त आवश्यकता है

1. कार्यघंटों का विनियमन

2. सरसरी तथा मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने के विरुद्ध तथा बरखास्त करने की सेवा सूचना से सुरक्षा, छुट्टी तथा नोटिस की पूरी अवधि के वेतन की रक्षा;

3. कुछ शर्तों पर रोजगार का लिखित ठेका,

4. घरेलू नौकरों का विनिर्दिष्ट एजेन्सियों में पंजीकरण और

5. विवादों को सुलझाना।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इन मामलों पर ध्यान दे तथा इन शोषित घरेलू कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक विधान लाये।

(तीन) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम को अल्मोनियम कारखाना लगाने के लिए शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री बापूसाहिब पारुलेकर (रत्नगिरि) : मैं नियम 377 के अधीन वक्तव्य दे रहा हूं।

एल्युमिनियम जो एक महत्वपूर्ण उद्योग है, की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए, एल्युमीनियम मुख्य कच्चा माल है जिसका उत्पादन बाक्साइट

खनिज से किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में बाक्साइट के काफी भंडार हैं, जो कोल्हापुर, रत्नगिरी और रायगढ़ जिलों में स्थित हैं। कोल्हापुर और रत्नगिरि में उपलब्ध निक्षेपों का पट्टा बैलगांव स्थित मैसर्स इन्डियन एल्युमिनितम को दे दिया गया है और 25 लाख टन के निक्षेप 'गबलकों को पट्टे पर दिए गए हैं।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम ने जिसकी कम से कम 3 लाख टी० वी० ए० क्षमता एल्युमिना प्लान्ट का परियोजना की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जांच की।

महाराष्ट्र राज्य औद्योचिक निगम ने 25-5-1981 को केन्द्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने के लिए आवेदन भेजा था। आवेदन में यह कहा गया है कि इस प्रयोजन के लिये निर्यात 90 प्रतिशत दायित्व पूरा किया जायेगा।

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम ने विश्व भर में एल्युमिनियम व्यापारियों और एल्युमिनियम निर्माताओं से दीर्घावधि आधार पर एल्युमिना की सप्लाई के लिए सम्पर्क स्थापित किया। इसके उत्तर में अनेक ग्राहकों ने उत्पादन संबंधी विशेषतायें पूछी हैं और दीर्घावधि आधार पर एल्युमिना की सप्लाई के लिए बातचीत द्वारा तय करने में रुचि ले रहे हैं। तथापि आशय पत्र के बिना राज्य सरकार के लिए इस दिशा में आगे बातचीत करना संभव नहीं होगा।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे इस परियोजना के लिये शीघ्र अनुमति दे देनी चाहिए।

(चार) 19 जनवरी 1982 को बिहार बन्द के अवसर पर पटना में एक संसद सदस्य के साथ असामाजिक तत्वों की कथित ज्यातियां और पुलिस का दुर्व्यवहार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, गत 19 जनवरी को बिहार बंद के सिलसिले में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पटना में कार्य कर रहा था। उस दिन बंद में भाग लेने के समर्थन में मैं दिन भर जुलूस लेकर शहर में घूमता और लोगों से बन्द में भाग लेने के लिये अपील करता फिरता इसके लिये मुझे एक दर्जन सभाओं में भाषण भी करना पड़ा। लोगों में ट्रेड यूनियनों की अभियान समिति द्वारा प्रचारित तेरह सूत्री मरांगों के समर्थन में बड़ा जोश और उत्साह था। सम्पूर्ण पटना शहर बन्द रहा, सारा कारोबार ठप्प रहा। दूकानें तो बिल्कुल बन्द थी ही, बैंकों और बीमा कम्पनियों तथा अन्य कार्यालयों में भी पूरी हड़ताल रही।

हड़ताल को असफल बनाने के लिए सरकार तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कुछ उठा नहीं रखा। बन्द समर्थकों को आतंकित करने के लिए समाज विरोधी तत्व एवं अपराधकर्मी गाड़ियों में हथियार भर कर शहर में घूमते रहे। उन लोगों ने पटना जनरल पोस्ट आफिस के सामने मेरे जुलूस तथा मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की परन्तु हजारों की भीड़ के कारण वे अपना नापाक इरादा पूरा नहीं कर सके। उसके बाद उन लोगों ने फैजा रोड स्थित

बीमा कार्यालय के अहाते में घुसकर हड़ताली कर्मचारियों को डराया धमकाया तथा पोस्टरों, फैस्टूनों एवं नारा पट्टों को फाड़ कर फेंक दिया। पटना के निकट फुलवारी शरीफ में उन लोगों ने बन्द समर्थक जलूस पर हमला कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो तथा लोकदल के एक यानी तीन कार्यकर्ताओं को बुरी तरह घायल कर दिया।

इतना ही नहीं, पुलिस ने गाँधी मैदान थाना के पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में सैंट्रल बैंक के निकट मेरे द्वारा संबोधित की जारही शांत सभा पर बिना किसी उकसावे के लाठी चार्ज किया, जिसमें दस वर्ष के बच्चों समेत कई व्यक्तियो को चोटें आयीं। उक्त पुलिस प्रभारी ने मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार भी किया तथा मेरे पेट में डंडे का हूड़ा घुसेडदेने की धमकी दी। ये सारी घटनाएं पटना के ए० डी० एम० के सामने घटी। पुलिस अधिकारी की इस शर्मनाक हरकत से वहाँ के नागरिकों में घोर क्षोभ व्याप्त है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा लह अनुरोध होगा कि. यह उस दिन की उक्त घटनाओं विशेषतया मेरे और अन्य लोगों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की आवश्यक जांच करवाकर अपराधियों को सजा देने की व्यवस्था करे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : 1980 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय इस आशय की अनेक घोषणायें की गई हैं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश को प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता के बराबर सहायता देगी ये घोषणाएं गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के चुनाव अभियान के दौरान अधिक जोरदार ढंग से की जाने लगी। जहाँ तक बैंकों का सम्बन्ध है, ऋण निक्षेप अनुपात वही है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का शोषण पहले की तरह हो रहा है। यह खेद की बात है कि भारत सरकार ने 1980-81 के बजट वर्ष से अब तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसके अलावा केन्द्र ने जो भी सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को इस शीर्ष के अन्तर्गत दी है वह हिमाचल प्रदेश के अनुपात से तो बहुत कम रही है प्राधिकारियों द्वारा उसका एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उपयोग किया गया है जिसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल (पहाड़ी क्षेत्र) गढ़वाल, चन्मोली, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून का उच्च और शुष्क क्षेत्र शामिल नहीं है। केवल इतना ही नहीं 1974-75 में पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए जो नीति बनाई गई थी उसमें अनेक प्रकार की राजनैतिक और दलगत बातों के कारणों से उत्पन्न गतिरोध आ गया है।

चीन से लगते हिमालय के मध्य क्षेत्र को जो, कि उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी उपेक्षा की जा रही है जिसके फलस्वरूप स्थिति विस्फोटकबन सकती है। इन लोगों कों आकांक्षाओं की पूर्ति करने में भारत सरकार

की असफलता तथा तथ्यों की उपेक्षा के कारण प्रत्येक राज्य और हमारी राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में ऐसीस्थिति बनी हुई है। उन लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की नितान्त उपेक्षा से जो हमारी सशस्त्र सेनाओं में सर्वाधिक वीर सैनिक देते हैं, राष्ट्र के लिए चिन्ता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मैं भारत सरकार का और विशेषकर प्रधानमन्त्री का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करता हूं कि :—

(1) उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति सहायता के बराबर धन दिया जाये।

(2) उस क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था के उपाय किये जायें।

(3) क्षेत्र की समृद्धि और विकास के लिए ऐसी योजना अपनाई जाये जो उसकी तथा उसके पर्यावरण की मानव निर्मित विपत्तियों से रक्षा करे।

(4) यह सुनिश्चित किया जाये कि आठ पहाड़ी राज्यों के लिए निर्धारित राशि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहां के अपर्वतीय क्षेत्र को विकास में न लगाया जाए।

(5) अर्थ शास्त्रियों, वन वैज्ञानिकों, वनस्पति वैज्ञानिकों पर्यावरण विशेषज्ञों और व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई जाए जिससे प्रकृति की देन को नुकसान पहुंचाए बिना इस क्षेत्र का मजबूत आर्थिक आधार तैयार होगा।

(छः) उड़ीसा सरकार को क्षयरोग के उन्मूलन के लिए सहायता देने की आवश्यकता

श्री चितामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं नियम 377 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं उड़ीसा में क्षय रोग के तेजी से फैलने से बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। विशेषज्ञों के दल ने हाल ही में पूरे राज्य का सर्वेक्षण किया है। उसके अनुसार लगभग 5 लाख क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति राज्यपुरी, चिलिका, कालूपारा घाट, उदयगिरी, नवरंगपुर, सिमलीगुरा भीखम, कट्टक, राजगंजपुर, राउरकेला, सुन्दरगढ़ एवं संबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र में है बड़ी चिन्ता का विषय है कि प्रति वर्ष कम से कम 10,000 व्यक्ति, जिनमें अधिकांश आदिवासी होते हैं इसका खतरनाक रोग का शिकार होते हैं।

यह रोग उचित उपचार के अभाव में राज्य के अन्य भागों में भी फैल रहा है। उड़ीसा सरकार रोग को फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है। बच्चों और स्कूली छात्रों को बी० सी० जी के टीके लगाए गए हैं। छः जिलों के मुख्यालयों में टी० बी० उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं लेकिन यह सभी उपाय, जो राज्य सरकार ने किए हैं राज्य में इस रोग को समाप्त करने के लिये अपर्याप्त हैं।

उड़ीसा, एक निर्धन राज्य होने के कारण, इस रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अपेक्षित व्यय का पूरा भार नहीं उठा सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा के लिये तुरन्त केन्द्रीय योजना बनाई जाए जिसके अधीन प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में कम से कम एक टी० बी० सैन्टर खोला जा सके उन टी० बी० सैन्टर में अधिक डाक्टर नियुक्त करने के लिए तथा टीके और दवाइयां खरीदने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। रोग का पता लगाने हेतुसमग्र राज्य का विस्तृत दौरा करने लिए केन्द्र सरकार द्वारा डाक्टरों का एक विशेष दल भेजा जाना चाहिए।

यह मामला उड़ीसा के 5 लाख लोगों के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। अतः मैं सर- कार से अनुरोध करता हूं कि वह इन अमूल्य जानों को बचाने के लिए उड़ीसा राज्य की पूरी पूरी सहायता करें।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए-लिए बजकर 25 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

(लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात 2 बजकर 31 मिनट पर पुनः समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगा।

(सात) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफीम उत्पादकों को सहायता दिये जाने की मांग।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (संदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य पढ़ने के पहले एक निवेदन करूंगा कि आज तक नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्यों पर कोई कार्यवाही होती है, ऐसी सूचना हमको नहीं मिली है। मैं समझता हूं कोई कार्यवाही होती ही नहीं है। बहरहाल मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री एवं वित्त मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद की अफीम खेती व अफीम फैक्टरी की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, गाजीपुर का अफीम उत्पादन एवं फैक्टरी में बनी अफीम तथा अफीम से तैयार हुई मर्फीन, डाइ-नीन अपना महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली स्थान सम्पूर्ण एशिया में रखती है। किन्तु खेद है कि सर-कार का ध्यान गत वर्षों से करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली गाजीपुर की इस अफीम-खेती और फैक्टरी की ओर नहीं है।

अंग्रेजी हुकूमत के प्रारम्भ काल से ही गाजीपुर में अफीम का यह कारखाना कार्यरत है। सन् 1880 के आस पास ब्रिटिश सरकार ने अपने एक सर्वेक्षण में गाजीपुर में अफीम की खेती की उपयोगिता का मूल्यांकन किया। देश की आय का एक प्रमुख स्रोत समझ कर लार्ड कार्न-

वालिस ने 1882 में इसकी खेती के विस्तार और साथ ही इसके कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना बनाई। पूरी शक्ति के साथ इसका विस्तार भी आज के सौ वर्ष पहले हुआ।

परिणामस्वरूप गाजीपुर के जनपद के घर घर में अफीम की खेती होने लगी। इस जनपद का नाम एशिया के मानचित्र पर उभरा। किन्तु आज अपने भारत में जितनी उपेक्षा इसकी हुई, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी।

मान्यवर, अफ़ीम से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की राय में गाजीपुर में उत्पन्न होने वाली अफीम में कितना मर्फीन का प्रतिशत प्राप्त है, उतना देश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अफीम में नही प्राप्त होता। पर आज यहां का किसान यहां की फैक्टरी के अधिकारियों की दृष्टि में चोर है। उसका ईमान खराब है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि गाजीपुर जनपद की इस खेती और फैक्टरी की तत्काल रक्षा की जाए। यहां किसानों को उन्नतशील बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों को फैक्टरी की ओर से उपलब्ध कराया जाए। प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की दर से की जा रही कटौती को रोक कर व्यावसायिक पैमाने पर खेती कराई जाए। प्रति हैक्टर अफीम की मांग पुराने स्तर, अर्थात, 12 किलो रखी जाए। फसल बीमा योजना करके उसकी खेती की सुविधा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाए। अफीम काश्तकारों के परिवार को फैक्टरी में कार्य दिया जाए।

प्रायः यह सर्वविदित है कि अफीम तोलने, उसके क्षरण एवं नमूने के नाम पर अधिकारी लोग प्रायः गड़बड़ी करते हैं। मूल्य प्रायः किसान को कम देकर खाते में कुछ और मूल्य दर्ज करते हैं। कई प्रकार के रेट बनाए गए हैं। तुरन्त इन सभी गड़बड़ियों पर नियन्त्रण किया जाए गाजीपुर अफीम के नशे में सो रही अफसरशाही को चिन्तित किया जाए। मान्यवर, यदि शीघ्र गाजीपुर अफीम की खेती पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुल्क को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में काफी कमी होगी। वर्तमान अफसरशाही और फैक्टरी की अव्यवस्था ने किसानों को हताश कर दिया है दिन प्रति दिन खेती का विस्तार कम होता जा रहा है। अभी समय है यदि यहां सर्वेक्षण कराकर सरकार रुचि ले तो गाजीपुर अफीम एवं अफीमजन्य अन्य रासायनिक तत्वों के उत्पादन में एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा जा सकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। श्री नारायपाल अपना भाषण जारी रखेंगे। वे पांच मिनट का समय ले चुके हैं। वह 5 मिनट और ले सकते हैं। यदि वह अधिक समय लेंगे तो उनके दल के अन्य सहयोगियों

को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना भाषण 5 मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मैं आधा घण्टे का समय लूंगा।

जनाब डिप्टी-स्पीकर साहब, कल जब मैं बोल रहा था तो मैं वहां पर फंड्स के डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बतला रहा था। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्टस—लेह और कारगिल में उन्होंने फंड्स को आबादी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, इसी से मौजूदा झगड़ा शुरू हुआ...

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री गुलाम रसूल कोचक : वह कानूनों और व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है?

श्री गुलाम रसूल कोचक : 376 के अधीन।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मुझे हर प्रश्न का उत्तर देने अवसर दिया जाना चाहिए। मैं एक घन्टे का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नामग्याल अपना भाषण जारी रखें

श्री पी० नामग्याल : डिप्टी स्पीकर सहाब, आप को पता ही है कि गाडगिल फार्मूले में 60 परसेन्ट पापुलेशन पर वेटेज दी गई है, लेकिन वह जम्मू काश्मीर में एप्लीकेबिल नहीं है, क्योंकि जब शेख साहब पावर में आये तो उन्होंने कहा कि गाडगिल फार्मूले के मुताबिक 60 परसेन्ट पापुलेशन पर वेटेज है, जब कि जम्मू काश्मीर में पापुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है। उन्होंने नेशनल डवेलपमेंट काउन्सिल और प्लानिंग कमीशन के सामने इस फार्मूला के खिलाफ आवाज उठायी और अपने मकसद में कामयाब हो गये। अब जम्मू काश्मीर पर गाडगिल फार्मूला एप्लीकेबिल नहीं है, जो फण्ड्स उनको मिलते हैं वे ज्यादातर एरिया, बैकवर्डनेस और गुरबत के लिहाज से मिलते है, लेकिन इस चीज को उन्होंने लेह और कारगिल के लिये लागू

नहीं किया और कहा कि वहां पापुलेशन के मुताबिक मिलेगा क्योंकि लद्दाख में आबादी कम है। इसी बात को लेकर 1979 में झगड़ा शुरू हुआ।

जब ये बातें शुरू हुई तो हमने कहा कि आप सेन्टर से पापुलेशन के बेसिज पर नहीं बल्कि एरिया के बेसिज पर पैसे लेते हैं तो हमारा एरिया तो पूरी स्टेट का 2/3 हिस्सा है, हम को भी उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिये। हमारा यह मकसद नहीं था कि स्टेट की दो-तिहाई एरिया के हिसाब से हमको फन्ड मिले, बल्कि एरिया, पापुलेशन, डिस्टेंस और गुरबत को ख्याल में रख कर फंड्स दिया जाना चाहिये। हम बहुत फार-फलंग एरिया में बसते हैं, हमारे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। लेकिन हमारी बातों को नहीं माना गया और 1980 में यहीं से झगड़े का आगाज हुआ, लद्दाख में इस सवाल को लेकर एजीटेशन हुआ। हम ने 27 प्वाइन्टस को लेकर अपनी मांगें पेश की, जिन में तीद-चार मेजर ईशूज थे और कुछ छोटे-छोटे मसले थे। उनमें एक प्वाइन्ट यह था कि सारे लद्दाख एरिये को शेडयूल-ट्राइब्स एरिया डिक्लेअर किया जाय रीजनल-आटोनामी-विद-इन-दि स्टेट आफ जम्मू एण्ड कश्मीर कांस्टीटयूशन खास तौर से फाइनेन्शल मैटर्स में दी जाय, जिसमें ला-एण्ड-आर्डर शामिल नहीं था। हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात कभी नहीं कही है। अभी कल ही जम्मू काश्मीर असम्बली में गवर्नर एडेस पर जवाब देते हुए वहां के फाइनेन्स मिनिस्टर श्री डी०डी० ठाकुर ने हमारे बारे में बहुत डिस्टार्टेड फैक्टस पेश किये हैं, जो आज के अखबारों में शाया हुए हैं। मैं समझता हूं इस तरह की बातों से सारी दुनिया और मुल्क में गलतफहमी पैदा करने और गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है— लद्दाख के लोग सैप्रेट कैबिनेट की मांग करते हैं—यह बिलकुल गलत बात है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन बातों को पढ़ कर सुना सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि शैडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में प्राइस मिनिस्टर साहिब के साथ बातचीत की थी और उन्होंने पी० एम० भी यह कहा है कि यह नहीं होना चाहिये, उन्होंने (प्राइम मिनिस्टर) उसको नहीं माना है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ठाकुर ने प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर उनको भी इसमें करने की घसीटने की कोशिश की है जब कि यह ईशू अभी प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं है, क्योंकि काश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत अगर सेन्टर कोई कानून जम्मू काश्मीर में एप्लाई करना चाहता है तो उसके लिये एप्लीकेशन आर्डर चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट का कसेंट चाहिए। जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि सच एण्ड सच कानून व जम्मू व काश्मीर में लागू करो, तब जाकर प्रेजीडेंशियल आर्डर के तहत जम्मू व काश्मीर में सेन्टर का कानून एप्ली-केबिल होता है। अभी तक कोई सिफारिश प्राइम मिनिस्टर के सामने या होम मिनिस्टर के सामने नहीं आई है और होम मिनिस्टर साहब ने इस हाऊस में दो-तीन बार डिनाई किया है कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया है, वह सारे फैक्टस पर बेस नहीं करता है और वह सारा डिस्टोर्टेड है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कैबिनट सब-कमेटी और लद्दाख एक्शन कमेटी के दर्यमान जो एग्रीमेंट हुआ है उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हमने कहा था, जब कैबिनट सब-कमेटी लद्दाख आई थी, तो यह एग्रीमेंट हुआ था, जिस के लिए हम यहां तक तैयार हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कयादत में या होम मिनिस्टर की कयादत में एक कमेटी बने, जिसके लिए मैं

अपोजिशन लीडर्स से भी गुजारिश करूंगा कि वे भी उसमें नोमीनेटेड हों और वह कमेटी यह देखे कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या वायदे हुए हैं। वे भी उस एग्रीमेंट को पढ़ें और देखें कि हम लोगों ने क्या क्या डिमांड किया है। आपके सामने सारे फैक्टस आ जाएंगे। मैं इस पर और ज्यादा नहीं कहना चाहता बल्कि यह कहूंगा कि जो लिख कर दिया है, उसको इम्पीलमेंट करना चाहिए। फंडस के बारे में क्या-क्या कहा गया है एग्रीमेंट में, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्रिमंडल की किस उप-समिति की बात कर रहे हैं ?

श्री पी० नामग्याल : यह जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की उप-समिति तथा लद्दाख कार्य-वाही समिति के बीच हुआ समझौता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसमें से कुछ रंक्तियां लेकर उन पर बोल सकते हैं। लेकिन उन सभी को यहां पढ़िये मत।

श्री पी० नामग्याल : मैं केवल संगत हिस्से को पढ़ूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको यहां जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की उपसमिति के निर्णय का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, इस समझौते के सम्बन्ध में कोई गोपनीयता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसकी एक प्रति अध्यक्ष महोदय को दे दी है और उनसे यह समझौता पढ़ने की अनुमति ले ली है ?

श्री पी० नामग्याल : जी नहीं, महोदय, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उससे विचार ले सकते है और उस आधार पर बोल सकते हैं आप साधारण तौर पर वह बात कह सकते हैं।

श्री पी० नामग्याल : मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उनसे कुछ बात लेकर बोल सकते हैं। यहां हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी० नामग्याल : जनाब मैं यह चाह रहा था कि हाऊस एनलाइटेड हो जाए कि बाकई में क्या चीज है। रोज रोज गलत स्टेटमेंटस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के बारे में निकलते हैं। हम ने जो रीजनल आटोनामी की बात कही है वह डैवलपमेंट मैटर्स तक ही म दद है। लद्दाख को अलग करने की बात नहीं कही है। हम जम्मू व काश्मीर के कांस्टीट्यूशन के तहत ही बात कर रहे हैं। हम जम्मू व काश्मीर से अपना सम्बन्ध तोड़ना नहीं चाहते।

मैं यह पहले भी कह चुका हूं और अब फिर क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए ये

डिस्टोर्टेड फैक्टस जो जम्मू व काश्मीर सरकार प्रेस में दे रही है और एसेम्बली में भी किये गये हैं, यें सही नहीं हैं। इसलिए मैं इस हाऊस के सामने यह बात रखना चाह रहा था।

इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में उन्होंने हमारे पास लिखकर दिया हुआ है कि वे स्ट्रोंगली रिकमैंड करेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि लद्दाख के लोगों को शेडयूल ट्राइब्स डैकलेयर किया जाय। और लद्दाख का जो यह इसू है, इस को सैपरेटली लिया जायगा।

तीसरा यह इसूं था कि जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन लाया है, जम्मू व काश्मीर गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर किया है, तो उस में यह कहा था कि जब भी यह मौका आएगा, तो लद्दाख की असेम्बली कांस्टीटुयेन्सी बढ़ाने की बात पर गौर किया जाएगा। ये सारी बातें हैं। यह शेडयुल्ड ट्राइबस का मेन इशु था जो कि वहां का बहुत इम्पारटेंट इशु है और जिस पर इन्होंने एग्रीमेंट किया था और जिसके बारे इन्होंने डिसाइड भी किया था - हम लोगों का यही कहना था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा करो जब यह वायदे पूरे नहीं किए गए तो इसी मसला को लेकर दिसम्बर 1981 में एजीटेशन शुरु हुआ और 15 जनवरी 1982 को हमारे तीन लीडर ने डिमाण्ड को प्रैस करने के लिए इन्डेफिनिट हंगर स्ट्राइक की। और आगें चलकर उनकी हालत खराब हुई।

उसके बाद इन्हीं डिमाण्डस को प्रेस करने के लिए 24 जनवरी को था जलूस उस जगह पर जा रहा था जहां तीन लोकल लीडर भूख हड़ताल उस पर पुलिस ने अनप्राव्ड और विदाउट वार्निंग फायरिंग की। जब भी फायरिंग करनी होती है तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग होती है, उसके बाद क्राऊड में रेण्डम फायरिंग टांगों के हिस्सों में करनी होती है लेकिन वहां पर पुलिस ने इस तरह से फायरिंग की जैसे कि दीवार पर रखकर जैसे टारगेट पर फायरिंग की जाती है। पुलिस की पहली गोली से पहला आदमी मरा, दूसरी गोली से दूसरा आदमी मरा और तीसरी गोली से तीसरा आदमी जख्मी हुआ। इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गया। पचास-साठ गोलियां चलायीं गयीं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गये।

इस सब के लिए वहां तो हमें कोई पूछने-वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर स्टेट में जंगल का कानून चलता है तो यह सेन्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वह वहां के हालात को देखे। आज आसाम में क्या हो रहा है, नागालैण्ड में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है। जब लोगों को तकलीफ होती हैं, उनकी ग्रिवांसिज को कोई सुनने वाला नहीं होता तो हालत खराब होती है। मैं कहता हूं कि यही हालत कर दख में भी कभी न कभी हो सकती है।

लद्दाख के लोगों ने इस मुल्क के लिए बहुत खून बहाया है। 1947 में जब इस मुल्क पर हमला हुआ कश्मीर में इन्वेडर्स आये थे तो लद्दाख के लोगों ने उनका मुकाबला किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पूरा कीजिए। आप राष्ट्रीय विषयों पर नहीं आ रहे हैं आप अभी तक जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। और आप पूरे जम्मू कश्मीर की भी बात

नहीं कर रहे, केवल लद्दाख की बात कर रहे हैं। कृपया पूरा कीजिए। आपके अपने दल के ही अन्य सदस्य अपने बोलने के अवसर से वंचित हो जाएंगे।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

उसके बाद 1962 में जब चीन ने इस मुल्क पर हमला किया तो उस वक्त भी लद्दाख के लोग आगे बढ़कर लड़े थे। फिर पाकिस्तान ने 1975 में हमला किया उस वक्त भी वहां के लोगों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया। 1971 की जंग में भी वे लड़े। यह सारी हालत आपके सामने है। यह सब होते हुए भी हमारी वहां कोई सुनने वाला नहीं है।

वहां पर फायरिंग करने के बाद पुलिस ने लूटमार शुरू कर दी। यह लूटमार सारे रात दिन चलती रही। कोई देखने वाला नहीं था। वहां पर रेप हुए, घरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़ डाली गयीं। घरों में बच्चों और औरतों की पिटाई की गयी, सामान को बर्बाद किया गया। लूट मार किया गया।

इस वक्त वहां पर हालत यह है कि जितने भी हमारे पौलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो लोग पकड़े गये हैं उनको जमानत पर नहीं छोड़ा जा रहा है। चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट एस० पी० और डी० सी० से पूछता है कि जमानत पर छोड़ू या न छोड़ूं। इस तरह की वहां के कानून की हालत है। इस वक्त भी वहां पर धरना जारी है औरतें भी धरने पर बैठी हुई हैं।

जो लोग जेल में हैं उनको मिनिमम फेसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। पानी तक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये लोग ज्यूडिशियल लाक अप में। सरकार को चाहिए कि उनको मिनिमम फेसिलिटीज दें।

वहां पर कभी कभी तो माइनस 20 तक टेंप्रेचर हो जाता है लेकिन हीटिंग अरेंजमेंट तो दूर उनको कम्बल तक नहीं दिए गए हैं खाने के लिए उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। टाउन से काफी दूर लोगों को रखा है और उनके रिश्तेदारों को वहां पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है।

इन सब हालतों को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी नकिसी मिनिस्टर को जरूर वहां पर और फौरन जाने की जरूरत है नही तो हालत और अधिक खराब हो सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि वे पिछले दिनों गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां नहीं जा सके। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे किसी को वहां पर अवश्य भेजें नहीं तो लोगों को आप पर से विश्वास उठ जाएगा।

मैं केवल सरकार से ही नहीं बल्कि पूरे सदन से अपील करता हूं और विरोधी दल से भी अपील करता हूं कि वह भी अपना नुमाइंदा भेजे।

आप देख लीजिए जो हमारा एग्रीमेंट है। आप कहें कि हम अगर गल्ती पर हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर हम गल्ती पर नहीं है तो जम्मू कश्मीर सरकार से कहा जाए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको इंप्लीमेंट करे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं।

इसके साथ ही जो प्रेसीडेंट साहब का एड्रेस है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : महोदय, मैं माननीय रंगाजी से व्यक्तिगत क्षमा मांगते हुए उनके द्वारा लाए गये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।

मेरे विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण तस्वीर आम आदमी के अनुभव से मेल नहीं खाती है। अभिभाषण के पैराग्राफ 2 में वर्ष 1981-82 को और अधिक प्रगति का वर्ष कहा गया है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि वर्ष 1981-82 प्रगति का वर्ष रहा है तो फिर जनसाधारण के अनुभव से यह एक भिन्न प्रकार की प्रगति का वर्ष रहा है, उस परिकल्पना से बिल्कुल भिन्न जैसी कि अभिभाषण में की गयी है।

महोदय, आम आदमी की निगाहों में वर्ष 1981-82, एकाधिकार— लोगों में वृद्धि का, तथाकथित खुले बाजार के संचालन में प्रगति का अर्थात कालेधन के उपयोग का, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रगति का, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण द्वारा डाले गए उधार के फंदे की प्रगति का, आत्मनिर्भरता के विनाश की प्रगति का, परिश्रमी लोगों को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा क्रूर ताकतें अपने हाथों में लेने की प्रगति का सरकार की जन विरोधी आन्तरिक नीतियों की प्रगति का, वंशानुगत शासन की ओर ह्रास और संविधान के विनाश में प्रगति का वर्ष रहा है।

ऐड़ी से चोटी तक पसीना बहाने वाले लोगों के लिए वर्ष 1981-82 में क्या प्रगति हुई है ? लाखों लोगों के मन में भारी चिन्ता और वेदना घर कर गई है, बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए ग्रहणियों को भयानक भविष्य की चिन्ता हो गयी है, जो कि सरकार के मुद्रास्फीति को रोकने के लिए दावों के बावजूद है, खेतिहर मजदूरों में इस वर्ष में कम भोजन और कम काम के दिनों की वेदना रही है, किसानों में अपने उत्पादनों के लिये अलाभकर कीमतों की वेदना रही है, तथा और अधिक निर्धन किसानों में गरीबी की रेखा से नीचे रहे छूलने की तीव्र वेदना रही है।

परन्तु महोदय, चिन्ता और वेदना के अतिरिक्त एक और प्रगति हो रही है और सत्तारूढ़ दल के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि शुतुरमुर्ग जैसे आरंभ संतोष से बाहर आए और उस खदबदाते हुए तथा सुलगते हुए आक्रोश, क्रोध को पहचाने जो भारत के लाखों ही कठोर परिश्रमी लोगों के हृदय में समाया हुआ है।

परन्तु इन सब बातों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उस ओर से बोलने वाले अधिकांश माननीय सदस्य या तो इन परिस्थितियों को पूर्ण रूप से भूले हुए हैं या ऐसा होने का स्वांग रच रहे हैं। अन्यथा, महोदय, अभिभाषण के पैराग्राफ 21 में "वर्गीय स्वार्थों वाले व्यक्तियों द्वारा चलाए गये आन्दोलन पर राष्ट्रीय शक्तियों को गांव में जाने का उल्लेख कैसे किया जा सकता है अन्यथा सत्तारुढ़ दल का एक के बाद दूसरा वक्ता भारतीय

श्रमिक वर्ग की अपनी तात्कालिक मांगों के लिए राष्ट्र-व्यापी आम-हड़ताल की साहसिक कार्यवाही का उल्लेख क्यों करता। और इसी के साथ-साथ किसानों और खेतिहरों मजदूरों तथा अन्य उपभोक्ताओं का उल्लेख क्यों करता, फिर चाहे वह उनकी असफलता के कारण हो या उत्पादन के न होने के कारण हो? ऐसा कैसे सम्भव है? यदि 19 जनवरी की हड़ताल असफल रही थी, तो बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों, का जो कि देश के मुख्य औद्योगिक केन्द्र हैं, जीवन अस्त-व्यस्त होकर ठहर क्यों गया और देश के कुछ दैनिक समाचारपत्रों के मतानुसार वे सुनसान क्रिकेट को सा मैदान क्यों बन गये? इस औद्योगिक आम हड़ताल की सहानुभूति में पटना शहर तथा अगणित अन्य छोटे-बड़े नगरों या उपनगरों में बन्द क्यों सफल रहा? और जैसा कि सदन में पहले ही पूछा जा चुका है, 19 जनवरी की कार्यवाही के सम्बन्ध में 50,000 से 60,000 तक लोगों को बन्दी क्यों बनाया गया था? और यदि हड़ताल पूर्णतया असफल हो गयी थी जैसा कि सरकारी प्रसारण माध्यमों ने और यहां पर सत्तारुढ़ दल के सदस्यों ने दावा किया है, तो फिर उसके परिणाम स्वरूप अत्याचार की लहर क्यों दौड़ रही है? आप एक ही मुंह से तो विपरीत बातें नहीं कह सकते हैं कि हड़ताल असफल रही और उत्पादन रूक गया। सच्चाई तो यह है कि 19 जनवरी की हड़ताल उस सुलगते हुए क्रोध का शक्तिशाली प्रदर्शन था जिसे सत्तारुढ़ दल पहचानना नहीं चाहता है।

...और क्रोध क्यों नहीं आए?

अभिभाषण के पैराग्राफ 2 के आत्मसंतोषी दावे को देखिये—'मुद्रास्फीति की दर में पर्याप्त रूप में गिरावट आई है।' एक सामान्य ग्रहणी के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? यहां तक कि 2 दिसम्बर, के सरकार के अपने 'इकोनोमिक सर्वे रिव्यू के अनुसार— जिसमें अधिकांशतः कम करके आंका गया है— एक गृहिणी को प्याज 15 नवम्बर 1980 की तुलना में 14 नवम्बर 1981 को 95.9 प्रतिशत मंहगी, किर्च 97.9 प्रतिशत मंहगी, मछली 46.9 प्रतिशत मंहगी, मक्का 16,9 प्रतिशत मंहगी, बाजरा 14.6 प्रतिशत मंहगा, ज्वार 12.5 प्रतिशत मंहगी, और चाय 10.8 प्रतिशत मंहगी खरीदनी पड़ी।

आधारभूत—ढ़ांचे के कार्य निष्पादन में सुधार के दावे किए गए हैं। यह बताया गया है कि अप्रैल 1981 और जनवरी 1982 के बीच बिजली का उत्पादन 1.13 प्रतिशत बढ गया है। स्वय ऊर्जा मन्त्रालय की इस स्वीकारोक्ति की पृष्ठभूमि में इसकी निरन्तर वृद्धि की क्या गारन्टी है कि इस वर्ष नवीन विद्युत-प्रजनन क्षमता की स्थापना के 3,120 मेगावाट के लक्ष्य में 60 से 70 प्रतिशत तक की कमी होगी, जिसे सभी समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया गया है?

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास की वास्तविक स्थिति क्या है? व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद ने अपनी त्रैमासिक समीक्षा (जुलाई से अक्तूबर, 1981 तक) में बताया है कि जुलाई मास में गत मास से औद्योगिक उत्पादन में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं, परन्तु अगस्त में वृद्धि केवल 9 प्रतिशत ही रही, सितम्बर में 8,6 प्रतिशत और अक्तू-

बर में 7.5 प्रतिशत ही रही। साल और स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसमें गिरावट आ रही है और व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद कोई वाम पंथी संगठन तो है नहीं।

भला हो मौनसून का तथ निस्सन्देह किसानों को दृढ़ता का, जिससे खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि की आशा की जा रही है। 1981-82 में इसके 13.29 करोड़ टन होने का दावा किया गया है। परन्तु अभिभाषण में इसका उल्लेख क्यों नही किया गया है कि लक्ष्य तो 13.8 करोड. टन का था ? यह दावा किया गया है कि उर्वरक उत्पादन में इस वर्ष वृद्धि हो जायेगी। परन्तु अभिभाषण में यह क्यों नही बताया गया है रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग की वार्षिक वृद्धि दर में तुलनात्मक रुप में गिरावट आई है। क्या इससे इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता है कि जबकि गत वर्ष की तुलना में 1978-79 में इसकी वार्षिक वृद्धि दर 19.3 प्रतिशत रही और 1979-80 में यह केवल 2.7 प्रतिशत ही हुई और यदि सूखा को इसका कारण माना जाता है तो 1980-81 में जबकि कोई सूखा नहीं पडा था इसमें केवल 6.1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी अर्थात 1978-79 की दर से बहुत कम। इससे पता चलता है कि व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के कारण, और किसानों के उत्पाद की अलाभकारी कीमतों के कारण, किसानों की गरीबी बढ़ी है। और क्या यह सच नहीं है कि 1980 के अन्त तक निम्नतम स्तर के किसान खेतिहर मजदूरों और शहरी गरीबों के साथ-साथ गरीबी की रेखा से नीचे पहुंचा दिए गए हैं जिससे गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 50.82 प्रतिशत हो गया है। 1981-82 में स्थिति और भी बिगड़ जाएगी।

अभिभाषण के पैरा 13 में यह दावा किया गया है कि सरकार कामगरों के कल्याण के प्रति अत्यन्त चिन्तित है।" अभिभाषण ने हमें यह भी याद दिलाया है कि 1982 का वर्ष क सरकार द्वारा उत्पादकता वर्ष के रुप में मनाया जायेगा इस तथाकथित उत्पादकता वर्ष में कामकारों के लिए कौन-कौन से 'कल्याण कारी' कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है ? मेरे विपक्ष के सहकर्मियों द्वारा जो कुछ पहले कहा जा चुका है, उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 16 क्षेत्रों में वास्तव में लगभग सभी क्षेत्रों में फैला दिया गया है और वित्त मन्त्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि कोयले, इस्पात और भेल' जैसे सरकारी क्षेत्र से उपक्रमों के प्रबन्धक वेतन संशोधन के बारे में नये सिरे से किसी प्रकार की बातचीत नहीं चलायेंगे इसके शुद्ध परिणाम यह होगा कि 1982 में जब कुछ मंजूरी करार समाप्त हो जायेंगे तो वेतन जाम हो जायेगा स्वाभाविक रूप से निजी क्षेत्र दो कदम आगे रहेगा। यह कहा जा रहा है कि मजूरी को उत्पादकता से जोड़ा जायेगा। परन्तु क्या उत्पादकता केवल कार्मिकों पर निर्भर करती है ? क्या उसमें अन्य मामले, जैसे बिजली की कमी, कच्चे माल की उपलब्धता आदि सम्बद्ध नहीं है, जोकि उनके नियन्त्रण से बाहर हैं इसके अतिरिक्त एकाधिकार बाजार की स्थिति में क्या उद्योग पति उस समय कमी को पसन्द नहीं करते जबकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता हो क्या यह कार्मिकों के नियंत्रण में है ? इन प्रश्नों का समाधान किये बिना मजूरी की उत्पादकता के साथ सम्बद्ध करना क्या वास्तव में कार्मिकों के लिए 'कल्याण कार्य' ही होगा।

अभिभाषण में "अधिक सामाजिक न्याय" का दावा किया गया है। कार्मिकों की वास्तविक

मजूरी को बदले की भावना से कम करने में कौन सा सामाजिक न्याय" होगा, जबकि यह भली भांति विदित है कि निर्माण उद्योग के क्षेत्र में कुल अदायगियों की तुलना में मंजूरी का अंश 1978-79 के बीच 58 प्रतिशत से घटकर 54 प्रतिशत रह गया जबकि 1972-73 और 1978-79 के बीच लाभ और लाभांश 25.5 प्रतिशत से बढ़कर 28.8 प्रतिशत हो गये। और 1981-82 तक वेतन का प्रतिशत और कम हुआ है जबकि लाभ के प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इकोनामिक टाइम्स के दिनांक 25 मई, 1981 के नवीनतम सर्वेक्षण में बताया गया है कि निजी क्षेत्र की 101 बड़ी कम्पनियों के लाभों में में 1978-79 में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1979 80 में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। य प्रवृत्ति और भी मजबूत हुई है जैसा कि 1980 की अपेक्षा 1981 के कम्पनी लाभों से देखा जा सकता है, इस अवधि में प्रीमियर ऑटो के लाभों में 129.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, टिस्को के लाभों में 108.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, मुकन्द आयरन के लाभों में 67.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। कामिकों के लिए वेतन जाम तथा बड़े पूंजी पतियों के लाभों के लिए पूर्ण रूपेण प्रोत्साहन—क्या वास्तव में यही सामाजिक न्याय है।

राष्ट्रपति के अभि भाषण के अनुसार संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम से स्थिरता तथा ज्यादा सामाजिक न्याय सहित और अधिक विकास के लिए आधार मिलेगा—वैसे वैसे यह उम्मीद की जाती है कि इनसे छठी योजना में सम्मिलित कुछ प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को अधिक गति शीलता प्राप्त होगी—पैरा—.4 समय अभाव के कारण मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा जिससे इस परिकल्पना का असली रूप सामने आ जायेगा।

जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1981-82 की फालतू जमीन को अधिकार में लेने तथा उसके वितरण के पूरा किए जाने के लिए लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया था, संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में इस लक्ष्य वर्ष को 1985 कर दिया गया है। और मैं समझता हूं कि भूमि सुधार को सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का प्रभुत्व अंग माना गया था। नि.सन्देह संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम गतिशील तो है परन्तु यह विपरीत दिशा में कार्य करता है।

यदि भूमि सुधारों में गतिशीलता की कमी थी तो इस गतिशीलता के विदेशी निजी पूंजी पतियों के लिए मार्ग खुला रखकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को आकर्षित करने का प्रयास करके पूरा किया गया। विदेशी सहयोग कर्ताओं की संख्या 1979 में 262 थी जो बढ़कर 1980 में 576 हो गई। और निश्चय ही वर्ष 1981 में इसका और भी अधिक विस्तार हुआ। अभिभाषण में दोहराये गये आत्म निर्भरता के नारे की यह स्थिति है।

और राजनीतिक स्थिरता? इसके बारे में राष्ट्रपति ने अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में कहा था:

> "हम सभी के द्वारा संविधान का निष्ठा पूर्वक पालन करने से ही···राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है।"

स्पष्ट कारणों से, वह इन सभी बातों को अभिभाषण में दोहरा नहीं सके। परन्तु कई बार अप्रयुक्त शब्द प्रयुक्त शब्दों से अधिक शक्ति रखते हैं। गणतंत्र दिवस पर रखे गये

मानदण्ड के अनुसार केरल की घटनाओं को देखते हुए जहां अध्यक्ष महोदय अल्पमत सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं अथवा पश्चिम बंगाल की घटनाओं को देखते हुए जहां कि किसी भी प्रकार चुनाव को टालने की चेष्टा की जा रही है, क्या वह इस अभिभाषण में राजनीतिक स्थिरता के दावे को बनाये रख सकते हैं ? क्या ये कार्यवाहियां संविधान की भावना के अनुकूल हैं ? क्या शासक दल के एक प्रमुख सदस्य द्वारा इस वाद-विवाद में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के विचार का पक्षपोषण किया जाना—श्री जगन्नाथ राव यहां पर नहीं हैं—राष्ट्र की राजनीति के स्थिरता की गारन्टी के विपरीत नहीं है।" श्री राव आ गये हैं। मैं समझता हूं उन्होंने राष्ट्रपति के गणतंत्र दिवस के संदेश का अनुसरण किया है।

कुछ शब्द कानून और व्यवस्था की स्थिति पर मैं एक मामला अति गम्भीरता पूर्वक आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं। उत्तर-प्रदेश में श्री झारखड़े राम—के निर्वाचन क्षेत्र में हमारे एक कामरेड थे। मुझे ये कहते हुए खेद है—वह एक बहुत अच्छे कामरेड थे—श्री राम स्नेही राय। वह आजमगढ़ जिले के घोसी निर्वाचन क्षेत्र के खेरिया मुहम्मदपुर गांव के थे। मुझे यह बताते हुए दुःख है कि डाकुओं के साथ मुकाबिले के नाम पर उन्हें उनके घर से बाहर ले जाया गया तथा रात को उसे गोली मार कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया।** यह गम्भीर मामलला है।

यदि 1980-81 में 960 हरिजनों का कत्ल राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, तो निश्चय ही इस लज्जा के अधिक भाग को शासक दल को वहन करना है। श्री मान्, उन्होंने सहयोग की मांग की है। यदि शासक दल देश के लाखों करोड़ों मेहनती लोगों के साथ सहयोग करता है, तो उन्हें स्वतः ही हमारा सहयोग मिल जायेगा। कुछ मित्रों ने कहा है कि हम यह नहीं बता रहे कि हमारा सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इस बारे में हमारे कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं: भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति में साम्राज्यवाद-विरोधी स्थिति को दृढ़ बनायें; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवा अधिनियम को वापस ले; राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के लिए अभियान समाप्त करें। भारतीय मुद्रा कोष के साथ हुए सौदे को रद्द करें; बहुराष्ट्रीय निगमो के देश में प्रवेश को रोके; राज्यों की शक्तियों तथा संसाधनों के विस्तार के लिए केन्द्र-राज्य संबन्धों को पुनः गठित करें; काले धन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें; एकाधिकार गृहों, विदेशी कम्पनियों तथा बिदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करें; अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार तथा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण प्रणाली को अपने अधिकार में ले लें; वेतन-जाम को समाप्त करके आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की गारन्टी देकर, छँटनी तालाबन्दी तथा कार्य बन्द किए जाने को रोक कर कार्मिकों के साथ न्याय करें; भूमि सुधारे।' युद्ध स्तर पर लागू करें; कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभदायक मूल्य दिलायें; कार्य के अधिकार को संविधान से मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित करें; हरिजन, अनुसूचित

** *अध्यक्ष पीठ* के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जातियों तथा कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों को रोकें, और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक और 20 सूत्री कार्यक्रम।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सहयोग का कार्यक्रम है यह कार्यक्रम करोड़ों मेहनतकश लोगों द्वारा दिया गया है। क्योंकि यह अभिभाषण में कही गई बातों से मेल नहीं खाता, अतः मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए खेद है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) श्रीमान् मैं अपने पुराने साथी प्रो० रंगा द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं दोनों पक्षों के भाषणों को सुनता रहा हूं। सब बात तो यह है कि मेरे मन में विचार आया कि जहां भी हो टीमें होते हैं ? वे एक दूसरे के दृष्टिकोण की प्रशंसा करती हैं। फुटबाल अथवा हाकी में जब गोल होता है तथा क्रिकेट में जब छक्का लगता है तब वे लोग दूसरी ओर जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु राजनीति में मैंने इन दो वर्ष में देखा कि विपक्ष द्वारा किसी भी उपलब्धि की प्रशंसा नहीं की गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दो वर्षों में क्या हमने एक भी अच्छा काम नहीं किया ; क्या हमने कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं की जो राष्ट्रहित में हो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या सरकार ने 0.1 प्रतिशत भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह मेरा अपना मूल्यांकन है मैं सोचता रहा हूं। ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय के लोग जहां के नागरिकों की आम धारणा से बहुत भिन्न विचारधारा के हैं। कल मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस को सुन रहा था। वह बम्बई के बारे में बोले। उन्होंने बताया कि 2.5 लाख लोग जेलों में जाने को तत्पर हैं, परन्तु जेलों में स्थान नहीं है। मैं यह समझ नहीं पाया उस बात के कहने की आवश्यकता क्या थी। जेलें समाज विरोधी तत्वों के लिए हैं। यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक समाज विरोधी तत्व का घर जेल बन जायेगा। मुझे खेद है कि यदि देश में यह प्रवृत्ति बनी रहती है तथा यदि विपक्ष का यही रवैया रहता है, तो मैं नहीं जानता हम अपने राष्ट्र को विकास पथ पर कैसे ले जा सकते हैं।

किसी भी भले व्यक्ति के लिए स्वयं अपनी, अपनी संस्था की अथवा अपनी पार्टी की प्रशंसा करना कठिन है। हमारी सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों सहित अपनी उपलब्धियां बतायीं हैं। ये दस्तावेज विपक्ष के पास भी उपलब्ध हैं। सरकार की आलोचना करने तथा यह कहने के स्थान पर कि इस सरकार ने किसी भी मोर्चे पर कुछ नहीं किया उन्हें रिकार्ड को देखकर सरकार को यह बताना चाहिए कि अमुक आंकड़े गलत हैं। विपक्ष को इस प्रकार का नकारात्मक रवैया त्याग देना चाहिए तथा उन्हें राष्ट्र की भलाई की बात सोचनी चाहिए।

उस दिन मैंने देश के एक वरिष्ठ राजनेता की अपील पढ़ी। उन्होंने अपनी अपील में लिखा है कि उनका हृदय हरिजनों के प्रति द्रवित है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग 30 वर्ष तक अपना मतदान नहीं कर सके। 1980 में पहली बार उन्होंने मत पत्र देखे। जो लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के हरिजनों का ध्यान नहीं रख सकते, वे देश के हरिजनों के नाम पर अपील कैसे कर सकते हैं कि उनका हृदय उनके प्रति द्रवित है ? यदि मैं भूल नहीं करता तो एक हरिजन को देश का प्रधान मंत्री बनना था। मुझे यह करते हुए अत्यन्त

खेद है कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा वह एकमात्र राजनितिज्ञ हैं जिन्होंने कहा था कि कोई हरिजन इस देश का प्रधान मन्त्री नहीं बन सकता। हम राजनीतिज्ञों का यह रवैया है।

एक वरिष्ठ सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि लाल मिर्च, चावल तथा गेहूं के मूल्य बढ़े हैं। एक ओर तो आप करते हैं कि किसानों को अधिक मूल्य दें। दूसरी ओर आप कहते हैं उपभोक्ता को सस्ते दामों में माल दो। यह कैसे संभव है। हमारी सरकार की ओर देखें। उसने किसानों को गेहूं, चावल और गन्ने आदि के अधिक मूल्य दिये हैं। यदि आप किसानों को अधिक मूल्य देते हैं तो आप उपभोक्ता को कैसे सस्ता समान दे सकते हैं ? इसे समान अनुपात में रहना चाहिए यदि आप किसानों का मूल्य बढ़ाते हैं तो उपभोक्ता को उस हद तक हानि उठानी पड़ेगी। दोहरी बात इसे राष्ट्र को हानि पहुंचा रही है। विपक्ष द्वारा ऐसी दोहरी बातें राष्ट्रीय हित में बंद की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राजनीतिज्ञों को दोहरी बातें करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री राजेश पायलट : अब मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे कुछ सुझावों पर ध्यान दे।

मेरा पहला सुझाव साम्प्रदायिक दंगों के बारे में है। अब तक सरकार ऐसे क्षेत्रों तथा स्थानों का पता लगा चुकी है जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं यद्यपि आपने राज्य सरकारों को इन दंगों के कारणों वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय कार्यकारी ग्रुप बनाने के लिए निदेश जारी किए हैं फिर भी मैं सरकार से इस दिशा में सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है। हमें इन उपक्रमों की ओर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए।

सत्ता में आने वाली हर सरकार किसानों और मजदूरों के बारे में बातें करती है, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप उनकी भलाई के लिए कोई भी कदम उठाये इस बात का ध्यान रखे कि उठाये गये कदमों का लाभ उन तक पहुंच पाये हम जो कुछ भी निर्णय लें वह उन तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए वह लिया गया है उन्हें वह लाभ मिलना चाहिए जो सरकार उन्हें देना चाहती है। हमें आधा काम नहीं करना चाहिए। लिये गये निर्णयों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को सहायता मिल सके।

सिंचाई सुविधाओं और पेय जल सुविधाओं के बारे में मुझे यह कहते हुए खेद है कि अब तक की आजादी के 34 वर्ष बाद भी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे लोग हैं। जिन्हें पीने का पानी लाने के लिए 8 किलोमीटर तक चलता पड़ता है। यह बात बहुत ही खेद-जनक स्थिति है। पानी मानव की बुनियादी आवश्यकता है। अतः सरकार को उन राज्यों में पेयजल तथा सिंचाई सुविधायें प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां उनकी कमी है। उदाहरणार्थ राजस्थान नहर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन धन की कमी

के कारण इसका काम पीछे रह गया है। हमें इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी ही चाहिए जिससे कि सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो सके।

गरीबों तथा एक विशेष स्तर से नीचे वाले आयवर्ग के लिए हमारे पास कई योजनायें हैं जैसे कि ब्याज रहित ऋण तथा विभिन्न प्रकार की राज सहायता लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि हांलाकि सरकार की इतनी योजनायें हैं इसके बावजूद भी ये उचित रूप में लोगों तक नहीं पहुंच पाती। निर्णय लेने वालों तथा लाभभोगियों के बीच कोई न कोई त्रुटि अवश्य है। अतः यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि गरीबों की दी जाने वाली सहायता उन तक उचित रूप में अवश्य पहुंचे।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर दी है यह एक बहुत अच्छा विचार है गांवों के लोगों के कल्याणार्थ बहुत बड़ी राशि को पृथक रखने का निर्णय लेना एक बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को द्रुतगति से करें ताकि विकास की गति तीव्र हो सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत अच्छी योजनायें हैं हमें उन्हें सफल बनाना है ताकि राष्ट्र विकास की ओर बढ़ सके। लेकिन रास्ते में कई बाधायें हैं। उदाहरण के लिए सरकार अनेक योजनायें स्वीकार करती है। योजना को कार्यान्वित करने से पहले ही न्यायालय से रोकादेश आ जाता है और सारा काम बंद हो जाता है सरकार को इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे रोकादेश की समस्या का समाधान किया जा सके सड़क निर्माण की बात लीजिए। सरकार किसी सड़क के निर्माण के लिये स्वीकृति देती है। दूसरे ही दिन कोई व्यक्ति मामले को अदालत में ले जाता है और रोकादेश जारी कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले जिनमें 15 वर्ष पहले किसी सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया था लेकिन ऐसे रोकादेशों के कारण वह नहीं बन पायी।

आखिरकार हमें लोगों ने चुना है। लोगों ने सरकार तथा दल को देश का शासन चलाने के लिए सत्ता में लाया है। अतः हमें सारी बाधायें हटा कर कुछ परिणाम दिखाने चाहिए, क्योंकि पांच वर्षों के बाद हम मतदाताओं से यह नहीं कह सकते कि हम न्यायालयों के रोकादेशों के कारण सड़कें नही बना सके तथा अन्य विकास कार्य नहीं कर सके। अतः हमें ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे रोकादेश विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बाधायें न बन सके।

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सरकार को दहेज जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आर्थिक विषमता हटाने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा ये विषमताएं जारी ही नही रहेंगी बल्कि इनमें वृद्धि भी होगी :

हमारे जैसे बड़े देश में विकास के क्षेत्र में प्रगति करना आसान काम नहीं है। जानबूझ कर पैदा किये गये असंतुलन को ठीक करने तथा सही रूप से आगे बढ़ने के लिए कुछ समय

लगता ही है। सारी कठिनाइयों के बावजूद पिछले 2 वर्षों के दौरान हुई प्रगति सराहनीय है। विशेषकर पहले तीन वर्षों में पहुंची क्षति के बाद।

एक आज्ञाकारी सदस्य के नाते मैं अपना भाषण दिये गए समय के अन्दर ही समाप्त करना चाहता हूं। मैं प्रो० रंगा द्वारा पेश किये गये राष्ट्रपति भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब —

अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी,

यह खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है।

मैं सबसे पहले हरिजनों के मसले को ही लेता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारे जो सदस्य अभी बोले हैं, बहुत शानदार बोले हैं, 'ठाकुर हैं न'' उन्होंने हमारी काफी मदद की है। मुझे पता है कि कौन-कौन हमारे हितैषी हैं, लेकिन हरिजनों के साथ जो सुलूक हुआ है, क्या हम उसको भूल सकते हैं। इसमें ठाकुर का कुसूर नहीं है, मैं जमीदारों की बात कर रहा हूं।.....

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये अपनी ही पार्टी के हैं।

श्री सुन्दर सिंह : जो आज सब से बड़ा जमीदार है वह ठाकुर है, राजपूत है और इन्होंने ही हमारा सत्यानाश कर रखा है। लैंड रिफार्म आया लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया, जमीनें अपने पास रखीं, न हरिजनों को दी और न छोटे जमीदारों को दीं। लेकिन नाम इन का लेते हैं, क्योंकि उनसे वोट लेते हैं। स्टेटों में भी यही हालत है, सब जमीदार छाये हुए हैं। हर एक आदमी कहता है कि किसानों को देना चाहिए, मैं पूछता हूं किसानों के सिवा किसको मिल रहा है, क्या हरिजनों को मिल रहा है ? एक मजे की बात यह है कि ये न कांग्रेस को देते हैं और न कम्युनिस्टी को देते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट वाले भी उन्हीं का नाम लेते हैं। शेड यूल्ड ट्राइब्स को आपने अलग अलग कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे पास कोई लीडरशिप बाकी नहीं बची है। हमको इकटठा होना चाहिये था, लेकिन अलग-अलग होने से हमारी लीडरशिप खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से लड़ाई होती है।

हमारे बाबू जगजीवनराम कहां जा बैठे हैं ? लोक दल में मिल गये हैं, उस लोकदल में जिस ने पिछले चुनावों में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया। चौधरी चरण सिंह और देवी लाल ने हम को वोट नहीं डालने दिया। भाई, तुझे अगर जाना ही था, तो हमारी तरफ आ जाता। भाई चव्हाण जी आ गये, तुझे भी आ जाना चाहिए था। उधर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है।

हरिजनों में तभी जान आ सकती है जब उन के अन्दर लीडरशिप मौजूद हो। ज्ञानी जी, हमारे ऊपर रहम करो, आप तो हमारे हितैषी हैं आप का ख्याल हमारी तरफ है। मैं जाटों

की बात करता हूं—हमारे यहां पंजाब में यह कहानी है कि *ये तो भट्टा ही भट्टा बैठा रहे हैं। आज हमें जमीदारों से जो तकलीफ है वह किस वजह से है? कांग्रेस शुरु से यह नारा लगाती रही- लैंड रिफार्म, लैंड-रिफार्म। लेकिन हुआ कुछ नहीं, न उन्होंने कुछ किया और न इन्होंने कुछ किया, सिर्फ हमारे साथ हमदर्दी दिखलाते रहे। ये जो 980 आदमी मर गये, हरिजन बेचारे मारे गये, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इस में ज्ञानी जी का कुसूर नहीं है, कुसूर इन का है। अगर आप सिन्सीयर हमें तो कोई कैसे हरिजनों को मार सकता है। आप के अन्दर सिन्सीयेरिटी नहीं है, इसी लिये हरिजन आपको वोट नहीं डालते।

श्री राम जेठमलानी को रंगा साहब कहते हैं कि हमें काआपरेशन दो। आप को काआपरेशन दे कर क्या उनको मरना है? यह सीधी सी बात है। वह आपको काआपरेशन क्यों देगा। हां, श्री मधुदण्डवते जी से काआपरेशन लो, तो वह दे देंगे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा क्योंकि उस को स्मगलर्स के केस लड़ने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं, हमें गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को लेना है।

श्री राजेश पायलट : इनके भाषण के कुछ शब्द कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भाषण को देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर सरकारी सदस्यों को लेगी।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24 फरवरी, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24 फरवरी, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 35 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

निर्माण कर्मकारों के कल्याण के बारे में संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री एम० एम० लारेंस द्वारा 18 दिसम्बर 1981 के निर्माण कर्मकारों के कल्याण के बारे में पेश किये गए संकल्प पर आगे चर्चा करते हैं।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुकी) : भारत में निर्माण कर्मकारों का वर्ग सबसे अधिक शोषित वर्ग है हालांकि अनेक परियोजनाओं में विभिन्न निर्माण कार्यों में लगभग 40 लाख कर्मकार लगे हुए हैं फिर भी उनकी दशा बहुत ही शोचनीय तथा दण्डनीय है। उनके लिए रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। ज्यों ही ठेका का काम पूरा हो जाता है, इन्हें बेरहमी से काम से अलग कर दिया जाता है। अधिकांश कर्मकारों—को जगह-जगह जाना पड़ता है और उनको कोई भी स्थाई आवास नहीं होता है, वे अपने साथ अपने परिवार तथा बच्चों को ले जाते हैं और ऐसी अस्वच्छ जगह रहते हैं जिन्हें मुश्किल से घर कहा जा सकता है।

उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कभी भी अवसर नहीं मिलता है। वे ठेकेदारों तथा अन्य शोषकों द्वारा शोषित किये जाने के लिए निरक्षरों की एक नई पीढ़ी पैदा करते हैं। ये बच्चे अपने बाल्यकाल ही से जीविका के लिये कठिन काम करना शुरू कर देते हैं।

निर्माण कार्य उद्योग अधिकतर गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथ में है। ये ठेकेदार कानून की कोई परवाह नहीं करते। वे कर्मकारों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए बाध्य करते हैं।

ठेकेदार अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर ठेके प्राप्त करते हैं जो सभी गैर कानूनी कार्यों के लिये उनकी रक्षा करते हैं। शायद किसी भी अन्य उद्योग में धन इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता जितना इस उद्योग में बनाया जाता है, अनेक ठेकेदार थोड़े ही समय में लखपति बन गये हैं, ये बेईमान ठेकेदार हराम की की जायदाद बनाने के लिये कर्मकारों को बहुत कम मजुरी देकर किसी के नीचे स्तर तक जा सकते हैं, कई राज्यों में आज भी उन्हें केवल 6 या 7 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता। उन्हें सेवा निवृति की सुविधायें भी नहीं दी जातीं। रोजगार के दौरान दुर्घटना की हालत में उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता एशियायी कम्पलेक्स तथा अपरि-पुलों के निर्माण कार्य में कई दुर्घटनायें हुई हैं लेकिन मुआवजे के रूप में बहुत ही कम राशि दी जाती है। मृत्यु की दशा में प्रत्येक के केवल 1000 रुपये दिये जाते हैं और प्रत्येक जरूमी व्यक्ति को 500 रुपये दिए जाते हैं।

ठेकेदार बहुधा श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये श्रमिक ठेकेदार स्वयं मजदूरों की मजदूरी का एक बड़ा भाग ले जाते हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के साथ प्रायः चल सम्पत्ति जैसा व्यवहार किया जाता है जो कि हमें दास प्रथा की याद दिलाता है।

निर्माण कार्य का विभागीयकरण करने के बहाने, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां चालू कर दी हैं। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कम्पनी (एच० एस० सी० एल०) को बड़ी धूमधाम और प्रचार के साथ आरम्भ किया गया था। लेकिन अब, यह कम्पनी ठेकेदारों के लिए शिकार स्थली बन गई है। कम्पनी के अपने स्थायी कर्मचारी लगभग 20,000 हैं, परन्तु कम्पनी के अधीन जो ठेकेदार हैं वे 50,000 से अधिक मजदूरों को काम पर लगाये रखते हैं। कम्पनी ठेकेदारों को अधिकाधिक कार्य सौंपती जा रही और अपने कर्मचारियों को फालतू घोषित कर रही है। कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। छोटे-छोटे ठेकेदार रुपया कमाने में लगे हैं, परन्तु कम्पनी मारी घाटा दिखा रही है। वे स्वयं अपने कर्मचारियों के प्रति तो सौतला व्यवहार कर रहे हैं परन्तु ठेकेदार उनके लिए जवाँई जैसे हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, ये और ऐसे दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो कि निर्माण कार्य करते हैं। परन्तु वे भी ठेकेदारों को ही अधिकतर कार्य सौंपते हैं और इस प्रकार निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के शोषण को जारी रखते हैं।

विचित्र बात तो यह है कि ये तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निविदा देते हुए कम धन राशि का प्रस्ताव करने में एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, जिसके परिणामस्वरूप सस्ता श्रम प्राप्त करने के लिए उन्हें और आगे निजी ठेकेदारों पर अधिकतर निर्भर करना पड़ता है। और फिर देखिये कि लाभ कमाने या घाटे से बचने के लिए मजदूरों का नंगा शोषण किया जाता है। इन दो उपक्रमों द्वारा अपनाई गई नीति, निर्माण कार्य उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र खोलने की मूल विचार धारा पर ही वज्रपात कर रही है। जब राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम हिन्दुस्तान इस्पात कार्य कम्पनी से कम मजदूरी देते हैं तो उन्हें कम दर पर निविदाएं भरने को राजनीतिक लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर भी दयनीय स्थिति यह है कि इन कदाचार पूर्ण कार्यकलापों को समाप्त करने में सरकार असफल रही है जिससे कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मजदूरी उचित रूप में बढ़ सके।

रा० प० नि० नि० और रा० नि० नि० के प्रबन्धक निर्माण लागत को घटाने के विचार से ठेकेदारों को मजदूरों को कम मजदूरी देने के लिए खुलेआम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन दोनों उपक्रमों में श्रमिकों को नगण्य मजदूरी दी जाती हैं और सीमान्त लाभ भी मामूली मिलते हैं। मजदूरों की सेवा सुरक्षा भी किसी प्रकार की नहीं है और अपने कार्य तथा रहन सहन की शर्तों को लेकर इन मजदूरों में गहन आक्रोश, असंतोष व्याप्त है।

एक और जो लोक विभाग निर्माण कार्य में जुटा हुआ वह है सीमा सड़क संगठन वास्तव में यह सीमा सड़क संगठन नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के अधीन कार्यरत है। परन्तु इसका प्रबन्ध थलसेना के कार्मिकों के हाथ में है। उन्हें सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक संघ अधिकारों से वंचित रखा जाता है। सैनिक जैसे कोई भी लाभ दिये बिना उन पर सेना अधिनियम थोपा जाता है। सेना का कठोर अनुशासन उन पर थोपा जाता है उन पर सैनिक अदालत में मुकदमा

चलाया जाता है। उन्हें पीटा जाता है। उनमें से कुछ ने अधिकारियों से तर्क वितर्क किया और सेवा की शर्तों और सीमान्त लाभों आदि की वकालत की तो उन्हें उनके घरों से निकालकर बाहर खदेड़ दिया गया और उनकी महिलाओं से छेड़खानी की गई।

ठेका श्रमिक (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों की सेवा शर्तों को सुधारने के विचार से पारित किया गया था। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम पारित कर दिया गया था, परन्तु फिर भी निर्माण कार्यों में सेवारत बहुत से श्रमिकों तथा ठेकेदारों के माध्यम से कार्य में लगे श्रमिकों की हालत में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। यह कहा जा सकता है कि इस उपरोक्त अधिनियम का पालन कम, उल्लंघन कहीं अधिक किया जाता है यदि मुझे ठीक से पता है तो केवल केरल राज्य में ही केरल सरकार द्वारा करुणा करन की अवेध अल्पमत वाली सरकार द्वारा नहीं अपितु नयनार सरकार द्वारा—एक श्रमिक कल्याण योजना चालू की थी।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं और यदि आप चाहते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री एम० एम० लारेंस : यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं केरल राज्य के मुख्य मन्त्री श्री करुणाकरन का नाम वापिस ले रहा हूं। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम पारित किया जा चुका था ठेका प्रणाली ने मुख्य नियोक्ता को श्रमिक अधिनियम के अधिकांश उपबन्धों से साफ बच निकलने में सफल बनाया, विशेषकर बोनस का भुगतान अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि से निर्णाण कार्य में लगे श्रमिकों को मिलने वाले छंटनी के लाभ अपर्याप्त और भेद भाव पूर्ण हैं। किसी निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक को छंटनी का लाभ लेने के लिए उसे किसी ठेकेदार के यहां कम से कम दो बर्ष तक लगातार सेवा की होनी चाहिए औद्योगिक अधिनियम के इस उपबन्ध को संशोधित किया जाना चाहिये जिससे कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को छंटनी के लाभ मिल सकें। निर्माण-कार्यों में लगे मजदूरों को बोनस अधिनियम के उपबन्धों से भी बंचित रखा जाता है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि यह निर्माण-कार्य उद्योग एक लाभ प्रद उद्योग है जो भारी लाभ कमाता है। फिर भी निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम के अनुसार बोनस प्राप्त करने के लाभ या कि सुविधा से बंचित रखा जाता हैं। यह निर्माण उद्योग में संलग्न श्रमिकों के हितों परभी आघात है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों को बोनस की सुविधा प्राप्त राने के लिए अफिनियम उपबन्धों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। निर्माण कार्यों में संलग्न कामगरों को अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं।

देश के बिभिन्न भागों में सार्वजनिक और निजि क्षेत्र दोनों में ही, निर्माण-कार्यों में हजारों प्रवासी कामगार सलग्न हैं। वे उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के हैं। जम्मू और कश्मीर के सलाल, लोअर थीलम, रति-तवी और लद्दाख में लगभग 7000 प्रवासी

कामगार कार्यरत हैं। इसी तरह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में और विभिन्न अन्य निर्माण कार्य स्थलों पर सहस्रों श्रमिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें खातेदार जमादारों और भर्ती एजेन्टों द्वारा लाया है। खातेदार जमादार विभिन्न निर्माण-कार्य स्थलों पर रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाते हैं और ठेकेदारों से श्रमिक जुटाने का समझौता या अनुबंध करते हैं। प्रत्येक श्रमिक के लिए वे कमीशन लेते हैं इन एजेन्टों में से अधिकांश धनी होते हैं और वे प्रायः वायुयान से इधर से उधर यात्रा करते रहते हैं। इनके लिए ये श्रमिक लाभकमाने की चीनी अनाज, कपास आदि वस्तुअहोती हैं। वे अशिक्षित श्रमिकों को बहुत से झूंठे आश्वासन भी देते हैं। विद्रोह करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि इस दिशा में किए गए किसी प्रयास को खातेदार के पट्टे घर कुचलते हैं।

इन श्रमिकों को बहुत मामूली सा पारिश्रमिक दिया जाता। यहां तक कि राज्य सरसरकारों द्वारा निश्चित की हुई मजदूरी भी—जबकि वह भी बहुत थोड़ी होती है—उन्हें नहीं दी जाती है। ठेकेदार और एजेंट द्वारा तय की गई मजदूरी कुछ और ही अलग होती है और असली भुगतान और ही होता है अर्थात यह वास्तविक मजदूरी से 5 या 30 प्रतिशत कम होगी।

कल, मैंने और एक दूभाषिए ने नई दिल्ली राजधानी में दो निर्माण-कार्य स्थलों का दौरा किया, जिनमें एक था अशोक यात्री निवास जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के होटल भवन का निर्माण-कार्य है और एक अन्य, ठीक उसके सामने एक निजी मालिक के होटल भवन का निर्माण-कार्य। मुझे बताया गया कि दूसरे स्थल का निर्माण-कार्य एक ऐसे स्थान पर चल रहा हैं जहां हमारे मन्त्री महोदय, श्री स्टीफन रह रहे थे। बाद में उनसे वह मकान खाली करा कर उसे गिरा दिया गया और उस भूमि को प्योर ड्रिंक्स के व्यवसायी जो कि सभा में सत्तारुढ़ दल के सदस्य हैं को 99 वर्ष पट्टे पर दे दिया गया : मैं अशोक यात्री निवास भवन के निर्माण-कार्य स्थल के सामने एक श्री राजाराम से मिला। वह अपनी 10 और 12 वर्ष की दो बेटियों के साथ उत्तर-प्रदेश से काम की तलाश में आया था। उसने मेरे आगे अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। वह उत्तर-प्रदेश 13 बीघे भूमि का मालिक किसान था। एक वर्ष बाढ़ और दूसरे वर्ष सूखे के कारण उसे अपनी भूमि किसी और के पास रेहन रखने को बाध्य होना पड़ा और उसने दैनिक मजूरी पर काम करना आरम्भ कर दिया। परन्तु बस्ती में पर्याप्त काम न मिलनें के कारण वह राजधानी आया और इस निर्माण कार्य स्थल पर पहुंच कर वहां कार्य करना आरम्भ कर दिया। उसकी लड़कियां विद्यालय में पढ़ रहीं थीं जो कि 10 और 12 वर्ष की हैं। अब यह परिवार, इस विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य के सामने और निजी क्षेत्र के निर्माण कार्य स्थल के बीच फुटपाथ पर रह रहा है। वह मिट्टी के तेल के स्टोव और एक आधा दर्जन बर्तन-भांडों और प्लास्टिक की बालटियों के साथ अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान चला रहा है।

श्री राजा राम 37 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों को हमारी जनता का प्रतीक है। श्री राजाराम जैसे व्यक्ति, हमारे ग्रामीण अन्चल के किसान ही, जो कि कंगाल बना दिए

गए हैं, वास्तव में प्रवासी मजदूर होते हैं वे हमारे देश के वास्तविक निर्माता हैं वे होटलों, एशियाड काम्पलेक्सों, सड़कों, बांधों पतनों आदि आदि के निर्माण में जुटे हैं। इसीलिए तो हमारे देश ने स्वतन्त्रता के 35 वर्षों में गौरवशाली प्रगति की है।

उड़ीसा और राजस्थान के प्रवासी कामगार प्योर ड्रिंक्स के मालिक के निजी निर्माण स्थल पर कार्यरत हैं। वहां भी कामगारों को बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही है। जब मैं दुभाषिए के सहायता से कुछ स्त्री और पुरुष कामगारों से बातचीत कर रहा था तो एक चौधरी वहां पर आया और डराने धमकाने के ढंग से अपनी आंखें निकाली और कामगारों से वापिस काम पर जाने के लिये कहा। वे तुरन्त वापिस चले गये। मैंने उसे बताया कि मैं संसद सदस्य हूं, और कामगारों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं परन्तु उसने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।

सरकार सदैव ही हमें बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के बारे में बताती रहती है। बंधुआ मजदूरी तो हमारे चारों ओर ही इन निर्माण स्थलों पर करवाई जा रही है। यदि सरकार वास्तव में ही बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की इच्छुक है, और यदि आप आधे-मन से ऐसा नहीं कर रहे हैं और यदि आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली नीति को नहीं अपना रहे हैं तो सबसे पहले तो इन निर्माण स्थलों से इस कार्य का शुभारम्भ कीजिए। ठेका श्रमिक विनियम और उत्सादन अधिनियम, 1970 और अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1979 को लागू करने के लिए कड़े और प्रभावकारी कदम उठाइये। हमारे देश के सभी निर्माण कार्य कामगारों के लिए एक व्यापक कल्याणकारी योजना तैयार करके लागू कीजिए और उन सभी अवरोधों को दूर हटा दीजिए जो निर्माण कार्यों में संलग्न कामगारों को उपदान, बोनस, वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश आकस्मिक अवकाश, अस्वस्थता अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं तथा इतनी क्षतिपूर्ति आदि से वंचित करते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निर्माण-कामगारों की स्थिति को सुधारने तथा हमारे देश के उन निर्माण-कामगारों के हितों की रक्षा हेतु जो कि इसके महत्वपूर्ण अंग हैं और सच्चे राष्ट्र-निर्माता है, एक व्यापक अधिनियम करे।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार विनियम और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 197 में कहा गया है—मैं अध्याय 4 की धारा 12 (ख) (1) से उद्धरण देता हूं :

"प्रत्येक अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को पासबुक जारी करे जिस पर कर्मकाम का पासपोर्ट आकार का फोटो लगा हो और जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में, और जहां कर्मकार की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी नहीं है वहां कर्मकार की भाषा में, निम्नलिखित उपदर्शित किया गया हो, —

(1) उस स्थापन का नाम और स्थान जिसमें कर्मकार नियोजित है;

(2) नियोजन की अवधि;

(3) मजदूरी की प्रस्तावित दरे और उसके संदाय का ढंग ;

(4) संदेय विस्थापन भत्ता ;

(5) नियोजन को समाप्ति पर और ऐसी आकस्मिकताओं में जो विनिर्दिष्ट की जाये और ऐसी अन्य आकिस्मकताओं में जो नियोजन संविदा में विनिर्दिष्ट की जाए कर्मकार को संदेय वापसी किराया ;

(6) की गई कटौतियां ; और

(7) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।"

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि इस अधिनियम के उन उपबन्धों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया है ।

यदि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का मामला हो, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का मामला हो, यदि आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू करने का मामला हो, यदि आपात स्थिति लाने और बिना वारंट के अथवा न्यायालय में अपनी बात कहने का कोई अवसर दिये बिना सत्ताधारी दल के संसद-सदस्यों को भी हिरासत में लेने का मामला हो तो सरकार बहुत शीघ्र कार्यवाही करेगी इसी तरह यदि पूंजीपतियों की सहायता करने के लिए आयकर घटाने का मामला हो तो भी सरकार बहुत शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

परन्तु यदि हमारे लाखों देशवासियों का मामला हो, जो परिश्रम कर रहे हैं तथा जो पसीना बहा रहे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और अपने घरों से हजारों मील दूर जाकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो यह सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है । यह बहुत ही दुखद हालत है तथा दुर्भाग्यशाली स्थिति है ।

मैं सरकार से पुनः एक व्यापक अधिनियम बनाने का निवेदन करता हूं और जो अधिनियम पारित किए जा चुके हैं उनके प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरे दिल से कार्यवाही की जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि संकल्प में,—

चौथी पंक्ति में 'हेतु' शब्द के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"उपयुक्त और प्रभावशाली कानून बनाने और उसे लागू करने के लिए" (1)

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री लारेंस जो रेज्यूलूशन यहां

पर लाये हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। भारत सरकार ने लेबर के लिए बहुत प्रयास किया है। यहां मैं कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में कहना चाहती हूं।

कंस्ट्रक्शन लेबर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करती है। उनकी प्राबलम यह है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पर वह चली जाती है। बड़े-बड़े प्रोजेक्टस उनके जरिए बनाये जाते हैं, बड़े-बड़े ब्रिजेज हैं या और जो भी कंस्ट्रशन इनके द्वारा होती है, उसमें इन्हें काम करना होता है, लेकिन इनको कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, यह एक प्राबलम है।

गवर्नमेंट ने बहुत से लेबर एक्ट बनाये हैं, लेकिन उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकली कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्टस बनाने में जो लेबर काम करती है, उनमें महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्राबलम होती है। महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं, काम के समय उन बच्चों को साथ नहीं ले जाया जाता। उनके लिए मोबाइल क्रेशेज तो इंट्रोड्यूस किया है लेकिन हरेक उसमें रखता नहीं जहां क्रेशेज नहीं होते वहां बच्चों के लिए महिलाओं की प्राबलम हो जाती है। वहां बालवाड़ी भी रहनी चाहिए। 3 साल से 5 साल तक के जो लड़के-लड़कियां होती हैं, वहां पर उनके लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। उनको स्कूल जाने का समय नहीं मिलता है। वह बच्चे भी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उनके लिए क्रेशेज कम बालवाड़ी का मूव इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें कुछ बड़े बच्चों के लिए भी इन्तजाम करने की जरूरत है।

हैल्थ प्वाइन्ट पर आपने कुछ नहीं दिया है। काम पर महिलाओं की हैल्थ में जब बिगाड़ हो जाता है तो उनके लिए डाक्टर भी मंगवाना पड़ता है। आप एक नर्स को रखते हैं, लेकिन नर्स उनका पूरा काम नही देख सकती। एक मोबाइल डाक्टर की यूनिट भी रखनी पड़ेगी।

महिलाओं के बारे में एक बात यह भी कहती हूं कि उनके बच्चे 3,4 क्लास तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके लिए उसके बाद रेजीडैंशल स्कूल भी हो चाहिए। जब वह लोग काम पर जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई कहां हो, यह बड़ी प्राबलम है। मेरा कहना यह है कि जो कांट्रेक्ट लेबर में काम करने के लिए जाते हैं, उनके बच्चों के लिए रैजीडैंशल स्कूल रहने चाहिए उसमें उनकी कुछ न कुछ पढाई का इन्तजाम हो जायेगा। इसलिए मैं लेबर मिनिस्टिर से निबेदन करती हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें।

कांट्रेक्ट लेबर के कुछ अच्छे पढ़े-लिखे बच्चे भी होते हैं। उनकी हायर एजूकेशन के लिए भी कुछ न कुछ इन्तजाम करना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई के लिए सारी रिस्पोंसेबिलिटी गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी प्राबलम हो जाती है, इसे भी सोचना चाहिए उनकी सोशल कंडीशन्ज हैं, जो अनपढ़ हैं, बैकवर्ड हैं और एक तरफ से उनकी कमाई नहीं होती है, वह इस कांस्ट्रेक्ट लेबर से आते हैं। उनकी सोशल कंडीशन्ज भी बिगड़ी हुई होती हैं। हमें उनकी इकनामिक कंडीशन्स भी सुधारनी होंगी। उनके लिए न घर होता है, न धन्धा होता है। जब तक कांट्रेक्ट होता है, वह लेबर काम करती है, उसके बाद दूसरी जगह मिलेगी कि नहीं,

यह उनको ढूंढना पड़ता है । लेबर ढूंढ़ने के समय में वह अपने मकान के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को उन लोगों को मकान की कोई न कोई फैसिलिटी देने की रेसपांसीबिलिटी लेनी चाहिए । उन्हें मकान इनस्टालमेंट बेसिस पर दिए जा सकते हैं।

कंट्रेक्ट लेबर बारह चौदह घटे काम करते हैं, मगर उनके लिए रिक्रीएशन की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए उनके लिए रिक्रीएशन और एन्टरटेनमेंट का कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिए । उनके लिए रेडियो और टेलीविजन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसके साथ ही खेल-कूद और सिनेमा दिखाने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है।

उन लोगों के काम करने के तरीके को भी सुधारना होगा । आज नये नये इम्प्लीमेंटस आ गए हैं। उन इम्प्लीमेंटस को इन्ट्रोड्यूस किया जाए और उन लोगों को उन्हें इस्तेमाल करना सिखाने के लिए एजूकेट किया जाए । इसके लिए एडल्ट एजूकेशन का कार्यक्रम चलाया जाए । उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाने के लिए हम रेडियो और टी० वी० की मदद ले सकते हैं।

उन लोगों की इकानोमिक कन्डीशन्ज को सुधारने के लिए कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उन्हें जो पैसा दिया जाता है, वह कितने दिन तक उनके पास रह पाता है ? अव्वल तो हमें शराब को खत्म करना चाहिए और कम से कम उनके आस-पास शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए । जो कुछ वे कमाते हैं, उसको शराब पीने में खर्च कर देते हैं । क्षमा कीजिए, ज्यादातर मर्द शराब पीते हैं और सारा पैसा उसी में खर्च कर देते हैं । शराब की आदत छुड़ाने के लिए उन्हें एजूकेट करना चाहिए ।

कंट्रैक्ट लेबर को बहुत सी सुविधाएं देने की आवश्यकता है । हम एक्ट्स तो पास करते हैं, मगर उनके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता है । अगर गवर्नमेंट खुद यह काम कर सके, तो ठीक है वर्ना हमारे देश में जो बहुत सी वालन्टेरी सर्विस अर्गनाइजेशन्ज हैं, हम उनकी सार्विसिज का उपयोग करके इन मजदूरों की बहुत सी सुविधाएं दे सकते हैं ।

मुझे आशा है कि मैंने जो पायंट्स रखे हैं, लेबर मिनिस्टर उन पर विचार करेंगे और उन्हें इम्प्लीमैंट करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों की स्थिति आज हमारे देश में बहुत ही खराब हो गई है और दिन प्रति दिन उनकी दशा दयनीय होती चली जा रही है । वैसे आम तौर से सभी श्रमिकों की दशा इस राज्य में बहुत खराब हुई है लेकिन खास तौर से बंधुआ मजदूरों की हालत खराब हुई है ··· (व्यवधान)··· सारा देश यह जानता है कि कौन से लोग कान्ट्रैक्ट लेबर हैं, कौन से बांडेड लेबर हैं और कौन से लोग पार्लियामेंट में क्या करते हैं ? प्रति दिन अगर देखा जाय तो हमारे देश में इस प्रकार के श्रमिकों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब से माननीय श्री भागवत झा आजाद जी इस विभाग के मन्त्री हुए हैं तबसे लोगों के मन में थोड़ी सी आशा बंधी है । मैं नहीं जानता कि वह किस हद् तक इस स्थिति को सुधारने में सफल हो सकेंगे ।

विभिन्न राज्यों, खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान वगैरह से लोग जाकर जगह-जगह दूसरे राज्यों के अन्दर जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें काम करते हैं। साथ साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि कुछ कान्ट्रक्शन कम्पनियों के साथ हमेशा से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन इन सब का शोषण हर एक जगह पर होता रहता है। उन्हें एक तो बहुत कम मजदूरी दी जाती है, दूसरे उनके रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती। कई तो जहाँ निर्माण कार्य होता है वहां फुटपाथ पर रहते हैं और कई निर्माणाधीन जो ढांचे होते हैं उसके नीचे रहते हैं जिससे दुर्घटनाओं के भी शिकार होते रहते हैं। इस तरीके से उनके रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। उनको जो मजदूरी दी जाती है। वह इतनी कम होती है कि उससे अपना भोजन, आवास और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई आदि की कोई व्यवस्था वे नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं कि दिन प्रति दिन खराब ही होती चली जा रही है। इस में कोई सुधार नहीं हो रहा है यद्यपि इस प्रकार की समस्याओं को हम लोग बराबर ही उठाते हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता है लेकिन खास तौर से जो प्राइवेट कांट्रेक्टर्स होते है। वे सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते और जो हमारी इम्पलीमेंटेशन मशीनरी है। इसके कार्यान्वयन के लिए जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वह भी सक्रियता से और सक्षमता से इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर पाता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि हमारे प्रशासनिक तंत्र के बहुत से लोग इस प्रकार के प्राइवेट कांट्रेक्टर्स से मिले हुए होते हैं जिससे कि मजदूरों के शोषण की यह प्रक्रिया दिन प्रति दिन और भी बिगड़ती ही चली जा रही है और यह शोषण बढ़ता ही चला जा रहा है। उसमें कोई कमी नहीं हो पा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी हम यह देखते हैं कि कुछ काम कांट्रेक्टर्स को दिया जाता है। जब यह काम उनको दिया जाता है तो उस काम में भी वे मजदूरों को लगाते हैं। उनका भी शोषण इसी तरीके से होता रहता है।

ये कांट्रेक्टर्स खुद तो बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। यहां तक कि जो निर्माण कार्य करते हैं। वह घटिया किस्म का करते हैं। जितनी उसकी आयु होती है, उतने दिन तक भी वह जो निर्माण हुआ रहता है वह चल नहीं पाता है। वह बीच में ही गिर जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है, टूट जाता है क्योंकि पैसा उसमें अधिक लूटा जाता है। एक तरह तो ये कांट्रेक्टर्स हमारे देश के खाजाने का और गरीब जनता का पैसा लूट कर अपनी तिजोरियां भरते हैं और दूसरी तरफ निर्माण कार्य को करने वाले लोगों की स्थिति इतनी खराब रहती हैं कि उन्हें ठीक ढंग से मजदूरी भी नहीं मिलती। कांट्रेक्टर्स से यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि मजदूरी वह ठीक तरह से दें और उनके रहने के लिए भी व्यवस्था करें। लेकिन जब तक हम अपने प्रशासनिक तंत्र को, जो हमारा शासन तंत्र है उसको इस दिशा में सक्रिय नहीं करते तब तक कोई सफलता हमें इस दिशा में नहीं मिल पाएगी।

अभी यहां एशियाड का जो कांस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं हैं। ठेकेदार उनको भी उचित मजदूरी नहीं दे रहे है। सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है और इस सदन में कई बार यह मामला उठा है। लेकिन आज भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। आज भी मजदूरों की सही ढंग से देख रेख नहीं हो पाती

है। इसके लिए सरकार की कोई कम्प्रीहेंसिव पालिसी होनी चाहिए जिसके तहत इस प्रकार के श्रमिकों को उचित मजदूरी मिल सके उनकी देख रेख ठीक ढंग से हो सके तथा उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर जो बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आते हों उनका पता लगाया जाना चाहिए और बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्त किया जाना चाहिए आज इस प्रकार के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है सरकार ने ऐसे मजदूरों को मुक्त कराने की बात कही है फिर भी देश के विभिन्न भागों में ऐसे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। जो कम्पनियां निर्माण कार्यों में लगी हुई है उनके साथ ऐसे मजदूर काम कर रहे है। जो ईंट के भट्टे चलते है। उनको भी हम एक प्रकार से निर्माण कम्पनियों का अंग कह सकते हैं, वहां पर तो बहुत सारे बंधुआ मजदूर काम करते हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति तो वहां पर पर और भी ज्यादा खराब है।

अब मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को दो एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव यह है। कि सरकारी तन्त्र के द्वारा इस बात को अवश्य देखा जाए कि इन मजदूरों को सही ढग से निर्धारित मजदूरी दी जाती है या नहीं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो मजदूरी इनको दी जाए वह जैसे कुछ राज्यों में निर्धारित सात रुपए न्यूनतम मजदूरी है उसके हिसाब से न दी जाए बल्कि कांस्ट्रक्शन कार्यों में लगे हुए मजदूरों की मजदूरी कम से कम 10-12 रुपए होनी चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जिस जगह पर मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं वहीं पर उनके रहने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कांट्रेक्टर्स से कहा जाना चाहिए कि टेण्ट वगैरह लगाकर या कोई और निर्माण कार्य करके मजदूरों के रहने की व्यवस्था कर दें ताकि निर्माण कार्य चलने तक मजदूर अपने परिवार के साथ वहां पर रह सकें। बहुत से मजदूर अपने परिवारों को लेकर निर्माण कार्य करने जाते हैं इसलिए उनके रहने की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। वहां पर अगर मजदूर बीमार पड़ जाता है तो उनकी दवा दारू की व्यवस्था करने के लिए कांट्रेक्टर्स से कहा जाना चाहिए। कांट्रेक्टर्स निर्माण कार्य से जो धन अर्जित करते हैं उसी में से मजदूरों के लिए औषधि आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था के लिए कदम उठाने चाहिए।

साथ ही जैसा कि माननीय सदस्या ने यहां पर सुझाव दिया है कि इस प्रकार के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक कि निर्माण कार्य चले तब तक टेम्पोरेरी बेसिस पर मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कांट्रेक्टर्स करें इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से निर्देश दिए जाने चाहिए। एक अध्यापक रख कर उसको थोड़ा बहुत वेतन देकर और बच्चों को एक जगह बिठाकर पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्त में मेरा एक और सुझाव है। कभी कभी दुर्घटनाओं में बहुत से मजदूर मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। उनको पर्याप्त मुआविजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। या तो इसकी व्यवस्था कांट्रैक्टर्स करे या सरकार भी इसमें कुछ सहयोग देकर, दोनों की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं चाहूंगा सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाकर इस प्रकार के मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र कार्य वाही करे। धन्यबाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेवियर अराकल। मेरे पास सूचि में बहुत से सदस्य हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक नहीं लेगा।

श्री जेवियर अराकल : मैं 5 मिनट से अधिक नहीं लगाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बहत ही महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा करते हुए बहुत से पूर्व वक्ताओं ने जिन्होंने चर्चा में भ ग लिया, इस विषय सम्बन्धी बहुत सी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर उचित तरीके से प्रकाश डाला है। इसी विषय पर पिछले सत्र में भी सभा से चर्चा की गयी थी। महोदय, स्वत: ही यह प्रश्न पूछा जायेगा। 'सरकार द्वारा इन समस्याओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? जैसा कि मेरे मित्र श्री लारेस तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, समस्यायें बहुत ही तीव्र हैं। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान हैं तथा निर्देश का सिद्धांत है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 42 तथा 43 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए. मैं सभा की जानकारी के लिए अब अनुच्छेद 42 का हवाला दूंगा।

संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है—

> 42. "राज्य काम की न्याय और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।"

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 43 में भी श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सांविधिक बाध्यताओं का बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। मैं समवर्ती सूचि की प्रविष्टि 24 के संगत भाग को भी पढ़ूंगा।

> "श्रमिकों का कल्याण - जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें भविष्य निधि, नियोजक दायित्व कर्मकाक-प्रतिकार, असमर्थता और वार्धक्य-पेंशन और प्रसूति-सुविधायें भी हैं।"

महोदय, पूर्व वक्ताओं ने भी इन सब बातों का उल्लेख किया है। परन्तु हमने इसमें क्या किया है? श्रमिकों को सुखसुविधाएं देने में हमने कितनी प्रगति की है? सरकार ने कौन से उपाय किए हैं? क्या उन्होंने उन उपायों को कार्यान्वित किया है या अभी भी उनको कार्यान्वित करने पर विचार किया जा रहा है? इस मामले में दो राय नहीं हो सकती। अत: मेरा निवेदन यह है कि हमें इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। यद्यपि श्री लारेंस ने 1979 के अधिनियम का संदर्भ दिया था"

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको अखिल भारतीय के स्तर पर बनाना चाहते हैं या राज्य स्तर पर?

श्री जेवियर अराकल : जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है प्राथमिक कर्तव्य राज्य सरकारों का ही है यह मेरा मत है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते 1979 के अधिनियम को लागू नहीं किया सका पहले यह स्पष्ट किया जाना है पहले वक्ता अपने मत तथा सुझाव पहले ही प्रस्तुत कर चुके है। समस्यायें क्या हैं तथा उनके हल क्या हैं ? मुझे संकल्प के प्रस्तुतकर्ता के उद्देश्य तथा ईमानदारी में बहुत अधिक संदेह नहीं है मुझे नहीं मालूम कि इन मामलों में उनके दल का कैसा रूख है। क्योंकि यदि आप जीवन बीमा निगम तथा बैंक कर्मचारियों के मामलों को याद करें तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि उन मामलों में इनका क्या रुख था। आज सुबह भी वे संगठित क्षेत्र के अल्पसंख्यकों का जोरदार समर्थन कर रहे थे। (व्यवधान) जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मार्क्सवादी दल में एक विरोधाभास तथा व्यंगात्मक रुख है। यहा कहना ठीक नहीं है कि इन लोगों के सम्बन्ध में राज्य तथा केन्द्र ने कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई राजनैतिक दल असंगठित कर्मचारियों की तरफदारी नहीं करता।

श्री जेवियर अराकल : मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। परन्तु मैं माननीय मन्त्री को यहस सुझाव देना चाहता हूं कि हमें इस समस्या के दल के लिए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए तथ हमें एक व्यापक, व्यवहारिक तथा लागू करने योग्य कानून बनाना चाहिए। समय समय पर इरे विषय पर चर्चा उठाई जाएगी। हम राजनीतिक कर्मचारियों तथा उजरतो कर्मचारियों के बा में बात कर रहे हैं जो कि संगठित नहीं हैं। जैसा कि श्रीमतो विद्या ने सुझाव दिया है उनमें से अधिकांश लोग आशंक्षित हैं तथा वे हमारे समाज के गरीब वर्गों से सम्बन्धित है। अतः मेरा एक मात्र निवेदन यही है कि सरकार ठोस सुझाव रखे तथा राज्य सरकारों से उनको कार्यान्वित करवाये।

आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि मैं इससे सहमत हूं। परन्तु मेरी एक मात्र शिकायत यह है कि इसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया जाता। यही मेरा एक मात्र सुझाव है इन शब्दों के साथ मैं संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत कड़गम की ओर से श्री लारेंस द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्माण कर्मकारों के कल्याण सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री लारेंस प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने निर्माण कर्मकारों की, दयनीय स्थिति को जनता के सामने रखने तथा उकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समयोचित रुख अपनाया है। मैं द्रविण मुन्नेत कड़गम जो एक उन्नतिशील पार्टी है का प्रतिनिधि होने के नाते श्री लारेंस के साथ सरकार से निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए सिफारिश करता हूं।

हमारी सरकार प्रगतिशील है और मुझे विश्वास है कि यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा

दिए गए सुझावों तथा टिप्पणियों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। इस भूमिका के साथ मैं निर्माण कर्मकारों की दयनीय स्थिति तथा निर्माण ठेकेदारों द्वारा उनके शोषण के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में माननीय सदस्यों को बतलाऊंगा।

केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत 20लाखमें लगभग निर्माण कर्मकार हैं आज कल निर्माण कर्मकारों के हालात बहुत ही गरीब हैं जैसा कि बन्धक मजदुरों के मामले मे देखा गया है। हम बन्धक मजदूर प्रणाली को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ठेका मजदूर/प्रणाली में हो रही अनियमितताओं को गम्भीरता से देखा जाना चाहिए इस समस्या को इतना सरल नहीं माना जाना चाहिए ।।

देश भर में निर्माण कर्मकारों की हालत बहुत खराब है। मेरे अनुसार कर्मकार वेतन अधिनियम का उनके लिए कोई अर्थ नही है। यह एक सुविदित तथ्य है कि निर्माण ठेकेदारों द्वारा निर्माण कर्मकारों का शोषण किया जा रहा है। ठेकेदारी की प्रणाली निश्चित रूप से अनियमितताओं, घूस तथा हर प्रकार के कदाचारों से भरपूर है। निर्माण कर्मकारों के साथ गुलामों का सा बर्ताव किया जाता है। उनको पर्याप्त तनख्वाह या प्रतिका आदि नहीं मिलते जैसे कि संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे नियमित कर्मचारियों को मिलता है। गरीब निर्माण कर्मकारों के लिए कोई शरण नही है, कोई चिकित्सा सुविधा नही है तथा उनके बच्चों के लिए कोई शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं। उनके कार्य के जारी रहने की कोई गारन्टी नहीं है। निर्माण कर्मकारों को दी जाने वाली तनख्वाहें उनके कार्यभार तथा कार्य के घन्टों की तुलना में बहुत ही कम तथा तुच्छ है परन्तु निर्माण ठेकेदारों के दावे बहुत ही विस्तृत हैं। अत: यह गरीब निर्माण कर्मकारों के शोषण के अतिरिक्त निश्चित रुप से राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का भी शोषण है मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकारी क्षेत्र की ठेकेदार प्रणाली की बिमारी का शिकार है यहां तक कि रखरखाव कार्यों के लिए भी। इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार के 'हुडकों' राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम तथा विशेष रुप से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड नेवेली तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे संगठनों का हवाला देना चाहता हूं। कुछ सलम क्लीयरेंस बोर्ड जैसे राज्य सरकारों के संगठन भी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेकेदार प्रणाली को अपनाए जाने के कारण ध्यान देने योग्य है अधिकारी भी अनियमितताओं तथा कदाचारों में लिप्त है। हमें ज्ञात है कि नेमवेली लिग्नाइट निगम सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा उपक्रम है परन्तु इसमें निर्माण कर्मकारों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है।

रोजगार की विभागीय प्रणाली अपनाने से प्रथम तापीय केंद्र, उर्वरक संयत्र, क्रिकेट संयत्र और कार्बोनाइजेशन संयंत्र का निर्माण कार्य समय से पूरा हो गया था, जब कि शोषण का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन आजकल रख रखाव संबंधी कार्य के लिए भी ठेकेदारों को शोषण करने का अवसर मिल जाता है।

गरीब श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए ही मैंने इन समस्याओं की ओर संकेत किया

हमारी सरकार की कई प्रगतिशील नीतियां हैं। रूस के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं हम कई प्रगतिशील योजनाएं बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सोवियत संघ और विश्व के अन्य भागों की प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन करने के तरीकों का अनुसरण करना अनुचित नहीं है। हम सिद्धान्त के तौर पर ऐसी बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में हम अनाचार और अनियमितता को बढावा दे रहे हैं। अतः कर्मचारियों की बुरी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे कि पहले थी अतः हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी प्रगतिशील विधानों के मुख्य पहलू उचित रूप से लागू किए गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप राजनीतिक दलों का उल्लेख कर रहे थे। कि वे असंघटित मजदूरों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारा दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि प्रगतिशील दल है, ही भारत में केवल एक ऐसा दल है जो गरीब मजदूरों का ध्यान रख रहा है। मेरा यह सुझाव है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा लागू किए गए सिद्धान्त माननीय सदस्य को स्वीकार करने चाहिए। हमारी थोजिलर मुनेत्र संगम नाम की एक प्रगतिशील मजदूर संस्था है। इस संस्था के मुख्य सिद्धान्तों का पूरे भारत में अनुसरण किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं श्री लारेंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमें अधिक निर्धन वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम उनके जीवन स्तर को नहीं सुधारेंगे, हम सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय का दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमें मात्र शब्दों से ही नहीं वरन काम करके अपनी ईमानदारी को सिद्ध करना है।

मेरे सहयोगी चाहते हैं कि मैं तमिल नाडु में निर्धन निर्माण मजदूरों द्वारा निकाले गए जलूस का उल्लेख करूं। वह सच्चाई के लिए अर्थात अच्छे जीवन के लिए निवेदन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ? अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा निर्धन वर्गों के लिए चलाई जा रही तथा कथित सरकार ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। निर्धन श्रमिकों पर लाठी चार्ज किया गया। आप तमिलनाडु में स्थिति की गंभीरता तथा वहां पर गरीब निर्माण मजदूरोंके साथ किए गए व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं।

एक प्रश्न और है—श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व वाली यह प्रगतिशील सरकार हमेशा गरीब वर्गों का ध्यान रखती है श्रीमती गांधी की कई प्रगतिशील नीतियां हैं इसी कारण से हमारा दल उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनका समर्थन करता रहा है। मैं तथ्य बता रहा हूं। मेरा विचार है कि अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय सम्पन्नता बढ़ाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन करना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। हमें गरीब वर्गों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो हम सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

एक बात और है। इस सरकार को निर्माण मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए तथा साथ साथ ही इनके शोषण को रोकने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। ठेका मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी उपक्रमों को ठेकेदार प्रणाली को समाप्त करना चाहिए

तथा विभागीय तौर पर श्रमिक लेने चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपने सहयोगी श्री एम० ए० लारेंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का भी समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं, सम्मानित सदस्य द्वारा जो यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी की परम्परा से हट कर असंगठित मजदूरों के लिए कुछ शब्द कहे हैं। अब चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे शास्त्री जी की पार्टी के लोग हों, उनकी हमेशा यह परम्परा रही है कि जो संगठित पक्ष है उसी की आवाज को इस सदन में और इस सदन के बाहर मुखरित करें और जो हमारी सामाजिक प्रगति का संकल्प है। उसमें व्यवधान खड़ा करें।

आज एक अच्छी बात उन्होंने यहां पर की है। इसलिए निश्चित तौर पर सभी वर्गों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। मैं तो केवल यहां पर यह प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमारे देश के अन्दर जो असगठित मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि कुछ तो निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। इन कुछ खेती के काम में लगा हुआ है और कुछ और कामों में लगा हुआ क्षेत्रों में काम है करने वाले लोगों का असंगठित वर्ग है, उसके कल्याण के लिए निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए।

संगठित वर्ग तो अपनी आवाज को जोरदार शब्दों में रख सकता है। उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है और बहुत कुछ किया भी गया है। लेकिन जो वर्ग असंगठित तरीके से अपनी आवाज को रखता है वह मजबूती से अपनी बात को नहीं रख सकता है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी हमारी सरकार और हमारी नेता की यह परम्परा रही है कि कमजोर वर्गों की तरफ ध्यान दिया जाय और हमने हमेशा ध्यान दिया है।

हमारे इस समय के जो माननीय श्रम मंत्री हैं वे स्वयं एक मजदूर नेता हैं और हमारे जो माननीय उप मन्त्री हैं वे भी एक गरीब घराने से आते हैं। ऐसे असगठित वर्गों की जो तकलीफ है, जो दुःख हैं उनको वे समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सदन को आश्वस्त करें, ऐसे वर्गों के लोगों को आश्वस्त करें कि सरकार का ध्यान उनकी तरफ है और एक निश्चित अवधि के अन्दर, किसी एक कार्यक्रम के साथ सरकार उनकी भलाई के लिए आगे आयेगी ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

वस्तुतः जो यहां पर हमारे सामने विषय प्रस्तुत है, वह उन लोगो का है जो कि निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूर हैं। निर्माण कार्य में लगने वाले मजदूरों को साल में कभी 6 माह, कभी तीन माह और कभी पूरे साल काम मिलता है। उसके बाद वह मजदूर अनिश्चय की स्थिति में रहता है कि वह क्या करे। जितने समय के लिए उसे काम मिलता है उतने

समय के लिए भी उसकी मजदूरी का कोई मापदण्ड नहीं है फिर सारा जीवन कार्य करता हुआ वह असमर्थ हो जाता है तो उसके पास कोई गारन्टी नहीं है कि उसके बच्चों का, उसके परिवार का किस तरह गुजारा होगा। उसके परिवार के भविष्य की कोई गारन्टी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे वर्गों के लोगों के लिए निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात का मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों से कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वे पंजीकरण कार्यालय खोलें और जितने भी कांट्रेक्टर्स हैं वे उन्हीं कार्यालयों की मारफत श्रमिकों को लें ताकि सरकार के पास ऐसा लेखा-जोखा हो कि कितने कांट्रेक्टर के पास कितने श्रमिक हैं।

उनके कल्याण के लिए ठेकेदार क्या कर रहे हैं उनको ठीक से मजदूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यदि एक दो साल से मजदूर काम कर रहा है तो एक निश्चित धन उसकी भविष्य निधि के रूप में जमा हो, ताकि वहां से काम खत्म होने के बाद उसको कुछ राशि प्राप्त हो सके। इन बातों को श्रम मंत्रालय को देखना चाहिए और प्रांतीय सरकारों से इसकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध में बातचीत की जानी चाहिए।

आज हमारे श्रम कानूनों को मजबूती के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। मेरा अपना अनुभव है कि जितने भी हमारे इस तरह के कानून हैं, प्रान्त की सरकारें उनको बड़े हल्के तौर पर लेती हैं। और जो श्रम मंत्रालय के कर्मचारी हैं वे भी गम्भीरता से उनका अनुपालन नहीं करवाते। बहुधा कांट्रेक्टर और बड़ी-बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर के श्रमिकों के हितों की उपेक्षा की जाती है। जिनके कल्याण के काम के लिए उनको लगाया जाता है, उन्हीं के अकल्याण के लिए ये अधिकारी काम करते हैं। इस बात को देखना चाहिए कि जिस काम के लिए जिसको रखा गया है, उस काम को वह मुस्तैदी के साथ कर रहा है या नहीं। यदि कानूनों का ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए और हर व्यक्ति ईमानदारी से अपने स्तर पर काम करे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं जो सदन के सामने आती हैं, वे समस्याएं पैदा ही नहीं निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं जो सदन के सामने आती हैं, वे समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी और सरकार जो असंगठित वर्ग का कल्याण चाहती, है उसकी मंशा पूर्ण हो सकती है।

मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री जी अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करते हुए, अपनी लीडरशिप का उपयोग करते हुए, श्रम कानूनों का राज्य सरकारों से अमल करवाएंगे और साथ साथ जिन श्रमिकों के लिए लारेंस साहब ने ध्यान आकर्षित किया है उनके लिए व्यावहारिक हल खोजने के लिए एक विस्तृत कानून सदन के सामने लाएंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामरेड लारेंस साहब ने जो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

इस सदन का हर सदस्य कामरेड है। अध्यक्ष महोदय, निर्माण मजदूरों की समस्या

हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। निर्माण मजदूर हजारों की संख्या में रेलवे विभाग में काम करते हैं हजारों की संख्या में कारखानों में काम करते हैं और हजारों की संख्या में निजि सरमाएदारों के यहां काम करने हैं और पूरे देश में लाखों की तादाद में फैले हुए हैं। इनकी समस्याओं के बारे में माननीय सदस्यों ने कई पहलुओं से प्रकाश डालने की कोशिश की है। में एक-दो बातें इनकी दयनीय स्थिति के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं

पहले तो मैं सरकारी कार्यक्षेत्र में जो रेलवे में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कार करते हैं, उनका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं "पूर्वोत्तर रेलवे का सत्र 1980 में 10 हजार रेलवे में काम करने वाले निर्माण मजदूरों ने नियमित बनाने के सवाल को लेकर मजदुरी में वृद्धि करने के सवाल को लेकर तथा अन्य कुछ कल्याणकारी सवालों को लेकर गोरखपुर में जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर के सामने प्रदर्शन किया।

वहां उन पर लाठियां चली। लोग मारे गए। लगभग 40 हजार मजदूर आज भी काम से निकाले गए हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। सरकार खुद यह कर रही है। काम लेती है लेकिन उनको सहुलियतें नहीं देतीहै कानुन भी बनाती है और उनका उल्लंघन भी करती है इसको लेकर वहुत बातें उठाई गई हैं। सदन में बार-बार उठाई गई है। लेकिन दुख है कि इन निर्माण मजदुरों को आज तक नौकरी में नहीं लिया गया है।

दूसरा उदाहरण मैं जमशेदपुर के निजी कारखाने टिस्को का देना चाहता हूं। पिछले वर्ष कई बार इस सदन में वहां के दस हजार ठेका मजदूरों का सवाल उठ चुका है। उनमें से सात हजार आदिवासी मजदूर थे। इसीलिए उस सवाल को यहां उटाने की इजाजत मिली। उनमें से तीन चार हजार महिलाएं थीं। उनको टाटा ने निकाल कर फेंक दिया। ऐसा इसके बावजूद उन्होंने किया कि बिहार सरकार के श्रम विभाग तथा भारत सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों और खुद उनके प्रतिनिधियों के सामने यह बात तय हुई थी कि जो ठेका मजदूर नियमित ढंग से काम करते हैं, रेग्यूलर वर्क करते है, उनको हम एबजार्ब कर लेगे। लेकिन उनको एबजार्ब नही किया गया। उन में से आज भी चार पाँच हजार नौकरी से बाहर है। जो बरसों तक काम कर चुके वे नौकरी से बाहर है। जब उनका आन्दोलन चला तो स्वर्गीय केदार लाल दास जैसे जाने माने नेताओं मजदूर नेताओं पर जिनको खुद मंत्री जी जानते है, लाठियां चलाई गई और उनका दो तीन दिन के बाद देहान्त हो गया। निजि कारखानों, सरकारी कारखानों और रेलों सभी का यही हाल है।

अभी एन पी सी सी, नेशनल प्राजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की चर्चा हूई है। यह कारपोरेशन पूरे हिन्दुस्तान में निर्माण के काम लेता है उसके अन्दर पाँच छः हजार मजदुरकाम करते हैं। वे सुदुर इलाकों में फैले हुए है। उनका अपना संगठन है जिसका नाम है आल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कज फँड्रेशन। इसके नेतृत्व में इन लोगों ने पिछले वर्ष यही बोट क्लब पर धरना कार्यक्रम चलाया गया था। श्रम मन्त्री जी से उनकी बात हुई, उद्योग मन्त्री से भी बात हूई लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। फिर भी मजदुरों का संघर्ष चलता रहा। महीनों बाद

सरकार ने बातचीत करके कुछ देने की कोशिश की। लेकिन उनको मिलता ही क्या है? कहीं दो सौ कहीं ढ़ाई सौ और कहीं तीन सौ। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने मिनिमम वेज, न्युनतम वेतन तीन सौ तय किया है। आप यह भी जानते है कि आल इन्डिया ट्रेड युनिमम कांग्रेस पांचसौ कम से कम मांग कर रही है। लेकिन इतना वेतन इन निर्माण मजदूरों को नही मिलता है? न रेलवे में, न सरकारी कारखानों में और नही निजी कारखानों मेंइनको यह मिलता है। इन सवालों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे सरकारी बैंचों के साथी समर्थन तो भले ही कर लें लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल सकेगा।

महिलाओं की चर्चा भी यहां की गई है। क्या महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलता है? नहीं मिलता है बच्चों को भी काम पर लाया जाता है वे एशियाड में लगे हुए है ऐसा करना गैर कानुनी काम है। औरतों को और मर्दों को भी वहां गाया गया है। लेकिन समान वेतन मान वाली बात कानुन होते भी अमल में नहीं लायी जा रही है। तो आपकी आंखों के सामने कानुन का खुला उल्लंघन हो रहा है और सरकार टुकुर-टुकुर ताक रही है यानि बेवस हो कर सरकार बैठी हुई है, बिल्कुल हैल्पलैस. आपके यहां कानून बना हुआ है कांट्रेक्ट बर्कस रेगूलेशन एमप्लायमेंट ऐक्ट, 1967 इनके तहत मजदूर को यह अधिकार है कि अपनी अपील या प्रार्थना इस कमेटी के सामने पेश करे कि मैं रेगूलर नेचर का काम कर रहा हूं, मुझे काम मिलना चाहिए लेकिन उस कानून में यह कमजोरी है, उसमें यह कहीं नहीं है कि काम उसी को मिलेगा। वह किसी को भी स्थाई नेचर के काम पर वहाल कर देती है। होना तो यह चाहिए कि अगर मैंने कई सालों तक उस काम को किया है तो वह पद मुझे ही मिलना चाहिए। तो यह उसमें कमजोरी है जो आपको देखनी चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों के लिए यह गहरा अहम सवाल है। एडवाईजरी कमेटी बनाने की बात उसमें कही गयी है। तो मैं जानना चाहूंगा कितनी राज्य सरकारों ने सलाहकार समितियां बनायीं? और जिन्होंने बनाई हैं उनके फैसले अमल में नहीं आते। तो फिर सलाहकार समितियां बनाने से क्या फायदा, और ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा है? इस कानून के तहत जो फैसले होंगे वह अगर अमल में नहीं आयेंगे तो जाहिर बात है कि आप निर्माण मजदूरों को सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और जो अभी उस कानून में कमजोरी है उसमें सुधार लाइये ताकि निर्माण मजदूर उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें।

अब उनको धरना नहीं देना पड़े, आन्दोलन का रास्ता नहीं पकड़ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि लाखों मजदूरों के लिए आप एक तरह का कानून बनाइये और उनको लागू कीजिए वह चाहे निजि क्षेत्र का कारखाना हो या सरकारी कारखाना हो या रेलवेज हो। कोई भी हो वहां एक सा कानून लागू कीजिए। लेकिन आप लागू नहीं करते हैं। कांट्रक्ट अबालीशन ऐक्ट बना हुआ है लेकिन बेकारी में कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारी और जमशेदपुर में भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है और जो इस्पात के या दूसरे सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं सभी जगह ठेकेदारी प्रथा चालू है। अब पता नहीं उनको रखने में क्या समता है? कुछ झोली झाली भरते हैं कुछ नेताओं की, या क्या करते हैं यह तो आप जानें। तो उनको बिल्कुल अबालिश कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप निजी क्षेत्र के कारखाने वालों को भी दबा सकते हैं।

फिर जो लेबर लाज अभी बने हुए है जितने भी तीन प्रकार के हैं जिनको मिलाकर के आप एक बनाना चाहते है और सम्भवतः इसी क्षेत्र में आप पेश भी करना चाहता हूं। तो उन तमाम लेबर लाज का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। निम्नतम मजदूरी इन पर भी लागू होनी चाहिए, काम के घंटों और सहूलियतों का कानून इन पर भी लागू होना चाहिये तो जो वर्तमान श्रम कानून है उनको लागू कीजिए, और आइन्दा एक व्यापक कानून इस सदन में पास कीजिए तभी आप उनके लिए कुछ कर सकेंगे। तो यह एक निवेदन अध्यक्ष जी, मैं करना चाहता हूं कि आप इस बड़े सवाल को अपनी आँखों से ओझल न होने दीजिए।

इस बड़े सवाल को अपनी आँखों से ओझल मत होने दीजिए। कामरेड लारेंस ने सदन की और देश की बड़ी सेवा की है, इस ओर आपका ध्यान खींचा है। यह भी खुशी की बात है कि सब लोग इस संकल्प का समर्थन कर रहे है। मुझे अन्दाजा है कि झा जी जैसे स्वतन्त्रता सेनानी समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले का अनुकूल जवाब भी हमको मिलेगा।

सचमुच में अगर आप समाजवाद कहते हैं, तो वह बड़े दूर की बात है, अभी तो इन लोगों की सेवा कीजिए जिनके बारे में हमारे रावत साहब ने भी कहा कि जो असगठित मजदूर हैं उनकी तरफ ध्यान देना ही चाहिए।

बार-बार इस सदन में कहा गया हैं कि खेत मजदूरों के लिए अलग कानून पेश किया जायेगा. अर्जुन्याजी जो हमारे श्रम मन्त्री थे, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी रहे, उनका भी ऐसा कहना था।

(व्यवधान)

इसलिए कह रहा था कि खेत-मजदूरों के लिए भी कानून लगाइये, वह अन-आर्गेनाइज्ड तौर पर संगठन बनाकर काम करते हैं। खेत मजदूर युनियन बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े-बड़े सम्मेलन कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस सकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, जिससे हम तमाम लोग यहां से खुश होकर जाएंगे और असंगठित मजदूरों को आशा भी बंधे कि आप कुछ करना चाहते है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, समता, स्वतंत्रता, बन्धुता और न्याय के आधार पर जो संविधान बनाया गया है और उसके बाद जो कानुन बना, वह कानून तो अलमारी में पड़ा दम तोड़ रहा है और मेरे ख्याल से कानून वहीं रखा हुआ है। इसका उत्तर पहले के लेबर मिनिस्टर ने अपने सवाल में दिया है। वे कानून तो लागू कर देते हैं, कभी- कभी वह चड़ियालों आंसू बहाते हैं और कई बार हम बहाते हैं। सचमुच उनकी दरिद्रावस्था गरीबी उनकी हालत पर कम ध्यान होता है।

उस समय जब अर्जुन्या साहब लेकर मिनिस्टर थे, उन्होंने यहां बताया और उत्तर दिया था। कि कानून तो बन गया है लेकिन सैक्शन 3 और सैक्शन 4 लागू नहीं किया जा सकता। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस लेबर ला को लागू करने के लिए अभी तक राज्यों ने बोर्ड नहीं बनाया है। 1970 में यह कानून लागू हो गया, लेकिन उसके बाद कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आज तक ला नहीं बना यह अर्जुन्या साहब ने कहा मन्त्रियों ने कहा कि मध्यस्थों की प्रणाली को हटाने के लिए ही ठेका श्रम प्रणाली का उन्मूलन किया गया था ताकि मजदूरों को अपने काम के बदले वेतन मिल सके। इसलिए यह आवश्यक था कि जहां तक संभव हो ठेका मजदुरों को स्थाई नियमित मजदुर माना जाए उन्हें इसी तरह की नौकरी करने वाले श्रमिकों के समान ही सभी सुविधाएं दी जाएं और वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनेाओं में उनका ध्यान रखा जाए।

"अधिनियम के कार्यान्वियन के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि यह कुछ धीमा है। सात राज्यों तथा तीन संघीय राज्य क्षेत्रों में अभी भी राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाने हैं। उन तीन राज्यों तथा तीन संघ क्षेत्रों में जहां ये बोर्ड बना दिए गए हैं अभी तक राज्य बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है"

1970 में यह कानून बना। इसके सैक्शन 10 में कहा गया था कि हम कंट्रेक्ट लेबर को एबालिस कर देंगे। सैक्शन 10 कहता है।

"इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करके किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम में ठेका श्रमिकों का नियोजन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिबिद्ध कर सकेगी।"

आज बारह साल के बाद 1982 में इस सदन में फिर उसी विषय पर चर्चा हो रही है। अगर कोई जिन्दा कौम होती तो ऐसी हालत पैदा न होती।

इस सदन में इस बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वह क्वेश्चन और उसका जवाब इस प्रकार है :—

"क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ठेकेदारों द्वारा शोषित किए जा रहे मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और वे विभिन्न लाभों से वंचित किए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।"

उत्तर—श्रीमती राम दुलारी सिन्हा

(क) और (ख) : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 19 0 में चूक के मामलों से निपटने के पर्याप्त प्रा धान हैं। प्रत्येक मामले में समुचित सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

श्रम मन्त्री बतायें कि 1970 के कानून के मातहत कितने कंट्रेक्टर्ज का चालान किया गया और सैक्शन 23, 24 और 25 में उन्हें कितनी कितनी सजा दी गई लेकिन कठिनाई यह है कि जब भी हम इस बारे में कोई इनफर्मेशन मांगते हैं, तो जवाब मिलता है कि यह एक स्टेट सबजेक्ट है। जब कंट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबालिशन) एक्ट, 1970 बना, तो इस सदन में चर्चा के दौरान मन्त्री महोदय, श्री भागवत झा आजाद, को रेफर करते हुए कहा गया था कि उनके विचार कितने क्रान्तिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको संशय है ?

श्री मूल चन्द्र डागा : मुझे तो संशय नहीं हुआ, लेकिन जब आपने कहा, तो मैं समझ गया। आपने जो कुछ कहना था; वह तरकीब से कह गए। उस वक्त सदन में कहा गया था :—

श्री एस० एस० बनर्जी का वक्तव्य यह है—

"मैंने अखिल भारतीय सुरक्षा कर्मचारी संघ बनाया। उसमें पहला कदम 'एम० ई० एस' में ठेका प्रणाली को हटा देने के लिए उठाया गया और मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद ने जो कि उस समय उस आन्दोलन से संबंधित थे, ठेका प्रणाली को 'धन उपार्जन सेवा' के नाम से बुलाते थे। क्योंकि ठेका प्रणाली से लोग बहुत धन कमाते थे। यहां तक कि आज भी सुरक्षा संस्थानों में, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।"

मन्त्री महोदय जानते हैं कि ये मौत के सौदागर ये कन्ट्रेक्टर, कितना रुपया कमाते हैं और किस तरह गरीबों का खून चूसते हैं। हमारे नौजवान साथी ने बताया है कि किस तरह से श्रमिकों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 42, 43 और 45 में दिए गए निर्देशक सिद्धान्तों को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि हमारा संविधान एक प्राणवान दस्तावेज है।

हिन्दुस्तान में अगर किसी आदमी के लिए कोई यह कहता है कि उसको जिन्दा रहने के लिए तड़पना पड़ता है तो वह कांट्रेक्ट लेबर के लिए लागू होता है। कांट्रेक्ट लेबर की हालत आज कितनी खराब हो रही है लेकिन कांट्रेक्ट लेबर को एबालिश करने का इरादा अभी भी नहीं है। एक आदमी बिचौलिया बने और उसके खून का शोषण करके खुद कमाए, उसको गवर्नमेंट बर्दाश्त करे और कानून यहां पारित कर दे 1970 में, वह कानून जो इनएफेक्टिव हो—मन्त्री जी हमें ये आंकड़े पहले बताएंगे कि कितना कांट्रेक्ट लेबर है और कितनों का चालान आपने इस ऐक्ट के नीचे किया है और कहां पर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है ? कानून तो ऐसा बनाते हैं। कि मालूम होता है कि हिन्दुस्तान

में तो अब स्वर्ग बन जाएगा। ··· (व्यवधान) ··· ऐसा अच्छा मालूम होता है कि स्वर्ग जमीन पर आ गया। ऐसी लुभावनी बातें करते हैं। वह कहते हैं कि हम आपके लिए रेस्ट हाउसेज बनाएंगे। जहां कांट्रेक्ट लेबर काम करता है क्या वहां रेस्ट हाउसेज बन गए ? कोई ऐसी जगह मुझे बता दी जाए जहां कि आपने रेस्ट हाउसेज ना दिए हों ?

खण्ड 17 इस प्रकार है—

"ऐसे प्रत्येक स्थान में, जहां किसी ऐसे स्थापन के—

(क) जिस पर यह अधिनियम लागू होता है ; तथा

(ख) जिसमें ऐसा कोई काम, जिसके लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित है, उस अवधि के लिए जो विहित की जाए, चलता रहना संभाव्य है

काम के सम्बन्ध में ठेका श्रमिकों से रात में रुकने की अपेक्षा की जाती है, ठेका श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ठेकेदार उतने विश्राम कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास की, जितने विहित किए जाए ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, व्यवस्था करेगा और उन्हें बनाए रखेगा।"

धरती उसका बिस्तर है और आसमान उसकी चादर है। यह तो हो सकता है। लेकिन यह जो इसमें कहा है यह ** इसके अन्दर फिर कहते हैं कि दूसरी और क्या क्या फैसिलिटीज देंगे ?

धारा 16 : "ठेका श्रमिक नियुक्त करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का कर्त्तव्य होगा कि वह निम्न सुविधाएं प्रदान करे।"

(क) सुगम स्थानों पर स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था।"

मेरे ख्याल से वह गारे और चूने का पानी जो होता है उसको पी ले, वही उसके लिए बहुत है।

(क) स्थापना में पर्याप्त संख्या में, निर्धारित किस्म के शौचालयों तथा मूत्रालयों का सुगम दूरियों तथा सुगमता पूर्वक पहुंचने वाले स्थानों में निर्माण।"

(ग) कपड़े धोने की सुविधाएं।"

यह कानून जो 1970 में बना उसके इम्प्रलीमेंटेशन के बारे में मैंने पूछा कि इस कानून की कौन कौन सी बातें लागू हो गई ? इसका क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट में कि यह कानून किस तरह से लागू हुआ है तो मालुम हुआ कि रेलवे को जब सेंट्रल ऐडवाइजरी कांट्रेक्ट लेबर बोर्ड ने सलाह दी कि आप काट्रेक्ट सिस्टम को एबालिश कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब आप आपस में टकरा रहे हैं। लेबर मिनिस्टर साहब इसका उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है क्या यह सच है कि रेलवे ने ठेका श्रम समाप्त न करने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो क्या ठेका श्रम केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा कोई सुझाव दिया गया था।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यदि हां, तो उस सुझाव को अस्वीकृत किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

अब आपके घर के अन्दर जो बात है, रेलवे अन्डरटेकिंग आप की है, उसके बारे में आपका यह जवाब आया है।

उत्तर यह है —

"ठेका श्रम केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।"

मैं नहीं चाहता कि पूरा पढ़ूं। यह उत्तर दिया गया है 22 मार्च ,979 को।··· (व्यवधान) ···जनता गवर्नमेंट के समय में यह उत्तर दिया गया था कि अभी भी सरकार के जो विभाग हैं उनमें भी कांट्रेक्ट लेबर है।

एक माननीय सदस्य : रवीन्द्र बर्मा लेबर मिनिस्टर थे।

श्री मूल चन्द्र डागा : अब नाम लेने से क्या फायदा है ? काम से ही फायदा हो सकता है। नाम से कोई फायदा नहीं है।

मैं यह कह रहा हूं कि लेबर लाज का क्या हुआ ? यह जो आपने कहा है

"ठेका श्रम के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने कोयला तथा मूल्य लोको शेडों में ठेका श्रम व्यवस्था के उन्मूलन के मामले पर विचार किया है।"

उसके बाद आज तक उसका जवाब नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं यह कांट्रेक्ट लेबर, माइग्रेशन लेबर जब सड़कों पर आता है उसके सम्बन्ध में मैंने "दिनमान" में एक आर्टिकिल पढ़ा था कि किस प्रकार से उन गरीब औरतों और बच्चों के साथ अन्याय होता है। जिसके हृदय में संवेदना हो वह इसपर केवल आसू ही बहा सकता है। सभी कांस्टीट्यूशन की शपथ लेते हैं और उसी के अन्तर्गत कानून बनाए जाते हैं लेकिन मि० लारेन्स को आज 12 साल के बाद इसके सम्बन्ध में यहां पर चर्चा उठानी पड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि आप इसको एफेक्टिव बनाईये और सही तरीके से एन्फोर्समेंट कीजिए। कानून बनाना तो बड़ा आसान होता है। लेकिन आप जानते हैं कि 12 साल के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड ही नहीं बनाए हैं अभी अभी आपने देखा कि कितनी सरदी पड़ी थी। मैं यह जानना चाहता था कि आखिर कितने रेस्ट हाउसेज बना दिए गए हैं। लेकिन उन गरीब मजदूरों को तो जिन्दगी में कोई अधिकार ही नहीं है सारे अधिकार तो केवल कुछ पूंजीपतियों या सरकारी अफसरों के लिए हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऐक्ट हो अगर उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। हमारे लारेन्स साहब धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसकी तरफ इस सदन का ध्यान दिलाया हैइससे उन गरीबों की तरफ आपकी नजर जा सकी है जिनके आज फटे हुए कपड़े हैं और जोकि आगे और भी विकलांग हो जायेंगे। आज उनको 1200 कैलरीज उपलब्ध नहीं है, दाल नहीं मिल रही है और सरदी से बचने के लिए मकान नहीं हैं उनकी क्या हालत होगी ? शोषण और दमन पर टिकी हुई व्यवस्था क्रान्ति लायेगी और उस क्रान्ति से नया आन्दोलन पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आज उनके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। डागा जी, आपने एक शब्द प्रयोग किया था जोकि अनपार्लमेन्टरी है। मैं यह निकलवा रहा हूं।

श्री मूल चन्द्र डागा : जी हां, उनको बहुत अच्छे वचन और वाणी कहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष जी, माननीय लारेंस जी ने यहां पर जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है उसकी भावना की कद्र करते हुए मैं अपने कुछ सुझाव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि कांट्रेक्ट लेबर के एबालिशन के सम्बन्ध में जो कानून पास हुआ है, जो आज 12 साल तक लागू नहीं हो सका उसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कांट्रेक्ट लेबर की जो परेशानियां है वे दूर हो सकें।

जब आपने कांन्ट्रेक्ट लेबर के सिस्टम का एबोलिशन कर दिया, तो फिर पब्लिक सैक्टर में जो हजारों की तादाद में कांट्रेक्ट लेबर काम कर रही है, तो सबसे पहले प्रोसीक्यूशन पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट का होना चाहिए, ताकि उन्होंने कानून की जो अवहेलना की है, उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाया जा सके। यह व्यवस्था जब तक नहीं होगी - तब तक कांन्ट्रेक्ट लेबर लगाने की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए इस कानून की अवहेलना जिस पब्लिक सैक्टर मैनेजमेंट ने की है, उसके खिलाफ प्रोसीक्शन न हो तब तक यह व्यवस्था प्राईवेट सैक्टर में भी लागू नहीं हो सकती है। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा है। इसलिए इसकी शुरूआत सरकारी कारखानों से की जाए, वहां पर इस कानून की अवहेलना की गई है। इस व्यवस्था को तुरन्त लागू करके, जिन लोगों ने इस कानुन की अवहेलना की है उनके खिलाफ कार्यवाही की व्यवस्था की जाय।

सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में अन-एम्पालयमेंमें की है। आज हम कहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग अन-एम्पलॉयड हैं और 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के जीचे हैं, जिनको आप उठाना चाहते हैं, उनको भी नहीं उठा पायेंगे। आज हम उनको मिनिमम वेज भी नहीं दिला पा रहे है। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको कम से कम मिनिमम वेज या इतना पैसा तो मिल सके कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस सम्बन्ध में आपको कोई न कोई कानुन अवश्य बनाना चाहिए, ताकि उसके जरिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कान्ट्रैक्टर्स किस प्रकार लेबर का शोषण करते हैं। जिस प्रकार से उनको बिलडिंग बनानी चाहिए, उस प्रकार की बिलडिंग नहीं बनाते हैं। सरकारी अफसरों और सम्बन्धित लोगों को कमीशन देकर अपनी व्यवस्था को बराबर चालू रखते हैं। ऐसी हालत में सरकारी इमारत कमजोर बनती हैं। उसको जितने वर्षों के लिए चलना चाहिए, उतने वर्षो तक भी नहीं चल पाती है और उसके साथ-साथ मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। उनको समय से सामान नहीं दिया जाता है, कहीं पर आटा दिया जाता है, तो कहीं पर कुछ दिया जाता है और उसका पैसा भी ज्यादा बसूल करते हैं। जब इतना पैसा वे नहीं दे पाते हैं, तो

ऐसी हालत में वे उनको छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। एक तरह से वे बिल्कुल बांडेड लेबर की तरह हो जाते हैं और उनको बांडेड लेबर की तरह से काम करना पड़ता हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कांट्रैक्स इन मजदूरों को दो-दो तीन-तीन और चार-चार महीने तक उनक पेमेंट नहीं करते हैं। उनको मार-मार कर भगा देते हैं। उसके बाद पेमेंट आफ मिनिमम वेजज एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उन पर दावा करके पैसा वसूल किया जा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि पेमेंट आफ मिनिमम वेजेज एक्ट में इन प्रकार को व्यवस्था की जानी चाहिए, तकि उनको उनका पैसा मिल सके। आज के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मजदूर भी ट्रेड यूनियन्स की मारफत या अन्य प्रकार की संस्थाओं के जरिये से उनके ऊपर पेमेंट न मिलने का दावा करके पैसा वसूल किया जा सके, इस प्रकार का प्रावधान नितांत आवश्यक है और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश में बड़े-बड़े कारपोरेशन है, हुडको है और अन्य कई प्रकार के इन्सटीचूशन्स हैं, जो कि इस प्रकार का काम करती है। करोड़ों रुपयों का ठेका लेती है। इनके ऊपर भी कोई सेस लगाना चाहिए। जैसे कि आपने माइका के सम्बन्ध में किया है, डोलोमाइट के सम्बन्ध में किया है और सैंडस्टोन के सम्बन्ध में किया है, अन्य प्रकार के लिए किया, उसी प्रकार का सेस इन कम्पनियों से भी वसूल किया जाय ताकि कंस्ट्रक्शन लेबर के सम्बन्ध में भी वेलफेयर एक्टीविटीज चला सके। इसलिए कोई न कोई फण्ड प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, चाहे उस में सरकार पैसा दे या कंस्ट्रक्शन कम्पनियां दें या कारपोरेशन्ज पर सेस लगा कर पैसा वसूल करें।

माननीय लारेंस साहब ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इन वर्कर्स को परिचय पत्र दिया जाना चाहिए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ रहे है, दिल्ली मेरा अनुमान है 5—7 लाख ऐसे मजदूर रहते हैं, उनके लिए इस तरह का परिचय पत्र बनाया जाना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि कौन-कौन सी जगहों पर कब से कब तक उन्होंने काम किया है। कितने दिन किस कम्पनी में काम किया, कब निकाले गए, कब दूसरी कम्पनी में गये, इस तरह का उल्लेख यदि उस परिचय-पत्र में होगा तो उससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि वह वर्कर कितने दिनों से काम कर रहा है। मजदूरों के लिए जो अन्य लेबर कानून हैं, जैसे प्राईवेट फ़ण्ड, ई० एम० आई०, ग्रेचुइटी, रिट्रेन्चमेंट बेनिफिट या अन्य सुविधाएं, उन सब का लाभ हुआ इस तरह के परिचय पत्र से उन को आसानी से दिया जा सकता है।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि आज इन मजदुरों का ऐक्सप्लायटेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जाब के सम्बन्ध में इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनकी लीविंग कण्डीशन्ज बहुत खराब है। हमारे डागा साहब ने रेस्ट हाऊसेज का जिक्र किया, लेकिन हम देखते हैं कि जो सड़कों पर आपके बड़े-बड़े पाइप पड़े रहते है उनमें ही ये अपना घर बनाकर किसी तरह से पड़े रहते हैं। कानुन में ऐसी व्यवस्था

होनी चाहिए उनके बच्चों की एजुकेशन चिकित्सा सुविधाएं या जो अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वे सब निश्चित तरीके से पूरी की जानी चाहिए।

ट्रेड युनियन के जरिए या किसी अन्य संस्था के जरिए इनको मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको भी संगठित किया जाना चाहिए तथा जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं वे भी असगठित हैं उनको भी संगठित करने की व्यवस्था आप के डिपार्टमेंट की तरफ में होनी चाहिए। इस मामले में जब तक आपका डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं होगा तब तक उनको लाभ नहीं हो सकेगा।

मैं इस अवसर पर आपके लेबर डिपार्टमेंट का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। जब तक आप का लेबर डिपार्टमेन्ट पूंजीपतियों का समर्थक रहेगा, वह मजदुरों की कोई सेवा नहीं कर सकेगा। यह सत्य बात है कि आपका डिपार्टमेन्ट बड़े-बड़े पूंजीपतियों की पैरवी करने वाला विभाग बनकर रह गया है, लेकिन अब आप जैसे क्रान्तिकारी मिनिस्टर ने इस विभाग को सम्भाला है, हमें उम्मीद है अब यह विभाग मजदुरों के हितों की रक्षा करने का काम करेगा। आप देखिए आपके प्राविडेंट फण्ड विभाग की क्या हालत है, लाखों मजदुरों की प्राविडेंट फण्ड की रसीद उन तक नहीं पहुंचती है। जो सहूलियतें उनको प्राविडेंट फण्ड से मिलनी चाहिए, जैसे शादी विवाह के अवसरों पर कर्जा या अन्य सुविधाएं, वे उनको नहीं मिलती हैं, उनके अपने कमाए हुए पैसे में से जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है।

ई० एस० आई० का पैसा कोई जमा नहीं होता है। जगह-जगह आप के डिपार्टमेन्ट के लोग बैठे-बैठे देखते रहते हैं लेकिन लाखों रुपया जो इन मिलिनर्स पर बकाया है, पूंजीपतियों पर बकाया है, उसको वसूल नहीं करते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उनका चालान नहीं होता है। इस तरह से जो कानुनी व्यवस्था है, उसके अन्यर्गत काम नहीं होता है। ऐसा डिपार्टमेन्ट जब तक रहेगा, हम लेबर को क्या सहूलियतें दिला सकते हैं, क्या बेनीफिट्स दिला सकते हैं।

हम को मन्त्री जी से पूरी उम्मीद है और हम सोचते हैं कि इनके आने के बाद इस डिपार्टमेन्ट में क्रान्तिकारी परिवर्तन आएगा। इनके दिल व दिमाग में लेबर के प्रति स्नेह है और हमदर्दी हैं। लेबर को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। आज उस को उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। जब ऐसा होता है तो उसमें निराशा आती है और इससे हमारे विरुद्ध जो लोग हैं उनको बोलने का मौका मिलता है। सरकार से इतने सारे कायदे-कानुन बने हुए हैं लेकिन उन का इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं हैं, उन पर मन्त्री जी गौर फरमाएंगे।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं शुरू में ही इस संकल्प को सभा में लाने के लिए श्री लारेंस की प्रशंसा करता हूं। यह मामला प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में पहले ही सभा में लाया जा चुका है परन्तु इसे इस विशेष रुप से सभा में लाये जाने से इसे अतिरिक्त महत्व प्राप्त हुआ।

श्रीमान, सभी सदस्यों अर्थात श्रीमति विद्या, श्री हरिकेश बहादुर, श्री अराकल, श्री हरीश रावत, श्री रामावतार शास्त्री और श्री गिरधारी लाल व्यास ने इन श्रमिकों की दुर्दशा का वर्णन किया है जो बहुमंजले भवनों का निर्माण करते हैं परन्तु उन्हें इसकी छत के नीचे रहने का कोई अवसर नहीं मिलता। वे पुलों का निर्माण करते हैं जिनपर हम चलते हैं। वे नहरों का निर्माण करते हैं जिनसे हमारे खेतों की सिंचाई होती है और हमें फसल मिलती है। फिर भी वे उत्पादों इमारतों तथा परियोजनाओ के वास्तविक भागीदार नही बने हैं जिनसे दूसरे व्यक्तियों कोधन मिलता है।

श्रीमान, हम इस पक्ष के लोग अथवा सरकार के प्रतिनिधि इस तथ्य से इन्कार नहीं करते परन्तु जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि सदस्यों ने कहा है कि इस अधिनियम के बनने के बाद पिछले 30 अथवा दस वर्षों में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, यह बात सही नहीं हे। सम्भवत: यह बात मानीय सदस्यों को पूरी जानकारी न मिलने के कारण कही गई हो लगभग सभी सदस्यों ने आवास समस्या को उठाया है। उन्होंने न्यूनतम वेतन की बात कही है। अर्थात उन्हे न्यूनतम मजदुरी अवश्य मिलनी चाहिए। उन्होंने ई० एस० आई० पर बल दिया है। भविष्य निधि पर बल दिया है। व्यास जी अभी अभी इस पर बोले। मैं व्यास जी को बताना चाहता हूं कि मैं श्रम मन्त्री हूं भविष्य निधि चुक करने वाला मंत्रीनहीं हूं भविष्य निधि की अदायगी न करने वाले व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही की जा सकती है और तत्सम्बन्धी कानून को कैसे कठोर बनाया जा सकता, है इस पर मैं विचार कर रहा हूं। उन्होंने स्वास्थ के बारे में भी कहा है। श्रीमती विद्या शिक्षा सुविधाओं मेरे के मामले पर बोलीं ये सभी बातें विभिन्न सदस्यों द्वारा सभा में उठाई गयी तथा मत में उन्होंने सरकार से एक व्यापक विधेयक के लाने पर के लिए आग्रह किया हैं। सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों की यह एक समान सिफारिश है।

श्रीमान, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार निर्माण श्रमिकों को इन सभी विभिन्न समस्या-पर विचार करती रही है तथा इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कार्यवाही की हैं। डागा जी ने बनावटी आंसू बसाए जाने की बात कही है परन्तु सचाई यह है कि उस अधिनियम के अधीन सलाहकारबोर्डों का गठन किया गया है। सलाहकार बोर्ड विद्यमान हैं जिनकी सिफारिशें परामर्श के रूप में हैं। तथा राज्य सरकारों से उनकी क्रियान्विति की उम्मीद की जाती है..... परन्तु जिन मामलों में क्रियान्विति हमें करनी है हम कर रहे हैं।

आप कह सकते हैं—और सदा यह कहा जाता रहा है कि राज्य सरकारें यह कार्य नहीं कर रही हैं। हम केन्द्र की ओर से सदा उनसे आग्रह निवेदन करते हैं, उन्हें लिखते हैं, श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में मामले को रखते हैं, उनका ध्यान इस ओर दिलाते हैं। संविधान के अंतर्गत हम अनुनय विनय कर सकते हैं निवेदन कर सकते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न श्रम कानेनों के अधीन उनकी दशा सुधारने के लिए बहुत सी बातें की गयीं हैं।

अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जायेगी। जो बात मैंने अभी कही है। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि यह कहना सही नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। परन्तु इसके साथ ही मैं शीघ्रता से यह बात जोड़ना चाहता हूं कि उनके लिए बहुत सी बातें अभी की जानी हैं। यह बात सही है। डागा जी ने ठेका श्रम अधिनियम के उन उपबन्धों को पढ़ा जिनमें उल्लेख है कि इस प्रकार के आवास उनके लिए बनाये जायेंगे, इत्यादि कई स्थानों पर ये बातें शायद न की गई हों। मैं मानता हूं कि सभी स्थानों पर यह कार्य नहीं किया गया है। परन्तु सच्चाई यह है कि भवन तथा निर्माण कर्मचारी आज केन्द्रीय अधिनियम के अधीन आते हैं; परन्तु लगभग आठ केन्द्रीय अधिनियम हैं। ये केन्द्रीय कानून उन्हीं के लिए हैं। उदाहरणार्थ हमारा एक 1923 का कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम है। इसे हमने उन पर लागू किया है। बताया गया है कि क्रियान्विति ठीक ढंग से नहीं हुई। हम इसे दोषमुक्त बनाने की चेष्टा करेंगे। सभी पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों तथा आलोचनाओं को सरकार ने नोट कर लिया हैं तथा हमारा प्रयत्न रहेगा कि किस प्रकार क्रियान्विति में सुधार लाया जा सके। तथ्य यह है कि हमने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जोकि अनिवार्य है, को लागू किया है। इन अधिनियमों के उपबन्ध पहले से उन पर लागू होते हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हमारे पास है जैसा कि श्रीमती विद्या ने बताया है। उसके उपबन्धों को हमने उनपर लागू किया है। वे कहीं भी कार्य करते हों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, स्थायी, अस्थायी, नैमित्तिक, निर्माण अथवा अन्य प्रकार के कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं बरतता। अतः हमने इस अधिनियम को समान रूप से लागू किया है। उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि के उपबन्ध उन पर लागू होते हैं निःसन्देह एक कठिनाई यह है जब कोई निर्माण कर्मचारी एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक समय से कार्य करता है उसे ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। परन्तु जब उसे स्थानान्तरित किया जाता है और वह वहां नहीं रहता तो मुझे खेद है कि उसे यह लाभ देना संभव नहीं होता। वे एक स्थान पर 3 महीने अथवा छह महीने या एक वर्ष के लिए हो सकते हैं। परन्तु प्रसूति लाभ अधिनियम उन पर लागू होता हैं। बोनस अदायगी नियम उन पर लागू होता है। ठेका श्रम (विनियमन) अधिनियम उन पर लागू होता है। उन पर आठ अधिनियम लागू होते हैं। हमारे जैसे देश में जहां कई प्रकार के श्रमिक हर प्रकार की परियोजनाओं में कार्य करते हैं एकसा अधिनियम लागू करना संभव नहीं है। मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं वह यह है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम विद्यमान है। बोनस (संदाए) अधिनियम विद्यमान है प्रसूति लाभ अधिनियम विद्यमान है। कर्मचारी राज्य बीमा विद्यमान है। भविष्य निधि अधिनियम बना हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम भी है। इन विचित्र अधिनियमों के उपबन्ध लागू किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि ये कर्मकार अपनी स्वेच्छा से अन्य स्थानों को चले जाते हैं। अथवा उन्हें इन लाभों से वंचित रखने के लिए चले जाने के लिए बाध्य किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान् यदि उसे लाभ मिलते हैं तो वह निर्माण स्थल से क्यों जाना चाहेगा। ये निर्माण कर्मकार विभिन्न तरह की परियोजनाओं में कार्य करते हैं। हमारे पास दिल्ली में एशियाड की परियोजनाएं हैं ? वे वहां पर पर कार्य कर रहे हैं, जब यह कार्य समाप्त हो जायेगा तो वे कोई अन्य काम करने लगेंगे क्योंकि उनका नियोजित रखने के लिए हम कोई और कार्य नहीं दे सकते। वे निर्माण कर्मचारी हैं तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यदि उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं सहित स्थाई कार्य मिल सके तो वे वहां रहना पसंद करेंगे परन्तु ये निर्माण कर्मचारी हैं तथा इन्हें कार्य के स्वरूप के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है एशियाड परियोजना पर बहुत से कर्मकार कार्यरत हैं। हजारों कर्मकार दिल्ली की राजधानी में कार्य कर रहे है। परन्तु जैसे ही एशियाड कार्य समाप्त हो जायेगा वे अन्य स्थानों पर चले जायेंगे इस तरह जगह बदलने से उनको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है बच्चों की शिक्षा उनके स्वास्थ्य इत्यादि की समस्यायें उनके सामने आती हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत हम उन्हें अधिकतम लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का अस्तित्व में होता है जिसके अन्तर्गत हमने न्यूनतम मजदुरी के निर्धारण की व्यवस्था की है, सामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के घन्टे निर्धारित किये हैं समयोपरि भत्ते की अदायगी तथा साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था की है। इन सभी चीजों की हमने उनके लिए व्यवस्था की है चाहे वे दो महीने के लिये कार्य कर रहे हो अथवा दो वर्ष के लिए।

अब कार्यान्वयन तंत्र को लिया जाता है, इसके बारे में हम पूरी शक्ति से कार्य कर रहे हैं। जब कोई शिकायत मिलती है तब उन्हें स्थल पर जाकर तथ्यों का पता लगाना चाहिये श्री डागा ने मुझसे दोष सिद्ध के बारे में पूछा यदि आप मुझसे पूछें कि पूरे देश में कुल कितने मुकदमे चलाए गए तो मेरा उत्तर होगा कि मुझे राज्य सरकारों से जानकारी भेजने के लिए कहना पड़ेगा परन्तु यदि आप दिल्ली में एशियाड के बारे में पूछें तो मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। यह प्रश्न कुछ समय पूर्व सभा में उठाया गया था। ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम तथा न्यूनतम मजदुरी अधिनियम के उल्लंघन के लिए 22 ठेकेदारों के विरुद्ध अभियोग चलाये गए दस मामलों का फैसला हुआ तथा अपराधी ऐसे पाए गए। कुल दस मामलों का निर्णय हुआ तथा जुर्माने वसूल किये गए। यह सही है कि हम 10 मामलों में दोष सिद्ध कर पाये। उसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंर्गत 4 मामलों में दावे किये गए हैं जो दावा अधिकारियों के पास पड़े हुए हैं। हम इन मामलों में शीघ्र निर्णय लिए जाने पर ध्यान देंगे। आठ और अभियोगों के प्रस्ताव अदालत में दायर किए जाने के लिए तैयार किए जा रहें हैं और हमारी यह कोशिश रहेगी कि उन पर शीघ्र निर्णय हो।

अब बच्चों के लिये तथा रात को कार्य करने वालों के लिए कम कार्य के लिए घन्टों की व्यवस्था अधिनियम में की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी निश्चित की है और इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है। यह अधिनियम

नैमोतिक कर्मकारों सहित जिनका भवन तथा निर्माण उद्योग में अधिक हैं। सभी कर्मकारों पर लागू होता हैं।

"उपरोक्त अधिनियमों द्वारा निर्माण कर्मकारों के कार्यों की शर्तों के विभिन्न पहलू विनियमित होते हैं और इन कानूनों में की गयी व्यवस्था के अनुसार इन कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की जाती हैं। अब माननीय सदस्यों की शिकायतें यह हैं कि ये लाभप्रद प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं और इनके कार्यान्वयन सम्बन्धी भाग को और कड़ा किया जाना चाहिए। मैं इन दो प्रश्नों से असहमत नहीं हूं। लेकिन मैं इस बारे में यथासम्भव प्रयत्न करूंगा। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है, वह यह है कि इसके लिए एक पृथक कानून होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। एक वर्ग के कर्मकारों के लिए हम एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार नहीं कर सकते। वे सभी कर्मकारों पर लागू होते है। बोनस कर्मचारी राज्य बीमा लाभ भविष्य निधि मुआवजा, आदि सभी लागू हो सकते हैं जो पहले ही से लागू हैं लेकिन हम देखते हैं कि इन कर्मकारों की सुरक्षा के मामले में कुछ कठिनाई है। इसके लिए एक पृथक कानून की आवश्यकता अनुभव की गयी है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी है कि उसमें भवन तथा निर्माण उद्योग में लगे कर्मकारों के रोजगार तथा सेवा शर्तों की सुरक्षा तथा विनियमनों के लिए व्यवस्था की जाए। वे निर्माण कार्य करते हैं। नये भवनों का निर्माण करते हैं पुराने भवनों को गिराते हैं और ऐसा करते-करते वे कभी कभी अंगहीन हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। अतः मैं समझता हूं कि हमें वर्तमान कानून से अधिक अच्छे एक पृथक कानून की आवश्यकता है। लेकिन इस पृथक कानून द्वारा राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से सलाह लेना जरूरी होगा मैं विभिन्न राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित पक्षों से शीघ्र ही परामर्श करूंगा और जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा है उन पहलुओं पर एक नया कानून लाने का प्रयास करूंगा।"

जो कुछ मैंने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे आशय है कि श्री लारेंस अपने संकल्प को वापिस लेने पर गम्भीरता से विचार करेंगे और हमें एक कानून लाने की अनुमति देंगे जिससे इस मामले के कई पहलुओं की कमियां दूर हो जायें। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और इन सब बातों को सरकार के ध्यान में लाये हैं। जिनके बारे में हम पहले ही से गम्भीरता से विचार करते आ रहे हैं फिर भी इससे हमें इन प्रस्तावों को भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए और ताकत मिली है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन सबके लिए एक प्रकार की अनिवार्य घटना बल्कि पालिसी नहीं हो सकती ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस समय नहीं कह सकता कि क्या यह सम्भव है या कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर विचार करें ।

श्री भागवत झा आजाद : हम निश्चित ही आपके सुझाव पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इन लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए ।

श्री एम० एम० लारेंस : अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी है कि दोनों पदों के सदस्यों ने अपने भाषण में मेरे प्रस्ताव का स्वागत तथा समर्थन किया है । मन्त्री महोदय ने भी अपने उत्तर में इस समस्या के पक्ष में दृष्टिकोण पनाया है, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं फिर भी मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं राजधानी में उनके समने ही ऐशियाड कम्पलेक्स, पोशहोटलों, फ्लाई ओवरों आदि के निर्माण में हजारों मजदूर लगे हुए हैं । उन्होंने कई कानूनों का हवाला दिया हैं । सरकार किन किन कारणों से निर्माण कर्मकार सम्बन्धी इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकी है । यह भारत की राजधानी की बात है यदि सरकार इन प्रावधानों को कांडला पत्तन अथवा अन्डमान या किसी अन्य दूर दराज के स्थान पर लागू नहीं कर पाती तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है लेकिन यहां सरकार के सामने ही इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है, इसके लिये हम किसे दोषी ठहरायें ?

इसी प्रकार मैं निर्माण कार्यों में लगी तीन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का जिक्र भी किया है । ये कम्पनियां उन अधिनियमों के नियमों तथा प्रावधानों का उल्लंघन करती आ रही हैं जिन्हें संसद तथा सरकार ने पास किया है । ऐसा क्यों हो रहा है ? इसके लिए किसे दोषी ठहरायां जाये ? मैं मन्त्री महोदय द्वारा अपने उत्तर में अपनाये गये दृष्टिकोण की बहुत सराहना करता हूं लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मुझे कुछ शंकायें हैं मन्त्री महोदय तथा माननीय मित्रों को मुझे इस आशंका के लिए दोषी न ठहरायें कि यह स्थिति जारी रहेगी । ये ठेकेदार लखपति हैं जो पैसा बना रहे हैं ; उनकी इस देश के नौकरशाहों से सांठगांठ है और उनके द्वारा वे अपना बचाव करते हैं और सत्तारुढ़ दल तथा उच्चाधिकार प्राप्त व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापति करते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : आपको गलत धारणा नहीं बनानी चाहिग । मैं दिल्ली सम्बन्धी आंकड़े बता चुका हूं आप बार बार एशियाड के बारे कह रहे हैं जहां तक एशियाड का सम्बन्धहै हमने वहां सारे कानून लागू कर दिये हैं हमने निरीक्षण किये हैं अभियोग चलाये हैंऔर सजायें दी हैं हम कुछ अन्य लोगों पर भी मुकदमा चलाना चाहते हैं और उन्हें सजा देना चहाते हैंहम यह सब कर रहे हैं एशियाड के मामले में यह धारणा पैदा नहीं होनी चाहिए कि राजधानी में सरकार के ही सामने कुछ भी नहीं हो रहा है । यदि आप आंकड़े चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं और मैं पहले ही दे चुका हूं । हमने कम से कम 24,000 अनियमितताओं का पता लगाया है । और 21,000 को ठीक कर दिया है । हमने मुकदमा चलाने तथा निरीक्षण करने की बात कही है । जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है हम अधिकारियों को भेजते हैं, दिल्ली प्रशासन के

मामले में वे स्वयं अपने अधिकारियों को भेजते हैं। मेरे पास ऐसे तथ्य और आंकड़े हैं जिनसे यह पता चलता है कि इन अधिनियमों को हमने कहां लागू किया है। जैसे कि मैंने आपको कहा हमने 4,000 अनियमिताओं का पता लगाया है और 21,000 को ठीक कर दिया है। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा यह बात सच नहीं है केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन जहां भी सम्बन्धित है ये काम नियमित रूप से किये जा रहे हैं।

श्री लारेंस तथा अन्य माननीय सदस्यों ने दो वर्ष का जिक्र किया है। यदि नियमों का उल्लंघन है चाहे सरकारी क्षेत्रों में है या गैरसरकारी क्षेत्रों में यह उल्लंघन ही है। अतः अधिनियम एक ही तरीके से लागू होगा चाहे यह एन० बी० सी० सी० हो अथवा बिरला कम्पनी। इस बारे में और कोई दृष्टिकोण नहीं होगा।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं मन्त्री महोदय को इन टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं मैं एक और बात कहना चाहता हूं इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने दो वर्ष पूरे कर लिये हैं, वे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं लेकिन जिन कर्मकारों का सेवाकाल तीन अथवा चार महीने है उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। उनके मामलों पर कोई भी विचार नहीं हो सकता। मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि हम निर्माण कार्य के समय का कोई अनुमान नहीं लगा सकते किसी एक निर्माण कार्य में कर्मकारों को 3 अथवा 4 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। वहां से वे किसी अन्य स्थान को चले जाते हैं और वे वहां काम करते रहते हैं। मालिक बदल सकता है। अतः यह सरकार का मुख्य कर्त्तव्य तथा जिम्मेवारी है कि वह एक ऐसा विधेयक लाये जिसके द्वारा ऐसे कर्मकारों को पर्याप्त मुआवजा तथा लाभ दिये जायें, जो एक स्थान पर अस्थाई रूप से काम कर रहे हों और फिर दूसरी जगह को चले जाते हैं। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा प्रश्न इन कर्मकारों के बीच निरक्षरता के बारे में है। काम के स्थानों पर काम करने वाले लोग अधिकांश गांवों से ही होते हैं, शहरों से नहीं उससे पहले वे खेतों तथा जमीनों में काम कर चुके होंगे उनमें से अधिकांश जमीन के मालिक भी होंगे चाहे यह पांच बीघा अथवा एक एकड़ या आधा एकड़ हो। जब वे देखते हैं कि खेतों में काम करना लाभदायक नहीं हैं तो वे शहरों और निर्माण स्थानों की ओर जाते हैं और कुली के इस काम को करते हैं। उनमें से अधिकांश निराक्षर ही होते हैं। जिसका ठेकेदार तथा एजेन्ट जो कर्मकार सप्लायी करते हैं। शोषण करते हैं। अतः निरक्षरता को हटाना जरूरी है।

मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना श्रम मन्त्री तथा उनके विभाग का कर्त्तव्य नहीं है। लेकिन यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है। कि हमारे गांवों से निरक्षरता दूर हो अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी, 1958 को हरियाणा सरकार कर्मचारियों के लिए तांतिया तोपे नगर में एक हजार स्टाफ क्वार्टर्स के उद्घाटन समारोह जो कुछ कहा, उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :—

"ठेका प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और सरकार को निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर करना चाहिए।"

हमारे महान राष्ट्रीय नेता तथा देश के पहले प्रधानमन्त्री ने बहुत पहले ऐसा कहा था। सरकार ने अब तक इस साहसिक घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया हैं ? कुछ भी नहीं किया गया। अतः मन्त्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रिकार्ड में से भी एक निर्णय का हवाला देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :—मैं उद्धत कर रहा हूं।

"अन्तर्राष्ट्री श्रम संगठन की भवन, सिविल इंजीनियरी और लोक निर्माण समिति की नौवें सत्र बैठक 1977 में 12 से 20 जनवरी तक जेनेवा में हुई थी और 0 जनवरी 1977 को निम्नलिखित विचार विमर्श किया गया :—

विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में निर्माण उद्योग का रोजगार और धनार्जन का दृष्टि से चक्रीय, मौसमी और बिरोधी उतार—चढ़ावों का स्वरूप बना हुआ है यद्यपि कुछ देशों में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सभी मंडियों में अर्थ व्यवस्थाओं की अस्थिरता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है जिसके होते हुए अनेक देशों में इस अस्थिरता से निर्माण कार्यों में दीर्घ कालिक रोजगारमें वृद्धि की सम्भावनाओं में जो कमी हुई है तथा हाल ही में जो प्रचण्ड चक्रीय आन्दोलन हुए हैं उनका निर्माण उद्योग पर जो स्पष्ट प्रभाव पड़ा है इन सभी से इस समय निर्माण उद्योग में स्थायित्व तत्काल विचार करना आवश्यक हो गया है।

निर्माण उद्योग में और अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिये तकनीकों को काम में लाया जा सकता है उनकी पहले से ही जानकारी है और अनेक मामलों में बहुत से देशों में व्यक्तिगत रूप से थे अपनी व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। बहुत से देशों में, निर्माण कार्य सम्बन्धी स्थायित्व में और आगे प्रगति करने के मार्ग में जो मुख्य बाधाए हैं वे तकनीकी नहीं हैं, अपितु इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इस उद्देश्य की प्राप्ति को निम्न प्राथमिकता प्रदान किए जाने से है। इस प्रकार समिति के पूर्व सत्रों में स्थायित्व के बारे में अपनाए गए बहुत से निष्कर्ष अपनी वैधता बनाए हुए हैं। अब जो करने की बात हैं वह यह है इनको कार्यान्वित करने की आवश्यकता के प्रति सभी सम्बद्ध लोगों को सहमत करना है।"

इसको यहां उद्धत करने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम यह दावा करते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इसका सातवां या दसवां स्थान है परन्तु इस प्रकार के विधान की कार्यान्विती में तथा पददलित लोगों की स्थिति सुधारने में हम असफल हो रहे हैं और इस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। हम आधे मन से यह कार्य कर रहे हैं।

जिन सदस्यों ने मेरे संकल्प का समर्थन किया हैं, मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं मन्त्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संकल्प की विषय वस्तु के प्रति एक रचनात्मक और तत्पर रवैया अपनाया है तथा आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री भागवत झा आजाद : मैं जरा यह बात बता देना चाहता हूं कि 24,500 की जो संख्या मैंने बताई है ये अखिल भारतीय आंकड़े हैं जिनमें दिल्ली भी सम्मिलित है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापिस लौटा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गए संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदत : श्री लारेंस क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री एम० एम० लारेंस द्वारा रखे गये संकल्प को वापिस लेने की अनुमति देती है ;

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

आयात नीति के पुनरीक्षण के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे। श्री रमन्ना राय।

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"राष्ट्र-हित में विदेशी मुद्रा की बचत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सभा की यह राय है कि सरकार की आयात नीति का उपयुक्त पुनरीक्षण किया जाये तथा लाइसेंस जारी करने पर और पाबंदिया लगाई जायें।"

अब मुझे सरकार के वर्ष 1981-82 के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 8 से कुछ पंक्तियां उधृत करने की अनुमति दी जाए

"विदेशी व्यापार तथा भुगतान की स्थिति पर 1979-80 से सख्त दबाव पड़ रहा है। 1979 में तेल की कीमतों के दुगने हो जाने का पूर्ण प्रभाव 1980-81 में जाकर ही महसूस हुआ। जब कुल आयात 12,465 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। देश में उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों तथा बाजार की स्थितियों के कारण निर्यात की गति सुस्त बनी रही व्यापारिक घाटा 1980-81 दुगने से अधिक होकर 5756 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चालू वर्ष में भी स्थिति अभी भी कठिन बनी हुई है यद्यपि 1981-82 में व्यापारिक घाटे के 1980-81 की तुलना में कुछ होने का अनुमान है फिर भी यह घाटा काफी बड़ा है और निवल अदृत्य आय प्रेरणाओं सहित) से इस घाटे के काफी बड़े भाग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। लेकिन इससे भुगतान की स्थिति निसन्देह रुप से काफी गम्भीर बनी रहेगी।"

वर्ष 1980-81 के अर्थिक-सर्वेक्षण में यह विचार व्यक्त किया गया है। यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति है, क्योंकि 1980-81 में सरकार द्वारा जो घाटा दिखाया गया है वह 5000 करोड़ रुपए से अधिक है। स्वयं आर्थिक सर्वेक्षण में एक अनुसूचि दी गई है जिस की तालिका 8 में आप देखेंगे कि कुल 12,434.6 करोड़ रुपए का आयात हुआ है। यह तो रहा आयात बीजक यदि आप तालिका 8.4 देखें तो आप पायेंगे कि 1980-81 में निर्यात से 6708.8 करोड़ रुपए की आय हुई। 1981 में अप्रैल-सितम्बर की अवधि में यह 3326-4 करोड़ रुपए रही हैं। अतः यह व्यापार अन्तर अधिकाधिक होता जा रहा है जिसके कारण देश को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5000 करोड़ रूपये से भी अधिक का ऋण लेना पड़ा है विदेशी मुद्रा कोष समाप्त होता जा रहा है और व्यापार खाई बढ़ती जा रही हे क्योंकि प्रतिवर्ष सरकार की नीति गलत और अनुसूचित निति के कारण और उसकी घोषित नीति कुछ होती है और कार्यरुप में कुछ और होती है। इसलिए व्यापार खाई बढ़ती जा रही है इसलिए प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा घटता जा रहा है और सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा है जो कि राष्ट्र हितों के प्रतिकूल है। जब तक सरकार इस मामले पर गम्भीरता से पुनः विचर नहीं करती है, स्थिति और बिगड़ती जायेगी।

मैं सभा का ध्यान तालिका 8.3 की ओर खीचना चाहता हूं। इसमें लगभग 13 मदों की उल्लेख किया गया है। 1979-80 के आयात आंकड़े इस प्रकार हैं, अनाज 105.8 करोड़ रुपए का, संश्लेशित और पुनरूत्पादित रेशा 108.2 करोड़ रु० का, पेट्रोलियम पदार्थ और सम्बद्ध सामग्री 3267.1 करोड़ रूपए की, खाने के तेल 429.8 करोड़ रु० की, कार्बोनिक और अकार्बोनिक रसायन 314.8 करोड़ रु० के, रसायन सामग्री 61.8 करोड़ रु० की, औषधि और भेषज उत्पाद 74 करोड़ रू० के, उर्वरक और कच्चा तेल 59.7 करोड़ रु० का, तैयार उर्वरक 371.2 करोड़ रु० का, कागज, कागज गत्ता और उससे निर्मित वस्तुएं 155.3 करोड़ रू० की मोती मूल्यवान और अर्धमूल्यवान मणि. 347.4 करोड़ रु० के मोतियों को छोड़कर गैर धातु खनिज उत्पाद 94.3 करोड़ रु० के गैर जोहस धातुएं- 336.3 करोड़ रु० की, लोहा और इस्पात

834.2 करोड़ रु० का। पूंजीगत माल 1430.1 करोड़ रु० का। व्यवसायिक, वैज्ञानिक नियन्त्रक उपकरण आदि 155.3 करोड़ रु० के अन्य 876.4 करोड़ रु० के।

मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये सब मदें जिनका आयात किया गया है, अतयन्त आवश्यक थी। मेरे विचार से मद संख्या 1 अनाज के और अनाज से बनी चीजों के आयात पर 105.8 करोड़ रु० या कम से कम उसका एक मुख्य भाग व्यय करना आवश्यक नही था।ऐसी ही स्थिति मद संख्या 4 की भी है— खाने के तेल 429.8 करोड़ रु० के हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछता हूं कि क्या खाने के तेल का आयात नितान्त आवश्यक था ? विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने की बात सोचते हुए खाने के तेल के कम से कम बड़े लोय के आयात को सीमित किया जाना चाहिए था। मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिएं। इसी प्रकार की स्थिति मद संख्या 11 मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य मणि के आयात की है। कम से कम इस मद के एक बड़े भाग के आयात से बचा जा सकता था। यह एक बेकार और अनावश्यक मद है। मेरे विचार से इन सभी मदों का आयात सरकार की गलत नीति के कारण किया गया था। उदाहरण के लिए कुछ और भी ऐसी मदें हैं जिनका आयात छोड़ा जा सकता था। यद्यपि नारियल, रबड़, और कोको के आयात का इस सदन में विपक्ष के सदस्यों ने भिन्न भिन्न दलों से सम्बद्ध होने के बावजूद भी केरल के सभी सांसदों ने और केरल सरकार ने भी एक बार नहीं कई बार जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया था फिर भी सरकार ने इन मदों के आयात के लिए लाइसेन्स जारी किये हैं। हम जानते हैं कि केरल की मुख्य फसलें जिन पर लोगों का जीविका निर्भर करती है, नारियल, और रबड़ हैं और आज कोको भी है। ऐसा लगता है कि जैसे केरल के लोगों को, खेतीहरों को दण्डित करने के लिए ही और केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए ही सरकार ने प्राइवेट पार्टियों को नारियल, खोपरे, नारियल के तेल, कोको और रबड़ के आयात के लिए लाइसेन्स दिए हैं। अब यदि हम इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें तो यह ज्ञात होगा। कि केरल में राज्य की अर्थव्यवस्था केरल की जनता की अर्थव्यवस्था मुख्यतया नारियल की खेती पर निर्भर करती है।

उपध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं। अब सभा कल ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

---

6 01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 27 फ़रवरी, 1982/8 फाल्गुन, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।